राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-6 नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का अठारहवां दिवस संख्या-13

गुरुवार

12 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

मोटर गैराज में नीलामी योग्य वाहन

315. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोटर गैराज में कितने सरकारी वाहन जीप, कारें व अन्य वाहन नीलामी योग्य पड़े हैं ? सूची वाहन वाइज सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मोटर गैराज में मशीनरी व अन्य सामान नीलामी योग्य है ? यदि हां, तो सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वाहनों को व अन्य मशीनरी सामान को नीलाम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री मोटर गैराज (श्री नफीस अहमद खान) : (1) मोटर गैराज में नीलामी योग्य केवल 4 वाहन उपलब्ध हैं, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। नीलामी योग्य मशीनरी व सामान शेष नहीं है।

(3) जी हां ! दो माह के अन्दर नीलामी की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : दो साल में पहली बार जवाब दे रहे हैं, मेज थपथपा कर स्वागत करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपको खरीदना है क्या ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इनसे कोई पूछता नहीं है इसलिये मैंने सवाल लगाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात जानना चाहता हूं कि कितने समय बाद वाहनों को नीलाम कर दिया जाता है और इनके मापदण्ड क्या है ? दूसरा, क्या यह सही है कि पिछले....

श्री अध्यक्ष : नम्बर दो दूसरी बार। मंत्री महोदय मापदण्ड बता दीजिये क्या है ? कितने दिनों में नीलाम करते हैं ?

श्री नफीस अहमद खान : माननीय सदस्य ने मापदण्ड का प्रश्न उठाया है। हमारे जो मापदण्ड हैं वह यह हैं, उदाहरण के लिये कोई जीप है....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जीप को छोड़ो कार की बताओ आप तो।

श्री नफीस अहमद खान : पेट्रोल की जीप है वह पट्रोल की जीप 1 लाख 50 हजार किलोमीटर चली हुयी हो और 8

(श्री नफीस अहमद खान)

साल पूरे हो गये हों, अम्बेसेडर कार है वह 1 लाख 20 हजार किलोमीटर चली हुयी हो और 6 वर्ष पूरे हो गये हों और अगर डीजल की जीप है तो वह 2 लाख किलोमीटर चली हुयी हो और 10 वर्ष पूरे हो गये हों। यह हमारे मापदण्ड हैं।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा क्या है, मापदण्ड भी आ गया, वह भी आ गया। पूछिये, पूछिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से यह शिकायतें रही हैं कि वाहन नीलाम के लिये आते हैं उनमें से चोरी करके पुर्जे आदि जो होते हैं वह चेंज कर दिये जाते हैं, पुराने पुर्जे लगा दिये जाते हैं। क्या इस तरह की आपको शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और आपने उन पर क्या कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्रीजी। ....(व्यवधान) आप तो नई खरीद सकते हैं।

श्री नफीस अहमद खान : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न निराधार है। राजस्थान मोटर के सम्बन्ध में जो हमने कदम उठाये हैं वह मैं बताना चाहूंगा ...

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी विराजिये। श्री विश्नोईजी भी पूछ रहे हैं। साथ ही जवाब दे देना।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि सरकारी वाहन चाहे पंचायत समिति में हों चाहे गवर्नमेंट आफिसेज में हों वह खराब होने के बाद या नीलाम करने के काबिल करने के बाद 2-2, 3-3 साल तक पड़े रहते हैं, नीलाम नहीं होते हैं और लोग चोरियां करके, बैटरी निकाल लेते हैं, गेयर निकाल लेते हैं, दूसरी चीजें निकाल लेते हैं इसलिये जब यह तय हो जाय कि नीलाम करना है तो तुरन्त एक महीने के अन्दर-अन्दर नीलाम कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कभी-कभी क्या होता है कि न्यूनतम राशि नहीं आती है तो इसलिये भी रूक जाते हैं।

वह यह कह रहे हैं कि आपने जो मापदण्ड बताये उनके मुताबिक नीलाम काबिल हो गये, फिर भी पड़े रहते हैं और लोग उनमें से सामान ले जाते हैं। उनका भी कहना है श्री श्रीचन्दजी कृपलानीजी का कि सामान बदल लिया जाता है वह इसलिये बदल लिया जाता है कि समय पर नीलाम नहीं होते हैं। समय पर नीलाम होने की बात पूछ रहे हैं।

श्री नफीस अहमद खान : जहां तक नीलाम करने का सवाल है, हमारी सरकार ने एक कमेटी बना रखी है वह कमेटी ही यह तय करती है कि कौनसा वाहन कितनी राशि में बिकना चाहिये। यदि न्यूनतम राशि नहीं आती है तो वह नहीं बिकता है। इस प्रकार से अभी हमने 250....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय माननीय सदस्य नीलाम करने के बारे में जानकारी चाहते हैं, न्यूनतम राशि की बात कर रहे हैं

(श्री अध्यक्ष)

वह तो ठीक है मगर नीलाम होने के पहले उनमें से कोई सामान नहीं जाय इसको ध्यान में रखिये और सामान इन्टरेस्ट रहते हुये ही उनको नीलाम कर दिया जाय ।.... (व्यवधान) .... । नेक्स्ट । श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वेपकोज सर्वे की दरें

316. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई क्षेत्र का वेपकोस को सर्वे का कार्य कब से दिया गया व प्रति हैक्टेयर के हिसाब से कितनी राशि का एग्रीमेंट किया ? एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखें,

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में कार्यालय द्वारा अनुमानित रुपये 25000 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से कार्य होता था ? यदि हां, तो फिर वेपकोस के दरों के बारे में जो अनुबन्ध हुआ उसका क्या औचित्य था ।

(3) वेपकोस को सर्वे हेतु आवंटित किये गये कार्य में अब तक कितना व्यय हुआ ? सूची मय पूर्ण सूचना के सदन की मेज पर रखें ।

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना क्षेत्र में हर एक मुरब्बे को पानी उपलब्ध कराने के लिये पक्के खालों के निर्माण से सम्बन्धित सर्वे इत्यादि का कार्य वेपकोस जो कि एक भारत सरकार की संस्था है के द्वारा कराये जाने का निर्णय 24-2-1989 को किया गया तथा 28-2-1989 को आदेश जारी किये गये । वेपकोस से 1.50 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र में सर्वे इत्यादि का कार्य करने के लिये 390/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से समझौता किया गया । तत्पश्चात् 24-3-1991 को 60,000 हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में और सर्वे इत्यादि का कार्य आवंटित किया गया । समझौते की शर्तों के अनुसार 8 प्रतिशत ऐसकेलेशन 1-4-1990 से दिया जाना था लेकिन वेपकोस से विस्तृत में विचार विमर्श कर पुरानी दर अर्थात् 390 रुपये प्रति हैक्टेयर पर ही कार्य दिया गया एवं इस वर्ष 1991-92 में भी वेपकोस 390 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर ही कार्य कर रहा है ।

(2) जी हां । यह सही है कि पूर्व में अनुमानित लागत सिर्फ सर्वे के 250 रुपये आंकी जाती थी जबकि वास्तविक लागत वर्ष 1988-89 में 400.59 रुपये प्रति हैक्टेयर आयी थी जो वेपकोस की दर 390 रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक थी । वेपकोस को जो कार्य दिया गया था उसमें विभाग द्वारा 400.59 रुपये प्रति हैक्टेयर के आंकलन में जो कार्य शामिल थे उसके अतिरिक्त एलाइमेंट को अन्तिम रूप देना, मुरब्बों की ग्राउंड मार्किंग, खालों की डिजाइन एवं चक तखमीना बनाना व चक प्लान बनाना अतिरिक्त कार्य था । वेपकोस के साथ जो अनुबन्ध 390 रुपये प्रति हैक्टेयर पर किया गया उसका औचित्य निम्न कार्यों के करवाने की वजह से है :—

(I) परियोजना में उपलब्ध आंकड़ों, नक्शे, विस्तृत स्टेडीज इत्यादि की सूचनाओं का संकलन कर विशलेषण करना ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(II) जिन चकों का आइडेन्टिफिकेशन हो जायेगा उनका फिल्ड सर्वे 165 फीट (50 मीटर) के ग्रिड पर कर उसे स्केल 1"=412.05 फीट (सेंटीमीटर = 50 मीटर) पर रीप्रोडेक्शन करना, नक्शों पर फील्ड बाउन्डरीज, कैनाल एलाईमेंट तथा अन्य फीचर्स को मार्क किया जाना है जिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं लग सकता है उनको नक्शों पर मार्क करना तथा नक्शे पर समतल क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर व टीबों वाले क्षेत्र में 1 मीटर की दूरी पर कन्टूर मार्क करना भी सम्मिलित है।

(III) कमान्ड क्षेत्र के लिये वाटर एलाउन्स तय है उसका खालों के निर्माण की डिजाइन में उपयोग करना।

(IV) खालों के निर्माण का कन्टूर मैप्स पर "ले आउट" करना चैनल के सैक्शन का डिजाइन करना, पूर्ण तखमीने तैयार करना।

(V) हर चक में (अनुमानित चक का क्षेत्र 200-300 हैक्टेयर) माइक्रोकेनेलाइजेशन प्लान करना ताकि हर मुरब्बा (6.32 हैक्टेयर) को बराबन्दी के अनुसार खालों से पानी मिल सके।

(3) वेपकोस को सर्वे इत्यादि के लिये 8,19,00,000/- रुपये का कार्य आबंटित है। अब तक 7,05,46,548.00 रुपये व्यय किये गये हैं। वेपकोस ने माह फरवरी, 1992 तक 1,51,879 हैक्टेयर में सर्वे कर फाइनल चक स्कीम तैयार कर ली है एवं 43984 हैक्टेयर में सर्वे कर ड्राफ्ट स्कीम बनाली है इस प्रकार कुल 1,95,863 हैक्टेयर में सर्वे एवं प्लानिंग का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि मैंने कहा 250 का और आपने 390 बताया कोई बात नहीं। जब मैंने 30-7-91 को इन अधिकारियों को पत्र लिखा कि मेरे को जानकारी मिली है तो मेरे को बताये का कष्ट करें तो उन्होंने आज तक कोई भी पत्र का जवाब नहीं दिया। आज जो बात बता रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : वह बता देते तो ठीक था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये वह यह चीज आज से इतने महीने पहले भी कह सकते थे तो सरकार का इतना पैसा खर्च नहीं होता। आज सारी डिटेल बता रहे हैं उसके अन्दर भी मेरे को शंका है। मैं सन्तुष्ट नहीं हूं इनके जवाब से। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैंने मिस्टर कंग को पत्र लिखा उसका जवाब आया 12 अगस्त, 91 को। उनसे भी कोई सन्तुष्ट जवाब नहीं आया। इसके सम्बन्धित नहीं है। मिस्टर कटारिया इसका जवाब देंगे। मिस्टर कटारिया ने भी मेरे को उत्तर नहीं दिया। इससे मेरे को शंका हो रही है कि इसके अन्दर कुछ अनियमिततायें है। वह छुपाने के लिये आज जो जवाब दिया है उसमें मैं बिल्कुल सन्तुष्ट तो नहीं हूं। मंत्रीजी जो बता रहे हैं मेरे को इस बात का समझ में नहीं आया कि जब अधिकारी सही थे तो मेरे को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी भविष्य में पत्रों का जवाब दिला दें। बैठिये आप कुछ जवाब नहीं देना है। आप पत्र का जवाब दे दिया करो नेक्स्ट। श्री हरीश भामनानी।

पाक शरणार्थियों को भूमि आवंटन

317. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एवं पश्चात् कुल कितने शरणार्थी राजस्थान में आये ?

(2) पाकिस्तान से आये कुल कितने मुस्लिम शरणार्थियों को जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर व बीकानेर जिलों में बसाया गया ?

(3) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में से कितनों को कुल कितनी भूमि उक्त जिलों में आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : पुनर्वास राज्य मंत्रीजी।

राज्य मंत्री पुनर्वास (श्री जगतसिंह दायमा) : (1) 1965 के युद्ध के दौरान 6069 वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान 58492 एवं पश्चात् 126 पाक शरणार्थी राजस्थान में आये।

(2) किसी मुस्लिम शरणार्थी को नहीं बसाया गया। उनके आने की सूचना भी नहीं है।

(3) जिला बाड़मेर में 5282 व्यक्तियों को 2,95,097 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी। जिला जैसलमेर में 534 व्यक्तियों को 40050 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। बीकानेर जिले में 3165 व्यक्तियों को 77874 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। जिला गंगानगर में किसी भी पाक शरणार्थी को भूमि आवंटित नहीं की गयी।

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या युद्ध के दौरान सन् 1965, 1971 के बाद जो शरणार्थी हैं आये हुये उनको बसाने की कोई योजना, उनको रोजगार देने की कोई योजना या उनको नागरिकता प्रदान करने की कोई योजना भारत सरकार, राज्य सरकार की थी। यदि थी, तो वह क्या थी ? प्रति व्यक्ति क्या थी ? एक और....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, दूसरा बाद में।

श्री जगतसिंह दायमा : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया कुछ अवैध तरीके से भी कुछ पाक से शरणार्थी आये और जब तक....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अवैध का नाम नहीं लिया। आप तो शरणार्थी बताइये। कितने शरणार्थी आये हैं ?.... (व्यवधान)।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : शरणार्थी तो वैध हैं साहब अवैध तरीके से आने वाले तो जासूस हुये। शरणार्थी और अवैध दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जिन शरणार्थियों को नागरिकता दी जा चुकी है उनको तो बसाया जा चुका है। उनको तो जमीन भी आवंटित की गयी है। जिनके

(श्री जगतसिंह दायमा)

सम्बन्ध में गृह विभाग जांच नहीं कर पाया है वह अभी शेष है।

श्री अध्यक्ष : शरणार्थी है। अवैध तरीके से आते हैं क्या शरणार्थी ? (व्यवधान)

श्री हरीश भामनानी : मैंने तो जानकारी चाही थी कि प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने उनको रोजगार देने के लिये क्या योजना बनायी थी उसकी जानकारी चाही थी। यह तो दूसरी बात कह गये।

श्री जगतसिंह दायमा : राजस्थान सरकार ने भारत-पाक युद्ध के शरणार्थियों के पुनर्वास की जो योजना बनायी उसके बारे में आपने जो सूचना चाही है उसके बारे में निवेदन है कि केन्द्र सरकार स्तर पर 31-7-78 को सम्पन्न बैठक में वर्ष 1973 के भारत पाक युद्ध से शरणार्थी, जो पुनर्वास योजना में अन्तिम रूप दिया गया, 5 हजार 6 सौ शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये 8 करोड़ 12 हजार रुपये की स्वीकृति केन्द्र द्वारा दिनांक 17-11-78 को जारी हुई। इन परिवारों को कृषि, पशुपालन के क्षेत्र पुनर्वास की योजना थी। उनका पुनर्वास बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर में किया जा चुका है।

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि 1965 के पाक युद्ध के बाद में 6 हजार 69 व्यक्ति वहां से शरणार्थी होकर आये। वर्ष 1971 में 58 हजार 492 व्यक्ति आये और उसके पश्चात् 126 ऐसा कुल मिलाकर 64,687 व्यक्ति शरणार्थियों के रूप में इस युद्ध के दौरान आये। मेरा निवेदन यह है कि उनको वापस बसाने की योजना बनी है वह बाड़मेर में 5282 जैसलमेर में 534 और बीकानेर में 3165, ऐसे कुल मिलाकर 8981 लोगों को तो रोजगार देने की योजना सरकार ने बनाई। बाकी कुल मिलाकर यदि 64687 में से 8981 यदि कम करते हैं तो 55 हजार 706 व्यक्ति हैं, जिनके लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। उनके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या व्यवस्था की है ? उसके बारे में जानकारी दें।

एक और इसी से सम्बन्धित है। यह जो छांट करके 8981 लोगों को रोजगार दिया गया है उनकी क्या कसौटी थी ?

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्ति नहीं पूछ रहे हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : यही पूछा है साहब कि 64 हजार आये उसमें से 6 हजार को तो दे दिया 58 हजार का क्या हुआ। उनके परिवारों को दिया था....

श्री अध्यक्ष : कितने लोग आ गये ?

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में वर्ष 1965 में एक हजार अट्ठाईस परिवार आये और भूमि दी गयी 41,764.15 बीघा।

श्री अध्यक्ष : वह तो छः हजार व्यक्ति हुए ना।

श्री जगतसिंह दायमा : 1978 में आये 4254 परिवार, भूमि दी गई 2 लाख 53 हजार 3 सौ 32.10 बीघा और टोटल परिवार आये 5,282 और भूमि दी गई 2 लाख 95 हजार 97.05 बीघा। बीकानेर

(श्री जगतसिंह दायमा)

में वर्ष 1965 में तो कोई आया नहीं और 1971 में आये (व्यवधान) मैं सारा जवाब देने की कोशिश करूंगा। बीकानेर के 3165 परिवारों को 77 हजार 8 सौ 74 बीघा जमीन दी गयी और जैसलमेर में भी कोई 1965 में नहीं आया। 1971 में आये 534 परिवार जिनको 40 हजार 50 बीघा भूमि दी गई और गंगानगर में किसी को नहीं दी और ना कोई आया।

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, पाक विस्थापितों को भूमि आवंटित बाबत। प्रश्न के भाग 3 में उत्तर दिया है कि बीकानेर जिले में कुल 3165 व्यक्तियों को 77 हजार 8 सौ 64 बीघा भूमि आवंटित की गई है जो किस सन् में की गई ? उसके बाद उसी परिवार से अलग होने वाले बालिग पुत्र को मूल निवासी के आधार पर कमी पूर्ति में भूमि आवंटित करने का हक है क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो मूल निवासी का आधार क्या है ? क्या माना जा सकता है। कृपया उत्तर दें।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1978 के बाद जब हमारी सरकार आ गई तब उसने इसके ऊपर ध्यान दिया और पाक शरणार्थियों को 1978 के बाद से दी गई। यह कार्यक्रम था।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं पूछना चाह रहा था कि इनके पीछे कुछ रह नहीं गया है। पाक विस्थापितों को।

श्री अध्यक्ष : अब आप बाद में पूछ लेना।

श्री मनीराम सियाग : जो मेरे क्षेत्र में आये हैं, पूगल में आये हैं, करीब-करीब बीकानेर जिले वाले पाक विस्थापितों में उनके पीछे कुछ रह नहीं गया है। जो दूसरे गांवों में है, उनको जमीन मिल रही है और जो उनके बालिग पुत्र अलग हो रहे हैं और जो जमीन एक मुरब्बा एक परिवार को दी गई थी आज उनको एक-एक, दो-दो बीघे के टुकड़े हिस्से में आ रहे हैं। क्यों नहीं उन्हें सीलिंग सीमा तक उनको भी आवंटन कराने का अधिकार दिया जाय, मेरा यही पूछना है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है। उसका आ जायेगा। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, हाल में 3 वर्षों में पाकिस्तान से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो शरणार्थी आकर बसे हैं, उनके विषय में उन्हें नागरिकता देने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री जगतसिंह दायमा : यह होम से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार को लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त। नहीं। महावीर जी आप पूछ रहे हैं ?

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) 4 से ज्यादा नहीं होंगे 4 होंगे। ...(व्यवधान)। आप बिराजिये। आप शरणार्थी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये, आज वे पाकिस्तान तो जा नहीं सकते। अब उनको यहां पर....मैं जानता हूं कि आप यह चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार से सहयोग नहीं मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आज हिन्दुस्तान छोड़कर और कहीं जा नहीं सकते तो राज्य सरकार को जिम्मेदारी है कि उनको बसाये, उनको सहयोग करें, उन्हें रोजगार दे।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है? ये तो बता रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन 8000 लोगों को उन्होने बसाया है, बाकी के लोगों को नहीं बसाने का क्या कारण है और कब तक बसा दिया जायेगा और उनके लिये आखिर कौन व्यवस्था करेगा?

श्री अध्यक्ष : सरकार करेगी। सबको बसायेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कब तक बसायेगी? आज बीस साल हो गये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हीरालाल आर्य।

पशु चिकित्सालय कैम्प अयाना (पीपल्दा)

318. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष पीपल्दा क्षेत्र के अयाना कस्बे में पशुओं की चिकित्सा आदि का कैम्प विभाग की ओर से लगाया गया था? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च की गई?

(2) उक्त कैम्प में कितने पशुओं का उपचार किया गया तथा क्या-क्या कार्य सम्पन्न कराये गये?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में उपलब्धि के दर्शाये गये आंकड़े झूठे एवं फर्जी थे?

(4) यदि हां तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया?

राज्य मंत्री पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) पीपल्दा क्षेत्र के ग्राम अयाना में पशुपालन विभाग की तरफ से दिनांक 17-12-91 से 19-12-91 तक एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, उस शिविर में रुपये 9,190/– खर्च हुये?

(2) उक्त शिविर में कुल 2232 पशुओं को सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रजनन व्याधि निवारण एवं कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण आदि कार्यों के द्वारा लाभान्वित किया गया।

(3) उक्त शिविर में उपलब्धि के दर्शाये गये आंकड़े वास्तविक एवं सही है।

(4) अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया है 2232 पशुओं का उपचार किया गया लेकिन यह संख्या सही नहीं है। मात्र 350 पशुओं का....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है? यह तो हो गया, सही नहीं है। सवाल क्या है?

श्री हीरालाल आर्य : यदि उपचार किया गया है तो अलग-अलग संख्या बतावें कि कितने पशुओं की सामान्य चिकित्सा की गई कितनों की शल्य चिकित्सा हुई, प्रजनन व्याधि निवारण कितने पशुओं का हुआ, कृत्रिम गर्भाधान कितनों का हुआ, बधियाकरण कितने पशुओं का हुआ? क्या यह भी सही है कि पशुओं को गलघोंटू बीमारी के टीके लगाये गये हैं? और यदि हां, तो कितने पशुओं के लगाये? क्या पशु पालकों को पशुओं के लिये जो पशु आहार है वह वितरीत किया गया था, यदि हां, तो कितना-कितना और कितने पशुओं को?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पूर्व में बताया, 2232 पशुओं को इसमें चिकित्सा एवं अन्य के द्वारा लाभान्वित किया गया है। इसमें कुल राशि हमें मिली डी. आर. डी. ए. के माध्यम से 11,000 रुपये, उसमें औषधि एवं उपकरणों के लिये आठ हजार रुपये, पशु आहार एवं चारे के लिये दो हजार रुपये और प्रचार-प्रसार के लिये एक हजार रुपये।

श्री अध्यक्ष : आपके पास पशुओं की संख्या है क्या अलग-अलग?

श्री देवीसिंह भाटी : वही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वही बता दीजिये। फिर रुपयों की छोड़िये। पशुओं की संख्या बता दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : 100 पशु पालकों को शिविर में लाये गये पशुओं के लिये निशुल्क पशु आहार का वितरण किया गया, यह आहार उन्हीं पशु पालकों को वितरण किया जाता है जिनको वहां रात में रहना पड़ता है। जो तुरन्त आये, इलाज कराकर चले गये, उनको चारा और आहार हम नहीं देते हैं। इसमें सामान्य चिकित्सा 1916 की की गई, शल्य चिकित्सा 93 की की गई और प्रजनन व्याधि चिकित्सा 224 की की गई। इसके अतिरिक्त जैसा आपने गलघोंटू बीमारी के बारे में पूछा, इसके अलावा 1012 पशुओं को गलघोंटू बीमारी से बचाव के टीके भी लगाये गये। इस शिविर में विशेष तौर कैम्प स्थल पर 19 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा 33 नाकारा सांडों का बधियाकरण भी किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ठीक है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो गलघोंटू बीमारी के बारे में बताया है....

श्री अध्यक्ष : सवाल करें। सवाल क्या है?

श्री हीरालाल आर्य : मैं सवाल ही अर्ज कर रहा हूं। कि एक भी पशु के गलघोंटू बीमारी के टीके नहीं लगाये गये।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : क्यों नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल है। बताइये।

श्री हीरालाल आर्य : मैं कह रहा हूं कि यह....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करिये। वे तो कह रहे हैं यह....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इनको बता दूं कि इसमें एक कमेटी बनी हुई, जिसमें डी. आर. डी. ए. का प्रतिनिधि....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें बी. डी. ओ. होता है, जिला पशु पालन अधिकारी होता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य इसका निर्णय यहां नहीं हो सकता। (व्यवधान) आपका सवाल ? आ चुका। आप सवाल पूछिये।

श्री हीरालाल आर्य : जो प्रभारी डाक्टर था, उन्होंने ये दवाइयां फेंकी थी....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ना, सवाल क्या है ?

श्री हीरालाल आर्य :....और गांव वालों ने उनको जब्त किया है। इस मामले की, पूरे प्रकरण की जांच कराइये और....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है, बैठिये। यह ठीक है। आप जांच करवा लीजिये। माननीय सदस्य का कहना है, आप जांच करवा लीजिये। श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे पास सब पशु पालकों के हस्ताक्षर हैं, अंगूठे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : ये सब होगा, ये फर्जी हस्ताक्षर हैं आपके पास।

श्री देवीसिंह भाटी : फर्जी हैं तो आप स्पेसिफिक बतावें, मैं जांच कराऊंगा और जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो मैं उसकी खाट खड़ी दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका प्रश्न बिल्कुल सीधा सा था। वे दूसरी तरह से बोल गये। इनका प्रश्न था कि कितने सांड ऐसे रह गये जिनका बधियाकरण नहीं हुआ ?

श्री देवीसिंह भाटी : आप मुझे बताइये। मैं निश्चित रूप से आज ही करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो दवाइयां फेंकी है, क्या आप उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, करवा लेंगे। बैठिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : पशु चिकित्सालयों का भयंकर अभाव है जिससे पशु मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। क्या आप इस बजट में भी पशुओं के और पशु चिकित्सालयों के लिये और उनकी दवाइयों के लिये प्रावधान नहीं रखा है क्या, आप इसमें माननीय मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मात्र एक जगह का पूछा गया है और वहां कैम्प का आयोजन किया गया है न कि अलग-अलग।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बंशीलाल पटवा।... सहकारिता मंत्रीजी। देख लूंगा, देख लूंगा। आपका सवाल आएगा, देखूंगा। मैं आपके सवाल के लिए जल्दी कर रहा हूं। प्रभुलालजी का आ रहा है। इसलिए जल्दी कर रहा हूं। हां, बोलिये। आपका आ रहा है। देखिये, अभी आ रहा है। आ जायेगा, आ जायेगा। हां, बोलिये, बोलिये।

भीलवाड़ा की ग्राम सहकारी समितियों द्वारा ऋण की माफी

319. **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की ग्राम सहकारी समितियों द्वारा किस वर्ष तक के ऋण माफ किये गये ? ये ऋण कितनी-कितनी राशि के माफ हुए ?

(2) क्या माफ किये गये ऋण के प्रमाण-पत्र ऋण धारियों को दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) भीलवाड़ा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिनांक 2-10-89 तक के बकाया अवधिपार ऋण में से राजस्थान कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले 48044 लाभार्थियों को 880.23 लाख रुपये की राहत दी गयी है।

(2) 48044 लाभार्थी सदस्यों में से 23,890 सदस्यों को ऋण राहत योजना के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं शेष 24,154 सदस्यों को लम्बे समय तमय तक चली व्यवस्थापकों की हड़ताल एवं योजनानुसार राहत के उपरान्त शेष अवधिपार राशि का चुकारा नहीं करने के कारण प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सके हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि राहत के अन्तर्गत वर्ष 90 के जो ऋण माफ किये गये हैं इसमें मंत्री महोदय ने 23,890 के तो प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं 24,154 को नहीं दिये गये। इसमें मेरा पूछना यह है कि टोटल 880.23 के तो इन्होंने ऋण माफी के लिये राहत की दृष्टि से क्लेम किया और उनको पैसा मिला है 652.21 ? 228.2 करोड़ रुपया उनको अभी तक नहीं पहुंचा है जिसके कारण ये प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये और इसके साथ-साथ जारी करने से दूसरे व्यवस्थापक को रिकार्ड दिला दिया गया, वहां पर क्लेम की दृष्टि से नोटिसबाजी हो रही है और उनको दुःखी किया जा रहा है। ऋण माफी के अन्तर्गत 880.23 करोड़ रुपये का जो कर्जा माफ किया गया है तो 652.21 ही क्यों दिया गया है एक तो मेरा यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे फिर आप।

श्री बंशीलाल पटवा : सैकण्ड कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 880 करोड़ रुपये की ऋण राहत नहीं दी गई यह आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोल रहे थे 880.23 करोड़ रुपये की ऋण राहत दी गयी है मैं यह कह रहा हूं वह नहीं दी।

श्री बंशीलाल पटवा : 880.23 यह मैं बोल रहा था।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 29-6-91 के राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 10,000 तक के कर्जे हमने माफ किये थे लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिन्होंने पेनल इन्टरेस्ट नहीं दिया जिन्होंने बकाया राशि 10 हजार रुपये की जमा नहीं कराई अगर उसको जमा करा दे तो हमने ऋण राहत योजना में 10 हजार का कर्जा माफ करा चुके हैं और उनके खाते में समायोजन करा दिया लेकिन यह बकाया राशि दे देंगे तो उनके खाते में तो जमा हो चुका है केवल वो राशि बकाया है इसलिये इसमें नहीं दिया गया।

श्री बंशीलाल पटवा : दूसरा प्रश्न, आप यह बता रहे हैं कि वे अपनी बाकी की राशि जमा करा दें तो उनको प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जायेंगे लेकिन मेरा यह निवेदन है कि बैंक का प्रशासनिक खर्चा 50 लाख रुपया प्रति वर्ष है, और इतनी ही शीर्ष बैंक को उनको ब्याज वगैरह का देना पड़ता है और यदि यह 228.2 ऋण का पैसा शीर्ष बैंक से नहीं दिया तो बैंक डिफाल्टर हो जायेगा। यही स्थिति राजस्थान में अल्प बैंकों की है, अगले वर्ष वो ऋण नहीं दे पायेंगे। स्थिति खराब होगी। यह भी निवेदन है कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसकी जांच की जाय। नहीं तो को-आपरेटिव बैंक जो राजस्थान में हैं और विशेष रूप से जो झालावाड़ को-आपरेटिव बैंक की स्थिति है वह खराब हो जाएगी और खराब होने से वे अगले वर्ष ऋण भी नहीं दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव नोट कर लीजिये। नेक्स्ट श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री बंशीलाल पटवा : इसमें रिप्लाई दें, उसकी स्थिति खराब हो जायेगी। मंत्री महोदय, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। देखिये, इन्होंने साफ बता दिया कि जिन लोगों ने बकाया इन्टरेस्ट का पेमेन्ट कर दिया उनको तो सर्टिफिकेट दे दिया ऋण मुक्ति का। बाकी लोगों का रुपया बैंक में ट्रांसफर कर दिया। ऋण मुक्ति का सर्टिफिकेट इसलिये नहीं दिया कि वे बकाया इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसमें आप परिवर्तन चाहते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि परिवर्तन किया जाय क्योंकि उसके कई कारण आपने बता दिये। आपका सुझाव नोट कर लिया है इन्होंने। श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने पैसा दे भी दिया और उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया। वहां स्थिति खराब है और जब तक पैसा नहीं देंगे वो प्रमाण-पत्र नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पटेल।

सपोटरा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

320. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री प्रभुलाल पटेल)

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कितने सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं ?

(2) क्या उनमें छात्रों व विषयों के अनुपात से अध्यापक पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कौन-कौन से विद्यालयों में किस-किस विषय के अध्यापक नहीं हैं ? रिक्त पदों पर अध्यापक कब तक लगा दिये जावेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में 16 सैकण्डरी व 3 हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं।

(2) जी, नहीं। सरकार वित्तीय सीमा में नये पदों का सृजन कर सकती हैं।

(3) निम्नलिखित विद्यालयों में उनके सामने अंकित विषय के अध्यापक नहीं हैं :–

	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक
रा.सी.उ.मा.वि. सपोटरा	1 (इतिहास)	—
रा.सी.उ.मा.वि. कुड़गांव	1 (हिन्दी)	—
रा.मा.वि. मण्डायल	—	1 (सामान्य)
रा.मा.वि., भांकरी	—	1 (गणित)
रा.मा.वि., हाड़ौती	—	1 (सामान्य)
रा.मा.वि. अडूदा	—	1 (विज्ञान)
रा.मा.वि., सैमरदा अस्थल	—	1 (गणित)
रा.मा.वि., इनायती	—	1 (विज्ञान)
रा.मा.वि., डाबरा	—	1 (विज्ञान)
रा.मा.वि., रोधई	—	1 (गणित)

रिक्त पदों की पूर्ति की यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह भरेंगे कब तक ? यह भी है इसमें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, ये पद वो पद हैं....

श्री प्रभुलाल पटेल : सपोटरा हायर सैकण्डरी स्कूल में कितने सैकण्ड ग्रेड के पद स्वीकृत हैं और लड़कों के अनुपात से कितने होने चाहिये, यह मंत्री महोदय बतायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सपोटरा हायर सैकण्डरी स्कूल में स्वीकृत पद मानदण्ड के अनुसार....

श्री प्रभुदयाल पटेल : छात्रों की संख्या कितनी है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : छात्रों की संख्या 2 से 8 तक 285 है, 9 से 11 तक 512 और 11 से 12 तक 412 है। इस प्रकार इसमें जो मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत पद हैं फर्स्ट ग्रेड के 16, सैकण्ड ग्रेड के 13 और दूसरे हैं 8। इसमें मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जानना चाहा कि इन पदों को कब तक भर देंगे। यह पद वे हैं जो मानदण्ड....

श्री अध्यक्ष : ये पूछते हैं कि लड़कों के अनुपात से जितने होने चाहिये वे नहीं हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हां, कम है।

श्री अध्यक्ष : कितने कम हैं यह पूछ रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह लिस्ट मैंने पढ़कर सुनाई। केवल इस विधान सभा क्षेत्र में 10 पद इन्होंने चाहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ये तो केवल सपोटरा के लिये पूछ रहे हैं उसमें जितने हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनके हिसाब से पद सृजित हैं या नहीं, यह पूछ रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उसके हिसाब से सैकण्ड ग्रेड के दो पद खाली है और ये नये सृजित करने हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब कम है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नये सृजित करने हैं। अब तो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। अगली एक अप्रेल से नये पद क्रियेट करके उनको नियुक्ति दे देंगे।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही पद स्वीकृत है सैकण्ड ग्रेड का।

श्री अध्यक्ष : वो कह रहे हैं कि आपको दो पद देंगे।

श्री प्रभुलाल पटेल : 1200 लड़कों में 2 पद है। इसमें सामान्यकरण योजना के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड ग्रेड के आप बता रहे हैं वो 2 दे रहे हैं आपको।

श्री प्रभुलाल पटेल : पद एक ही स्वीकृत है, 13 होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसलिये वो कह रहे हैं 2 कम है। वो दूसरा पद और सृजित करेंगे।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, 1200 लड़कों के लिये कितने पद चाहिये, यह पूछें। 2 से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, सपोटरा में करीब 1200 विद्यार्थी हैं, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है और वहां पर व्याख्याताओं के 2 पद खाली हैं। बाकी वरिष्ठ अध्यापक अलग होते हैं और जनरल अध्यापक अलग होते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वो मैंने बता दिया। अलग-अलग बताये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप बतायें कि सपोटरा के अन्दर वहां पर 16 सैकण्डरी स्कूल हैं पूरे क्षेत्र में। 16 स्कूलों में सब जगह व्याख्याताओं के पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के खाली हैं अध्यापकों के खाली हैं और राजस्थान में ही ऐसी स्थिति है। या तो आपके पास पैसा नहीं है या फिर ट्रेण्ड अध्यापक नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमारे पास पैसा भी है ट्रेण्ड अध्यापक भी हैं। माननीय सदस्य कभी तो एक स्कूल की बात करते हैं, कभी पूरे विधान सभा क्षेत्र की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो इन्होंने वैसे ही पूछ लिया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वो तो इनका स्वभाव है।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं जवाब वो, समझा दिया है न इन्होंने पूरा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में यही स्थिति है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 स्कूलों में 26 और 12-12 जगह खाली है । मैं इसके लिये कई बार निवेदन कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये । सपोटरा का बता दीजिये, सपोटरा का चल रहा है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैंने माननीय सदस्य को बता दिया कि जो उसके अनुपात की दृष्टि से इन्होंने 8 और 10 पद चाहे हैं वो आगामी वित्तीय वर्ष में एक अप्रेल से स्वीकृति दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : तब भर देंगे । चलिये । (व्यवधान) । नेक्स्ट श्री बालचन्द आर्यवीर । श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, विभाग के नोर्म्स के अनुसार जो पद खाली हैं वो पद सृजित किये जावें ।

श्री अध्यक्ष : देवस्थान मंत्रीजी, बिराजिये आप । और किसी का दर्ज नहीं होगा । बैठिये आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, सपोटरा का सवाल था ।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : +++

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, कृपया बिराजिये । मंत्री महोदय आप बोलें । इनसे जोर से बोलिये ।

धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित चल, अथवा अचल सम्पत्ति का बेचान

321. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या 1 मार्च, 1990 से अब तक देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली या धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित किसी चल, अचल सम्पत्ति, जो राजस्थान में, राजस्थान के बाहर हो, का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति का कितनी-कितनी कीमत में कब एवं किसको ? ऐसी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार भाव के मुताबिक अनुमानित कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस तरह की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचे जाने की कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के प्रतिफल में किस सम्पत्ति के बारे में तथा किसके पक्ष में ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा): (1) 1 मार्च, 1990 के पश्चात् देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली राजस्थान के बाहर स्थित किसी चल-अचल सम्पत्ति का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं ।

+++माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में भी देवस्थान की जो भूमि है वो मूर्ति के नाम से होती है और इस प्रकार के कई पुजारी हैं जिन्होंने कि जमीनों का बेचान कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बाहर की पूछ रहे हैं ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : दोनों का है माननीय अध्यक्ष महोदय। और झालावाड़ जिले में जो सुनेल कस्बा है उसमें राम मन्दिर है उसकी जमीन है उस पुजारी ने बेचान कर दिया....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बाहर का ही सवाल है। वह जो अन्दर का है वह मिस-प्रिंट है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : मिस-प्रिंट है वह, that has been misprinted.

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : 1 मार्च, 1990 से अब तक देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली या धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित किसी चल, अचल सम्पत्ति, जो राजस्थान में, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, मिस-प्रिंट है, बिराजिये। मिस-प्रिंट है, ओरिजनल सवाल....

श्री अनंग कुमार जैन : राजस्थान का भी इसमें है साहब।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : पूरे राजस्थान का सवाल है।

श्री अनंग कुमार जैन : देवस्थान विभाग की करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, अब बैठिये।

श्री हेमराज मीणा : जो भी बेची गई है वह वापस कैंसिल की जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बैठिये आप। जो प्रश्न सरकार के पास उत्तर के लिये भेजा गया वह यह है—(1) क्या 1 मार्च, 1990 से अब तक देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली या धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित किसी चल, अचल सम्पत्ति, को राजस्थान के बाहर हो, का बेचान... (व्यवधान)....सुन लीजिये पहले आप, बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति का कितनी-कितनी कीमत में कब एवं किसको ? ऐसी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार भाव के मुताबिक अनुमानित कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। (2) क्या इस तरह की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचे जाने की कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के प्रतिफल में किस सम्पत्ति के बारे में तथा किस के पक्ष में ? केवल बाहर का है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको स्थगित किया जाय। इसमें.... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : इस पर पाबंदी लगाई जाय माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसीलिये ग्रापको पढ़ कर सुनाया है कि सरकार से यह जवाब पूछा है, मिस-प्रिंट है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो इस पर....

श्री अध्यक्ष : अब मैं कह रहा हूं मिस-प्रिंट है, आप फिर वही, सरकार से जो पूछा है बता दिया है और कह रहा हूं मिस-प्रिंट है, मिस-प्रिंट है।

श्री हेमराज मीणा : राजस्थान के बाहर का भी पूछा गया है राजस्थान की जमीनों के बारे में पूछा गया है। इसको स्थगित किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरु) : मन्दिरों की जमीनों को बेच रहे हैं, इसको स्थगित किया जाय। राजस्थान के बाहर व राजस्थान, दोनों का है।

श्री हेमराज मीणा : इस सवाल को स्थगित किया जाना चाहिये और दुबारा से जवाब दिलाना चाहिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको वार्निंग देता हूं मिस्टर, मैं आपको वार्निंग देता हूं, हीरालालजी, I warn you. बैठिये आप। आप बोलिये। क्या चार–चार खड़े हो जाते हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। क्या महत्वपूर्ण है, बाहर का जवाब तो मिल गया। सुनिये आप, बाहर का जवाब....

श्री बालचन्द आर्यवीर : राजस्थान और राजस्थान के बाहर का....

श्री अध्यक्ष : मैं इस सवाल को ग्रापका स्थगित करता हूं, अन्तर कल मिल जायेगा, बैठिये आप ...

श्री बालचन्द आर्यवीर : और इसी सत्र में ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। नेक्स्ट, श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, दोनों जगह की ही नहीं बेची है साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं बेची इसीलिये अब भेज देंगे हम आपको....

श्री रामकिशोर मीणा : राजस्थान की और राजस्थान के बाहर, दोनों जगह पर ही 1 मार्च, 1990 से अभी तक....

श्री अध्यक्ष : नहीं बेची है तो जवाब दें देना बाद में। वे चाहते हैं।

राज्य के विकलांगों को स्थाई रोजगार

322. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पिछले पांच सालों में कितने विकलांगों को स्थाई रोजगार दिये गये ?

(2) राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

(3) क्या नीति के अनुसार राज्य सरकार सभी विकलांगों को रोजगार देने की रोजगार देने की योजना रखती है ?

(4) राज्य में 31 जनवरी, 1992 तक कितने विकलांग व्यक्ति हैं ?

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

(5) राज्य सरकार ने विकलांगों को क्या–क्या सुविधा सुलभ करा रखी है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) : (1) गत पांच सालों में 1777 विकलांगों को नियोजन कार्यालयों के द्वारा नियोजित कराने की सूचना है ।

(2) विकलांगों के नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा "दी राजस्थान एम्प्लायमेंट आफ दी फिजीकली हैण्डीकेप्ड रूल्स, 1976" बनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत अधीनस्थ, मंत्रालायिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के 3 प्रतिशत पद विकलांगों के नियोजन हेतु आरक्षित रखे गये हैं जिनमें से 1 प्रतिशत पद नेत्रहीन के लिए, 1 प्रतिशत मूकबधिर एवं 1 प्रतिशत विरूपशोधीय विकलांगों के लिए आरक्षित रखे गये हैं । 100 बिन्दु के रोस्टर में से बिन्दु संख्या 34 नेत्रहीन के लिए, बिन्दु संख्या 67 मूक बधिर एवं बिन्दु संख्या 100 विरूपशोधीय विकलांग व्यक्तियों के लिए उक्त सेवाओं में सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आरक्षित रखे गये हैं ।

(3) जी हां निर्धारित आरक्षण की सीमा तक ।

(4) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में 80043 विकलांग है, वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(5) राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को जो सुविधायें सुलभ कराई जा रही है उनका विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय कोगटाजी ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दो तीन बातें पूछना चाहूंगा यह विकलांगों का मामला है, असहाय व्यक्तियों का मामला है, सीरियस मामला है, गम्भीर मामला है । माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि 1777 विकलांगों को रोजगार दिया गया पिछले पांच वर्षों में, कृपया यह बतायें कि किस-किस श्रेणी में कितने विकलांगों को रोजगार दिया गया ? पहला प्रश्न यह है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप । दूसरा बाद में....

श्री किशनगोपाल कोगटा : नहीं, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट नहीं, दूसरा बाद में बैठिये । मुझे कह रहे हैं एक मिनट, आप एक मिनट । माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, कितनी महिलाओं को दिया गया है, यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरा क्वेश्चन एक साथ ही, इससे सम्बन्धित है साहब ।

श्री अध्यक्ष : सुन रहे हैं क्या आप, मैं आवाज दे रहा हूं, सुनते नहीं आप, सुनिये ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुन रहा हूं जी, वह पीछे से....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न का उनका

(श्री अध्यक्ष)

जवाव दे रहे हैं, और तरफ ध्यान मत रखिये ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समाज कल्याण विभाग से डाइरेक्ट भर्ती नहीं की जाती, डी. ओ. पी. को समाज कल्याण विभाग की तरफ से लिख दिया जाता है इनको भर्ती करने के लिये, जो भी कन्सर्निंग डिपार्टमेंट होता है वही रखता है । जो भी सूचना माननीय सदस्य चाहेंगे, वह सूचना इनको उपलब्ध करवा दी जायेगी । मगर 1777....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं फिर भी पिछले पांच वर्षों में कुल राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी में किसानों को रोजगार दिया, उसमें से क्या विकलांगों का जो कोटा 3 प्रतिशत है वह पूरा हो गया क्या, आपकी जानकारी के लिये दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने पता किया क्या कि वह पूरा हो गया कोटा ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैंने निवेदन किया कि इसकी सूचना विभागों से अभी तक नहीं दी है, विभागों को लिख दिया गया है कि हरेक विभाग में जितने-जितने रोस्टर के अनुसार जैसे-जैसे....

श्री अध्यक्ष : वह हो गया । आप वापस मांगते हैं कि नहीं ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मांग रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : तो आपके पास फिगर आई क्या कि कितनी भर्ती हुई, वह बतायें ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सन् 1987 में अंधे 14, गूंगे बहरे 22, अधिविकृत 700 कुल योग 736, 1988 में 7 अंधे, 7 गूंगे बहरे, 369 अधिविकृत टोटल 383, 1989 में अंधा 1, गूंगे बहरे 2 और अधिविकृत 142 टोटल 145, 1990 में अंधे 3, गूंगे-बहरे 6 और अधिविकृत 133 टोटल 142, 1991 में अंधे 10, गूंगे-बहरे 3 और अधिविकृत 358, टोटल 3711 । यह टोटल सारा....

श्री अध्यक्ष : विराजिये श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है, मेरा जो प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहली बार आपने पत्र कब लिखा कौन-कौन से विभाग को ?

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक से निवेदन करूंगा कि अपने सदस्यों को कन्ट्रोल में रखें । मुझे दस सवाल लेने हैं । आपके सवाल का जवाब आ गया । बैठिये आप ।

(20)

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरे भी प्रश्न का जवाब नहीं ।

श्री अध्यक्ष : जो आ गया । ठीक है, आ गया । फिगर्स आ गये । बैठिये आप । श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह विकलांगों को जो रोजगार उपलब्ध कराया है उसमें महिला विकलांगों को कुल कितना रोजगार उपलब्ध कराया है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बैठिये ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं, प्लीज सिट डाउन, बैठिये आप । मैंने नाम लिख रखे है । आप बैठिये । बताइये आप, महिलाओं के लिये पूछ रहे हैं....

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, विकलांगों की श्रेणी में ऐसी कोई भी चीज नहीं आई जिसमें महिला का जो उसका दिया गया है ...

श्री अध्यक्ष : पता नहीं है आपको ।

श्री कुन्दललाल मिगलानी : माननीय सदस्या जो चाहेंगी उसकी सूची दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । डा. चन्द्रभान । आप बैठिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन....

श्री अध्यक्ष : जवाब ठीक नहीं है पर उनके पास नहीं है तो नहीं है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन....

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठिये आप । डा. चन्द्रभान ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप गलत कह रहे हैं कि महिलाओं की श्रेणी नहीं है, यह तो बता सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी छठा सवाल पूरा नहीं हुआ है, मुझे दस सवाल पूरे करने है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कभी सवाल ही....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । प्लीज, बैठिये । और लोगों के सवाल पड़े हुये हैं । अभी भी विकलांगों को लिये बैठे हैं, जो फिगर्स आ गये, आ गये । कितने लोगों को दिया गया हैं, क्या पूछ रहे हैं आप इसमें ? और भी कौन से सवाल पड़े हुये हैं आपके ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्रीजी से इतना जानना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति विकलांग है कौन नहीं है इसके मापदण्ड बने हुये हैं और जिले व मेडिकल कालेज के अस्पतालों में एक व्यवस्था दी हुई है, लेकिन विकलांगों के सर्टीफिकेट देने से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । क्या इस सम्बन्ध में कोई विभाग की ओर से शिकायतें आई है, आप जांच करायेंगे ? इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपका विभाग रोजगार तो दे नहीं पाता है और अन्य विभाग भी नहीं देते हैं, बोर्ड, कार्पोरेशन में रोजगार नहीं मिलता है । मेरा एक निवेदन और सवाल कहिये आप इसको, कि इस महंगाई के जमाने में जो पेंशन विकलांगों को मिलती है उसको बढ़ाने के लिये सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : बता देंगे, मंत्रीजी के स्कोप में नहीं है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि विकलांगों को सर्टिफिकेट देने में दुविधा आती है उसके लिये बहुत सी स्वयं सेवी संस्थायें ऐसे आयोजन कैम्पों के कर रही है जिसमें मेडिकल आफिसर को वहां बुला कर मौके पर ही कैम्प लगा कर अधिक से अधिक सर्टिफिकेट प्रदान किये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल मीणा। नेक्स्ट, श्री मोतीलाल मीणा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका खुद का विभाग ही विकलांग... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आप विकलांग होंगे तब पता बता दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : थोड़े दिन रहे साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

भू-प्रबन्ध कार्यालय सवाई माधोपुर

323. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील सवाई माधोपुर के नगर परिषद क्षेत्र में कोई सहायक भू-प्रबन्धक कार्यालय खोल रखा है? क्या नगर परिषद क्षेत्र के ग्राम ढीगला, जटवाड़ा, खुर्द, चकचैनपुरा, खेरदा, पचीपला का सर्वे कार्य सहायक भू-प्रबन्ध कार्यालय, सवाई माधोपुर से करवाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) तहसील सवाई माधोपुर का सर्वे व लेखन कार्य कब से चल रहा है तथा इस कार्य में कुल कितने अमीन लगे हुए हैं, अब तक कितना कार्य हुआ? अब तक अमीनों को कितने मजदूर मस्टररोल पर लगाने के आदेश दिये तथा इनको कितना भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। ग्राम ढीगला, जटवाड़ा खुर्द, खेरदा, पचीपला का सर्वे कार्य सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी पार्टी प्रथम मुख्यालय टौंक द्वारा कराया जा रहा है तथा ग्राम चक चैनपुरा का सर्वे कार्य सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्टी तृतीय मुख्यावास सवाई माधोपुर द्वारा कराया जा रहा है।

(2) तहसील सवाई माधोपुर का सर्वे व लेखन कार्य फरवरी, 1988 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य हेतु प्रथम चरण में 26 भू-मापक, द्वितीय चरण में 41 भू-मापक, तृतीय चरण में 35 भू-मापक एवं चतुर्थ चरण में 87 भू-मापकों को उक्त कार्य हेतु लगाया गया। अब तक किये गये कार्य की सूचना संलग्न है। अब तक 3273 मजदूर लगाये जाकर इनको 9,91,019/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्षवार लगाये गये मजदूरों की संख्या व उनको किये गये भुगतान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : मैं कोई सप्लीमेन्टरी अलाऊ नहीं करूंगा। 10 सवाल करने हैं मुझे।

श्री मोतीलाल मीणा : सवाई माधोपुर में सहायक भू-प्रबन्ध कार्यालय खोल रखा है और इसके अन्तर्गत ग्राम ढीगला, जटवाड़ा चकचैनपुरा आदि गांव आते हैं तो इनका टौंक से सर्वे कराया जा रहा है जबकि राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं दिनांक 24-1-91 को कि ग्राम ढीगला, जटवाड़ा, खुर्द, चकचैनपुरा, खेरदा, पचीपला को सहायक भू-प्रबन्ध, अधिकारी, का मुख्यालय जो कि सवाई माधोपुर के कार्यक्षेत्र में ही रखा जाये, इस तरह के आदेश हैं . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आपका (श्री रामेश्वरदयाल यादव) आ रहा है, इसके बाद में।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लेकिन यह भी इम्पार्टेण्ट है।

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब ग्राम ढीगला, जटवाड़ा, खुर्द, चैनपुरा, खेरदा और पचीपला इन गांवों के राज्य-सरकार ने सहायक भू-प्रबन्ध कार्यालय, सवाईमाधोपुर सर्वे कराने के आदेश दिये जा चुके हैं उसके बावजूद टौंक के द्वारा क्यों उनका सर्वे कराया जा रहा है जबकि ग्राम ढीगला, जटवाड़ा, खेरदा की दूरी भू-प्रबन्ध कार्यालय से डिस्टेन्स 305 फीट का है जहां यह कार्यालय स्थित है। ढीगला से जटवाड़ा की दूरी कार्यालय से 305 फीट की है और जबकि टौंक वहां से 1 1/2 किलोमीटर है। फिर क्या वजह है कि राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद आदेशों की अवहेलना की। तो क्या भविष्य के अन्दर जिन्होंने आदेशों की अवहेलना की उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? और जो आपने बताया है कि इन गांवों की सर्वे टौंक द्वारा करवाई जा रही है उसको निरस्त करके क्या सहायक भू-प्रबन्ध कार्यालय सवाई माधोपुर जो खोल रखा है उसके द्वारा करवाने के आदेश प्रदान करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेन्ट आफिसर कन्सर्नड तहसील के क्षेत्र अपने सुविधानुसार बांटता है। इसमें 3 क्षेत्र उन्होंने 3 ए एस. ओ. को दिये हैं और उस हिसाब से सर्वे हो रहा है। हम यूनिट कोई सिटी एक को अलग से नहीं करते हैं, पटवार सर्किल को जरूर दो टुकड़ों में नहीं बांटते हैं। उस हिसाब से सर्वे हो रहा है। राज्य सरकार ने कभी कोई आदेश हो ही नहीं सकते कि श्रमिक इस गांव को यह ए. एस. ओ. करेगा और इस गांव को यह ए. एस. ओ. करेगा। सुविधानुसार सर्वे की जाती है।

श्री अध्यक्ष : वह जांच के लिये पूछ रहे हैं। आपने जांच के लिये पूछा है जवाब मिल गया है क्या ? उत्तर नहीं सुना क्या आपने ?

श्री गंगाराम चौधरी : जांच किस सम्बन्ध में चाहते हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा कि जांच करवा रहे हैं तो किस बात की जांच करवा रहे हैं ? आप किस की जांच चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल मीणा : मैं जांच यह चाह रहा हूं कि सवाई माधोपुर भू-प्रबन्ध सहायक कार्यालय के द्वारा पहले आदेश थे....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये. समझ गया मैं। अब आप बिराजिये। मैं समझ गया पहले समझा नहीं था। सरकार कह रही है कि यह जो सर्वे कराया है। इसका इन्तजाम सेटलमेंन्ट अधिकारी अपने लेवल पर करते हैं इसलिये टौंक करे या सवाई माधोपुर वाले करें इसमें आपका क्या इन्टरेस्ट है कोई भी करे। सर्वे हो रहा है टौंक वाला भी कर सकता है और वह भी कर सकता है। यह डिपार्टमेन्ट का मामला है और ना इसमें जांच की जरूरत है और ना आदेश ही दे सकते हैं। वह जो उचित समझें वह करेंगे।

नेक्स्ट श्री रामेश्वर दयाल यादव। (व्यवधान) प्लीज। मंत्रीजी का जवाब हो गया। प्लीज मीणाजी आप बैठिये। हो गया। आप बोलने का शौक बाद में पूरा कर लेना।

श्री मोतीलाल मीणा : बोलने का शौक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमको दबाया जा रहा है। पहली बार मेरा प्रश्न आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है उन्होंने।

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूचियां

324. श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) **श्री भरोसीलाल के स्थान पर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोष एवं लेखा विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों की वरिष्ठता सूचियां जारी की गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के प्रति कार्यवाही एवं वर्षवार वरिष्ठता सूचियां जारी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शांतीलाल चपलोत) : (1) जी हां, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ग का बैचवाइज वरिष्ठता सूचियां समय-समय पर जारी की जाती रही हैं।

(2) समयानुसार सूचियां जारी की जा चुकी हैं। इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि दिनांक 18-7-91 को जारी कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की जांच रिपोर्ट में लेखा कर्मियों की वरिष्ठता और पदोन्नति में गम्भीर अनियमितताएं पाई गयी थीं ? क्या राज्य सरकार इन अनियमितताओं को दूर कर एस. सी., एस. टी. के लेखा कर्मियों को पदोन्नति देने की मंशा रखती है और क्या यह सच है कि कोष एवं लेखा विभाग में सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार के 919 पद रिक्त हैं और इनको क्या सरकार निश्चित अवधि में भरने का इरादा रखती है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी वह काउण्टर-साइण्ड है एस. एस., डी. ओ. पी. की। उसकी कितनी अहमियत है उसकी जांच कराई जा रही है और फिर भी आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी भी जांच कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जांच करवा रहे हैं ना ?

श्री शांतिलाल चपलोत : जी हां, करवा रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जांच इन्होंने दस बार सूची को तय करते समय संशोधन किये हैं। वित्त विभाग में यह पूर्व नियोजित मामला है। एस. सी., एस. टी. के 919 लोगों का बैकलाग भरना नहीं चाहते हैं। उसको बराबर पेंडिंग रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान के एस. सी., एन. टी. का मामला है। यह कोई एक विभाग में नहीं है हर विभाग में ऐसा बैकलाग है और 919 पद रिक्त हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में विराजे हुए हैं। मैं यह चाहूंगा कि निश्चित अवधि के अन्दर पद भरने के लिये मुख्य मंत्रीजी इस सदन को आश्वस्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 919 पदों के लिये कहा है। गत वर्ष एक साल में हमने 392 लोगों को कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर नियुक्ति दी है....

श्री अध्यक्ष : आप बतायें कि जांच उसकी करा रहे हैं या नहीं ?

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, जांच करा रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : डी. ओ. पी. की रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : जांच हो चुकी है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जांच हो चुकी–माननीय मंत्रीजी गलत सूचना दे रहे हैं....(व्यवधान)... यह एस. सी. एस. टी. का मामला है (व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय यह राजस्थान के एस. सी., एस. टी. के आरक्षण का मामला है.... (व्यवधान)... राजस्थान की सरकार आरक्षण का मखौल उड़ा रही है (व्यवधान)... इसकी जांच करवाई जाये। 919 पद एक ही विभाग में रिक्त हैं....(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न संख्या 325।

राज्य के विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यापक

325. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या भाषायी अल्प संख्यक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अल्प संख्यक भाषा उर्दू, पंजाबी, सिन्धी आदि के अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पदों में से उर्दू भाषा के कहां-कहां कितने पद कब से रिक्त हैं। इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) आगामी वित्त वर्ष में किन-किन विद्यालयों में उर्दू भाषा खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? उर्दू भाषा विषय खोलने की मांग कहां-कहां के लिये की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उर्दू भाषा के कई अध्यापकों को ऐसे स्थानों पर लगा रखा है जहां उर्दू भाषा पढ़ाई ही नहीं जाती ? यदि हां, तो क्या इन्हें उर्दू भाषा वाले विद्यालयों में कब तक पदस्थापित करने का सरकार विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अल्प भाषा उर्दू, पंजाबी, सिन्धी एवं गुजराती के अध्यापकों के स्वीकृत पदों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उर्दू के निम्नांकित पद 13 जिलों में रिक्त हैं (सूची संलग्न है) व्याख्याता–12, वरिष्ठ अध्यापक–9, अध्यापक–34 अधिकांश पद जनवरी/फरवरी, 1992 से रिक्त हैं। व्याख्याता के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन सूची से भरे जा सकेंगे। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) आगामी सत्र 1992–93 के लिये उर्दू भाषा विषय खोलने के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, यह तो एस. सी., एस. टी. के साथ बड़ा कुठाराघात है कि सरकार उनके अधिकारों के साथ मखौल कर रही है, भारत सरकार रिजर्वेशन का मखौल कर रही है और अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे उम्मीद थी कि राजस्थान के एस. सी., एस. टी.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो 55 पद रिक्त हैं इनमें से कई तो 1988–90 से रिक्त हैं जैसे जैसलमेर में, पोकरण में है। (व्यवस्था सूचक घण्टी) 4 वर्ष में वहा अध्यापक ही नहीं.... (व्यवधान) इन पदों को कब तक भर दिया जायगा ? कृपया यह स्पष्ट रूप से आश्वासन दें। (व्यवधान) पद सृजित कहने का मापदण्ड क्या है ? राज्य सरकार ने पहले से अधिसूचना जारी कर रखी है कि जांच नहीं हुई। 10 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होते हैं और उर्दू भाषा का अध्यापकों की व्यवस्था कर दीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के लोगों ने भी किया है शोषण तो अनुसूचित जाति, जन जाति का....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एस. टी., एस. सी. के मामलों में आप बहुत शिथिलता बरते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं... (व्यवधान) यादव साहब, सिट डाउन। मैं कह रहा हूं, मैं खड़ा हूं आप फिर खड़े हो गये। (व्यवधान) मैं खड़ा हूं, फिर आप खड़े हो जाते हैं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान के एस. टी., एस. सी. का सवाल है। राजस्थान के अधिकारों का सवाल है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सिट डाउन। यादव साहब, सिट डाउन....(व्यवधान).... आई से सिट डाउन। मिस्टर यादव, सिट डाउन....(व्यवधान)....मिस्टर यादव, सिट डाउन... (व्यवधान)....मिस्टर यादव, बैठिये आप....(व्यवधान)... बैठिये आप....आसन की मर्यादा मत तोड़िये आप। आप इतने सीनियर हैं, मंत्री रहे हुए हैं....(व्यवधान).... फिर खड़े हो रहे हैं आप....

श्री रामस्वरुप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान के लाखों व्यक्तियों के अधिकारों का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है, बैठिये आप। अब मैं कह रहा हूं बैठ जाइये और और आप खड़े होकर बोल रहे हैं। मुझे इस बात पर बड़ा खेद है कि इतने पुराने सदस्य भी, जब मैंने आपको कुछ नहीं कहा। बोलने से नहीं रोका। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं खड़ा हूं आप मेरी सुनने को भी तैयार नहीं हैं। फिर खड़े हो रहे हैं आप। आपको हो क्या गया है, क्या हो गया है आपको आज ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान के एस. टी., एस. सी. के अधिकारों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर खड़े हो रहे हैं आप, फिर आप बाहर जाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जी हां, बिल्कुल मैं वाक आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : Thank you very much. पहले ही कर देते आप।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है।....(व्यवधान)....

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एस. टी., एस. सी. का मामला है इसको गम्भीरता से लेना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : हम सारे एस. टी., एस. सी. के सदस्य वाक आउट कर देंगे या तो हमारी बात... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरुप मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी सदन को निवेदन किया था कि रिजर्व सीट के ऊपर कोई बैक लॉग का क्वेश्चन है उसकी तीन महीने में पालना कर दी जायेगी। जहां तक रामेश्वर दयालजी यादव ने कहा कि इसके सम्बन्ध में कोई डी. ओ. पी. की रिपोर्ट थी, वह रिपोर्ट भी देख लूंगा लेकिन अक्सर कई बार होता है कि एक बार रिपोर्ट फाइनल होने के बाद फिर रिप्रेजेण्टेशन आता है। फिर दोबारा जांच करनी होती है। इसको अंतिम रूप देकर बैक लॉग है उसको तीन महीने में पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइण्ट ऑफ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ऑर्डर... अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : वैसे पाइण्ट ऑफ ग्रार्डर तो कुछ होता नहीं अभी। आप ऐसे ही बता दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सदन जिस तरह से संचालित किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में है। मेरा नम्र निवेदन है कि कल सदन में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी थी। कुछ एसे शब्द कहे थे जो नहीं कहे जाने चाहिये थे। उसके कारण सदन में भारी अव्यवस्था फैल गयी थी और जब अव्यवस्था फैली हुई थी उस वक्त सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव रखा, मुझे तो अखबार से मालूम पड़ा। वह प्रस्ताव यह था कि महुआ से आने वाले माननीय सदस्य को सदन से निष्कासित कर दिया जाय। (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आज के लिये.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : ग्रवधि थी इसमें। इसमें अवधि थी आज एक दिन के लिए, बाकी बचे हुए समय के लिए।

एक माननीय सदस्य : बचे हुए समय के लिये कहा.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं हमेशा मौका देता हूं। मैं व्यवस्था दे दूं फिर एक-एक को सुन लूंगा ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह भी सदन की व्यवस्था से सम्बन्धित है। कोई इश्यू नहीं है। यहां जो क्वेश्चन की एडिटिंग हो रही है, क्वेश्चन अवर तो हम कह नहीं सकते, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में कह लीजिये। देखिये पहली बात तो यह है कि.... (व्यवधान).... एक मिनट; प्लीज सिट डाउन। पहले सुन लीजिये, जहां तक सदन के सचिवालय के सम्बन्ध में.... पहले मेरी बात सुनिये, सचिवालय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए सदन में, यह परम्परा है। आप मेरे से चैम्बर में बात करेंगे। सदन में सचिवालय के बारे में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिये, यह परम्परा है। आप इस मर्यादा को रखना चाहें तो रखिये, तोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मर्यादा रखेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के खर्च में मितव्ययिता

463. **श्री महावीर प्रसाद (टोंक)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनावश्यक एवं अनुत्पादक खर्चों में कमी करने की दृष्टि से एवं मितव्ययिता की दृष्टि से 34 करोड़ रुपये की बचत करने का प्रावधान किया था ? यदि हां, तो कौन-कौन से मद में एवं किस-किस विभाग में वर्ष 1990-91 एवं इस वर्ष कितनी-कितनी बचत की गई है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा में वर्ष 1991-92 का बजट दिनांक 6 मार्च, 1991 को प्रस्तुत करते समय. बजट भाषण के पेरा तीन में, विभिन्न विभागों एवं कार्य-कलापों की समीक्षा के फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये बचत होने का उल्लेख किया गया था। यह अनुमान प्रति वर्ष बचत के थे, न कि वर्ष 1990 91 की बचत के। वर्ष 1990-91 में 18.47 करोड़ रुपये की, एवं प्रति वर्ष 34.18 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है, जिसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 464

(स्थगित)

आर. ए. एस./आर. पी. एस. अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण नीति

465. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आर. ए. एस. तथा आर. पी. एस. अधिकारियों की जिलों में नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की कोई नीति निर्धारित है ?

(2) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा उपखण्ड के उप खण्ड अधिकारी श्री भारद्वाज को उनके वहां पद स्थापन के एक माह बाद ही हटा दिया गया और पूर्व में ढ़ाई तीन वर्ष तक पद स्थापित रहे अधिकारी को पुनः पद स्थापित कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री हरिशंकर भारद्वाज की पदस्थापन के दो माह सात दिन बाद पुनः स्थानान्तरित कर पूर्व में एक साल व दो माह तक कार्यरत रहे उपखण्ड अधिकारी को प्रशासनिक कारणों से पुनः पदस्थापित किया गया था।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन

466. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में महाविद्यालय के विषयों की परीक्षाओं के अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 1989-90, 1990-91 व 1991-92 में ए. एम. आई., कलकत्ता आर. पी. एस. सी. बैंकिंग भर्ती, पी. एम. टी., पी. टी. ई. टी., एल. आई सी., आई. आई. टी., दिल्ली आदि अन्य संस्थान की परीक्षाओं का केन्द्र महाविद्यालय के शैक्षणिक दिनों में जान बूझकर रखा गया ?

(2) शैक्षणिक सत्र 1989-90, 1990-91 व 1991-92 में कुल कितने दिन उपरोक्त परीक्षाओं के कारण शैक्षणिक अवकाश किया गया एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हुई ?

(3) क्या यह सही है कि कार्य दिवस पर इन परीक्षाओं को आयोजित कर परीक्षा लेने वाले प्राचार्य उपाचार्य एवं अन्य प्रवक्ता आदि को आर्थिक अतिरिक्त लाभ हो केवल

(श्री हरीश भामनानी)

इसलिये शैक्षणिक कार्य के दिनों में ये आयोजित की जाती हैं न कि रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में ?

(4) उक्त संस्थाओं की परीक्षा में जिन-जिन अधिकारियों ने परीक्षा में कार्य किया उनके नाम व उससे प्रत्येक वर्ष में कितना आर्थिक, लाभ या पारिश्रमिक की आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अन्य संस्थाओं की परीक्षा के आयोजन वास्ते राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के प्राचार्य ने उपरोक्त वर्षों में परीक्षा के आयोजन से पूर्व निदेशक, कालेज शिक्षा या राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त की है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या राज्य सरकार का ध्यान इससे पूर्व कई बार विद्यार्थी संगठनों ने इस प्रकार की संस्थाओं की परीक्षाओं से शैक्षणिक अवकाश के कारण पढ़ाई पर होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 व 90-91 में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की परीक्षाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय केन्द्र पर कोई भी परीक्षा शैक्षणिक दिनों में आयोजित नहीं हुई।

वर्ष 1991-92 में निम्न प्रकार से परीक्षाएं आयोजित हुई हैं :—

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	आयोजित संस्था	परीक्षा की दिनांक
1.	समस्त विषय	कोटा खुला विश्वविद्यालय	22-12-91 से 4-1-92

(दिनांक 23 व 24-12-91 को एम. फिल. पूरक परीक्षाओं के साथ ये परीक्षायें आयोजित की गई। अतः अलग से कक्षायें स्थगित नहीं हुई। दिनांक 25-12-91 से 31-12-91 तक शीतकालीन अवकाश था। दिनांक 2-1-92 से 4-1-92 तक कोटा की परीक्षायें पुराने छात्रावास में हुई। अतः कोई कक्षा स्थगित नहीं हुई)।

परीक्षा की तिथियां आयोजक संस्था द्वारा तय होती है, महाविद्यालय द्वारा नहीं।

(2) उपरोक्त परीक्षाओं के कारण केवल दो दिन (दिनांक 23-12-91 से 24-12-91) अध्यापन कार्य स्थगित करना पड़ा। (महाविद्यालय की एफ. फिल व पूरक परीक्षाओं के साथ ये परीक्षायें आयोजित की गई थी अतः इन परीक्षाओं के कारण अलग से कक्षायें स्थगित नहीं की गई थी)।

(3) जी, नहीं। प्रायः सभी अन्य संस्थाओं की परीक्षायें रविवार को ही आयोजित होती है। कभी-कभी आयोजक संस्थायें अपने निजी कारणों से रविवार या अवकाश के दिनों के अलावा भी परीक्षा तिथि रख देती है परन्तु इन परीक्षा तिथियों का निर्धारण उन संस्थाओं द्वारा ही होता है न कि महाविद्यालयों द्वारा।

(4) वर्ष 1989-90 व 90-91 में जब कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई तो

(60)

(उच्च शिक्षा मंत्री)

किसी अधिकारी को आर्थिक लाभ या पारिश्रमिक की आय होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वर्ष 1991-92 में जिन अधिकारियों को आर्थिक लाभ (पारिश्रमिक) हुआ है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	दिवस	राशि
1.	श्री पी एन. माथुर केन्द्र अधीक्षक	22-12-91 से 4-1-92	1410/-
2.	श्रीमती राकेश माथुर अतिरिक्त अधीक्षक	,,	378/-
3.	श्री एस.के. भट्टाचार्य अतिरिक्त अधीक्षक	,,	462/-
4.	श्री डी. सी. मेहता अतिरिक्त अधीक्षक	,,	378/-
5	श्री एम.एल. गोविला सहायक	,,	185/-
6.	डा. बी.पी. पंचोली सहायक	,,	370/-
7.	श्रीमती पी. के. मित्तल सहायक	,,	370/-

(5) अन्य संस्थाओं के द्वारा परीक्षा आयोजित करने के सम्बन्ध में निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर से हर बार स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है तथा इन परीक्षाओं के आयोजन से महाविद्यालय में शैक्षिक कार्यों में किसी प्रकार की रूकावट न आने पर ही प्राचार्य द्वारा छात्र हित में अन्य परीक्षाओं के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(6) अन्य संस्थाओं की परीक्षा से शैक्षणिक अवकाश के कारण पढ़ाई पर होने वाले नुकसान को रोकने सम्बन्धी विद्यार्थी संगठनों की कोई शिकायत इस निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की शोध छात्र-वृत्ति

467. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल विभागीय शोध छात्रवृत्ति, 1991 में साक्षात्कार समिति के सदस्य के रूप में डा. आर. डी. गुप्ता सह प्रोफेसर भूगोल साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित हुये थे ? यदि हां तो उनके पिता व ग्राण्ड फादर का नाम क्या है व उनके पैतृक गांव का नाम क्या है ?

(2) क्या इस छात्रवृत्ति के लिये श्री लक्ष्मीचन्द अग्रवाल ने साक्षात्कार दिया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्री लक्ष्मीचन्द अग्रवाल के पिताजी का नाम श्री मुरारी लाल अग्रवाल है और वह वर्तमान में विकास अधिकारी, नादौती के अधीन पाठशाला मिलकसराय में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो मुरारी लाल अग्रवाल के पिताजी का नाम क्या है व उनका पैतृक गांव कौनसा है ?

(3) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमानुसार व सरकार के अन्य विभागों

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

में नौकरियों के लिये चयन समितियों के सदस्यों से इस आशय की घोषणायें लेते हैं कि उनके कोई रिश्तेदार उक्त नौकरी के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो "रिश्तेदारों" की निर्धारित सूची जिसमें एक्सपर्ट भाग नहीं ले सकता, सदन की मेज पर रखें। क्या कोई व्यक्ति अपने सगे चाचा के लड़के के साक्षात्कार में बैठ सकता है ?

(4) क्या छात्र संघ के उपाध्यक्ष व अन्य छात्र नेताओं ने इस छात्रवृति चयन प्रक्रिया में हुई धांधलियों के बारे में कोई शिकायत प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या प्रो एम. सी खण्डेलवाल इस साक्षात्कार समिति के सदस्य थे ? यदि हां, तो उनको इस साक्षात्कार में हुई धांधलियों की जांच के लिये गठित समिति में सदस्य क्यों बनाया गया है ?

(6) क्या कुल सचिव को साक्षात्कार समिति के सदस्य श्री आर. डी. गुर्जर के पत्र दिनांक 26-8-1991, 28-8-1991 व 23/27-1-1992 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री आर. डी. गुप्ता, सह-प्रोफेसर, भूगोल विभागीय शोध छात्रवृत्ति, 1991 के साक्षात्कार समिति में सम्मिलित हुए थे। उनके पिता का नाम श्री केदार लाल गुप्ता है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार पैतृक गांव-नादौती, जिला-सवाईमाधोपुर है। ग्राण्ड फादर के नाम की जानकारी नहीं है न ही इस तथ्य की जानकारी की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है।

(2) इसी साक्षात्कार में श्री लक्ष्मीचन्द अग्रवाल ने भाग लिया था। उनके पिता का नाम श्री मुरारी लाल अग्रवाल है। वे वर्तमान में कहां कार्यरत हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री मुरारी लाल जी के पिता का पैतृक गांव का नाम की जानकारी भी अधिकृत रूप से ज्ञात नहीं है। इसी तथ्य की भी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय सामान्य नियमों के अनुसार समिति में कोई सदस्य अपने रिश्तेदार के चयन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकता है। विभागाध्यक्ष के अनुसार साक्षात्कार के पूर्व समिति के अध्यक्ष ने भी इसी बाबत सदस्यों से पूछताछ कर ली थी।

(4) जी हां, छात्र संघ उपाध्यक्ष ने एक लिखित शिकायत दिनांक 4-9-91 व इस बाबत कुल सचिव को दी थी। इस पर श्री आर. डी. गुप्ता से इस आशय की सूचना मांगी गई व साक्षात्कार का रिकार्ड कार्यालय के सरक्षण में ले लिया गया है। इसके लिये एक जांच समिति गठित कर दी गई है।

(5) जी हां, डा. एम. सी. खण्डेलवाल साक्षात्कार के अध्यक्ष थे। कुलपति द्वारा गठित जांच समिति के संयोजक भी डा. खण्डेलवाल हैं।

(6) जी हां, कुल सचिव को श्री आर. डी. गुर्जर द्वारा दिनांक 21-8-91 व

(उच्च शिक्षा मंत्री)

28-8-91 व 27-1-92 को लिखे पत्र प्राप्त हुये हैं। इन पत्रों को अन्य रिकार्ड के साथ जांच समिति को जांच हेतु सौंप दिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

समाचार पत्रों में शिक्षकों की रिक्तियों के प्रकाशन के नियम

468. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) व **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना दो राष्ट्रीय स्तर के दैनिक अखबार, रोजगार समाचार एवं विश्वविद्यालय समाचार में प्रकाशित कराने के नियम हैं ?

(2) क्या शिक्षकों के पदों के लिये जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं. 95/91-92 रोजगार समाचार व विश्वविद्यालय समाचार में प्रकाशित करवाया गया ? यदि हां, तो किस-किस तारीख में यह प्रकाशित हुआ और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि व्यवसाय, वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु बुलाये गये विशेषज्ञ का नाम एकेडमिक कौंसिल द्वारा बनाई गई, सूची से बाहर था ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों मे हुआ ? इस अवैधानिक कार्य हेतु कौन जिम्मेदार था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इन समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु सामान्यतया 45 दिन के समय की आवश्यकता होती है। अल्प अवधि सूचना के कारण रोजगार समाचार व विश्वविद्यालय समाचार में विज्ञापन नहीं दिया जा सका, किन्तु निम्नलिखित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।

अखबार का नाम	प्रकाशन तिथि
टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली।	10-9-91
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।	10-9-91
राजस्थान पत्रिका (सभी संस्करण)	11-9-91
नवज्योति (सभी संस्करण)	7-9-91
राष्ट्रदूत, जयपुर	5-9-91
जलते दीप (स्थानीय)	7-9-91

यह विज्ञापन दिनांक 4-9-91 को भेजा गया था तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30-9-91 रखी गई थी। विश्वविद्यालय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ हेतु पूरे 45 दिन का समय चाहिए। चूंकि अन्तिम तिथि 30-9-91 थी इसलिए यह विज्ञापन विश्वविद्यालय समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु नहीं भेजा गया था।

(3) जी नहीं। कोई अवैधानिक कार्य नहीं हुआ है।

महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्धियों का परीक्षा में बैठना

469. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के महाविद्यालयों की परीक्षाओं में कार्यरत परीवेक्षक, परीक्षक एवं प्रश्नपत्र निर्माता से परीक्षा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस प्रकार का प्रमाण-पत्र लिये जाने की नीति निर्धारित है कि इस परीक्षा में सम्बन्धित अधिकारी का पुत्र, पुत्री या नजदीकी रिश्तेदार परीक्षा में भाग नहीं ले रहा है ?

(2) क्या उपरोक्त घोषणा पत्र इसलिये लिया जाता है कि परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे तथा परीक्षा की संवेदनशीलता संदिग्ध न हो ? यदि हां, तो क्या स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की परीक्षा गोपनीय शाखा में कार्य कर रहे प्रवक्ता/अधिकारियों से वर्ष 1990-91 में इस प्रकार के घोषणा पत्र लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की वर्ष 1990 व 91 की परीक्षा से पूर्व परीक्षा गोपनीय शाखा में कार्यरत प्रवक्ता अधिकारियों से इस प्रकार का घोषणा पत्र लिया गया है कि उनके पुत्र, पुत्रियां या नजदीकी रिश्तेदार उसी कालेज की किसी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं ? यदि हां, तो घोषणा करने वाले अधिकारियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 व 1991 की राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की परीक्षाओं में श्री जी. जी. सैनी के पुत्र, पुत्री बैठे और स्वयं जी जी. सैनी परीक्षा गोपनीय शाखा में सक्रिय रहे ? यदि हां, तो निर्धारित नीति की अवहेलना इनके मामले में किसने की और क्यों ?

उत्तर

(1) केवल परीक्षक एवं प्रश्नपत्र निर्माता से ऐसा प्रमाण पत्र लिया जाता है कि उनका पुत्र, पुत्री या नजदीकी रिश्तेदार परीक्षा में भाग नहीं ले रहा है । परीवेक्षक से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है ।

(2) जी हां । परन्तु महाविद्यालयों की गोपनीय शाखा में कार्य कर रहे प्रवक्ता अधिकारियों से उनके पुत्र, पुत्री या नजदीकी रिश्तेदारों के परीक्षा में बैठने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का न तो कोई नियम है और न ही कोई प्रथा है इसलिये वर्ष 1990-91 में स्वायत्तशाषी महाविद्यालयों की परीक्षा गोपनीय शाखा में कार्य कर रहे प्रवक्ता/अधिकारियों से इस प्रकार का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की परीक्षाओं में श्री जी. जी. सैनी के दो पुत्र एवं एक पुत्री परीक्षा में बैठे थे । श्री सैनी उक्त अवधि में परीक्षा गोपनीय शाखा में कार्यरत थे और उनके इस कार्य से किसी भी नीति की अवहेलना नहीं हुई है ।

जोधपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग का व्याख्याता पद

470. **श्री दिलसुखराय** (फतेहपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु 1986 में चयन किया गया था तथा चयन समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप से सिंडिकेट ने वर्ष 1988 में निरस्त कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि चयन समिति की सिफारिश की स्वीकृत न करने के कारण चयन प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितताएं थीं ? यदि हां, तो वे अनियमिततायें क्या थीं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में अस्वीकार की गई चयन समिति की सिफारिशें सिंडिकेट ने अपनी बैठक दिनांक 11 अगस्त, 1991 में विचार कर पुनः स्वीकार कर ली थी तथा दो व्याख्याताओं को नियुक्ति दे दी ? क्या ऐसा करने का अधिकार सिंडिकेट को था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंडीकेट किसी चयन अथवा नियुक्ति को स्वयं शून्य घोषित नहीं कर सकती अतः इस प्रकरण पर राज्य सरकार ने पुनः विचार करने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र लिखा। इस पर सिंडीकेट पुनः विचार कर श्री मूल सिंह राठौड़ एवं डा. महेश माथुर को सहायक प्रोफेसर विधि विभाग के पद पर चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति आदेश प्रसारित करने का निर्णय लिया। जी हां।

शेरपुरा (बीकानेर) का ग्रामीण विकास संस्थान

471. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरपुरा ग्रामीण विकास संस्थान (बीकानेर) का पंजीयन कब हुआ व इसका कार्यक्षेत्र कितना है ? इसका मुख्यालय कहां है ?

(2) पंजीयन के बाद इस संस्था के चुनाव कब हुए ? सहकारिता नियमों में चुनाव पंजीयन के बाद कितने समय में होना आवश्यक है ?

(3) क्या यह संस्था अपने मूल उद्देश्य के प्रति जागरूक है ? इसके द्वारा किए गए कार्यों का कब-कब ऑडिट हुआ ? ऑडिट रिपोर्टस की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। अगर यह संस्था मृत प्रायः है तो सरकार इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का विचार रखती है ?

(4) इसका अध्यक्ष कौन व कब से है एवं रिकार्ड किसके पास है ? क्या यह सही नहीं है कि अध्यक्ष ने इस संस्था की आड में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से सरकार की

(श्री मनीराम सियाग)

विभिन्न योजनाओं के तहत धन प्राप्त करने की योजना बनाकर धन प्राप्त किया ?

(5) क्या यह सही नहीं है कि पूर्व में इस संस्था की आड़ में खुद अध्यक्ष ने नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं का खुदरा विक्रेता (डीलर) नियुक्त होकर भारी गड़बड़ी की है और फर्जी रिकार्ड बनाया है ? क्या इस डीलर के खिलाफ जांच चल रही है ?

उत्तर

(1) इस संस्था का पजीयन 12-1-1989 को हुआ । इसका कार्य क्षेत्र समस्त बीकानेर जिला है तथा इसका मुख्यालय शेरपुरा ग्राम में है।

(2) पंजीयन के बाद इस संस्था के चुनाव 25-1-90 को हुए । चूंकि यह संस्था सहकारिता कानून के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है अतः सहकारी कानून के प्रावधान इन संस्थाओं पर लागू नहीं होते ।

(3) संस्था की स्थिति एवं आडिट के सम्बन्ध में कोई जानकारी सहकारी विभाग में नहीं है । क्योंकि संस्था का आडिट कराने का दायित्व रजिस्ट्रार संस्थाए में निहित नहीं है । जहां तक संस्था के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रश्न है । राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 की धारा 13 में वर्णित प्रक्रियानुसार ही संस्था के विघटन की कार्यवाही सम्भव हो सकती है । उक्त कार्यवाही इस हेतु बुलाई गई विशेष साधारण सभा में ही सम्भव है ।

(4) संस्था के पंजीयन के समय से ही श्री सीताराम पुत्र श्री ताराराम निवासी शेरपुरा अध्यक्ष हैं । संस्था का रिकार्ड संस्था के विधान के अनुसार संस्था के मंत्री के पास रहता है । सहकारी विभाग के माध्यम से उक्त संस्था को किसी भी योजना में धन उपलब्ध नहीं करवाया गया है ।

(5) इस संस्था के अध्यक्ष को ग्राम शेरपुरा के लिए नियंत्रित वस्तुओं का खुदरा विक्रेता (डीलर) नियुक्त किया गया था । इस डीलर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेशानुसार उसका नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन रद्द कर अन्य व्यक्ति को डीलर नियुक्त किया गया । डीलर के खिलाफ जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा जाँच रिपोर्ट के अनुसार डीलर द्वारा अनियमितताएें किया जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा आरोप पत्र का नोटिस जारी किया जा चुका है । जिसकी सुनवाई दिनांक 25-3-92 को निश्चित की गई है ।

गृह निर्माण सहकारी समितियों हेतु निर्मित उप नियम

472. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) व **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारिता विभाग द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति हेतु तैयार किये गये आदर्श उप नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन उपनियमों के नियम 6 (ब) (स) और (द) तथा उप नियम 8 के अनुसार समिति का सदस्य बनने से पूर्व कौन-कौन से घोषणा पत्र भरने पड़ते हैं ?

(श्री अब्दुल हादी)

(3) क्या जोधपुर नगर की नवीन, राजीव गांधी एवं मरूधर गृह निर्माण सहकारी समितियों में समस्त पदाधिकारी एवं अधिकांश सदस्य उपरोक्त उपनियमों के अनुसार सम्बन्धित समितियों की सदस्यता के योग्य नहीं हैं ?

(4) उपरोक्त तीनों समितियों की सदस्यता के औचित्य की जांच विभाग द्वारा करवाकर राज्य सरकार कब तक अयोग्य सदस्यों को हटाकर उनके विरुद्ध उक्त अपराध के लिए दण्डित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग द्वारा वर्तमान में प्रचलित आदर्श उपनियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) इन उपनियमों में उपनियम संख्या 6 (स) (द) नहीं है। उपनियम संख्या 6 (ब) में किसी प्रकार का घोषणा पत्र भरने का उल्लेख नहीं है । इसमें यह उल्लेख है कि समिति का सदस्य वहीं बनाया जा सकेगा, जिसके पास उस शहर में कोई अन्य आबादी का प्लाट अथवा भवन नहीं होगा । उपनियम संख्या 8 में प्रत्येक सदस्य को प्रवेश दिये जाने से पूर्व घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान निम्न प्रकार है :—

"वह समिति के वर्तमान उपनियमों एवं उनमें समय-समय पर किये गये परिवर्तनों व परिवर्धनों से प्रतिबन्धित होगा ।"

(3) जब तक रेकार्ड की पूर्ण जांच न हो जाये तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने सदस्य अयोग्य हैं । इन समितियों की सरकार द्वारा जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(4) उपरोक्त तीनों समितियों की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रति पुस्तक के रूप में होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फौजी गांव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

473. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फौजी गांव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का पंजीयन कब हुआ और उप विधियों के अनुसार इसके सदस्य कौन बन सकते हैं ?

(2) क्या इस समिति को कभी अवसायन में लाया गया ? यदि हां, तो कब और इसे पुनर्जीवित कब किया गया ? पुनर्जीवित किये जाने सम्बन्धी आदेश किस अधिकारी ने जारी किये ?

(3) इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है ? सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या समिति ने जे. डी. ए. से विद्याधर नगर में ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु भू खण्ड प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

(5) क्या सहकारी विभाग ने समिति द्वारा नियमित तरीके से भू खण्ड प्राप्त किये जाने के कारण समिति को कार्य रोक देने

(श्री कन्हैयालाल)

के आदेश जारी किये ? यदि हां, तो उन आदेशों पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

(6) क्या समिति को पुनः अवसायन में लाने हेतु नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो कब तक अवसायन में लाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) फौजी गांव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का पंजीयन दिनांक 10-8-84 को हुआ। समिति की पंजीकृत उपविधियों के अनुसार निम्नांकित योग्यता रखने वाले इसके सदस्य बन सकते हैं :—

उप नियम संख्या 5

समिति की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिये खुली रहेगी, जो कम से कम 18 साल स्वस्थ मस्तिष्क तथा संविदा ( ) करने के लिये सक्षम हो तथा अधिनियम व नियमों में रखी गयी योग्यताओं को पूरी करता हो और समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. समिति के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति।
2. इन उपनियमों के अनुसार प्रवेश पाने वाले व्यक्ति।
3. (अ) मृत सदस्य का उत्तराधिकारी या मनोनीत व्यक्ति सदस्यता हेतु प्रवेश के लिये योग्य होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग हो तो उसके सदस्यता के अधिकार उसके संरक्षक द्वारा उपभोग में लाये जावेंगे।

ब. सदस्यता का इच्छुक व्यक्ति आवेदन-पत्र देगा और एक रुपया प्रवेश शुल्क जमा करवायेगा तथा कम से कम 25 हिस्से खरीदेगा। सदस्यता अस्वीकार करने की स्थिति में उस व्यक्ति को उसके द्वारा जमा करायी गयी हिस्सा राशि वापिस कर दी जावेगी।

उपनियम संख्या 6 (अ)

समिति के कार्यक्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ही समिति का सदस्य बन सकेगा।

नोट :— कार्यक्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वही माना जावेगा, जो कम से कम समिति के कार्यक्षेत्र में वर्ष में 8 माह रहता हो, परन्तु 8 माह की अवधि ऐसे व्यक्ति के लिये लागू नहीं होगी, जो राजकीय कर्मचारी होने की वजह से सदस्य बनने के बाद स्थानान्तरण हो गया हो।

(ब) ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पक्का गृह होगा, उसे सदस्य नहीं बनाया जावेगा।

(स) ऐसा व्यक्ति जिसके पास गृह निर्माण के लिये भू-खण्ड हैं, उसको सदस्य बनाया जा सकेगा लेकिन उसको कोई भू-खण्ड आवंटन नहीं किया जावेगा।

(द) कोई सदस्य स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम से एक से अधिक गृह का निर्माण नहीं करा सकेगा और यदि सदस्य बनने के बाद उसने ऐसा किया है, तो वह सदस्यता के लिये अयोग्य माना जावेगा।

नोट :— परिवार की परिभाषा वही

(सहकारिता मंत्री)

होगी, जो सहकारी अधिनियम की धारा 6 में वर्णित है।

(2) जी हां। समिति को दिनांक 29-9-87 को अवसायन में लाया गया और तत्कालीन उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 19-8-88 को समिति को पुनर्जीवित करने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

(3) समिति की वर्तमान सदस्य संख्या 205 है। सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। जे. डी. ए. द्वारा विद्याधर नगर के ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत इस समिति को 4078.97 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गयी है। शर्तों एवं आवंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी हां। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के निर्देश दिनांक 5-10-91 को राज्य सरकार की धारा 128 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी के निर्णय दिनांक 24-12-91 से निरस्त हो गये।

(6) जी हां। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 14-11-91 को अवसायन में लाये जाने का जारी नोटिस राज्य सरकार के समक्ष पेश की गयी निगरानी में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24-12-91 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गढ़ी एवं बागीडोरा (बांसवाड़ा) में सस्ते अनाज की दुकानें

474. श्री सोमा भाई (बागीडोरा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के तहसील बागीदौरा एवं तहसील गढ़ी में रसद विभाग द्वारा सस्ते अनाज की सरकारी दुकानें कितनी किस-किस गांव में खोली गई हैं ? सूची डीलर के नाम के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों से वर्तमान वित्त वर्ष 1991-92 में कहां-कहां कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्य पदार्थ वितरित किये गये ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन दुकानों के डीलर्स के द्वारा अनाज, शक्कर आदि बाजार में बेच दिये गये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे डीलर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की तहसील बागीडोरा एवं गढ़ी में रसद विभाग द्वारा सस्ते अनाज की सरकारी दुकानें जितनी व जिन-जिन गांवों में खोली हुई हैं, उनकी सूची मय डीलर के नाम के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त दुकानों से वित्त वर्ष 1991-92 में जहां-जहां जितनी-जितनी मात्रा में जो-जो खाद्य पदार्थ वितरित किये गये हैं,

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

उनका ग्रामवार विवरण प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(3) सभी डीलरों ने ऐसा नहीं किया है। तहसील बागीडोरा के एक डीलर द्वारा गेहूं की कालाबाजारी में विक्रय कर देने पर उसके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई और उस डीलर का प्राधिकार–पत्र निरस्त कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

लूणकरणसर (बीकानेर) की उचित मूल्य की दुकानें

475. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कस्बा लूणकरणसर जिला बीकानेर के जनवरी, 1990 से जुलाई, 1991 तक कौन-कौन सी अधिकृत संस्थाएं तथा प्राइवेट डीलर्स क्षेत्र में अनाज, चीनी, खाद्य तेल आदि कार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण कर रहे थे और जुलाई, 1991 से आज तक क्या कहीं परिवर्तन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि संस्थाओं और प्राइवेट डीलर्स ने उचित मूल्य का सामान कार्डधारकों को न बेचकर ब्लैक में बेच दिया तथा शिकायत होने पर फर्जी रिकार्ड तैयार करके ब्लैक से प्राप्त होने वाली राशि का गबन कर लिया ?

(3) क्या बीकानेर जिले में किसी संस्था अथवा प्राइवेट डीलर के खिलाफ जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या प्रारम्भिक परिणाम सामने आये हैं ? क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील कस्बा लूणकरणसर जिला बीकानेर में जनवरी, 1990 से जुलाई, 1991 तक लूणकरणसर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं श्री अर्जुनराम, प्राईवेट डीलर क्षेत्र में अनाज, चीनी, खाद्य तेल आदि कार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण कर रहे थे। माह जुलाई, 91 के बाद कस्बे में अतिरिक्त दुकानें खोली गई हैं, जिनके लिए श्री करणीसिंह एवं श्री नारायणराम को नियंत्रित वस्तुयें वितरण हेतु अधिकृत किया गया है।

(2) कस्बा लूणकरणसर में कार्यरत संस्था और प्राईवेट डीलर्स द्वारा जनवरी, 90 से अब तक उचित मूल्य का सामान कार्डधारकों को न बेच कर ब्लैक में बेच देने तथा शिकायत होने पर फर्जी रेकार्ड तैयार कर ब्लैक से प्राप्त होने वाली राशि का गबन करने का मामला प्रकाश में नहीं आया। पूर्व में 1989 में कस्बा लूणकरणसर के वार्ड नं. 13 के डीलर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है।

(3) जी, हां। बीकानेर जिले की 9 सहकारी संस्थाओं एवं 8 प्राईवेट डीलर्स के खिलाफ जांच विचाराधीन है। इन जांचों में संस्था और डीलरों के रेकार्ड का नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

किसी भी संस्था एवं डीलर के विरुद्ध एफ. आई. आर. मामले की गम्भीरता के आधार पर ही दर्ज करवाई जावेगी।

मंदिरों में चोरियां

476. श्रीमती उजला अरोड़ा–(जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले के देवस्थान के मन्दिरों में पिछले तीन वर्षों में कब-कब, कहां-कहां कितनी चोरियां हुई तथा उनमें से क्या-क्या सामान बरामद हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत तीन वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबन्धित एवं नियंत्रित मंदिरों में राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी, सूर्य मंदिर गलता घाटी में 2 मूर्तियां दिनांक 23-7-91 को चोरी हो गई थी। मूर्तियां बरामद नहीं हुई तथा पुलिस द्वारा एफ. आर (स. 195) दिनांक 30-12-91 का अदम पता माल मुलजिम दे दी गई।

पुस्तकों तथा पत्रिकाओं आदि के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य के नियमों में विसंगति

477. श्रीमती उजड़ा अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के रूल संख्या 99 में पुस्तकें, पत्रिकाएं, प्रकाशन आदि स्टोर की वस्तुओं में सम्मिलित नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के जनरल फाइनेन्शियल एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स के नियम 252 में पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं प्रकाशन स्टोर की वस्तुओं में सम्मिलित नहीं हैं ?

(3 क्या इस विसंगति को दूर करने के लिये राज्य सरकार अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) इसमें कोई विसंगति नहीं है।

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण

478. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामान्यत: राज्य की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण (रीकेटेगराइजेशन) कितने वर्षों के बाद हो जाना चाहिये ? कितने वर्षों से यह नहीं हुआ है तथा सरकार इसे कब तक कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या जिन अनुदानित संस्थाओं ने 10+2 योजनान्तर्गत अपने विद्यालयों में 10+2 की कक्षायें प्रारम्भ किये 3 वर्ष की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अवधि पूर्ण करली है उन्हें इस स्तर पर अनुदान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(3) निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर द्वारा वर्ष 1987–88 व 19 8–89 में अनुदान प्राप्त संस्थाओं को नव-आवंटित पदों पर अनुदान क्यों रुकवा दिया है ? अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

(4) क्या अनुदान नियमों में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान एवं अवकाश नियम राज्य कर्मचारियों के समान रखे जाने का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो फिर इन संस्थाओं के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान एव समर्पित अवकाश का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या इन्हें यह लाभ दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) अनुदान नियम 1963 के नियम 5 (सी) के नीचे दी गई टिप्पणी–4 के अनुसार सहायता अनुदान में वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति द्वारा साधारणतया निरीक्षण प्रतिवेदन (रिर्पोट्स) तथा दूसरी श्रेणी के सिद्धान्तों में सामान्य उन्नति के आधार पर तीन वर्ष पश्चात् पुर्नविलोकित की जा सकती हैं किन्तु ऐसा करने की बाध्यता प्रतिपादित नहीं है फिर भी कई एक संस्थाओं जिन्हें 90% की दर से अनुदान मिल रहा है उनका परीक्षण वर्ष 1991 में कराया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्ष 87-88 व 88-89 में विभिन्न निदेशालयों द्वारा स्वीकृत पदों पर मितव्ययता की दृष्टि से अस्थाई रोक लगाई गई थी । यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जाने की संभावना है ।

(4) नियमों में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन व महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के समान देने का प्रावधान है । चयनित वेतनमान व समर्पित अवकाश लाभ का अनुदान नियमों में प्रावधान नहीं होने से विचाराधीन नहीं हैं ।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में रिक्त पद

479. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में कुछ सहायक निदेशक (प्र. अ. मा. वि.) पद रिक्त न होते हुये भी अनुसंधान अधिकारी (प्र. अ. उ. मा. वि.) के पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने व कौन-कौन अधिकारी हैं ?

(2) क्या इन अधिकारियों को इस प्रकार पदों के विरुद्ध पदस्थापित करने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की है ? यदि हां, तो वह स्वीकृति किस स्तर से दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं तथा राज्य सरकार का इन पदों को कब तक भरने का विचार है ?

(4) क्या यह भी सही है कि संस्थान के विभागाध्यक्षों के पद लम्बे समय से रिक्त रहने से संस्थान का कार्य ठप्प पड़ा है तथा इसकी गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो संस्थान द्वारा राज्य सरकार को भेजे जा रहे प्रतिवेदनों की क्या राज्य सरकार ने समीक्षा की है ? यदि हां, तो प्रगति प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । ऐसे 8 अधिकारी है, जिनके नाम निम्नांकित हैं ।

1. श्री देवेन्द्र प्रताप भटनागर,
2. श्री चान्द सिंह मुर्डिया,
3. श्रीमती शकुन्तला माहेश्वरी
4. श्रीमती सुषमा अरोड़ा,
5. श्रीमती सुरेन्द्र सिंघवी,
6. श्रीमती मंजीत कौर,
7. श्री सम्पत लाल मण्डोवरी,
8. श्री दुष्यन्त अग्रवाल ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।
प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

जिला श्री गंगानगर के विभिन्न शहरों के स्कूल व छात्रों की संख्या

480. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, संगरिया, सूरतगढ़ शहरों में शिक्षा विभाग के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की संख्या एवं उनमें 1980 और 1991 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन शहरों में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितने निजी स्कूल हैं ? इन निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्ष 1991 में छात्र संख्या कितनी रही तथा वर्ष 1991–92 में राज्य सरकार द्वारा कितने स्कूलों को सहायता दी गई ? सहायता राशि का विद्यालय वार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, संगरिया एवं शहरों में 158 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं ।

इन निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्ष 1991 में छात्र संख्या 15548 थी । इनमें से 58 विद्यालयों को 1991–92 में सहायता दी गई सहायता राशि का विद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर

481. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती स्वर्णजीत कौर वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर के विरुद्ध विभाग को प्राप्त गबन एवं धोखाधड़ी की शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा जांच करवाई गई ?

(2) यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है एवं क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) श्रीमती स्वर्णजीत कौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच पृथक-पृथक संयुक्त निदेशक (महिला) जयपुर एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा की गई थी । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर में हुए अनियमित स्थानान्तरण

482. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1991 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर के कार्यालय में पदस्थापित उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनाधिकृत एवं अनियमित स्थानान्तरण आदेश प्रसारित करने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों के आधार पर जांच करवाई गई है ?

(3) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या दोषी अधिकारियों को अनाधिकृत एवं अनियमित कार्यवाही के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) सरकार अब कब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच करने के लिये 4-3-92 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

(3) अभी जांच सम्पन्न नहीं हुई है ।

(4) जी नहीं । क्योंकि अभी जांच सम्पन्न नहीं हुई है ।

(५५)

(शिक्षा मंत्री)

(5) जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

सामान्य विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा

483. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कक्षा 9 से प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को छोड़कर सामान्य विद्यार्थियों के लिये दी जाने वाली शिक्षा को रोजगारोन्मुखी शिक्षा बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में भावी योजना क्या है ?

उत्तर

जी नहीं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्रों के लिये एक-सा सामान्य शिक्षा क्रम लागू किया गया है । इसमें व्यावसायिक शिक्षा धारा का कोई प्रावधान नहीं है । अतः सरकार के समक्ष कक्षा 9 के सामान्य विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने सम्बन्धी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय उच्च प्राथमिक शाला धमाणा का गोलिया, सांचौर

484. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर के सांचौर तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक शाला धमाणा का गोलीया में कितने छात्र हैं और कौन-कौन सी कक्षा में है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस विद्यालय में स्वीकृत अध्यापकों के कितने पद हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में स्वीकृत पदों से भी अधिक अध्यापक कार्यरत है ? यदि हां, तो उन सभी के क्या नाम हैं और अधिक अध्यापक लगाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचौर तहसील में अन्य राजकीय उच्च प्राथमिक शाला में कई जगह रिक्त स्थान पड़े हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्कूल में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ? सरकार उन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के सांचौर तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक शाला धमाणा का गोलीया में कुल 274 छात्र-छात्रा है, कक्षावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक का एक पद एवं अध्यापक तृतीय श्रेणी के 11 पद स्वीकृत हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 485
(स्थगित)

पाली जिले के प्राथमिक विद्यालय

486. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय–खोड़िया को कब क्रमोन्नत किया गया था तथा वर्तमान में वहां कितने अध्यापक पदस्थापित हैं एवं कितने पद स्वीकृत है ? अध्यापकों की कमी के क्या कारण हैं तथा कब तक इस कमी को पूरा कर दिया जावेगा।

(2) उक्त जिले के रायपुर, खारची, सोजत एवं जैतारण तहसीलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदस्थापित किये हुये है ? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के क्या कारण हैं एवं कब तक पूरा स्टाफ लगा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोडिया जिला पाली को 1986-87 में क्रमोन्नत किया गया था। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक (व. अ.) का एक पद तथा अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला के तीन पद स्वीकृत हैं। वहां एक प्रधानाध्यापक (व. अ.) तथा पांच तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षक पद स्थापित हैं। अध्यापकों की कमी नहीं है।

(2) पाली जिले की रायपुर, खारची, सोजत एवं जैतारण तहसीलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों (व. अ) के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त विद्यालयो में अध्यापकों की कमी नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।

अन्य राज्यों के महाविद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मान्यता

487. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में सामान्य अध्यापक, शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु राजस्थान राज्य के बाहर के कितने प्रशिक्षण महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कर्नाटक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक शिक्षक उपाधि राजस्थान में नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7 (18) शिक्षा/ग्रुप–3/80 दिनांक 8-7-88 के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 3 (1956) के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान घोषित किये

(46)

(शिक्षा मंत्री)

गये है । उनके द्वारा प्रदत्त उपाधियां नियमित रूप से नियोजन की दृष्टिकोण से मान्य है ।

(2) जी, नहीं ।

रेवदर की उच्च प्राथमिक शालाओं की क्रमोन्नति

488. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत की गई उच्च प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं का विवरण प्रस्तुत करें ? जेतावाड़ा, लूणोल, आकरा, भट्टा आदि शालायें क्यों क्रमोन्नत नहीं की गई ।

(2) सिरोही जिले की उच्च प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं एवं सीनियर माध्यमिक शालाओं में विषयवार अध्यापकों की अनिवार्यता एवं कार्यरत शिक्षकों के अन्तर को छात्रों की संख्या सहित दर्शावें एवं सूची सदन की मेज पर रखें । शिक्षकों के रिक्त स्थानों की सूची एवं इन स्थानों को भरे जाने सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार खोलने/क्रमोन्नत करने की कोई निर्धारित नीति नहीं हैं । राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को इकाई मानकर विद्यालय क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है । सिरोही जिले में वर्ष 91-92 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है :—

पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1. सिरोही	बराड़ा
2. आबूरोड़	तारतोली

उच्च प्राथमिक विद्यालय जेतावाड़ा, लूणोल, आकरा भट्टा द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने पर क्रमोन्नत नहीं किया गया है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस्सी के उच्च प्राथमिक विद्यालय

489. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(2) इन विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का क्या अनुपात है ?

(3) इनमें कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक ही अध्यापक कार्यरत है एवं कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी बिना दरी पट्टी के जमीन पर बैठते हैं ?

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

क्या सरकार इनको दरी पट्टियां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 36 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 8904 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(2) इन विद्यालयों में कुल 270 अध्यापक कार्यरत हैं, तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अनुपात 1 : 33 हैं।

(3) इन विद्यालयों में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है जिनमें एक ही अध्यापक कार्यरत हो।

इन सभी विद्यालयों को छात्रों के बैठने हेतु दरी पट्टियां उपलब्ध करवाई गई हैं। वित्तीय सीमा के अन्तर्गत दरी, पट्टियों की मांग पर विचार किया जायेगा।

(4) शिक्षक एवं छात्र अनुपात उचित है, अतः विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

जयपुर क्षेत्रान्तर्गत गांवों में सड़कों का निर्माण

490. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोचरियों की ढाणी (कूकस बांध) से भगतों की ढाणी होकर चावला घाटी (ग्राम पंचायत नटाटा, जिला जयपुर) तक या ग्राम चावाला-काकरेल तक सड़क निर्माण हेतु उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों के कई प्रार्थना-पत्र सरकार/विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र का सर्वे करा लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। कोचरियों की ढाणी (कूकस बांध) से भगतो की ढाणी होकर चावाला घाटा (ग्राम पंचायत नटाटा, जिला जयपुर) तक या ग्राम चावाला-काकरेल तक सड़क निर्माण हेतु उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों से इस विभाग/अभिकरण को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रतापगढ़ क्षेत्र को स्वीकृत राशि एवं कार्य

491. श्री रिखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1992 तक कुल कितना रुपया किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया ?

(2) स्वीकृत कार्य में से कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं ? इनके अधूरे रहने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त अधूरे कार्यों को सरकार शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(रिखबचन्द मीणा)

(4) क्या प्रतापगढ़ तहसील में जीवन-धारा योजना के 15 कुएं निरस्त किये गये ? यदि हां, तोनिरस्त करने के क्या कारण थे ? किस अधिकारी की लापरवाही से उक्त कुएं आज तक शुरू नहीं किये गये ?

(5) क्या उक्त प्रार्थियों के निरस्त हुए कुओं को पुन:नवीनीकरण कर चालू कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा 1 जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1992 तक स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध हैं।

(2) स्वीकृत कार्यों में से अधूरे कार्य परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। जीवन-धारा एवं इंदिरा आवास योजना के कार्य लाभार्थियों द्वारा पूर्ण रूचि नहीं लिये जाने के कारण अधूरे हैं। अपना गांव, अपना काम के कार्य एवं एनीकट का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। इन अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने हेतु प्रयास जारी है। संबंधित विकास अधिकारियों एवं ग्रुप सचिवों को कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(4) प्रतापगढ तहसील में जीवन-धारा योजना के 16 कुए निरस्त किये गये हैं। जिनमें से पंचायत समिति प्रतापगढ के 15 एवं पंचायत समिति अरनोद का एक है। निरस्त करने का कारण लाभार्थी द्वारा कुओं का निर्माण लम्बे समय तक प्रारम्भ नहीं करना था। स्वयं लाभार्थियों की लापरवाही से उक्त कुएं शुरू नहीं किये गये।

(5) इन प्रार्थियों के निरस्त हुये कुओं के बदले लक्ष्यों के अनुरूप अन्य पात्र कृषकों को कुएं स्वीकृत कर दिये गये एवं इन पर कार्य चल रहा है। जिन प्रार्थियों के कुएं निरस्त हुए है। उन्होंने पुन: आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस वर्ष के लक्ष्यों के विरुद्ध स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। अगर वित्तीय वर्ष 1992-93 में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध होगी और निरस्त हुए कुओं के कृषकों द्वारा पुन: आवेदन करने एवं समय पर कार्य प्रारम्भ करने का आश्वासन देने पर पुर्नविचार सम्भव हो सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

492. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विकास अभिकरण में कौन-कौन सदस्य होते हैं ?

(2) क्या सम्बन्धित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक भी सदस्य हैं ?

(3) सिरोही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की फरवरी, 1990 से अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई और उनमें किन-किन विधायकों को आमंत्रित किया गया ?

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(4) सिरोही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की फरवरी, 1990 से अब तक आयोजित बैठकों में की गई कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) सिरोही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की फरवरी, 1990 से अब तक 6 बैठकें आयोजित की गई इनमें निम्नानुसार विधायकों को आमन्त्रित किया गया :—

दिनांक 26-7-90 समस्त विधायकों को आमन्त्रित किया गया।

दिनांक 16-11-90 समस्त विधायकों को आमन्त्रित किया गया।

दिनांक 19-1-91 विधायक रेवदर एवं पिण्डवाड़ा-आबू को आमन्त्रित किया गया।

दिनांक 25-4-91 विधायक रेवदर एवं पिण्डवाड़ा-आबू को आमन्त्रित किया गया।

दिनांक 31-10-91 समस्त विधायकों को आमन्त्रित किया गया।

दिनांक 5-2-92 समस्त विधायकों को आमन्त्रित किया गया।

(4) फरवरी, 90 से अब तक आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में विकास कार्य

493. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति गढ़ी, बागीदौरा एवं आनन्दपुरी में कौन-कौन से विकास कार्य चल रहे हैं ? सूची सदन् की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों पर इस वर्ष कितनी-कितनी राशि खर्च की गई सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति गढ़ी, बागीदौरा एवं आनन्दपुरी में वर्तमान् में जवाहर रोजगार योजना, तीस जिले तीस काम, यू. एन. एफ. पी. ए, निर्बन्ध योजना एवं डी. पी. ए. पी. योजना के तहत कुल 273 विकास कार्य चल रहे हैं। योजनावार सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों पर चालू वर्ष के दौरान

(50)

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" के कॉलम संख्या 4 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां, अपूर्ण कार्यो की सूचना परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है। समस्त अपूर्ण कार्यो को वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत ही पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में एनीकट्स एवं बांध निर्माण

494. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) एवं **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में किन-किन पंचायत समितियों में वर्ष 1989 से आज तक एनिकट, बांध बाढ़ बचाव कार्य क्षतिग्रस्त, अपूर्ण व नये कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई? पंचायत समिति वार राशि व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने स्वीकृत कार्यों हेतु असमानता बरती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समितियों में वर्ष 89 से आज तक स्वीकृत एनीकट, बांध, बाढ़ बचाव कार्य क्षतिग्रस्त, अपूर्ण व नये कार्यों की स्वीकृतियों की सूची पंचायत समितिवार मय राशि व स्थान परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य व अपूर्ण कार्यों की जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1.	पाली	110	76	34
2.	उदयपुर	194	79	115
3.	चित्तौड़गढ़	106	57	49

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सपोटरा की ग्राम पंचायतों को आवण्टित राशि

495. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1988–89 से अब तक किस-किस मद में कितना पैसा किस-किस कार्य के लिये दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने कार्य पूरे हो चुके हैं? कितना पैसा खर्च हो चुका है व कितना बकाया चल रहा है?

(3) क्या सरकार उन अधूरे कार्यों को

(श्री प्रभुदयाल पटेल)

पूरा कराने का इरादा रखती है जहाँ पर सरकार का काफी पैसा खर्च हो चुका है ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वर्ष 1988-89 से अब तक पंचायत वार एवं कार्यवार दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है ।

(2) 321 कार्य पूर्ण हो चुके हैं । इन कार्यों पर अब तक राशि 1,08,86,463/- रुपये खर्च हो चुके हैं तथा 25,41,352/- रुपये बकाया हैं ।

(3) जी हां ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

"जीवन धारा" योजनान्तर्गत कुओं का निर्माण

496. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) :– क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीवन धारा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में प्रान्त में कितने कुएं, बनाने का लक्ष्य था तथा कितनी उपलब्धी करली गई ?

(2) कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं बारां जिले के लक्ष्य, उपलब्धि का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में प्रान्त में 10411 कुऐं बनाने का लक्ष्य था । माह जनवरी 92 तक 9617 कुओं का निर्माण कर लिया गया है ।

(2) कोटा, झालावाड़, बून्दी एवं बारां जिले के लक्ष्य, उपलब्धि का विवरण पंचायत समितिवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पाली में डी. डी. पी. योजनान्तर्गत कार्य

497. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1989 से अब तक डी. डी. पी. योजना के तहत पाली जिले में किस-किस कार्य हेतु किस-किस स्थान के लिए कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत हुये ? कार्य का नाम स्थान व विभाग सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं, कितने कार्य अपूर्ण है, कितने कार्य बन्द पड़े हैं, किन-किन कार्यों को अभी आरम्भ नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डी. डी. पी. योजना के तहत पाली जिले में वर्ष 1989 से कुल 748.292 लाख राशि के 605 कार्य कार्य स्वीकृत हुए । कार्यवार, स्थानवार व विभागवार सूचना संलग्न हैं ।

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

(2) डी. डी पी. योजना के तहत पाली जिले में कुल 605 स्वीकृत कार्यों में से 448 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 147 कार्य अपूर्ण हैं तथा इनमें से 10 कार्य बंद हैं। 10 कार्यों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण, विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

मुण्डनवाडा (अलवर) में इन्दिरा हरिजन आवास कालोनी

498. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि ग्राम पंचायत मुण्डनवाड़ा कला, पंचायत समिति मुण्डावर, जिला अलवर ने इन्दिरा हरिजन कालोनी के नाम से आवासीय कालोनियो का निर्माण कराया हैं ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम, में कितने-कितने मकान बनाये गये ? उक्त मकान किस-किस को दिये गये ? नाम मय वल्दीयत के ग्रामवार सूची तथा मकानों के नक्शे उन पर खर्च की गई राशि के सम्पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मकानों के लिए हरिजनों से भी राशि वसूल की गई ? यदि हां, तो क्यों ? ग्राम पंचायत मुण्डनवाड़ा कला को वर्ष 1989 से अब तक कितनी राशि दी गई तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई ? विवरण वर्ष वार सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कला के ग्राम मुण्डनवाडाकलां में बस्ती के रूप में 14 मकान बनाए गए हैं जिन व्यक्तियों को उक्त मकान दिए गए उनका नाम मय वल्दीयत की सूची ग्रामवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं ? इन मकानों के नक्शे नहीं बनाए जाते हैं। इन मकानों के निर्माण पर कुल रु 1,12,000/– लाख की राशि व्यय की गई है।

यह राशि उक्त आवासीय मकानों के बस्ती (कालोनी) के रूप में निर्माण पर ही व्यय की गयी।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां को वर्ष 1989 से अब तक उपलब्ध कराई गई राशि एवं खर्च की गई राशि का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दी गई राशि	रुपयों मे
1989-90	84,000	84,000
1990-91	28,000	28,000
1991-92	—	—

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

शेरगढ़ व बालेसर में निर्माण कार्य

499. **श्री मनोहरसिंह** (शेरगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर में वर्ष 1990 से अब तक कितने निर्माण कार्य

(श्री मनोहरसिंह)

स्वीकृत हुए ? योजना एवं ग्राम के नाम, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में आगामी वर्ष में कितने नये कार्यों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर में वर्ष 1990 से अब तक 880 निर्माण कार्य कुल स्वीकृत हुये है। योजना एवं ग्राम नाम राशि सहित परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है ?

(2) उक्त कार्यों में से 419 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 461 कार्य शेष हैं। विवरण परिशिष्ट-'अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त क्षेत्र में आगामी वर्षों की दीर्घकालीन योजना के अनुसार 1457 निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

500. **श्री कुबेर सिंह (फलासियां) :** क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-में उदयपुर जिले में क्या-क्या कार्य कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गए एवं कौन-कौन से अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधूरे कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में उदयपुर जिले में अब तक 23 कार्य स्वीकृत किये गये। सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई।

(4) अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। विकास अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं पर यह सभी जनसहयोग की राशि जमा होने पर निर्भर करता है क्योंकि जनसहयोग की राशि तीन किश्तों में जमा कराने का प्रावधान है। जैसे-जैसे

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

जनसहयोग की राशि प्राप्त होती रहेगी, निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाते रहेंगे ।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 501
(स्थगित)

"उदयपुर में "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

502. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में उदयपुर जिले में क्या-क्या कार्य कहां-कहां कब-कब कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ।

(2) उक्त स्वीकृति कार्यों में से कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य हो गये एवं कौन-कौन से अपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) अधूरे कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 'तीस जिले तीस काम' योजनान्तर्गत उदयपुर जिले में सड़क निर्माण के स्वीकृत कार्यों की सूची वांछित विवरण सहित परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

(2) स्वीकृत कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 कालम 5 में अंकित है ।

(3) परिशिष्ट–1 में वर्णित 21 स्वीकृत कार्यों में से कोई भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । जैसा कि संलग्न सूची से स्पष्ट है ।

(4) परिशिष्ट–1 के कालम 7 में दर्शायी गई तिथियों तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी (अनुदान) में कटौती

503. श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : क्या विशिष्ठ संगठन योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी (अनुदान) में राजस्थान सरकार ने क्या कोई कटौती की है ? यदि हां, तो क्यों व कितनी ? यदि नहीं, तो गरीबी की रेखा में चयनित व अन्त्योदय योजनान्तर्गत चयनित अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जाने वाले ऋण मेसीक योजना में चयनित लघु सीमान्त काश्तकारों को केवल 25% व 33 % अनुदान ही क्यों दिया गया है ? संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

आई. आर. डी. योजनान्तर्गत, चयनित अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान देने में कोई कटौती नहीं की गई है बल्कि दिनांक 26-4-90 से 25% या 33/1/3% की अनुदान देने की दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

मैसिव योजना अन्तर्गत, अनुसूचित जाति के लघु एव सीमान्त कृषकों के परिवारों को बढ़ी हुई दर यानि कि 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देने की योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है। इसके अनुसरण में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. ने बढी हुई दरों पर अनुदान देना बन्द कर दिया है। अतः मैसिव कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1-4-90 से 25% या 33/1/3% की दर से ही अनुदान दिया जा रहा है। प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. के पत्र क्रमांक एफ 33/97/आरसीडीसी/प्लान 91-92/13412 दिनांक 7-11-91 की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(निर्देश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित

504. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फील्ड फायरिंग रेंज के 33 गांवों के विस्थापितों से श्री छगन लाल जैन आयुक्त लगने के बाद किन-किन लोगों को कितना-कितना रकबा आवण्टित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सारा आवंटित रकबे का रिकार्ड हल्का पटवार में अमलदरामद हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटन के बाद भी क्या काफी तादाद में आवेदन पत्र वास्ते आवंटन पैंडिग पड़े हैं ? यदि हां, तो पैंडिग आवेदन-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार को शेष आवंटन करने में क्या दिक्कत आ रही है क्या निकट भविष्य में भूमि आवंटन से वंचित लोगों को भूमि आवंटित करके विस्थापितों को पुनः बसाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री छगनलाल जैन ने आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का कार्यभार दिनांक 5-4-91 को ग्रहण किया था। इस तिथि के बाद उन्होंने महाजन तोपाभ्यास के 226 विस्थापितों को भूमि आवंटित की, जिनकी राजस्व तहसीलवार व उपनिवेशन तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। इनमें से 153 आवंटियों के आवंटन का रेकार्ड हल्का पटवार में अमलदरामद हो चुका है तथा 73 मामलों में सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार अमलदरामद होना शेष है। शेष रहने का कारण आवंटित बारानी भूमियों के आवंटियों को बडे खसरा नम्बरों में मौके पर तरमीम कर कब्जादेही की कार्यवाही शेष होना तथा आवंटियों के आवंटित भूमि के कब्जा लेने के लिये उपलब्ध नहीं होना है।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) जी हां, 471 विस्थापितों के आवंटन पत्र आवंटन से शेष हैं। सूची ग्रामवार परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) शेष मामलों में भूमि आवंटन का कार्य करने के लिये आवेदकगण द्वारा जो भूमियां बीकानेर जिले के राजस्व एवं उपनिवेशन क्षेत्र में मांगी गई है वे भूमियां आवंटन हेतु उपलब्ध हैं अथवा नहीं व अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित तो नहीं है और किसी प्रकार के विवाद में अथवा न्यायालय में चल रहे मामलों से तो प्रभावित नहीं है इस आशय की पूर्ण जानकारी के प्रतिवेदन संबंधित राजस्व/उपनिवेशन अधिकारियों से प्राप्त होने शेष हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इन मामलों का निस्तारण तत्परता से किया जावेगा। यह कार्यवाही पूर्ण करने का विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया जाकर दिसम्बर, 92 तक इन बकाया प्रकरणों में निस्तारण कर दिया जावेगा।

(सुची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

भाखरा परियोजना में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को भूमि का आवण्टन

505. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भाखरा परियोजना में अनुसूचित जाति के लोगों को भूमिहीन के तौर पर भूमि अलाट की गई है? यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों ने पूरी किश्तें भर दी और उनको कब्जा भी दिलवा दिया गया और कितने ऐसे हैं जिनकी किश्तें न भरने के कारण भूमि का अलाटमेंट रद्द कर दिया गया?

(2) भूमि का कब्जा लेने व किश्तें देने के पश्चात् कितने लोगों को पट्टा जारी हो गया? क्या जिन्हें भूमि अलाट हुई है उन सभी को पट्टा जारी हुआ है? यदि नहीं, तो कितने लोगों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन भूमिहीनों के कब्जे में जमीन रही उनमें से कितने लोगों ने भूमि बेच दी या किसी को गिरवी रख दी और आज कब्जा किसी दूसरे के पास है?

उत्तर

(1) भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 5678 लोगों को भूमिहीन के तौर पर भूमि अलाट की गई है इनमें से 4678 लोगों ने पूरी किश्तें भर दी है और उनको कब्जा भी दिलवा दिया गया है। 90 आवंटियों द्वारा किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया।

(2) किश्तों का पूर्ण भुगतान करने व आवंटित भूमि पर काबिज 4347 लोगों को पट्टा (खातेदार सनद) जारी हो गई है। जिन्हें भूमि अलाट हुई है तथा पूर्ण किश्तें जमा करवा दी गई हैं उनमें से 331 लोगों को पट्टा जारी नहीं किया गया है तहसीलवार विवरण सूची 'क" संलग्न है।

(3) 483 आवंटियों द्वारा भूमि का बेचान अन्य लोगों को किया गया है। किसी भी आवंटी द्वारा भूमि गिरवी नहीं रखी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में उप-तहसीलों की स्थापना

506. **श्री निर्मयलाल** (रूपवास) एवं **श्री मोतीलाल** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 1990 से फरवरी 1992 तक उप तहसीलों की स्थापना की गयी है। यदि हां, तो प्रत्येक जिलेवार स्थापित उपतहसीलों की सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रूपवास तहसील के अधीन उप तहसील की स्थापना करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रूपवास तहसील के अधीन उच्चैन में उप तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चौडियावास व सचांसा (लालसोट) के तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

507. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौडियावास तथा सचांसा तहसील (लालसोट) के तत्कालीन पटवारियों को जीवनधारा योजना के अन्तर्गत निर्मित कुओं के मामलों में जान बूझकर गलत रिपोर्ट करने के कारण तत्कालीन जिलाधीश, जयपुर ने चार्ज शीट देने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो इन पटवारियों को चार्जशीट कब दी गयी तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या सरकार दोषी पटवारियों को दण्डित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड़, पटवारी हल्का चौड़ियावास के विरुद्ध जीवनधारा योजना के अन्तर्गत नल कूप निर्माण के मामले में गलत रिपोर्ट करने के कारण दिनांक 2-11-91 को चार्जशीट जारी की गई एवं दिनांक 20-2-92 को दोषी पाये जाने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। पटवारी हल्का सवांसा के विरुद्ध तहसीलदार लालसोट से प्राथमिक जांच करवाई जा रही हैं।

(2) पटवारी हल्का चौडियावास को दण्डित किया जा चुका है। पटवारी संवासा के विरुद्ध प्राथमिक जांच तहसीलदार, लालसोट से करवाई जा रही है, जांच पूर्ण होने पर यदि पटवारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पशुपति गौशाला (जयपुर) हेतु गोचर भूमि का आवंटन

508. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पशुपति गौशाला हेतु कदम की डूंगरी ग्राम पंचायत संरणा डूंगर तहसील जयपुर में गोचर भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां तो कितनी?

(५८)

(श्री गोपीराम जाट)

(2) गौशाला हेतु गोचर भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित मापदण्ड क्या है ? क्या मापदण्डों के अनुरूप ही कदम की डूंगरी में भूमि का आवंटन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि कदम की डूंगरी सरना डूंगर में गौशाला हेतु भूमि का आवंटन किया गया है वह किसी अन्य कार्य में ली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि भूमि का आवंटन बगैर तथ्यों की जांच किये, किया गया है । यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किन-किन तथ्यों की जांच की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । चारागाह भूमि में से 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है ।

(2) राजस्थान भू राजस्व (गौशाला के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत एक पशु के लिए एक बीघा भूमि का आवंटन किया जा सकता है । अधिकतम एरिया 300 बीघा का नियमों में मापदण्ड निर्धारित किया गया है ।

पशुपति गोशाला सरणाडूंगर को भूमि का आवंटन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया गया है ।

(3) पशुपति गो-शाला सरणा डूंगर में वर्तमान में 40 गायें उपलब्ध है । आवंटित भूमि में चारा उगाया जाता है एवं काश्त भी जाती है ।

(4) जी नहीं । भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1957 के नियम 5 उल्लेखित सभी तथ्यों की जांच के बाद ही किया गया था ।

भूमि रूपान्तरण अधिकारी, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण आदेश

509. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एग्रीमेण्ट टू सेल के आधार पर भूमि रूपान्तरण अधिकारी, जयपुर द्वारा किस-किस गृह निर्माण सहकारी समिति कि किस-किस योजना की कितनी-कितनी भूमि कब-कब रूपान्तरण किये जाने के आदेश प्रसारित किए गये ? ऐसी भूमियों के मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र और तारीख निर्णय सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन समितियों की ऐसी भूमि रूपान्तरित की गई है उसमें किन-किन के सम्बन्ध में कब-कब अन्तरित आदेश और कब-कब अन्तिम आदेश दिए गये हैं ?

(3) उक्त समितियों ने उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में रूपान्तरण शुल्क कब-कब कितना-कितना जमा करवाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त सभी समितियों के मामलों में अन्तिम आदेश ही पारित किये गये हैं

(राजस्व मंत्री)

जिसकी सूचना संलग्न तालिका के कालम संख्या 6 व 7 में दी गयी है।

(3) जमा कराये गये रूपान्तरण शुल्क की राशि का संलग्न तालिका के कालम संख्या 9 में तथा जमा करवाने की दिनांक संलग्न तालिका के कालम संख्या 10 में अंकित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाजड़ (बून्दी) की रकबा व खसरा संख्या

510. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा संख्या 75 ग्राम बाजड़ तहसील बून्दी का मूल रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा था ? यदि हां, तो उक्त रकबा इस समय किस-किस खसरा नम्बर का है। नक्शा ट्रेस सहित स्थिति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कृषि भूमि में होकर नहर निकाली गई है ? यदि हां, तो नहर का नाम क्या है तथा उसके किये कितनी भूमि अवाप्त की गई है ?

(3) क्या नहर निकल जाने से कृषि भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो गई है ? यदि हां, तो नहर में आई भूमि कम करने के पश्चात् शेष रही 19 बीघा, 19 बिस्वा कितने खसरा नम्बरान में है ?

(4) क्या उक्त भूमि का कुछ हिस्सा खसरा संख्या 1167/1 में सम्मिलित किया हुआ है ? यदि नहीं, तो नक्शा तथा खसरा मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक नक्शा ट्रेस सहित स्थिति के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस सम्बन्ध में रेकार्ड दुरुस्ती आवश्यक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो कब तक दुरस्ती करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त रकबा इस समय खसरा नम्बर 64 में 16 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 371 में 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 372 में 3 बीघा 2 बिस्वा हैं।

(2) जी हां। नहर के लिए 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। नहर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो सका है। शीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। नहर में वास्तव में आई भूमि कम करने के पश्चात गत खसरा नं. 75 की 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान खसरा न. 64 में तथा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि वर्तमान खसरा नं. 371 में सम्मिलित की गई है।

(4) जी नहीं। ग्राम में कुल खसरा नं. ही 767 है। अतएवं खसरा नं. 1167/1 में कोई हिस्सा सम्मिलित होने की संभावना तक नहीं है नक्शा ट्रेस (मय व वर्तमान दर्शाते हुए) खसरा का तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां संलग्न हैं।

(5) खसरा नं. 75 की 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि नहर के लिए अवाप्त की गई

60

(राजस्व मंत्री)

किन्तु वास्तव में इस खसरा नं. की 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि नहर में आई है। रिकार्ड में दुरस्ती करके नहर की भूमि को किसी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित करना सम्भव नहीं है। सम्बन्धित खातेदार चाहे तो अवाप्ति से अधिक भूमि जो नहर में गई है उसके लिए सिंचाई विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके मुआवजा प्राप्त करें।

(सूचना व नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा में कृषि हेतु आवंटित भूमि के कब्जे

511. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में कृषि हेतु आवंटित भूमि के कब्जे आज तक लम्बी अवधि से किन-किन कारणों से राजस्व विभाग द्वारा नहीं दिये गये ? कब्जे न मिलने वालों में कमजोर वर्गों के तथा अन्य कौन-कौन से कृषक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमियों पर 208 व्यक्तियों को कब्जा देना शेष है। इसमें से अनुसूचित जाति के 46 व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति के 15 व्यक्ति हैं, तथा अन्य 147 व्यक्ति है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कब्जा न देने का कारण सूची में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 512

(स्थगित)

भजनेरी (नैनवां) के पटवारी द्वारा जारी भूमि आवंटन पट्टा

513. श्री हबीबुर्र रहमान (मूण्डवा) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पटवारी हल्का भजनेरी, तहसील नैनवा द्वारा दिनांक 11-1-1978 को बुक संख्या 32528 की रसीद संख्या 35 के जरिये भूमि आवंटन पट्टा फीस के पांच रुपये जमा किये गये थे ? यदि हां, तो किस व्यक्ति से किस खसरा नम्बर की भूमि आवंटन का पट्टा जारी करने हेतु ? भू-आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त व्यक्ति को आवंटित भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया ? यदि हां, तो किस पत्रावली के तहत तथा किस तारीख को ? यदि नहीं, तो अब कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

(3) पट्टा जारी करने की सूरत में पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आवंटी के नाम पर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जा चुकी है ? यदि हां, तो नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब कब तक दर्ज कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 11-1-78 को रसीद संख्या 35 बुक नम्बर 32528 द्वारा मिसरया पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी

(राजस्व मंत्री)

भजनेरी तहसील नैनवां को हुये भूमि आवंटन खसरा नम्बर 103 रकबा 8 बीघा की पट्टा फीस के 5/- रु. जमा किये गये थे। आवंटन आदेश दिनांक 26-10-77 की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा आवंटी मिसरया के प्रार्थना-पत्र अनुसार वह उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में दखलनामे के अभाव में उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पट्टा जारी करना संभव नहीं होना बतलाया है।

(3) प्रश्न संख्या 2 में दी गई सूचना के अनुसार आवंटित भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(4) आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो रहा है। यदि आवंटी उक्त आराजी खसरा नम्बर 103 पर दखल नहीं लेना चाहता है तो राजस्व रेकार्ड में अमल किया जाना संभव नहीं है।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन

514. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित कर पनपाना चाहती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयत्न किये गये?

(2) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा कच्चे माल से धागा तैयार नहीं करके धागा दुकानदारों से भी क्रय किया जाता है? यदि हां, तो इससे खादी ग्रामोद्योग की साख नहीं गिरती और ग्रामीण रोजगार का ह्रास होता है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में स्वदेशी ऊन के खादी वस्त्रों की बिक्री को प्रोत्साहित करने में मेरीना उन जैसी को बाहर से क्रय करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो इसको रोकने के बारे में क्या विचार किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार खादी तथा ग्रामोद्योगों को पनपाना चाहती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग से नियमित योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली धनराशि के अलावा खादी ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित कर पनपाने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास इस प्रकार है :—

1. खादी संस्थाओं/समितियों का पुनर्जीविकरण योजना प्रारम्भ करके (वित्तीय दृष्टि से कमजोरों को)
2. ग्रामीण कामगारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. विभिन्न ग्रामोद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जोधपुर व पुष्कर, अजमेर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कराये जा रहे हैं।
4. खादी ग्रामोद्योगों के मोबाइल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों को प्रत्यक्ष प्रदर्शन द्वारा खादी व ग्रामोद्योग का प्रचार प्रसार।

(खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

5. विभिन्न जिलों में खादी ग्रामोद्योगिक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए खादी प्रदर्शनियों का आयोजन।

6. खादी की बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु ग्राहकों को सीधी खरीद पर रिबेट की सुविधा दी जाती है।

7. खादी की बिक्री को और अधिक बढ़ावा मिले इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष नये खादी भण्डार खोले जाते हैं तथा ग्राहकों को सुविधा देने व आकर्षित करने हेतु पुराने खादी भण्डारों को नवीनीकरण किया जाता है।

8. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण पर देय ब्याज सहायता उपलब्ध कराना।

9. घर में साथ कर्घा घर प्रदान करने के लिए अनुदान दिलाना।

10. पूंजी वृद्धि सहायता योजना।

11. पूंजी प्लांट योजना अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराना जिससे पूंजी की श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो।

12. खुले बाजार में बढ़ती हुई विविध वस्त्रों के डिजाईनों, की स्पर्धा से मुकाबला करने के लिए खादी क्षेत्र में बीकानेर जिले में डिजाईन एवं रिसर्च सेन्टर स्थापित करने हेतु आदि-आदि।

13. ग्रामीण उद्योग में वही स्थानीय खादी ग्रामोद्योग उत्पाद की शीघ्र बिक्री हेतु राज्य में खादी ग्रामोद्योगों के माध्यम अधिक से अधिक रोजगार मिले व उत्पादन बढ़े व रोजगार सृजन हो इसके लिये आदिवासी क्षेत्रों में हटवाड़ा योजना बनाई गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ग्राहकों की रुचि व बाजार की मांग के कारण देशी ऊन के साथ मैरीनों ऊन का भी उपभोग किया जाता है, इससे स्वदेशी ऊन की बिक्री पर विपरीत असर नहीं पड़ता है अतः इसको रोकने के प्रयासों की जरूरत नहीं है।

राजस्थान राज्य वैटेरीनरी काउंसिल के संचालकों के चुनाव

515. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य वैटेरीनरी काउंसिल के संचालकों के चुनाव हो रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मत पत्र डाक द्वारा स्थाई पते पर या पूर्व के ही प्रोफेशनल पते पर भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सेवा भावी पशु चिकित्सकों के पंजीकरण तिथि से अभी तक स्थानान्तरण नहीं हुये ? यदि हुये है, तो मत पत्र उन तक कैसे पहुंचेंगे ?

(3) क्या अध्यक्ष के चुनाव में एक्स ऑफिशियों तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी मत डालने या चुनाव लड़ने के अधिकारी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार मतों से विजयी प्रत्याशियों में से ही अध्यक्ष का चुनाव कराने की मंशा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य वैटेरीनरी काउंसिल के संचालकों के चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

(2) मत पत्र अभी भेजना प्रारम्भ नहीं हुआ है। मत पत्र जब भी भेजे जायेंगे तब डाक द्वारा उनके वर्तमान प्रोफैसनल पते पर भेजे जायेंगे। नये पशु चिकित्सकों, जो सेवारत नहीं वे तथा सेवानिवृत पशु चिकित्सकों को उनके स्थाई पतों पर ही भेजे जायेंगे।

(3) हां, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव वैटेरीनरी काउंसिल के सदस्यों में से ही होता है। इसलिये अध्यक्ष के चुनावों के लिए एक्स आफिशियों तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी मत डालने या चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं (इन्डियन वैटेरीनरी काउंसिल एक्ट 1984 के नियम 36 के अनुसार)।

(4) नहीं, क्योंकि मतों से विजयी प्रत्याशी तो केवल चार सदस्य होते हैं। जबकि अध्यक्ष का चुनाव काउंसिल के सदस्यों में से होता है। उन सदस्यों की कुल संख्या 11 होती है।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा आटोरिक्शा उपलब्ध कराना

516. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) :—क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति विकास अधिकारी निगम द्वारा ऑटो रिक्शा योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कुल कितने आटो रिक्शा उपलब्ध कराये? वर्षवार विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें :—

वर्ष, आर्थिक लक्ष्य, उपलब्धि, भौतिक लक्ष्य, उपलब्धि।

उत्तर

राजस्थान अनुसूचित विकास सहकारी निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में आटोरिक्शा योजनान्तर्गत कुल 652 व्यक्तियों को आटो-रिक्शा उपलब्ध कराये गये।

वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि (राशि लाखों में)	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1988-89	10.00	12.09	200	245
1989-90	15 00	6.99	300	204
1990-91	15.00	8.78	300	203

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यकाल

517. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति कितने वर्ष तक रह सकता है ? दुबारा अध्यक्ष चुने जाने हेतु कितने वर्ष के अन्तराल की आवश्यकता रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मालाराम विश्नोई जो कि जम्मेश्वर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. के 6 वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष रहने के पश्चात् चन्दाला बेरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष बन गये ?

(3) यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध है ? क्या इस संबंध में उन्होंने शपथ-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 34 (7) (क) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष पद पर 6 वर्ष तक अथवा दो कालावधि जो भी कम हो, के लिए रह सकता है।

उसी समिति में दुबारा अध्यक्ष चुने जाने हेतु 3 वर्ष की कालान्तर के अन्तराल की आवश्यकता रहती है।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 34 (7) (क) के अनुसार नियम में निहीत निर्धारित अवधि तक श्री मालाराम विश्नोई जिम्मेश्वर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष रहने के पश्चात् उसी समिति के अध्यक्ष बने अपितु दूसरी समिति आदर्श चन्द्राला बेरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए अतः इस प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 25-2-92)

अतारांकित प्रश्न संख्या 5
(स्थगित)

अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

35. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)** : एवं **श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन-किन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व राजस्थान प्रशासनिक व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन, अनियमिततायें एवं पद के दुरुपयोग के मामले विचाराधीन हैं ? सम्पूर्ण सूची सदन सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकरण में न्यायालयों में

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

चालान पेश करने हेतु अनुमति के प्रस्ताव (कार्मिक) मुख्य मंत्री सचिवालय में कब से लम्बित है ? प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण है और अब कब तक यह अनुमति प्रत्येक मामले में दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना इस प्रकार है:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सेवा	कब से लंबित है ?	विशेष विवरण
1.	श्री अमिताभ मुकर्जी	आर. पी. एस.	3-8-91	राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।
2.	श्री सी. डी. देवल	आर. ए. एस.	16-9-91	राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।
3.	श्री बी. के. मीणा	आई. ए. एस.	16-9-91	भारत सरकार के पास विचाराधीन है।
4.	श्री राजेन्द्र जैन	आई. ए. एस.	23-1-92	राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(27 फरवरी, 1992)

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लोगों की आवास समस्या

115. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महाजन फिल्ड फायरिंग रेन्ज के लोग अभी तक आबादी भूमि के अभाव में गैर आबादी भूमि पर बैठे हैं और उनको अतिक्रमियों की श्रेणी की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

(2) क्या यह सही है कि काफी गांव एवं ऐसे चक हैं जिनमें पीने का पानी

(66)

(श्री मनीराम सियाग)

उपलब्ध नहीं है और लोगों का आधा समय पानी जुटाने में जाया होता है।

(3) क्या यह सही है कि एक से दूसरे खेत एवं गांव में जाने को रास्ते विधिवत् कटे हुए नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि गांव एवं बच्चों के अनुपात में प्राथमिक, मिडिल एवं उच्च शिक्षा स्कूल उपलब्ध नहीं होने से आने वाली पीढ़ी अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित होती जावेगी ? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रयास प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

लालसोट तहसील में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण

116. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट में कुल कितनी सिवाय चक भूमि है ? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील लालसोट में कितनी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण है ? अतिक्रमी का नाम तथा कब से अतिक्रमण है के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भूमिहीन किसानों को अतिक्रमित सिवाय चक भूमि का नियमन तथा अलाटमेन्ट करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो लम्बे समय से इस प्रकार के मामलों का निपटारा क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में कुल सिवाय चक भूमि 3253 बीघा 12 बिस्वा है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) तहसील लालसोट में 715 बीघा 4 बिस्वा सिवाय चक भूमि पर संवत् 2048 में अतिक्रमण रहा है। ग्रामवार अतिक्रमियों के नाम तथा कब से अतिक्रमण है, पूर्ण विवरण सहित सूची परिशिष्ट-2 सलग्न है।

(3) जी हां, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6 (7) राज./ग्रुप-4/77/6 दिनांक 1-4-91 के अनुसार दिनांक 15-7-84 से पूर्व के अनाधिकृत कब्जे जो मात्र कृषि प्रयोजनार्थ किये गये हों, और गैर मुमकिन भूमि पर हों, उन्हें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत एवं राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 6 (7) राज/ग्रुप-4/77 दिनांक 14-4-77 में उल्लेखित निबन्धनों एव शर्तों की पालना होने पर विनियमन करने का प्रावधान है। अतः इस परिधि में आने वाले अनाधिकृत कब्जों का नियमन नियमानुसार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पात्रता रखता हों तो उसके आवेदन करने पर नियमन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधानसभा की ओर से बीकानेर के भू-निरीक्षकों द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियों के खिलाफ व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री मदन कौर, सदस्या, विधान सभा की ओर से थानाधिकारी बालोतरा, जिला बाड़मेर द्वारा निजी वाहन मालिकों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी दीर्घा में फिर वही स्थिति हो गयी है। कई बार यहां कहने के बाद रोज-रोज थोड़े ही कहना चाहिए। इतनी समझ तो इनको होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं सदस्यों से ऊपर हो गये।

श्री अध्यक्ष : (3) श्री लक्ष्मीलाल और श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से आसीन्द में मुन्सिफ एवं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

4. डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तीस जिले तीस काम योजना के तहत जयपुर की 21 स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की स्वीकृति, निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के लूणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग से आशुलिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के उपरान्त भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्य भार नहीं सम्भालने पर उनके नियुक्ति आदेश निरस्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 23-24 दिसम्बर, 1990 को 165/101 सामान्य, 39 अनुसूचित जाति, एवं 25 अनुसूचित जनजाति हिन्दी आशुलिपिकों की भर्ती योग्यतात्मक परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकार द्वारा 165 रिक्त पदों पर आवंटन पत्र दिनांक 23-9-91 को जारी किये गये। आयोग द्वारा 165 अभ्यर्थियों के लिए ही परीक्षा आयोजित की थी। 153 आदेशों में से 104 ने कार्यभार सम्भाल लिया है। सरकार सभी पदों पर नियुक्ति आदेश प्रसारित करने हेतु आदेश प्रसारित कर रही है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(68)

(श्री अध्यक्ष)

(2) प्रो. केदार नाथ शर्मा और श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एसबेसटोस सीमेण्ट पाइप राज्य की बाहर की इकाइयों से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है परन्तु इसका उत्तर मेरे पास अभी तक नहीं आया है इसलिए मैं माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की इजाजत देता हूं।

(3) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से कल्याण अस्पताल सीकर में व्याप्त घोर अनियमितताओं से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मंडी माधोगंज, बांदीकुई के व्यापारियों के विरुद्ध सरकारी दुकानों से बेदखली की कार्यवाही समाप्त करने तथा उन्हें स्वामित्व अधिकार दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की सिंचाई परियोजनाओं–भाखड़ा, गंगनहर व राजस्थान कैनाल की लम्बी नहरों से पानी की चोरी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने एवं छोटे-छोटे खान मालिकों को राहत देने हेतु सहायक अभियन्ता की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामकरण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम इन्दावड़, तहसील मेड़ता को पुनः पुलिस थाना मेड़ता सिटी के क्षेत्राधिकार में रखे जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिरंजीलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी निमोद द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कथित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति में निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव गोरछा, पंचायत भुगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के 129 आदिवासी किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से नसबन्दी आपरेशन के दौरान तख्तगढ़ अस्पताल में गवरी देवी की कथित मौत की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री काली चरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मंडल की जयपुर स्थित जवाहर नगर, मालवीय नगर एवं शास्त्री नगर कालोनियों में जन सुविधाओं के नितान्त अभाव के सम्बन्ध में।

(13) श्री फतेहसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के अनुदानित खाद्य सामग्री गोदाम को अन्यत्र स्थापित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री हजारीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतड़ी में ए. डी. जे. न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फागी की अर्द्ध निर्मित सड़कों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर में बेरोजगार उद्योग शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने व उनके द्वारा क्रमिक अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय औण्डमीना के अध्यापकों के साथ अकारण मारपीट के कारण विद्यालय के बन्द होने के सम्बन्ध में।

(18) श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषदों द्वारा विभिन्न जिलों में रिक्त अध्यापकों की भर्ती में विषयों की विविधता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अरुणसिंह कुछ कहना चाहते हैं। कहिये, श्री अरूण सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अरुणसिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री तो यहां उपस्थित हैं पर गृह मंत्री हाउस में अनुपस्थित हैं। पिछले चार दिनों में भरतपुर जिले में चार डकैती और मेजर थैफ्ट हुई हैं। एक डीग में, एक नगर में और एक खानुआ में। तो मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भरतपुर की पुलिस को सतर्क करें। कानून व्यवस्था वहां बहुत बिगड़ी हुई है, जंगल राज है। उत्तर प्रदेश का बोर्डर है, हरियाणा का बोर्डर है। तो मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री से कि वह भरतपुर जिले को अपना ही समझें और पुलिस को सशक्त करें और खास तौर से डीग को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) :

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल ही भरतपुर के एस. पी. की प्रशंसा की गयी थी....

श्री अरुणसिंह : एस. पी. की तो हम प्रशंसा कर रहे हैं पर कानून व्यवस्था इन तीन चार दिनों में बिगड़ी हुई है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं आपके आदेशानुसार एस. पी. और डी. आई. जी. दोनों से बात करूंगा कि इन घटनाओं के बारे में तत्परता से कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारजी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : आप किसको एड्रेस कर रहे हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यही कह रहा हूं, सर, यही....

श्री अध्यक्ष : किसको एड्रेस कर रहे हैं आप ? आप बैठिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपसे इजाजत लेकर....

श्री अध्यक्ष : तो मेरे से कहां कर रहे हैं आप ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपसे इजाजत लेकर....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये, प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : साहब, मेरा एक ही सवाल है, उसी डकैती से है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले तो आपने इम्प्रोपराइटी यह की कि आप मुख्य मंत्रीजी को एड्रेस कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे से बोलते तो मैं काहे को खड़ा होता बीच में। तो आप इस बात का भविष्य में ध्यान रखें, किसी मंत्री या मुख्य मंत्रीजी को एड्रेस नहीं करें। जो बात कहनी है, address to the Chair. अब बोलिये, क्या पूछ रहे हैं आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बात कही है, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महीने में ही मेरे भी दो डकैती पड़ गयी हैं और लक्ष्मणगढ़ के बिल्कुल....

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस क्यों नहीं दिया पहले ? उन्होंने नोटिस दिया है लिखित में मुझे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं इसी संदर्भ में बोल रहा हूं उसको भी नोटिस मानें, साहब।

श्री अध्यक्ष : इस संदर्भ में तो पूरा राजस्थान बोलेगा। क्या बात हुई ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : डी. आई. जी. एक ही है दोनों का। डी. आई. जी. दोनों का एक ही है, सर, भरतपुर, अलवर का डी. आई. जी. एक ही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । अब आपने बता दिया कि आपके यहां भी हो रहा है । बस ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार ।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष-जी, मैंने जो सूचना दी है, देना चाहता हूं आपकी मार्फत सदन को. बहुत ही सीरियस और बड़ा डेलीकेट इश्यू है । कल जो संग-रूर में घटना हुई है, 15 इंजीनियर्स जो सब बाहर के हैं, पंजाब से बाहर के हैं उनकी हत्या के बाद जो रांग सिग्नल्स मिले हैं, मैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । पंजाब में यह साबित हो गया कि वहां फिजीकल डिविजन हिन्दू और सिख में हो गया । अब यह साबित हो गया कि जो फ्रस्टेशन था मिलीटेंट्स में अब वह डेस्परेट हो गया । अभी तक, अध्यक्षजी, हम उनकी स्ट्राइक एट विल, जो उनके मनुवर्स हैं, डिजाइन्स हैं उनके बारे में कभी भी फ्रस्टेट नहीं कर पाये और कोई इन्तजाम नहीं कर पाये । हमारा जिला पास है । यह ठीक है, एक्शन प्लान के तहत आपने काफी रिइन्फोर्स-मेंट किया और दिल्ली की सरकार से आपने पैसा भी मांगा है । कुछ अपने रिसोर्सेज से खर्च भी कर रहे हैं आप । कुछ राइफल्स भी आयी हैं, व्हीकल्स भी आये हैं, रिइन्फोर्समेंट हुआ है और बोर्डर का इन्तजाम आपने पहले से काफी किया है, अलर्ट भी हैं आप, मैं इस बात को मानता हूं । माननीय अध्यक्षजी, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इतना इंटेलीजेंस सेट अप होने के बाद भी हमें कोई इन्फार्मेशन टाइम पर मिलती नहीं और मिलीटेंट्स का जो स्ट्राइक एट विल है उनको कभी भी इण्टरसेप्ट नहीं कर पाये आज तक । इसका इन्तजाम राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा । राउण्ड दी क्लाक पैट्रोलिंग, नम्बर एक, जो हमारा पाकिस्तान से वलनरेबल अभी है बोर्डर उसका इन्तजाम आपने किया, और करना पड़ेगा आपको । एक्शन प्लान में कितना पैसा आपने मांगा है, कितना मिल गया आपको और अगर नहीं मिलता है टाइम पर फिर भी आप और इन्तजाम क्या करने जा रहे हो । मैं इन शब्दों के साथ यह सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि वे राज-स्थान सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं ? राजस्थान सरकार जो कर रही है, आपसे छिपा हुआ नहीं है । जो भारत सरकार कर रही है वह भी छिपा हुआ नहीं है । टेरे-रिस्ट्स की जो मानसिक स्थिति है वह भी आपसे छिपी हुई नहीं है । उस स्थिति में आप अगर कुछ बता सकें कि राज्य सरकार को यह कार्यवाही करनी चाहिये तो मैं आप को यह विश्वास देता हूं कि राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्यवाही को करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, इतना ही मैं कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी ।.... (व्यव-धान) आ गया है, यही है । यह दूसरी स्टेट का मामला है । आ गया, आपने इसी पर दस्तखत किये हैं । यह दूसरी स्टेट का मामला है । माननीय सदस्य, दूसरी स्टेट का मामला है । आपने कह दिया, आपने जवाब दे दिया । It is not a debate. आपने मेन्शन कर दिया, आपके साइन इसी पर हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो उन्होंने जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : अब आपके जवाब का जवाब आपसे नहीं दिलवाऊंगा । हां, कल्लाजी, बोलिये । डिबेट थोड़े ही करवा रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के बारे में नियम 127 के अन्तर्गत हमने कई विधायकों ने मिलकर एक चर्चा की अनुमति मांगी है । उसमें भयंकर भ्रष्टाचार खरीद में हो रहा है, नियुक्तियों में धांधलियां हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : किसकी बात कर रहे हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने सचेतक महोदय से बात करिये, इस सम्बन्ध में कुछ तय हो चुका है । वह दूसरा मोशन दे रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मेरा कई दिनों से एक कालिंग अटेन्शन मोशन है अकाल के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में बड़ी हालत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं जवाब दे रहा हूं । सारे कालिंग अटेन्शन मोशन मैंने सीरियल वाइज, जिसका पहले आया है, डिपार्टमेंट-वाइज लगा रखे हैं । उस हिसाब से दो-दो प्रति दिन लगाता जा रहा हूं । आपका नम्बर जब आयगा, आ जायगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : साहब, अकाल से बचाने के लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अकाल के लिये चूंकि अलग से बहस होगी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो आप तुरन्त रखवाइये ।

श्री अध्यक्ष : अब तुरन्त रखना, आपके लिये और मेरे लिये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बना दिया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 15 दिन हो गये, साहब, अकाल पर तो....

श्री अध्यक्ष : हां, तो अकाल पर बहस होगी । हां, क्या बोल रहे हैं ?

डा. हरिसिंह : अध्यक्षजी, एक विशेषाधिकार का मोशन हमने दे रखा है और आपको उसका मालूम भी है ।

श्री अध्यक्ष : हां, वह एग्जामिन हो रहा है । एग्जामिन हो रहा है । चलिये, श्री प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, पाइप्स के बारे में आपका जो रेट कांट्रेक्ट था वह 31 अगस्त, 1991 को समाप्त हो गया । सारा वर्ष आपने निकाल दिया । आपने टेण्डर इन्वाइट किये, उसके बाद नेगोसियेशन स्टार्ट किया आपने और फाइनल आर्डर देते वक्त 7 फरवरी, 1992 आ गया । सारा साल गया । पी. एच. ई. डी. की सारी स्कीम आपने स्टार्ट कर दी । अध्यक्षजी, यह

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कोई स्केण्डल नहीं है। मगर जो लैप्स हैं आपकी सरकार के ऊपर, एक साल आप डिमाण्ड एकोमडेट करते रहे, 7 फरवरी को उसे आप मैच्योर करते हो और फिर कब यह पाइप पहुंचेंगे इण्डस्ट्रियल पालिसी हमारी यह है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी स्माल स्केल और मीडियम इण्डस्ट्रीज को इन पाइप के लिये आदेश दें और रेट भी 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम दें ताकि हमारी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पनपें और टाइम पर सप्लाई हो जाये। अब 15 प्रतिशत तो रेट आपने ज्यादा बढ़ा दिये और रॉमैटेरियल, आप कहते यह हो कि रॉमैटेरियल की कीमत कम हो रही है क्योंकि कस्टम ड्यूटी को सैन्ट्रल कम करने जा रही है इसलिये 20 प्रतिशत वह हो गया और 15 प्रतिशत यह हो गया, 35 प्रतिशत तक मुनाफा आपने दिया। मेरा इसमें कहने का मकसद यह है कि ना तो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट से आपने नो ओब्जेक्शन लिया और सारा साल आपने बिता दिया, आइंदा के लिये कम से कम मेहरबानी करके जो भी काम करना है उसको नवम्बर, दिसम्बर में कर लीजिये, ताकि पाइप देहातों में, शहरों में टाइम पर मिल जाये और किसी लैप्स की कोई गुंजाइश न हो, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक। (अनुपस्थित) श्री अमीन खां। (अनुपस्थित) श्री रामकिशोर सैनी।

मंडी माधोगंज बांदीकुई के व्यापारियों के विरुद्ध सरकारी दुकानों से बेदखली बाबत

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत मंडी माधोगंज बांदीकुई के व्यापारियों के विरुद्ध सरकारी दुकानों से बेदखली की कार्यवाही समाप्त किये जाने, बकाया किराया जमा किये जाने एवं स्वामित्व अधिकार दिलवाये जाने के संबंध में प्रस्ताव की सूचना। मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। मण्डी माधोगंज के समस्त व्यापारीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही करीबन 100 वर्ष से भी अधिक समय से मण्डी में बनी हुई सरकारी दुकानों पर बहैसियत किरायेदार काबिज रह कर अपना कारोबार व्यापार करते चले आ रहे हैं और सरकार में किराया समय पर अदा करते रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही कर व्यापारियों को राजनैतिक आधार पर दुकानों से बेदखल करने के आदेश दिये जिससे माह फरवरी, 1988 से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किराया जमा करना बन्द कर दिया और सारे व्यापारियों को उनकी दुकानों से बेदखल करने का नोटिस दे दिया और सम्पदा अधिकारी महोदय जयपुर प्रथम के यहां बेदखली के लिए मुकदमें चला दिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग का उक्त निर्णय आश्चर्यजनक है जिससे मण्डी माधोगंज के समस्त व्यापारीगण परेशान हैं और उन्हें अपने कारोबार की चिंता हमेशा सताती रहती है। व्यापारीगण अपनी दुकानों को छोड़ कर जायें तो जायें कहां और सरकार भी इन दुकानों को

(श्री रामकिशोर सैनी)

व्यापारियों से खाली करवा कर करेगी क्या? यह समझ में नहीं आ रहा है। बांदीकुई अनाज मण्डी माधोगंज के व्यापारीगण समय पर किराया अदा करते रहे हैं और आगे भी तैयार हैं और यदि सरकार इन दुकानों की वाजिब कीमत तय करके दुकानों के स्वामित्व अधिकार व्यापारियों को देना चाहे तो व्यापारीगण इसके लिये भी तैयार हैं।

(12.23 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि (1) विभाग द्वारा दायर किये गये बेदखली के मुकदमें वापस लिये जावें।

(2) अब तक का पुराना बकाया किराया व्यापारियों से जमा किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

(3) इन दुकानों की वाजिब कीमत तय करवाई जाकर व्यापारियों को मालिकाना हक हकूक प्रदान किये जावें तथा तय शुदा कीमत किस्तों में अदा करने की सहूलियत प्रदान की जावे।

(4) यदि हक हकूक मालिकान व्यापारियों को दिया जाना किसी कदर मुनासिब न समझा जावे तो व्यापारियों को बहैसियत किरायेदार ही इन दुकानों पर काबिज रह कर व्यापार पहले की तरह चालू रखने की इजाजत प्रदान की जावे और किराया पहले की तरह जमा कराते रहने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभूलाल पटेल।

सपोटरा क्षेत्र में किसानों का रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों द्वारा शोषण

श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सपोटरा क्षेत्र में किसानों का रेवेन्यू विभाग के अफसरों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सपोटरा क्षेत्र में किसानों का मुख्य धंधा खेती है। किसानों के पास छोटी-छोटी जमीनें हैं लेकिन कुछ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खेतीहर मजदूरों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सूरत में यह लोग बिना धंधे के परेशान हैं। सिवाय चक भूमि पर काफी समय से किसानों का कब्जा चला आ रहा है तथा उसको ट्रेक्टरों व बैलों के काबिल काश्त बना दिया गया है। तब उनसे तहसील द्वारा पैनल्टी भी वसूल की जाती है तथा सिविल कारावास तक में भेज दिया जाता है, जो कि गरीब किसानों के साथ अन्याय है। अतः सरकार जिन लोगों के पुराने कब्जे चले आ रहे हैं तथा भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र अलाटमैण्ट करवाकर के खातेदारी हक दिलवाये जावें, जिससे गरीब किसानों को राजस्व अधिकारियों द्वारा किये जा रहे शोषण व परेशानियों से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

सिंचाई परियोजना-भाखरा गंगानहर एवं इंदिरा गांधी नहर से पानी की चोरी की समस्या के संबंध में

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक विशेष प्रस्ताव माननीय सिंचाई मंत्रीजी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सिंचाई परियोजनाओं-माखरा, गंगनहर व राजस्थान कैनाल में लम्बी-लम्बी नहरों पर पानी की चोरी की गंभीर समस्या है। टेल क्षेत्र के काश्तकार इस चोरी से प्रभावित होते हैं। नहरों पर क्षमता से अधिक पानी छोड़े जाने पर भी टैल क्षेत्र कुछ मोघों पर पानी की उपलब्धता कम हो जाती है और टैल के काश्तकारों की फसलें बहुत गंभीर रुप से प्रभावित होती हैं। ये चोरियां बहुधा रात के समय होती हैं जिसका प्रभाव सूर्योदय के पहले पड़ना शुरू हो जाता है और दोपहर तक कायम रहता है क्योंकि सारे परियोजना क्षेत्रों में, यानि तीनों जो परियोजना क्षेत्र हैं, उसमें पानी का जो सिस्टम है, पानी लोगों को देने का, वह सात दिन चक्र से है और वह सूखी गीली जिस तरह की भी स्थिति हो उस स्थिति से उनकी बारी नियत रहती है। प्रत्येक काश्तकार का समय व दिन नियत होता है इसलिये जिनको कम पानी उपलब्ध होता है उनकी फसलें बरबाद हो जाती हैं। वे बार-बार इकट्ठे होकर अधिकारियों के पास चक्कर काटते हैं, बहुत बार प्रदर्शन व धरने उन क्षेत्रों में होते हैं। अधिकारी वर्ग की मिलीभगत से ये पानी चोर पकड़े नहीं जाते। दिनों दिन इस प्रकार की आदतें बढ़ती जा रही हैं। सारे जिले में बड़े-बड़े भूपति सरे आम दिन में पानी की चोरी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरे आम बड़ी कैनाल्स में दिन में पाइप लगाकर लोग चोरियां करते हैं। केवल आउटलेट के पास है नहीं, यानि इन चोरियों की प्रमुखता जो आउटलेट के पास होती है। बड़े-बड़े लोगों के द्वारा अवैध रुप से पाइप लगाकर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : चोरी की जाती है। चोरी करने वाले सिंचाई के जे. ई. एन. व अन्य अधिकारी की सांठ गांठ से चोरी करते हैं इसलिये अवैध पाइप कभी पकड़े नहीं जाते हैं। कई काश्तकार अपनी बारी के मोघों के ऊपर से अवैध पाइप लगाकर चोरी करते हैं। यह इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि कई बार तो अंतिम छोर पर पानी आधे से भी कम रह जाता है। इस चोरी का परिणाम फसलों की अवस्था और टैल और सिंचाई के रिकार्ड से पता लगता है। टैल और जो फसलों की नहरों की शुरुआत है, उन दोनों के सिंचाई रिकार्ड से ही पता लगता है कि चोरी के परिणाम क्या होते हैं? सिंचाई रिकार्ड अगर नहर के प्रारम्भ के मोघों व अंतिम छोर के मोघों का देखा जाये तो स्पष्ट पता चल जायेगा कि गड़बड़ी कहां है। अंतिम छोर की ईन्टेसिटी हर स्तर पर काफी कम होती है। इस प्रकार से उजड़े टैल के किसानों की हमारी पुलिस भी व्यवस्था नहीं कर सकती। मुकदमें दर्ज करवाते ही वे रिश्वत लेकर मुकदमें समाप्त हो जाते हैं, या इतना लम्बा तरीका अपनाया जाता है कि सालों बाद भी किसी को सजा नहीं मिल पाती। इसका तुरन्त इलाज राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से पानी उपयोग करने वाले की बारी काटना है। यही एक कारगर उपाय है कि सिंचाई अधिकारी यदि ईमानदार हो, ईमानदारी से इस समस्या का समाधान हो सकता है, इनमें ईमानदारी ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। सिंचाई अधिकारी तो चोरी करने वाले किसानों से प्रति घंटे के हिसाब से वसूल करते हैं और अपनी देखरेख में पाइप

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लगवाते हैं यदि सिंचाई विभाग इस समस्या को वास्तव में कम करने का इच्छुक हो तो एक ही रास्ता है, एक ही इलाज है कि जिस प्रकार शाम के समय 24 घण्टों में हर नहर की जो गेज है, टेल की गेज, वह सिंचाई विभाग अपने कर्मचारियों से 3 बजे शाम के बाद ले लेता है उसका रिकार्ड रखा जाता है। पानी की उपलब्धता क्या है? इसी प्रकार यदि सुबह 9 बजे भी एक बार पुनः गेज लेने की व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित तौर पर इसमें रूकावट आयेगी। अगर शाम की गेज में कम है तो निश्चय ही नहर पर चोरी हुयी है और चोरी करने वाले को पकड़ने का काम जे. इ. एन. के जिम्मे सौंपा जाये। अधिशाषी अधिकारी को उस बात की जिम्मेदारी दें, उसकी यह ड्यूटी बाउण्ड हो कि वह सुबह 9 बजे गेज लें और वह कम पायी जायेगी तो उसका मतलब चोरी हुई है। इसी वजह से चोरी बन्द हो सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं और विशेष तौर से तीनों योजनाओं में इस प्रकार से चोरी की घटनाएं होती है। मेरी समझ में इसका उपाय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी की चोरी की समस्या, जबरदस्त पानी ले लेने की समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं प्राथमिकता से उनके द्वारा उठाये मुद्दों पर अध्ययन करने के बाद यथोचित कार्यवाही करूंगा और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इस बात की कोशिश की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशनारामजी।

ब्यावर क्षेत्र में खनन के अवैध कार्य बन्द करवाने के संबंध में

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के तहत प्रस्ताव है। महोदय, मैं ब्यावर क्षेत्र में सहायक अभियन्ता [खनन] का अवैध कार्य बन्द करवाने के बाबत कुछ तथ्य देना चाहता हूं। जो निम्न प्रकार है।

ब्यावर शहर में बड़सजालिया रोड काबरा तक बहुत ही जोरों से अवैध खनन का कार्य हो रहा हैं। अतः

एक माननीय सदस्य : यह ब्यावर शहर की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ब्यावर शहर की तरफ किशनारामजी का ध्यान ज्यादा है।

श्री किशनाराम नाई : इस अवैध कार्य को करने वालों के नाम व क्षेत्र के नाम बाबत कई बार मंत्री महोदय को कहा गया जिसके फलस्वरूप श्री एस. सी गोयल, ए. ई. एन ने किशनपुरा का निरीक्षण किया और केस भी बनाया। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस समय कालेजर, कोटडा, धनास, गाजियाबास, सामाद, भूरिया खेडा, कला खेड़ा, जवाजा और अन्य कई जगह अवैध खनन जोरों से हो रहा है जिसके कारण सरकार को लाखों

(श्री किशनाराम नाई)

रुपयों की अनावश्यक रूप से हानि हो रही है।

छोटी खान डाबरा पंचायत की तो बनाई तक की खान सारी साफ कर दी गयी। इस अवैध खनन को करने वाले मालिकों द्वारा छोटे-छोटे खनन कर देने से माल बेचने में उपाध्यक्ष जी, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिले में सबसे ज्यादा यानी करीब 80 प्रतिशत रायल्टी की आय ब्यावर क्षेत्र से हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त अवैध खनन को रोकने व छोटे-छोटे खनन मालिकों को राहत देने हेतु ब्यावर शहर में खनन अभियन्ता की शीघ्र नियुक्ति की जाय। राज्य में होने वाली आय ब्यावर शहर से 80 प्रतिशत हो रही है, यदि कार्यालय खुल जायेगा तो अति उत्तम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रिछपालसिंह जी।

डेगाना में शिक्षा संबंधी समाधान के संबंध में

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की शिक्षा संबंधी समस्या का नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्रामों में शिक्षा विकास हेतु ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक ग्राम एवं ढाणियां ऐसी है जिनकी आबादी 200 से 300 तक है परन्तु वहां के बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे बाहर जाकर पढ़ने में असमर्थ हैं। शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये सरकार का यह दायित्व बनता है कि ग्रामीण जनता को यह सुविधा मुहैया की जावे। परन्तु खेद का विषय है कि सरकार द्वारा इस संबंध में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिन ग्रामों में अभी तक कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है उनमें कोडिया, माधा की ढाणी (राताडून्डा) बरेसरा की ढाणी, झालरा बेरा की ढाणी, धूणा की ढाणी, पुटियों की ढाणी, राइकों की ढाणी आदि प्रमुख हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपनी शिक्षा नीति में यह भी घोषणा की जा चुकी है कि प्रत्येक पचायत हैड क्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। परन्तु विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक पंचायत मुख्यालय अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं।

अनेक स्थानों पर बच्चों की संख्या पाठशालाओं में 150 से 200 तक है परन्तु अध्यापक केवल एक ही है। उदाहरणतया जावा बच्चों की संख्या 125, लिबानेस 225, मोरिवाना 125, सूडवाडा 125, मीट्डिया 150, खीवताणा 250 हलधर 150, सुखवासनी 125, आकेबी 125, ढाढ़रिया कुआं 150, इन ग्रामों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं।

क्षेत्र के कई ग्रामों में पुरानी उच्च प्राथमिक शालायें एवं माध्यमिक शालायें हैं तथा वहां पर बच्चों की संख्या भी अधिक है परन्तु खेद का विषय है कि इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, पंचायत राज

(७८)

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

राज्य मंत्री महोदय, शिक्षा निदेशक, बीकानेर, उप शिक्षा निदेशक, जोधपुर को बार-बार इन शालाओं को क्रमोन्नत करने के बारे में निवेदन के बावजूद क्षेत्र की किसी भी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर डेगाना गांव जहां उच्च प्राथमिक शाला हैं बच्चों की संख्या 400, बंवरका 400, पावडी कलां जहां सन् 1960 से उच्च प्राथमिक शाला है बच्चों की संख्या 450 लाडपुरा बच्चों की संख्या 350 है, इन सभी ग्रामों मे बच्चों की संख्या को देखते हुये वहां पर सैकण्डरी स्कूल का होना नितान्त आवश्यक है।

क्षेत्र में सैकण्डरी पाठशाला थांवला सन् 1963 से है तथा इसमें बच्चों की संख्या करीब 500–600 है इसको क्रमोन्नत कराने हेतु अनेकों बार मंत्री महोदय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को लिखे जाने एवं उनके द्वारा शीघ्र खोलने के आश्वासन के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। अतः क्षेत्र की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में जानबूझ कर पिछड़ा रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। भेरुंदा हरसोदा आदि बड़े ग्राम है इन स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया जावे।

अनेक स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, खेद का विषय है कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल डेगाना में प्रिंसिपल का पद भी काफी समय से रिक्त है। वांछित स्कूलों का क्रमोन्नत नहीं किये जाने, रिक्त अध्यापकों के पदों को नहीं भरने एवं और जगहों पर स्कूल की बिल्कुल व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र की ग्रामीण जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के उपरोक्त वर्णित ग्रामों एवं ढाणियों के चल रही शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की कृपा करावें ताकि शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं से ग्रस्त ग्रामीण जनता को इस बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण चौधरी।

श्री किशनाराम नाई : मेरा एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं?

श्री किशनाराम नाई : मेरा एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में बैठ जाइये।

श्री किशनाराम नाई : बड़ा सुन्दर सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री किशनाराम नाई : इधर तो सनाढ्य साहब बैठते हैं और उधर फूलचन्द जी बैठते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा का प्रभाव आप पर आ गया क्या ?

श्री किशनाराम नाई : फूलचन्द जी बोलते हैं तो मेरे ऊपर झुक जाते हैं और यह

(श्री किशनाराम नाई)

बोलते हैं तो नीचे रह जाते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था हो तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अलग व्यवस्था करेंगे आपके लिये, माइक थोड़ा ऊंचा करवायेंगे। माननीय रामकरणजी।

ग्राम इन्द्रावड, तहसील मेड़ता को पुनः पुलिस थाना मेड़ता सिटी के क्षेत्राधिकार में रखे जाने बाबत।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न, औचित्य प्रश्न माननीय गृह मंत्रीजी से मैं इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर आया था। मेरे क्षेत्र का एक गांव है। आपने नये थाने क्रिएट किये हैं और गोटन थाना जब से क्रियेट किया गया उसको मेड़ता सिटी से निकाल कर गोटन के सम्बन्ध में यह नियम 295 के तहत इस सदन के माध्यम से पुनः आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कुछ समय पहले ग्राम गोटन (नागौर) में एक नया पुलिस थाना खोला गया। तब इस थाने में कुछ गांव मेड़ता रोड पुलिस थाना के व कुछ गांव मेड़ता सिटी थाना के इसके क्षेत्राधिकार में रखे गये मगर ग्राम इन्दावड़ पहले पुलिस थाना मेड़ता सिटी के क्षेत्राधिकार में था। गोटन पुलिस थाना बनाने के बाद इस गांव को इस नये थाना के क्षेत्राधिकार में गलत रूप से रखा है। ग्राम इन्दावड़ तो मेड़ता सिटी के बिल्कुल नजदीक है। मेड़ता सिटी से मुख्य डामर सडक से जुड़ा हुआ है। दिन में कई बार बसें मेड़ता सिटी से आती जाती है। जबकि गोटन तो ग्राम इन्दावड़ से काफी दूर पड़ता है। गोटन आने जाने के लिये कोई सड़क नहीं है। न कोई आने जाने के कोई साधन है। इन्दावड़ ग्राम काफी बड़ा ग्राम है। इस ग्राम की जनसंख्या करीब चार हजार की है। रोजाना इस गांव के निवासियों का किसी न किसी कार्य हेतु पुलिस थाना में जाना जाना पड़ता है।

अतः गृह मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम इन्दावड़ तहसील मेड़ता को पुनः पुलिस थाना मेड़ता सिटी के क्षेत्राधिकार में रखा जावे। गोटन पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार से इस गांव को हटाया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोलेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझ से मिले थे उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक, नागौर से टिप्पणी मंगायी है उसके बाद यह नजदीक पड़ता है तो उस थाने में लगा दिया जायेगा।

श्री रामकरण चौधरी : टिप्पणी आप जल्दी मंगा लेते। हम को तो आम खाने से मतलब है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने मुझे जो वस्तु स्थिति बताई उससे मैं सहमत हूं लेकिन प्रोसेस से आ जाय। नजदीक पड़ता है तो नजदीक थाने में लगा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल मीणा.... अनुपस्थित

श्री मांगीलाल मेघवाल।

(80)

केशवराय पाटन (बूंदी) में निवर्तमान सरपंचों द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की पंचायत समिति केशवराय पाटन (बून्दी) में निर्वतमान सरपंचों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न मदों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों मे भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें की गयी । जब से वर्ष 1988-89 में पंचायतों का गठन हुआ तब से 1991 तक जितने भी विकास कार्य हो चाहे जवाहर रोजगार कार्य हो, चाहे आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना का कार्य हो, वे कार्य पूरे नहीं हुए हैं । 90 से 95 प्रतिशत कार्य भ्रष्टाचार की वजह से अधूरे पड़े हैं । इस स्थिति में अधूरे कार्यों को पूरा करवाना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक पिछले कार्य का लेखा जोखा, नाप जोख या विवरण तैयार कर व्यय की गयी राशि का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाता । तब तक आगे पुनः कार्य शुरू नहीं कराया जा सकता है । मैंने इस विषय में जिला कलक्टर महोदय, बून्दी पचायत राज्य मंत्री महोदय एवं स्थानीय विकास अधिकारी महोदय को भी लिख कर अधूरे कार्यों की जांच करवाने को कहा था ताकि सरकार के द्वारा व्यय की गयी राशि का सही उपयोग जन-हित में हो सके एवं जनहित में ही अधूरे कार्य को पूरा करवाया जा सके ।

इस प्रसंग में अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि—

(1) पंचायत समिति, केशवराय पाटन में पिछली पंचायत के तीन वर्षों के कार्य काल में करवाये गये विभिन्न कार्यों का विवरण । कार्य का काम, स्वीकृत राशि, व्यय राशि का विवरण, कार्य की वास्तविक स्थिति व विशेष विवरण कार्य की उपलब्धि दर्शायी जाय ।

(2) इसी काल खण्ड में 75 विद्यालय भवनों की भी स्थिति को आपरेशन ब्लेक बोर्ड जवाहर रोजगार योजना में अकाल राहत राशि के मद से बनवाये गये थे कि भी सूची नाम विद्यालय, राशि, कार्य का विवरण एवं उसकी जांच रिपोर्ट जो पूर्व में मेरे द्वारा चाही गयी थी । ताकि भ्रष्टाचार को नंगा किया जा सके एवं भविष्य में कार्य शुरू करवाने में सहयोग एवं सहुलियत हो सके । माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय विशेष रूप से हमारे काम रुके हुए हैं बराबर मिलने के बाद मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत राज मंत्री महोदय कुछ कहेंगे क्या ? आप बैठिये, यह कुछ कह रहे हैं ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : (पंचायत राज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा बताया भ्रष्टाचर के काम के बारे में, अधूरे काम के बारे में उन्होंने मुझे शिकायत भी की थी । मैंने उसको जांच के लिए भेज दिया । मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने जो कामों की, अपने क्षेत्र की सूची चाही है, उसकी जांच कराकर मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा दूंगा और स्पेशल आडिट या स्पेशल जांच भी जल्द से जल्द करवा दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीतलाल नीनामा।

गांव गोरेछा पंचायत समिति, भुगड़ा में 129 आदिवासी किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं देने बाबत

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

1. गांव गोरेछा पंचायत मुगड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के 129 आदिवासी किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं देने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव। महोदय, यह कि गांव गोरछा दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा का माही कमाण्ड क्षेत्र से ऊंची जगह पर स्थित है। उक्त गांव में ज्यादातर आदिवासी व खेती करने वाले किसान रहते हैं। वह गांव गोरछा इलेक्ट्रोफाइड गांव है। सन् 1989-90 से गांव गोरेछा में विद्युत लाइन की डी. पी. लग चुकी है। लेकिन अभी तक मकानों व कुओं पर किसी भी व्यक्ति व काश्तकार को घर व कुओं पर कनेक्शन नहीं दिया गया है।

2 यह है कि गांव गोरेछा के किसानों ने 1989-90 से 102 कनेक्शन मकानों व 27 कनेक्शन कुओं पर विद्युत लेने का फार्म फाइल) विद्युत कार्यालय घाटोल के सहायक अभियन्ता के पास जमा कर रखी है। मगर आज दिन तक अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं की गयी है।

3. यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति पोल 4250/- जमा कराना व आदिवासी किसानों को 5 पोल तक 250/- रुपये प्रति पोल जमा करना है व 4000/- रुपये प्रति पोल 5 पोल तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा लिखित पत्र विद्युत कार्यालयों जिला बांसवाड़ा में नहीं पहुंचा है। अतः मैं नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर गांव गोरेछा के आदिवासी किसान जिन्होंने फाइलें जमा करवा रखी है. इनकी सूची संलग्न कर राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बांसवाड़ा जिला के आदिवासी किसानों को सब्सिडी का लाभ दिलाने के आदेश सरकार तत्काल जारी करे व गांव गोरेछा के आदिवासी किसानों को मकानों व कुओं पर कनेक्शन दिलवाया जाकर अपने पैरों पर खड़ा रहने का सहारा दिलाया जावे, इसी आशा को लेकर नियम 295 के तहत मांग करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित। माननीय गुलाबसिंहजी सदन में कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि नसबंदी से मौत होने के कारण जो मामले हैं हम ने अभी-अभी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर एक सेमिनार आयोजित की है। राय यह है कि इसके बारे में आप माननीय चिकित्सा मंत्री से व्यक्तिगत सम्पर्क कर विषय को यहां पर नहीं उठायें।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप मुझे दे दें सारी जांच करके कार्यवाही करूंगा।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं सहमत हूं। एक निवेदन है कि इस तरह के जो मामले होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं। हाई लाइट हो जायेगा। अगला। माननीय कालीचरणजी सराफ।

हाउसिंग बोर्ड कालोनीज में जन सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर नगर में निर्मित कोलोनीज जवाहर नगर, शास्त्री नगर, नाहरी का नाका, मालवीय नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनीज में जन सुविधाओं के अभाव की ओर दिलाना चाहता हूं।

जवाहर नगर, नाहरी का नाका कालोनी एवं मालवीय नगर के निर्माण होने के समय ही सड़कों का निर्माण हुआ था परन्तु अत्यन्त खेद है कि जवाहर नगर, नाहरी का नाका, आवासन कालोनी के निर्माण को लगभग 17 वर्ष होने के बाद एक बार भी सड़कों की री-कारपेटिंग आज तक नहीं हुई है एवं मालवीय नगर के सेक्टर नम्बर 1,2,3,4 में भी 10 वर्ष निर्माण हुआ हो गया पर आज तक कोई रीकारपेटिंग नहीं हुई है। केवल कुछ जगह मरम्मत का कार्य ही हुआ है। जिसके कारण उक्त तीनों कालोनीज में सड़कें जगह-जगह से टूट गयी है खड्ढे पड़ गये हैं, सड़कें उबड़-खाबड़ हो गयी है। कई जगहों पर तो दो-दो फीट मिट्टी जमा हो गयी है। आवासन मण्डल के अधिकारियों से जब इन सड़कों की रीकारपेटिंग कराये जाने की बात की जाती है तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन सड़कों का पुनर्निर्माण नगर परिषद् करेगी। नगर परिषद् से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आवासन मण्डल इन सड़कों का निर्माण करेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दोनों विभागों के मंत्री माननीय भंवरलालजी शर्मा ही है। कृपया तय करे कि कौन सा विभाग इन सड़कों का निर्माण करेगा। सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की कृपा करें, जिससे उक्त दोनों कालोनीज के निवासियों को राहत मिल सके। आवासन मण्डल की इन तीनों कालोनीज में हर सेक्टर में पार्कों के लिए जगह तो छोड़ी है परन्तु 1-2 पार्कों के अलावा छोड़ कर किसी भी पार्क का विकास आवासन मण्डल द्वारा अभी तक नहीं किया गया। पार्कों का विकास न होने के कारण पार्कों में अतिक्रमण हो रहे हैं जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए है, जिसके कारण इन पार्कों के कारण जहां शुद्ध वातावरण निर्मित होना चाहिये दुर्गन्ध से समूची कालोनी सड़ रही हैं। अतः मंत्री जी से निवेदन है कि इन पार्कों का विकास करवाने की कृपा करें। यदि सभी पार्कों का विकास एक साथ सम्भव न हो तो कम से कम हर सैक्टर में एक-एक पार्क का विकास तो आवासन मण्डल करे और एक बार पार्कों का विकास करने के बाद यदि किसी स्वयंसेवी संस्था को मेन्टीनेंस हेतु पार्क सौंप दें तो निश्चित ही इन कालोनीज के निवासियों को राहत मिलेगी।

जवाहर नगर में कम्युनिटी सेन्टर का शिलान्यास आज से 15 वर्ष पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया था, परन्तु आज तक कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ

(श्री कालीचरण सराफ)

है । जिसके कारण इस कालोनी के नागरिक दैनिक आवश्यकताओं से वंचित हैं । अतः शीघ्र ही कम से कम एक-एक कम्युनिटी सेन्टर जवाहर नगर, मालवीया नगर और शास्त्री नगर आवासन कालोनीज में बने इस हेतु मंत्री जी से निवेदन करता हूं । जवाहर नगर, शास्त्री नगर, नाहरी का नाका आवासन कालोनी व मालवीय नगर में लगभग 90 प्रतिशत रोड लाइट्स खराब पड़ी हैं और वह खराब इसलिए पड़ी है कि हाउसिंग बोर्ड कहता है कि नगर परिषद् बनायेगी और नगर परिषद् कहती है कि हाउसिंग बोर्ड बनायेगी । इसके कारण रात्रि को बिल्कुल अंधेरा रहता है । अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार विशेष अभियान चलाकर रोड लाइट्स ठीक करवाने की कृपा करें एवं जिस प्रकार पूरे शहर में सोडियम लाइट्स लगी हुई है, उसी प्रकार इन कालोनीज में कम से कम हर तिराहे पर सोडियम लाइट्स लगवाई जायें । इस प्रकार की व्यवस्था मंत्री महोदय करेंगे ।

इन कालोनीज में सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन कालोनीज में समुचित सफाई की भी व्यवस्था हो सके ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन समस्याओं का जिक्र किया, माननीय मंत्री जी यहां पर बिराजे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया स्पष्ट आश्वासन दें कि सड़कों के मामले में, रोड लाइट्स के मामले में, पार्कों के मामले में सरकार क्या सोचती है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्मा साहब बोलना चाहेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप आज्ञा दें तो बोलूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देने का अभ्यस्त तो हूं नहीं; यदि आप कोई समझते हों, आश्वासन तो मैं दूंगा नहीं....

एक माननीय सदस्य : फिर खड़ा होने का मतलब क्या है....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : फिर खड़ा होने का मतलब क्या निकलेगा....

श्री उपाध्यक्ष :- कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए भी खड़े हुए होंगे...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बिराजो तो सही । आपको कोई न लेना है न देना है, आपका जयपुर से कोई मतलब नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत पुरानी है कई वर्षों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं । अभी माननीय सदस्य ने खेद प्रकट किया । यह आप लोग शायद यह समझें होगें कि वर्तमान सरकार के खिलाफ किया होगा....

श्री कालीचरण सराफ : हमारा यह मतलब नहीं है कि आपने किया है...

श्री भंवरलाल शर्मा : अब थोड़ा मुझे कहने दें । सवाल यह है कि हाउसिंग बोर्ड जब कालोनी बना देता है तो उसको पूरा करने के बाद नगर पालिका को हस्तान्तरित करता है । यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था, वह नहीं हुआ । नहीं होने से क्या हुआ कि जो सड़कें उस समय बनी भी थीं उनकी दुर्दशा हो गई । नगर पालिका अब यह कहती है कि हाउसिंग बोर्ड सड़क बना कर देगा तो हम लेने को तैयार हैं ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह जो पुरानी टूटी-फूटी सडक है यह भी हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई धन नहीं है जिससे सड़कों को बनायें। इस दुविधा में यह बात चल रही है। कालीचरणजी मैं आपको यह बताना चाहता हूं और आपको यह जानकारी है। चाहे अब कैसी भी स्थिति हो चाहे नगरपालिका बनाये, चाहे हाउसिंग बोर्ड बनाये, कोई खर्चा करे, अब जयपुर की सड़कें खराब रहेंगी, यह संभव नहीं है।

जहां तक पार्कों का सवाल है, यह पार्क भी वास्तव में बहुत पुराने जमाने से ही इनका दुरुपयोग होता आया है। अभी इस सरकार के आने के बाद हमने यह तय किया है कि इन पार्कों का रख रखाव विभाग अकेला न करे तो उन स्थानों पर रहने वाले नागरिक उनकी कोई समिति हो, चाहे व्यक्तिगत रुप से इन पार्कों का वह देख-रेख करे। उसमें होने वाला व्यय उसकी समुचित व्यवस्था एक बार हम कर सकते हैं, उसमें यदि नल लगा हुआ है उसका पेमेंट भी हम करते रहेंगे। जो पेमेंट करने का काम है वह काम तो विभाग फिर भी करेगा लेकिन देख रेख के लिये नागरिकों को आगे आना चाहिये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जो जयपुर के दूसरे एम. एल. एज. हैं वह भी यहां हैं वह लोगों को प्रेरित करें। जो भी पार्क आप पसन्द करेंगे उस पार्क को ठीक करा करके हम आपको दे देंगे आप लगातार उसकी व्यवस्था करें, संभालें, यह तो करना ही होगा।

तीसरा आपने कम्युनिटी सेन्टर की बात की। इस सरकार के आने बाद आपको जानकारी है, कितने कम्युनिटी सेन्टर बन गये ? शायद जानकारी नहीं है आपको....

श्री कालीचरण सराफ : जवाहरनगर में नहीं बना साहब और मालवीय नगर में नहीं बना। मैं यह कह रहा हूं कि तिलक नगर में बन गया, बापूनगर में बन रहा है जे. डी. ए. तो बना रही हैं. हाउसिंग बोर्ड नहीं बना रहा है यह मैं कह रहा हू.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि कम्युनिटी सेन्टर्स बनने चाहिये उसमें जन सहयोग भी मांग रहे हैं वह भी मिल रहा है और जिन स्थानों पर आपको लगता है कि कमी है आप भी लोगों को प्रेरित करें। कुछ हम भी इकट्ठा करेंगे कुछ आप भी लगाकर के मिले-जुले प्रयत्न हों तो कम्युनिटी सेन्टर्स बन सकते हैं इनकी आवश्यकता अनुभव करता हूं।

जहां तक प्रकाश व्यवस्था का सवाल है। कुछ इलाके रह गये होंगे जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुई होगी। वह आप मुझे बता दीजिये, कोई दिक्कत नहीं होगी और यह व्यवस्था भी हम कर देगें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं वन विहार कालोनी के बारे में पूछना चाह रही थी जिन लोगों ने मकान मांगा था उन लोगों को मकान नहीं मिला। जो बाहर के लोग थे वह उसमें ताले तोड़ कर घुस गये। जो प्रत्यासी हैं वह भी इस कालोनी के निवासी होना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा, इसे डिबेट नहीं बनायें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं हाउसिंग बोर्ड के बारे में ही पूछ रही हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह जनरल नहीं बनाना चाहता। प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो वैसे ही बैठ जाऊंगी आप इतना जोर से मत बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हजारी लाल जी।

खेतड़ी में ए. डी जे. न्यायालय

श्री हजारीलाल गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत खेतड़ी में ए. डी. जे न्यायालय खोलने के लिये सरकार से मांग करना चाहता हूं। निवेदन है कि झुन्झुनूं में जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत है। झुन्झुनूं में यह ए. डी. जे. न्यायालय काफी वर्षो से है तथा इस न्यायलय में विचाराधीन प्रकरणों में से करीबन 60 प्रतिशत प्रकरण खेतड़ी के हैं।

पिछले काफी समय से यह मांग की जा रही है कि खेतड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ए. डी. जे.) खोला जावे तथा राजस्थान उच्च न्यायालय भी इस न्यायालय को खेतड़ी में खोलने के पक्ष में है। खेतड़ी की बार एसोसिएशन भी पिछले एक माह से इस न्यायालय हेतु हड़ताल पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि खेतड़ी दूर-दराज गांवों की दूरी 140 किलोमीटर है, खेतड़ी से झुन्झुनूं जाने के लिये सीधा कोई साधन नहीं है तथा प्रकरण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व झुन्झुनूं पहुंचना पड़ता है।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की गम्भीरता को मद्दे नजर रखते हुये तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलवाने हेतु निश्चित रुप से खेतड़ी में नवीन अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (ए. डी. जे. कोर्ट) खोला जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाश चन्दजी बैरवा।

फागी विधान सभा क्षेत्र में अर्धनिर्मित सड़कों को पूर्ण करवाने के क्रम में

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत फागी विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के अन्तर्गत अर्धनिर्मित सड़कों के बारे में पूर्ण करवाने की बात कहूंगा तथा अकाल राहत मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि वह इन सड़कों को पूर्ण करवाने में अपना आश्वासन और सहयोग दें।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र फागी जयपुर जिले का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पूर्व सरकार एवं पूर्व विधायकों ने इस क्षेत्र के विकास के बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसी का कारण है कि फागी में विकास के काम नहीं के बराबर हुये। 20-20 वर्षो से बनी जनोपयोगी अर्द्ध निर्मित सड़कें, आज तक पूरी नहीं बन पायी है। इनमें माधोराजपुरा से राणोली चान्याकला, बिसालूखेड़ा हनुमानजी, माधोराजपुरा से बीची, रेनवाल से हीरापुरा, डाबिच से डीडावता, पीपला से गोपालपुरा फागी से

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

सभेलिया वाया मान्दी, पखण धुआलिया, डालणीधा प्याऊ से नारेडा, हरसूलिया से गोन्दी, लाखणा से पहाड़िया, पहाड़िया रोड से मोहब्बतपुरा, वाटिका से निमेड़ा से शकेलिया वाया विमलपुरा किशोरपुरा चाकसू तहसील की फागी डाबिच पांचू रोड से थली, माधोसिहपुरा से तामडीया चाकसू से निगोडीया टौंक रोड जयसिहपुरा से गिरधारीलालपुरा, चाकसू से रीया शकरखावड़ा मूण्डालिया, लालसोट रोड से सांवलिया, कोथून से तामडीया, डाबिन्स, खेजड़ी से तामडिया, यह सारी सड़कें पिछले दशकों में अकाल राहत कार्यो में बनी हुई हैं। लेकिन सरकार का लाखों ही नहीं करोड़ों रुपया खर्च हुआ है तथा सड़कों की कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि खर्च करने पर ही पूर्ण हो जायेगी।

मैंने पूर्व सत्र में भी सड़कों को पूर्ण करवाने बाबत मामला अकाल राहत मंत्री व सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को लिखा था। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि कुछ सड़कों को जो एक हजार से पन्द्रह सौ तक की आबादी के गांवों को जोड़ती हैं, निश्चित रुप से पूर्ण करवाया जायेगा। सभी को पूर्ण कराना सम्भव नहीं है, लेकिन कुछ सड़कें आपके क्षेत्र में भी बनवाई जायेगी। लेकिन अब तक दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर रोड नहीं बनवाई है। अतः मेरी सदन की मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी से मांग है कि जनोपयोगी व पंचायतों को जोड़ने वाली अर्द्ध-निर्मित सड़कों को पूर्ण कराने की कार्यवाही करें तथा इस बात का आश्वासन दें कि किन किन सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी बैठे हैं, आश्वासन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 295 में उल्लेख कर दिया, जवाब देंगे ही लम्बा चौड़ा। एक साथ तो कोई जवाब आएगा नहीं मंत्री जी से।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आश्वासन तो दे दें अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : आप आश्वस्त रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रद्युम्न सिहजी।

(1.00 म. प.)

धौलपुर में बेरोजगार उद्योग शिक्षकों को नौकरी देने सम्बन्धी।

श्री प्रद्युम्न सिह (राजाखेड़ा) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उद्योग शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निवेदन है कि बेरोजगार उद्योग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिनांक 6-2-1992 से कलक्टर कार्यालय, धौलपुर पर आज तैंतीसवें दिन तक भी क्रमिक अनशन जारी है। उद्योग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिनांक 15-2-1992 को शिक्षा मंत्री महोदय के धौलपुर आगमन पर बेरोजगार उद्योग शिक्षकों ने शीघ्र नियुक्ति हेतु एक ज्ञापन भी दिया, जिस पर कार्यवाही करने का मंत्री महोदय ने आश्वा-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सन भी दिया। इसके बाद उनके कहे अनुसार 10 बेरोजगार उद्योग शिक्षक उनके निवास स्थान पर गये, तथा उसके बाद सभी बेरोजगार उद्योग शिक्षक माननीय मुख्य मंत्री के निवास पर गये। उन्होंने जयपुर निवास पर मौजूद होते हुए भी उनसे मिलने के लिये पी. ए. द्वारा बुखार की सूचना दे दी और मिलने से इन्कार कर दिया। बेरोजगार उद्योग शिक्षक हताश होकर जयपुर से दो बार वापस लौट आए। बेरोजगार उद्योग शिक्षकों के जीवन के साथ मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। धौलपुर जिले में काफी लोग आयु सीमा पार करते जा रहे हैं।

राज्य में जालौर व अन्य कई जिलों में उद्योग शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा शारीरिक शिक्षकों को आठवें पद से प्रथम पद पर विद्यालयों में नियुक्ति दी जा चुकी है। धौलपुर में नौवें पद को द्वितीय पद पर शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति दिलाई जाय।

प्रत्येक विद्यालय में उद्योग शिक्षक का पद आवश्यक रूप से होना चाहिए क्योंकि सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च मा. विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (उद्योग) के नाम से विषय चलाया जा रहा है। लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित उद्योग अध्यापक विद्यालयों में नहीं हैं और सरकार के करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत उद्योग विषय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विद्यालयों में उद्योग शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र की जाय।

मान्यवर, यहां विधान सभा के बाहर भी लोग काफी समय से धरने पर बैठे हुए हैं। धौलपुर के अलावा यह पूरे राजस्थान के उद्योग शिक्षकों की समस्या है। विषय पढ़ाया जा रहा है लेकिन टीचर्स नहीं हैं। मंत्री महोदय, आप आ गये कृपा पूर्वक, मेरा आपसे नम्र निवेदन है....

एक माननीय सदस्य : तो पढ़ा कौन रहा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पता नहीं कौन पढ़ रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री): आप बताइये इन्होंने ट्रेनिंग कहां से की है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कुछ लड़के तो उन ट्रेनिंग स्कूलों से जिनको आपने रैकग्नाइज किया है, परमिशन दी है राज्य सरकार ने, वहां से कर रहे हैं। और कुछ उत्तर प्रदेश के स्कूलों से जो गवर्नमैंट से मान्यता प्राप्त हैं और आपके यहां से भी जो मान्यता प्राप्त हैं। या तो आप दीजिए मत और बन्द कर दीजिए उन स्कूलों को। ये स्कूल कुछ नहीं, धन्धे की जड़ बन गये हैं। आप यहां से एस. टी. सी. के नाम पर, क्राफ्ट टीचर्स के नाम पर इनको देते चले जा रहे हैं और ये लड़कों से डोनेशन लेकर उन्हें दाखिल कर रहे हैं। यह हमारे लिए बेरोजगारी की एक समस्या भी खड़ी होती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। बहुत बड़ी संख्या है इनकी और इस विषय के अध्यापक नहीं हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एन. एस. टी. सी. से हैं ? इन्होंने ट्रेनिंग कहां से की है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा न, आपके ही रैकग्नाइज्ड स्कूलों से ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपको पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जो क्राफ्ट टीचर की ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक आवश्यकता होती है और जिसको प्राप्त करने के बाद उनको अध्यापक का पद मिल सकता है, ये ट्रेनिंग किये हुए हैं ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं इसको एग्जामिन करा लूंगा । मेरी जहां तक जानकारी है, हमारे विभाग से जो एस टी. सी. ट्रेण्ड हैं उनके बराबर ये अपनी ग्रेड चाहते है, उनके समकक्ष । ये वही हैं जो एन एस. टी. सी. से करके आये हैं ट्रेनिंग । वहां पर आठवीं पास करने के बाद ट्रेनिंग में ले लेते हैं और 10 महीने ट्रेनिंग देते हैं और यहां हायर सैकण्डरी के बाद ट्रेनिंग में जाते हैं और दो वर्ष ट्रेनिंग करते हैं । उनके बराबर आप इनको रखाना चाहो, तो कैसे होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो क्राफ्ट टीचर्स की जगह है आपके स्कूलों में, इसी योग्यता प्राप्त कुछ लड़कों को दूसरे जिलों में नौकरी प्राप्त हो चुकी है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह स्थिति मैं दिखा लूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी आश्वासन देकर आये थे, मंत्री महोदय, जब आप धौलपुर पधारे थे और वे आपसे मिले थे ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आज ही मिले थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, आज ही मिले थे । अतः मेरा आप से निवेदन है कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्या का निदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह जी (महुआ) ।

राजकीय विद्यालय ओण्डमीणा के अध्यापकों के साथ अकारण मारपीट ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि दिनांक 4-3-1992 को ग्राम ओण्डमीना के स्वरूप पुत्र बीरबल, बिजेन्द्र पुत्र धसींड़ा, महेन्द्र पुत्र किण्डूरी, सिरमौर पुत्र परताप, संतराम पुत्र परताप, सभी निवासी ओण्डमीना चलते हुए विद्यालय में गये और अकारण अध्यापकों के साथ मारपीट शुरू कर दी । रिकार्ड को फाड़ दिया, उपलब्ध रोकड़ लेकर भाग गये तथा किसी भी प्रकार की कार्यवाही की तो भविष्य में मारने की धमकी भी दे गये ।

श्रीमान् अध्यापकों ने स्थिति से जनता को अवगत कराया तथा 4-3-1992 को ही थाना महुआ जिला सवाईमाधोपुर में घटना

(श्री हरिसिंह)

की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी । जिसकी तफ्तीश ए. एस. आई. श्री भीकाराम शर्मा को दी हुई है । उक्त ए. एस. आई. ने घटना का मौका मुआयना तो किया किन्तु आज तक मुलजिमों को गिरफ्तार करने मे कोई पहल नहीं की है ।

श्रीमान्, इस काण्ड से अध्यापकों में भय व्याप्त है । विद्यालय 4-3-1992 से ही बन्द है । वार्षिक परीक्षा निकट है तथा छात्र अध्ययन से वंचित हैं । अध्यापकों ने विद्यालय बन्द करने की सूचना जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर को दे दी है कि जब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किये जाएगे, अध्यापक ड्यूटी पर नहीं आएगे । वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे रहे हैं । विद्यालय के बन्द होने, छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होने, गुरुजनों की मानहानि के बावजूद पुलिस निष्क्रियता और राजनीतिक दबाव में मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही है । अत: मेरा गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चाधिकारी से जांच करवाकर दोषी लोगों को गिरफ्तार करवाने के आदेश दें ।

श्री दिग्विजय सिंह : (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं और स्कूल बन्द है । मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया, इसकी निश्चित रूप से किसी उच्चाधिकारी से जांच कराऊंगा ताकि मुलजिमान जल्दी से जल्दी पकड़े जायं । आप भी सहयोग करें, माननीय सदस्य, ताकि वे स्ट्राइक वगैरह में न जायं और परीक्षा जो हो रही है उसमें भाग लें ।

श्री हरिसिंह : आपकी इजाजत से मुझे जो गांव वालों का गृह मंत्रीजी के नाम प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिल लीजिए, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दे ही दिया । माननीय श्री अचलाराम जी ।

जिला परिषद द्वारा रिक्त अध्यापकों की भर्ती

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों द्वारा विभिन्न जिलों में रिक्त अध्यापकों की भर्ती में विषयों की विविधता के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में इन दिनों विभिन्न जिला परिषदों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभिन्न अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं। उसमें आशार्थियों को, जो लम्बे समय से प्रत्याशी होते हुए भी बेरोजगार थे, विषयों– एम. ए., एम. एड., बी. ए., बी. एड., एस. टी. सी. को लेकर अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कतिपय उदाहरण निम्न प्रकार से हैं :—

(1) कार्यालय जिला स्थापना समिति–जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ के विज्ञापन क्रमांक : स्था/911/2004 दिनांक 15-12-91 एवं विज्ञापन संख्या 3/91 द्वारा जिन आशार्थियों के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये हैं उसमें न्यूनतम योग्यता सैकण्डरी/मैट्रिक या समकक्ष बोर्ड द्वारा

(श्री अचलाराम)

उत्तीर्ण हो एवं जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसमें हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान एव सामाजिक ज्ञान इन पांच अनिवार्य विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है ।

(2) कार्यालय जिला परिषद नागौर के विज्ञापन संख्या 2/1991 द्वारा अध्यापकों के लिये शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा अंग्रेजी, गणित, हिन्दी, सामान्य ज्ञान विषयों में उत्तीर्ण हो, उन लोगों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं ।

(3) अजमेर जिला परिषद द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें भी चित्तौड़ जिला परिषद द्वारा विज्ञापित 5 अनिवार्य विषयों–गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है ।

इसलिये मूल प्रश्न मेरा सरकार से यह पूछना है कि उपरोक्त 5 विषयों की परीक्षा सन् 1980 से लेकर 1989 तक अर्थात 10+2 पद्धति लागू होने से पूर्व नहीं ली जाती थी बल्कि सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी में केवल 4 विषय ही थे । इस कारण से उक्त 5 अनिवार्य विषयों की योग्यता जब बोर्ड द्वारा ही पाठ्यक्रम में नहीं रखे गये थे तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने उक्त पांचों विषयों के साथ सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है एवं बी. ए., बी. एड., एम. ए., एस. टी सी. उत्तीर्ण की है तथा लम्बे समय से बेरोजगार है, उनको चयनित करने में प्राधिकृत अधिकारी विज्ञापनों के आधार पर उन प्रार्थना-पत्रों को रद्द करेंगे । ऐसी स्थिति में इस प्रकार की योग्यता वाले आशार्थियों के साथ घोर अन्याय होगा जिस पर तत्काल राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

मेरी सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रकार की योग्यता प्राप्त आशार्थियों ने जिन्होंने इस प्रकार के पांचों विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है । उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ही है जबकि एक तरफ कई माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश व अन्य प्रदेशों की फर्जी डिग्रियां प्राप्त कर आये आशार्थियों के खिलाफ विधान सभा में जोरदार ढंग से वाद-विवाद होता रहा है ।

विभिन्न जिला परिषदों द्वारा अभी हाल ही में जो विज्ञापन जारी किये गये हैं और आशार्थियों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि भी शेष है । ऐसी स्थिति में विज्ञापनों से अनिवार्य विषयों के सम्बन्ध में जो भ्रांति पैदा हो रही है, सरकार के द्वारा तत्काल संशोधन करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिला परिषदों को यह निर्देश अविलम्ब जारी किया जाना चाहिए कि राजस्थान राज्य में उक्त प्रकार की योग्यता के सभी आशार्थी किसी भी अनिवार्य विषयों से सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो और साथ ही बी. ए., बी. एड., एम. ए., एम एड. या एस. टी. सी. उत्तीर्ण हो को उक्त अध्यापकों के चयन में योग्य पात्र माना जावे ।

(श्री अचलाराम)

अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर व जयपुर के जिला परिषदों द्वारा जो विज्ञापन जारी किये गये हैं, उनकी समाचार पत्रों की छाया प्रतियां भी इस प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः राज्य के प्रशिक्षित बी. ए., बी. एड. व एस. टी. सी. प्रत्याशियों को न्याय देने के लिए इस पर तत्काल संशोधन जारी करने के आवश्यक निर्देश राज्य सरकार आज ही जारी फरमावें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायत राज मंत्री और शिक्षा राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ही राज्य में अलहदा-अलहदा तरह के जो विज्ञापन हैं और एकरूपता नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह अलहदा-अलहदा कैसे निकल रहे हैं। सवाल यह है कि जिन लोगों ने हमारे राज्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक किया है, हायर सैकण्डरी किया है, पहले पांच विषय थे, उसके बाद चार विषय हुए, उसके बाद फिर हमारे यहां टेन प्लस टू स्कीम लगने से वह दूसरे सब्जेक्ट्स बदल गये, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो लोग शिक्षक बनेंगे, जिन लोगों ने बोर्ड से परीक्षा पास की है, वे नौकरी नहीं पा सकेंगे।

इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि एकरूपता रखते हुए सभी जगह एक ही तरह की शर्तें होनी चाहिये, यह विभिन्न शर्तें होना ठीक नहीं होगा। ऐसा आश्वासन आप देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : वास्तव में यह....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंह जी, जल्दी कह दीजिये, यह डिबेट का मामला नहीं है।

श्री गुलाबसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़ा बच्चों के भविष्य का मामला है, व्यक्तिगत किसी का नहीं है।

श्री गुलाबसिंह : टेन प्लस टू की स्कीम से पहले जो भी छात्र थे उनके लिये इस तरह के अनिवार्य विषय होते नहीं थे, कम विषय थे, तो उनके हितों पर आज कुठाराघात हो रहा है। मैं इसलिये व्यवस्था चाहूंगा कि इस पर अविलम्ब रोक लगा दी जाये और ऐसे सारे....

श्री उपाध्यक्ष : नो रिपीटेशन। माननीय पंचायत राज मंत्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : (शिक्षा मंत्री) मैं बताना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं, माननीय सदस्यों की भावना यह है कि 1980 के बाद सैकण्डरी बोर्ड में कुछ समय तक चार विषयों में पास होने के बाद उनको उत्तीर्ण माना जाता था, और उन्होंने एस. टी. सी. की, बी. एड. किया। अब सवाल उपस्थित हुआ है कि जो विभिन्न

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

स्थानों से विज्ञापन निकल रहे हैं, उनमें उन लोगों को मान्यता नहीं दी है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, यह ही है। मैं इस सारे प्रकरण को देखूंगा, लेकिन जो तथ्य इन्होंने रखे हैं कि जिन के चार विषय थे, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी करने के बाद ट्रेनिंग पायी है, इस प्रकार के लोगों को सभी स्थानों पर मान्यता दी जानी चाहिये। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ गया है। (व्यवधान)....

श्री अचलाराम : तीन विषय तो एक ही हैं, हिन्दी, गणित और अंग्रेजी....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। पंचायत राज मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों का जो चयन किया जाता है वह शिक्षा विभाग के मापदण्डों के अनुसार ही किया जाता है। यहां तक हमने अक्टूबर नवम्बर के अन्दर जिला परिषदों को एक प्रोफार्मा भी भेजा था कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकालें। उसके बाद भी विभिन्न-विभिन्न नोटिफिकेशंस हुए हैं और जिस तरह से आपने बताया कि 3 या 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए उनको देखकर मैं कल ही इस पर, शिक्षा विभाग के जो भी मापदण्ड हैं, उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया? प्लीज सिट डाउन। उत्तर आ चुका है। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अचलाराम : मंत्री महोदय, सामाजिक ज्ञान और सामान्य विज्ञान शब्द के बीच में अथवा लगा दिया तो लाभ होगा अन्यथा लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आ गई यह बात श्री सुरेन्द्र जी बैठिए। कोई नई बात नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि शिक्षा विभाग के मापदण्ड के अनुसार मैं कल ही डाइरेक्टर साहब के साथ बैठकर हम कन्फर्म करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब जब इतना आश्वासन मिल गया कि कल ही मैं इस विषय पर बात-चीत करूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया। आर्डर प्लीज। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती विद्या पाठक। (व्यवधान)...एक मिनट थोड़ा साहब। आप बोल रहे हैं। श्री पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान जरिए स्थगन जो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : दो बार अनुपस्थित रहने के बाद?

श्री उपाध्यक्ष : अनुपस्थित नहीं, अध्यक्ष साहब की व्यवस्था के अनुसार है, जिसमें लिखित नहीं था।

कल्याण हास्पिटल सीकर में अनियमिततायें

श्री राजेन्द्र पारीक : विनम्र निवेदन है, क्योंकि माननीय समस्या है इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं कोई मंच पर भाषण देने में नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरिए स्थगन सीकर कल्याण हास्पिटल में की जा रही घोर अनियमितताओं की बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : विनम्र निवेदन और पारीक साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : कभी वातावरण अपने आप बना देते है श्री माहिर साहब और सब को बनना भी चाहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मानीनय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता और अग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। यह सरकार का तरीका बना हुआ है कि साहब जो स्थगन प्रस्ताव आयेगा उसको ग्राह्य नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जो समस्याएं यहां पर रखते हैं और उनका जवाब सम्बन्धित अधिकारी देते हैं वह पूर्ण रूप से असत्य होता है। या तो जो माननीय सदस्य सदन में जो कुछ भी अपने पत्र रख रहे हैं अपनी जानकारी के मुताबिक या तो वह असत्य भाषण कर रहे हैं या जो उनकी रिप्लाई आई है वह असत्य है। मान्यवर, मैंने जो कुछ भी कल्याण अस्पताल, सीकर के सम्बन्ध में आपको जानकारी दी उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने दी है, क्योंकि मैं स्वयं वहां पर मौजूद रहता हूं, स्वयं मैंने उसकी जानकारी ली है और उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। उन्होंने यह कह दिया कि वहां जो आउट क्ले मशीन खराब तो है लेकिन हमारे पास दूसरी मशीन है उससे काम निकाल रहे हैं और वहां पर आपरेशन कभी भी स्थगित नहीं किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां पर जाता रहता हूं और आउट क्ले मशीन की बात वह कह रहे हैं वह छः माह से खराब पड़ी हुई है। छः माह से अस्पताल के अधिकारियों को यह होश नहीं आया कि उस मशीन को ठीक करवाया जाय। जिस मशीन की इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि यदि उसमें वाष्प का प्रेशर बन जाय और किसी दिन वह ब्लास्ट हो जाय तो पूरा हास्पिटल क्षतिग्रस्त हो सकने की सम्भावना है। जिसके लिए उन्होंने इतने साधारण रूप में कह दिया कि इससे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीन वहां पर खराब पड़ी हुई है जो उच्च क्षमता की मशीन है वह वहां पर खराब पड़ी हुई है और स्क्रीनिंग मशीन एक है वह ठीक है। सीकर का कल्याण अस्पताल, जिसमें चूरु, नागौर, झुन्झुनूं और प्रोपर सीकर के चारों ओर के लोग आते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसके लिए उन्होंने कह दिया कि साहब मशीन खराब पड़ी हुई है लेकिन हमारे पास दो मशीनें और हैं वह ठीक हैं। उनके पास स्क्रीनिंग मशीन है वह ठीक है। स्क्रीनिंग मशीन और एक्स-रे मशीन में बड़ा अन्तर है। इस तरह से मिस गाइड करना कि हमारे पास एक्स-रे मशीन खराब है, और दो एक्स-रे मशीन हमारे पास है वह ठीक है। 9.66 लाख का उनका

(श्री राजेन्द्र पारीक)

औषधि का बजट था। मैंने अभी स्वयं वहां पर उपस्थित होकर पी. एम. ओ. से जानकारी ली। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि 5 पाइण्ट समथिंग लाख फरवरी के लास्ट तक यूटिलाइज किया है और अब इस 1 माह में क्या वह यूटिलाइज कर लेंगे, अन्य औषधियां खरीद लेंगे ? उसके पीछे माननीय मंत्री महोदय, एक कारण है और कारण स्पष्ट है कि जिस पी. एम. ओ. को वहां पर डेपुट किया मि. खण्डेलवाल साहब उन्होंने वालण्ट्री रिटायरमेंट 29–1 को ले लिया, उसके बाद मि. जे. पी. टाक को उनकी जगह पर लाया गया। उन्होंने छुट्टी ले ली। उसके बाद आपने किसी मि. सक्सेना को लगाया। उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। आखिर यह प्रकिया कब रुकेगी ? सीकर के हॉस्पिटल में, जहां आपने कोई पी. एम. ओ. का पद सृजित नहीं कर रखा है केवल वरिष्ठता के आधार पर पी. एम. ओ. की पोस्ट होती है तो एक को आपने लगाया, उन्होंने छुट्टी ले ली। फिर दूसरों को लगाया, उन्होंने छुट्टी ले ली। फिर तीसरे को लगाया, उन्होंने छुट्टी ले ली। इस तरह से करते-करते वरिष्ठ पद की जो उपयोगिता दिखती है उसकी जगह जूनियर स्पेशलिस्ट का पद वाले लोग पी. एम. ओ. का चार्ज संभालने लग जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान मानवीय विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अस्पताल का मामला है जहां पर एक सर्जन, किसी विशिष्ट विशेषज्ञ का, भले ही पैड्रयाट्रिक्स का हो, चाहे वह गाइनिक का हो, गाइनिक का आप ले लीजिए। गाइनिक का जो पद है उस पर मिसेज राजकुमारी भार्गव थी, उन्होंने वालण्ट्री रिटायरमेंट ले लिया। वह पद रिक्त पड़ा हुआ है। कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद, जो मेडिसिन का है वह 1991 से रिक्त पड़ा हुआ है। आखिर इतने सारे पद रिक्त पड़े हैं। अगर उन पदों की कोई उपयोगिता नहीं है तब तो उन पदों को समाप्त कर दिया जाय और यदि उपयोगिता है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आदेश फरमायें कि वहां पर जो अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करें।

हॉस्पिटल की एक्स रे मशीन खराब है। वह खराब क्यों की जा रही है उसके पीछे उनका निश्चित ध्येय है। अस्पताल में जो एक्स-रे होता है आउटर पेशेंट्स या इनडोर पेशेंटस का, उनका पैसा कम लगता है लेकिन मशीन खराब होने की वजह से बाहर से लोगों के एक्स रे करवाये जाते हैं जिससे उनको आर्थिक लाभ होता है। इसलिये एक्स-रे मशीन ठीक करवाने की उनकी मंशा नहीं है। वरना पिछले 2 सालों से एक्स-रे की मशीन खराब पड़ी हुई है। उसको ठीक करने के लिये राजस्थान में विशेषज्ञ हैं लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। न वहां पर बैंडेज है न वहां पर बैंडस हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कितनी सीरियस बात है कि जो सिरिंज होती है, जिसकी कीमत मुश्किल से 2 या 3 रुपये होती है और जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, अस्पताल में, पैड्रयाट्रिक्स डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट में उनको स्ट्रेलाइजर में बायल करने के लिये रखा जाता है और वह सिरिंज 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक बराबर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बायल होती रहती है और काम में आती रहती है जिस सिरिंज को एक बार काम में लेने के बाद में उसका डिस्पोज आफ कर दिया जाता है, उस सिरिंज को बराबर स्ट्रेलाइजर में डाल कर, बायल कर काम में लिया जाता है।

उन्होंने कह दिया कि हमारे यहां पर मशीन तो खराब है लेकिन हमारे पास दूसरी मशीन है लेकिन मैं आपको चिद चैलेंज यह कहता हूं कि वहां कोई मशीन नहीं है जिसके कारण से अस्पताल में जो अपरेशंस होने होते हैं वह स्थगित कर दिए जाते हैं और इमरजेंसी आपरेशंस वहां पर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। बहुत बोल लिए। जो कहना था अस्पताल के बारे में, दो मिनट का समय था...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं विराजमान हैं, कुछ उन्हें भी कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सारा कह तो दिया। फिर रिपीटिशन होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं रिपीटेडली नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने जो अस्पताल के सम्बन्ध में सूचना दी है और जिस तरह से वहां के अधिकारियों ने आपको रिप्लाई दी है, कृपया थोड़ा सा आदेश फरमायें कि यह असत्य सूचना जो उन्होंने आपको दी है उन्हें दंडित करें ताकि भविष्य में यह प्रक्रिया रुके। अन्यथा आपको यहां पर स्थगन प्रस्ताव देने की माननीय सदस्यों द्वारा सूचना देने की कार्यवाही की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कहना चाहेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में सारी चर्चा माननीय सदस्य ने मुझ से की थी। मैंने रेमेडियल स्टेप्स के नाते कहा कि वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर कई कलेक्टर रहे हैं और जो हमारे डिप्टी सैक्रेटरी हैं उनको एक-दो दिन में सारी व्यवस्था की जानकारी के लिए भेजने वाला हूं। जहां तक आपने समाचार देने की बात कही है, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने समाचार गलत नहीं दिए हैं। अल्टरनेटली यह नहीं है तो दूसरी यह बताई है और अगर उसमें भी कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से गलत सूचना देने वालों को दंडित किया जायेगा जो अव्यवस्था है निश्चित रूप से हम दूर करेंगे ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय श्रीमती विद्या पाठक।.... (व्यवधान)....

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है परन्तु आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि बारानी जमीन का लगान राज्य

(श्री रामकिशन)

सरकार ने माफ करने की घोषणा कर दी थी लेकिन राजस्थान के बहुत से जिलों में और खास तौर से भरतपुर के सम्बन्ध में वह लगान लगातार वसूल किया जा रहा है। सारी जगहों पर किया जा रहा है. कई जगहों पर तो मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा जब मैं उदयपुर में था....

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आ रहा है।

श्री रामकिशन : मैं जनरली बोलता नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जवाब इसका सरकार को.... (व्यवधान) वैसे मैं बोलता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दी जवाब दे और जवाब ही नहीं दे बल्कि सरकार को पोजिटिव जवाब देना चाहिये लगान माफी के नाम पर ..

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। श्रीमती विद्या पाठक।.... (व्यवधान).... प्लीज सिट डाउन। आई विल नाट अलाउ। यह जनरल नहीं है। आप बैठ जायं। कोई प्रोसीजर नहीं है। ... प्लीज सिट डाउन। श्री मीणा साहब बैठ जायं। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज़ सिट डाउन।... श्रीमती विद्या पाठक।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी क्या नाराजगी है साहब। एक मिनट का टाइम नहीं दे तो आधा मिनट ही दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन से प्रोसीजर के तहत दी जायेगी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आधा मिनट दे दें साहब। इतनी देरी तो वैसे ही लग गई। आधा मिनट दे दें साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मीणा साहब।.... आई विल नाट अलाऊ यू प्लीज सिट डाउन।.. (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : स्कूल खोलने की बात कही थी उसकी पालना नहीं हुई साहब आज तक। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मीणा साहब। नियमों के अनुसार ही माननीय सदस्यों को बोलने के लिये अलाऊ किया जाता है और 2 साल हो गए हैं आप को भी बहुत सारी चीजों से, सदन की परम्पराओं और नियमों से अवगत होना चाहिए। जब आसन की तरफ से आपको व्यवस्था दे दी जाती है उसके बावजूद भी लगातार आप अपनी बात को ही कहते रहते हैं। अभी बहुत से दूसरे अवसर आयेंगे उस समय आप अपनी बात उठा दीजिए। यह टाइम नहीं है। बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी जवाब दे दें। सबको टाइम देते हो, मेरे लिये टाइम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है....

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये आप।

श्री रामस्वरुप मीणा : आधा मिनट के लिये आप अवसर नहीं देते साहब। मंत्रीजी तैयार है। इसके लिए मैं केवल आधा मिनट चाहता हूं। आप हमेशा मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हैं। मेरा निवेदन है साहब।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

एक स्कूल का मामला है । माननीय मंत्रीजी यहां बिराजमान है । मेरा आज आपने लिया नहीं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ । अखबार में नाम छपवाने के लिये करते हो क्या ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इतना टाइम खराब कर दिया सदन में । हाउस की भी कोई सीमा होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्षजी, यह मीणे होकर पण्डितों और जैनियों की बराबरी करेंगे । आप तो उन्हीं को टाइम दिया करो मीणों को मत दिया करो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये । श्रीमती विद्या पाठक ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4(25) वित्त/आब./90 दिनांक 27 नवम्बर, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 27 ए के अन्तर्गत देय लाइसेन्स फीस के 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क से उन अनुज्ञाधारियों को मुक्त किया गया है, जिन्होंने दिनांक 28 फरवरी, 1991 तक पूर्व की दरों पर अनुज्ञा शुल्क जमा करा दिया था, सदन की मेज पर रखती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री, उपनिवेशन विभाग की दो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(7) उप./91 दिनांक 22 जनवरी, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा और इन्दिरा गांधी उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में सरकारी भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें, 1973 की शर्त 2 (9) के द्वारा मोहनगढ़ मंडी के क्षेत्रों को अधिकारिता में सम्मिलित किया गया है ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) कोलो/91 दिनांक 22 जनवरी, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा और इन्दिरा गांधी उप निवेशन क्षेत्र की मंडियों में सरकारी भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें, 1973 की शर्त 2 (9) के द्वारा रामगढ़ मंडी के क्षेत्रों को अधिकारिता में सम्मिलित किया गया है ।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 के प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 समिति के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रघुवीरसिंह कौशल, सभापति,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

राजकीय उपक्रम समिति 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं —

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (राजकीय उपक्रम समिति, 1968-69 के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक्) समिति का 24 वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान वरस्टैड स्पिनिंग मिल्स चूरू एवं लाडनूं तथा स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1973-74 (पंचम विधान सभा) के 20 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 25 वां प्रतिवेदन,

(3) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 व कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1968 में उल्लेखित विषयक्) राजकीय उपक्रम समिति. 1973-74 के सत्रहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 26 वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम (स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति. 1975-76 के 34 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 27 वां प्रतिवेदन ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती तारा भंडारी/श्रीमती सुमित्रा सिंह/श्री मोहम्मद माहिर आजाद/श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास/डा. चन्द्रभान/श्रीमती मदन कौर/श्रीमती सुचित्रा आर्य/श्री लक्ष्मीनारायण दवे/श्री गुलाबसिंह/श्री लक्ष्मीचन्द मेहता/श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान राज्य में निरन्तर बढ़ती हुई जनसख्या से विकास दर में हो रही कमी की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे । श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धि दर में बढ़ोतरी....

श्री रामकिशन : विकास कम हो रहा है, आबादी कम बढ़ रही है । यह विकास दर में कमी का मतलब कि आबादी कम बढ़ रही है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : हिस्से में कम आ रही है । जो विकास बढ़ रहा है ना जनसंख्या वृद्धि के कारण हिस्से में कम आ रही है ।

श्री रामकिशन : मैं तो उसका कंटेंशन पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपको सुनाई दे रही है वही है इसका कंटेंशन ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कुछ भी हो आसन को तो बोलते समय इस बात की एहतियात बरतनी चाहिए कि वह क्या बोल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : सुमित्रासिंहजी, आसन ने पूर्ण ध्यान रखते हुये उसी भाषा को बोला है जो बोलनी चाहिए ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई जनसंख्या आज एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है ।... (व्यवधान)... इसके सम्बन्ध में, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ललित किशोरजी चतुर्वेदी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य प्रारम्भ करूं उससे पहले राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को मैं इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं । अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक तत्वेषक गोष्ठी का आयोजन इसी विषय पर राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए किया था । उसके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बड़ी पूअर प्रजेन्स थी विधायकों की, इसीलिए तो इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय. 1991 की जनसख्या के अनुसार राजस्थान की आबादी 438 लाख है । केवल पिछले दशक में.... (व्यवधान) प्रदेश की आबादी 96 लाख बढ़ी । राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर पिछले 40 सालों में ही अधिक रही है और राजस्थान प्रदेश के बनने से लेकर अब तक आबादी लगभग तीन गुना हो चुकी है । गत वर्षों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ने का प्रमुख कारण यह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान के प्रसार से जिस गति से मृत्यु दर घटी है उस गति से जन्म दर नहीं घटी । अतः जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अन्तर बढ़ता गया है जिससे जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, अपार रूप से बढ़ रही जनसंख्या राज्य के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है । राज्य में प्राकृतिक संसाधन वैसे ही सीमित है तथा तेज गति से जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा । इसके कारण बढ़िया पेयजल, खाद्यान्नों की उपलब्धि, आवास, परिवहन, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अभाव में साथ-साथ बेरोजगारी एवं तज्जनित अराजकता की समस्या उत्पन्न होगी । जनसंख्या वृद्धि का एक यह भी है कि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है । एक अनुमान के अनुसार 2001 में राज्य के शहरों में उतनी ही आबादी होगी जितनी सारे राजस्थान में 1951 में थी । इससे शहरों में सफाई, यातायात आवास, पेयजल, आदि सुविधाओं में गिरावट आयेगी इसलिए जनसंख्या की समस्या के निराकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें पिछले चार दशक से निरन्तर प्रयासरत हैं । मैं अवगत कराना चाहूंगा भारत पहला देश है जिसमें परिवार नियोजन राष्ट्रीय आयोजना के रूप में स्वीकार किया था किन्तु उसके बाद भी मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के आशातीत परिणाम नहीं मिले फिर भी इसके क्रियान्वयन में कई सफलतायें मिली है । पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 28.07 प्रतिशत रही जबकि उससे पिछले दशक में 32.97 प्रतिशत थी । इस प्रकार 1951 के बाद पहली बार इस वृद्धि दर में कमी आई है । वर्ष 1951 में जहां सिर्फ 13.05

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रतिशत सन्तान उत्पत्ति योग्य जोड़े लक्षित थे। वह 1991 में 29.05 प्रतिशत जोड़े लक्षित हो गये।

नसबन्दी में दिये जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जहां 1981 में दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने वालों का प्रतिशत 8, 6 था वहीं 1990 में यह प्रतिशत बढ़कर 16 05 हो गया। इस प्रकार अन्य सभी साधनों की गुणवता में सुधार आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले दशक में परिवार कल्याण कार्यक्रम सेवाओं में काफी कार्य किया है। 1981 में जहां प्रदेश में 2240 सब सेन्टर थे वहीं आज 8000 सब सेन्टर हैं। इसी प्रकार 1981 में 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, उनकी संख्या बढ़कर आज 1373 हो गई हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का बजट भी पिछले 10 वर्षों में लगभग 9 गुना बढ़ा है। जहां वर्ष 80-81 में 589.45 लाख रुपये का प्रावधान था, वही इस वर्ष 91-92 में यह 4988.89 लाख रुपये हो गया है। इन सब प्रयासों से आज भी जनसंख्या में वृद्धि निरन्तर हो रही है जिसके लिए आत्म मथन की आवश्यकता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की क्रियान्विति गगानगर, झुंझनू आदि जिलों में अच्छी रही है। वहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.89 प्रतिशत है। इस सन्दर्भ में कुछ अवरोधों की ओर मैं सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूगा। दुर्भाग्य से जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण हेतु पिछले चार दशकों में जो कदम उठाये गये थे, वे चिकित्सा विभाग को केन्द्र बिन्दु मानकर थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, समस्त समाज और राज्य के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों को समेकित रूप से काम करना होगा। चिकित्सा विभाग केवल प्रतिरोधात्मक व्यवस्था में सहयोगी हो सकता है लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जो मानसिकता तैयार करनी होगी उसमें सभी को मनोयोग के साथ सहयोग करना आवश्यक है।

एक अवरोध जिसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विवाह। राज्य में विवाह की औसत उम्र सिर्फ 16 साल है, यह पूरे देश में सबसे कम है। विवाह कम उम्र में होना प्रदेश में अधिक जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसकी वजह से जहां प्रजनन की अवधि बढ़ती है वहीं लड़कियां कम उम्र में माताएं बनती है। जिससे उनका तथा नवजात शिशु के मृत्यु का खतरा बना रहता है। विवाह की उम्र के सम्बन्ध में कानून अवश्य है लेकिन उसका जिस प्रकार से मखौल उड़ाया जाता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यदि बाल विवाह अवरोधक अधिनियम का पालन ठीक प्रकार से हो जाय तो प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर काफी अंकुश लग सकता है। इस प्रथा को रोकने के लिए माननीय सदस्य भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि इसे पब्लिक डिबेट का इश्यु बना करके लोगों में इसके प्रति चेतना जागृत करनी होगी।

हमारे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर काफी है। यह मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जब मां-बाप के प्रति आश्वस्त नहीं हो पायेंगे, वे परिवार कल्याण कार्य-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

क्रम को पूर्णतः नहीं अपना पायेंगे इसलिए पिछले दो वर्षों में बाल मृत्यु दर को कम करने में काफी जोर दिया गया है तथा टीकाकरण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से विस्तार किया गया है। मुझे सदन में यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रयासों से पिछले एक साल में शिशु मृत्यु दर जो पहले 96 प्रति हजार जीवित जन्म थी वहीं घटकर 83 प्रति हजार जीवित जन्म रह सकी है। माता व शिशु के स्वास्थ्य के बारे में और अधिक कारगर रूप से कार्यवाही करने के लिए अप्रेल माह में विश्व बैंक के सहयोग से एक व्यापक योजना "सुरक्षित बाल्य जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व" चलाई जा रही है जिससे निश्चित तौर से परिवार कल्याण कार्यक्रम को द्रुत गति प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

महिलाओं का निम्न जीवन स्तर भी परिवार कल्याण क्षेत्र में बाधक बनता है। इस निम्न स्तर के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम में कई विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। महिलाओं को अपने परिवार के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा दूसरी ओर पुत्रियों को पूरे अधिकार नहीं दिये जाते हैं लेकिन पुत्रों की लालसा में अधिकाधिक बच्चे पैदा करते थे। इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में घोषित "परिवार कल्याण बांड" की योजना राज्य द्वारा उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है। इस कदम से जहां एक ओर पुत्री जन्म से वर्तमान में होने वाले अवसाद में कमी लाई जा सकेगी, वहीं स्त्री को पारिवारिक कार्यों में निर्णय लेने के निर्णय में परिवर्तन किया है। यह अभिनव योजना परिवार कल्याण में पूर्ण रूप से सहायक होगी। महिला शिक्षा का अभाव भी इस दिशा में महत्वपूर्ण अवरोधक बन रहा है। राज्य में जो मानसिकता इस समय है, उसमें महिलाओं को लगभग दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। महिला शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार इस देश में सबसे नीचे स्थान पर है और इसमें भी वनवासियों और मरु क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में महिला शिक्षा का प्रतिशत अत्यन्त अल्प और कहीं-कहीं तो 3 प्रतिशत है। केरल का उदाहरण इस विषय में अनुकरणीय है। साक्षर, महिला शिक्षा के साथ-साथ नारी स्वावलम्बन के कारण जहां जनसंख्या वृद्धि की दर में अनुकरणीय गिरावट आई है, इसलिए इस दिशा में राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु कदम उठाने शुरू किये हैं और 4 जिलों को पूर्ण साक्षरता का कदम उठाकर इस ओर अच्छी शुरूआत की की गई है। माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः परिचित है कि भूतकाल का सम्पन्न राजस्थान वर्तमान में अभावों की विभीषिका से जूझता रहा है। विकास के आधारभूत ढांचे को खड़ा करने में सारे प्रयास विगत में अभावों को दूर करने में लगे हुए हैं। परिणामस्वरूप आम आदमी का जीवन स्तर देश के मुकाबले काफी नीचा है। कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थ व्यवस्था में यह गलतफहमी कि परिवार में जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्रम में हाथ बंटायेगा, जनसंख्या वृद्धि में योगदान करता है। वस्तुतः इससे जीवन स्तर और नीचे होता चला जा रहा है। डाक्टर करनसिंह ने कहा था कि development is the best contraceptive.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तो राज्य में, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस भ्रांत धारणा का उन्मूलन करना होगा और हर आने वाला व्यक्ति दो हाथ लेकर आता है। सच तो यह है कि आने वाला व्यक्ति उन दो हाथों से स्वयं के उदर की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाता। जनसंख्या वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि हर आम जनता में जनसंख्या सम्बन्धी संदेश में पहुंचाने में सफल नहीं हुए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने लगभग दो वर्ष पूर्व सूचना, सम्प्रेषण और शिक्षण हेतु एक ब्यूरो का गठन. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के तहत किया गया है। इसका नेतृत्व करने के लिए निदेशक स्तर पर आई. ए. एस. सेवा के अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इस ब्यूरो के कार्य की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। इसके माध्यम से गत समय में अनेकानेक प्रकाशन किये गये हैं। हर माह कार्यकर्त्ताओं की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय के प्रकाशन दिये जाते हैं।

गत वर्ष मुझे इण्डोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर प्रवास का अवसर मिला था। मैंने वहां की परिवार नियोजन व्यवस्था का अध्ययन किया। इण्डोनेशिया में, जो मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, जबकि इण्डोनेशिया में नसबन्दी केवल 3 प्रतिशत हुई है। शेष कार्यक्रम स्पेसिंग मेथड, इंजेक्शन, पिल्स आदि के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इण्डोनेशिया में कार्य का केन्द्र बिन्दु है और पूर्णतः यह जन-जन का कार्यक्रम है।

अभी पिछले जनवरी माह में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में मैंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस बार आकर्षित किया था और वर्तमान नसबन्दी की लीक से हटकर स्पेसिंग मेथड पर अधिक जोर दिया जाय, ऐसा निवेदन भी किया था।

नव दम्पतियों को परिवार नियोजन का पहला पाठ सिखाने के लिए इण्डोनेशिया, मलेशिया की यात्रा के पश्चात हर नव दम्पति को पहली सौगात के रूप में "पहला कदम" देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। शादी के साथ ही नव दम्पत्ति को उसके कर्त्तव्य का बोध करवाकर संसार की समस्त रूकावट को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास इस ब्यूरो के माध्यम से सरकार कर रही है। जहां राष्ट्र में पहली बार किसी प्रान्त में दृश्य एवं श्रव्य स्टूडियों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया है. सौभाग्य से वह राजस्थान है। कहीं व्यक्तिगत सम्पर्क के लिए, पदयात्राओं से, पहले 15 जिलों में और बाद में 7 जिलों में ग्राम स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

अभी तक जनसंख्या नियन्त्रण के लिए हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम रहा है नसबन्दी का कार्यक्रम। सन् 1952 से 65 तक पुरुष नसबन्दी पर जोर दिया जाता था, इसके बाद महिला नसबन्दी की बात आई थी। आपातकाल के दौरान इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जिस भोंडेपन से

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

क्रियान्वित किया गया, इससे कार्यक्रम को धक्का पहुंचा, वहीं लक्ष्यों में बाधा आई। अन्य प्रलोभन द्वारा ध्यान वंचित कर देना, यह दहशत आज भी विद्यमान है। इसलिए हमने इसमें परिवर्तन करने का निर्णय किया है। अगले वित्तीय वर्ष में जन कल्याण की पहली महती योजना जन मंगल का क्रियान्वयन प्रदेश के दो जिलों, अलवर और उदयपुर में प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्राम स्तर पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि अपने ग्रामवासियों को आवश्यक गर्भ निरोधक, जैसे निरोध, खाने वाली गोलियां आदि उपलब्ध करा सके। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में आटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिये निरोध के वितरण की योजना आगामी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित की जायेगी। सरकार की नई नीति के अनुसार आदमी को उसकी चाहत के अनुसार गर्भ निरोध उपलब्ध करवाये जा सकें, इसका प्रावधान भी करने का विचार है। परिवार कल्याण के लिए प्रलोभनों का सहारा समयावधि के लिए तो सन्तोष उत्पन्न कर सकता है परन्तु दीर्घकालीन आत्मघाती होने की सम्भावना है। भविष्य में प्रेरणा हेतु एक नई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें विशिष्ट मुद्दों पर भी छोटे परिवार वालों को लाभ प्रदान किया जाय, वहीं प्रोस्पेक्टिव बड़े परिवार वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। सरकार प्रेरकता के लिए उन्हीं दम्पत्तियों पर विचार करेगी जिनके दो बच्चे होंगे, केवल पुत्रियां होगी या जिन्होंने नसबन्दी को अपनाया होगा। सरकार की नीति दूरगामी होगी और इसके संरचनात्मक परिणाम होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्र कल्याण के इस यज्ञ में यह कठोर कदम अवश्य हो सकता है किन्तु इससे विकास के आन्दोलन को गति प्राप्त होगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बार की मीटिंग में केन्द्र में इस बात का स्पष्टतः जोर दिया था और अभी जो चिकित्सा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें मैंने इसी प्रकार का सुझाव दिया है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रेरकता और निष्प्रेकता, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव अपने सुझावों से मुझे अवगत करायें ताकि शीघ्र क्रियान्वित करने में उनका उपयोग किया जा सके।

जनसंख्या नियंत्रण हम सभी के लिए विचारणीय विषय है परन्तु यदि इस पर जीवन के प्रारम्भ से ही विचार प्रारम्भ कर दिया जावे तो भविष्य में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जनसंख्या से सम्बन्धित सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार है। सभी सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में सामग्री एवं पाठ्यक्रम के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझावों के विचारार्थ एक समिति निदेशक–आई. ई. सी. के संयोजन में गठित की जायेगी जो कि इसको क्रियान्वित की समग्र रणनीति को निर्धारित करेगी। जनसंख्या शिक्षा को पूर्णरूपेण पाठ्यक्रम का अंग बनाने की दृष्टि से यह समिति विचार करेगी ताकि प्रभावी रूप से जीवन के शुरुआत में ही शुरूआत हो सके। जनसंख्या पर नियंत्रण सरकारी कार्यक्रमों व क्रियान्वयन से ही सम्भव नहीं है। इसके लिए जन-आधारित स्वयंसेवी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

संस्थाओं को वृहद परियोजनाओं के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय हो और सरकारी प्रयासों को गति प्रदान करने में सहयोगी सिद्ध हों। समस्या अत्यन्त गम्भीर है साथ ही इसका हल भी अत्यन्त आसान नहीं है। यह किसी दल या व्यक्ति का विषय न होकर राष्ट्रीयता का विषय है। यह एक महान यज्ञ है जिसमें एक आहूति से सम्पन्नता नहीं होगी परन्तु हाथ से हाथ मिलाकर सभी को अपनी आहूति प्रदान करनी होगी। मैं समस्त माननीय सदस्यों से आह्वान करता हूं कि अपनी दलगत एवं जातिगत सीमाओं को तोड़ते हुए इस राष्ट्रीय प्रश्न पर अपनी साझीदारी प्रदान करें। हमें यह कार्य अपने कर्तव्य की पूर्ति करके ही तो करना है अन्यथा हमारे गौरवशाली प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। मैं इस राष्ट्रीय प्रश्न पर आम जनता से भी आह्वान करूंगा कि वह अपने धर्म, जाति, समुदाय आदि के बंधनों को तोड़ते हुए जनसंख्या नियंत्रण में सहभागी बने।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : इसमें जाति कहां से आ गई ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मेरा बहुत गम्भीर निवेदन है ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपका क्या ध्यानाकर्षण था ? मोशन तो हमने दिया था, यह क्या कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये दूसरी बात कह रहे हैं। इन्हें बोलने दें।

श्री सुमित्रासिंह : क्यों बोलने दें ? ध्यानाकर्षण हमने दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें एडिशन कर रहे हैं अदरवाइज कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या आवश्यकता है एडिशन की ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी परिवार नियोजन की पैरवी कर रहे हैं लेकिन यहां कई लोग गोल्ड मैडल पाने के पात्र हैं परिवार नियोजन में। उनको वे देंगे कि नहीं, यह मुझे कहना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : इन+ + +की वजह से क्लेश हो रहा है जो नथे हुए नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोल्ड मैडल लेने वाले पहले प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट लें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री ने भाषण इतना

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लम्बा-चौड़ा दे दिया कि जैसे ध्यानाकर्षण वो ही कर रहे हैं। हम तो कर ही नहीं रहे हैं और कोई समस्या बची ही नहीं इस प्रकार का इतना लम्बा-चौड़ा भाषण दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर सब बोलें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिनके 2 या 3 बच्चे हों उनसे ज्यादा हों वो बोलें। हमारी तरफ से शुरुआत ललित जी ने कर दी। इसी तरह से बाकी के लोग भी अगर बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि हम गम्भीर इश्यू को आप इसी तरीके से साइड ट्रेक करते हैं मजाक करके। यह बहुत गम्भीर इश्यू है और इस तरीके से ज्यादा वो बोलें, कम वो बोलें। यह क्या बात हुई ? आप हर गम्भीर इश्यू को हंसी में टाल देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नही है। इसमें गम्भीरता को बढ़ाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इसमें गम्भीरता नहीं आये तो मेरे पास कोई चारा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया तारा जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस गम्भीर इश्यू को वे बहुत गम्भीरता से लेते है। इतना गम्भीरता से लेते हैं कि जितने कुंवारे हैं सब मंत्री बन गए। यदि हम भी कुंवारे होते तो हमारा भी नम्बर आ जाता। (व्यवधान)।

श्री सम्पत राम : हम जितने ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं वे अपनी तकलीफों को जानते हैं। वे सदन के सामने रख सकते हैं लेकिन जो ऐसे बैठे हैं + + + उनकी नाप-तौल भी नहीं है इस सदन से।

डा. चन्द्रभान : देखिए उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा हैवी चार्ज है हम लोगों के ऊपर। इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बारी बाद में आयेगी पहले प्रोफेसर साहब को बोलने दें।

डा. चन्द्रभान : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनके कम बच्चे हों और जिनके ज्यादा बच्चे हों इनके बीच के बैठ जाय लेकिन जिनके बच्चे नहीं हों वे जरूर बोलेंगे इसके ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी तो पैरवी मेघवाल साहब ने कर दी। माननीय प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहेंगे ? शुरू कीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ज्वलंत समस्या को सदन ने हंसी का माहौल बना दिया है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या आज सभी लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। इस प्रकार विस्फोटक रूप से जो जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती जा रही है

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

इसके कारण विकास के लक्ष्य, विकास की बातें सभी कुछ बेइमानी होती चली आ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं वे वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तारा जी, प्रारम्भ कीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1901 से 1991 तक राजस्थान में प्रतिवर्ष एक लाख लोग मरते थे लेकिन 1951 से 1960 के दशक में प्रति वर्ष 4 लाख की आबादी। 1961 से 1980 तक करीब 5 लाख लोग बढ़े, 1980 से 1990 तक प्रतिवर्ष 10 लाख की बढ़ोतरी हुई और उपाध्यक्ष महोदय, इस बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो हम आने वाले दशक में प्रतिवर्ष करीब 14 लाख लोग बढ़ेंगे यानि हर वर्ष पक जोधपुर के बराबर नगर बसेगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राजस्थान विधान सभा में इस विषय से सम्बन्धित एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम तो आपका, अध्यक्ष महोदय का, विधान सभा सचिव महोदय का एवं सभी सहयोगियों का धन्यवाद करती हूं। आपने इस प्रकार की ज्वलंत समस्या के सम्बन्ध से गोष्ठी करके उनको उजागर करने का एवं हल निकालने का प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से, माननीय मंत्री महोदय के भाषण से, अध्ययन से जो तथ्य सामने आये हैं उससे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद जनसंख्या नियंत्रण में काफी प्रयत्न किए गए, अरबों रुपये भी व्यय किये गये परंतु जो नतीजे आये हैं वे भी हम सबके सामने हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि परिवार कल्याण सीमित एव सुखी परिवार तो सभी चाहते हैं। आज कोई भी, अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं चाहता कि उसका परिवार बड़ा हो, परन्तु परिवार नियोजन हेतु जो योजनायें, जो कार्यक्रम बनते हैं वे केन्द्र से बनकर आते हैं तो राज्यों में इसके लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और इन लक्ष्यों को जिलों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को, ऊपर से आया हुआ मानकर अथवा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। इसे ठीक तरह से आम जनता द्वारा अपनाया नहीं जा रहा है यानि की इस कार्यक्रम को जन-जन का कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका। अतः यह कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को जनता ने अपनी भलाई का, अपने सुखद भविष्य का कार्यक्रम अभी तक नहीं माना है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को आम जनता का कार्यक्रम कैसे बनाया जाय, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है उसे स्पष्ट किया जाय। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मृत्यु-दर बढ़ी है इसलिए जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है....

एक माननीय सदस्य : मृत्यु दर घटी है।

(2.00 म. प.)

श्रीमती तारा भण्डारी : मृत्यु दर घटी है, ठीक बात है। यह तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारी चिकित्सा प्रणाली, चिकित्सा मंत्री और सभी लोग कि मृत्यु दर घटी है,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

वह अच्छी बात है परन्तु जन्म दर बढ़ना और भी बुरी बात है। मेरा तो यह मानना है कि जितनी मृत्यु दर है उतनी ही जन्म दर होगी, तब यह देश और राजस्थान खुशहाल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे यही निवेदन करना है कि उसी आदमी के कहने का कुछ असर होता है जिसकी कथनी और करनी एक होती है। जो कहे वह करे भी। गांधीजी की बात का असर इसीलिए होता था कि जो कहते थे वह किया भी करते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह विभाग तो एक ऐसे आदमी को दे रखा है जिसके लिए लोग यह कहेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, फिर कहेंगे "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। दूसरों को उपदेश देना तो बड़ी आसान बात है, तो मुख्य मंत्रीजी, या तो यह विभाग आप दे दो हरिकुमारजी औदिच्य को, कैलाशजी को या स्वयं ले लो आप। पहला तो निवेदन मुझे आप से यह करना है।

श्री नत्थीसिंह : यह बिल्कुल गलत बात है। जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे यह।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तो आप ले लो स्वयं, आप स्वयं ले लो या ऐसे व्यक्ति को दे दो....

श्री सम्पतराम : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप एक ही शर्त पर यह महकमा इनको दीजिए कि इनका स्ट्रलाइलेशन हो जाना चाहिए पहले। उसके बाद यह महकमा इनको दे दीजिए, बहुत खुशी होगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जिनके दो बच्चे हैं, या आप ले लें। देखिए, मैं अपनी बात कह रही हूं, आप लोग खामखा के अन्दर बीच में डिस्टर्ब करके इस बात को गम्भीरता से हंसी में परिवर्तित कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रही थी कि यह बात बहुत आवश्यक है क्योंकि दूसरों के दिमाग में बात तभी जचती है कि जब कहने वाला यह कहे कि परिवार नियोजन करो, इसलिए करो परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के अन्दर केवल बच्चों की संख्या को कम करना ही नहीं है इसे इसलिए परिवार नियोजन की बजाय जो नाम दिया गया परिवार कल्याण, इसीलिए दिया गया कि यदि किसी दम्पत्ति के बच्चे न हों या होकर मर जाते हों तो उनके भी कल्याण के लिए वैसी ही व्यवस्था हो कि वह बच्चे जियें, उनका इलाज हो इसीलिए हमने इस जनसंख्या नियंत्रण का नाम परिवार कल्याण करके इसे सम्बोधित किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन वर्षों में जो कुछ किया जा रहा है परिवार कल्याण के कार्यक्रम के लिए, वह सब कुछ मंत्रीजी ने बता दिया लेकिन मंत्रीजी का ध्यान मैं इस तरफ जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि 1901 से लेकर 1961 तक हमारी आबादी हुई दुगनी साठ वर्ष में, साठ वर्ष में दुगनी हुई। दस मिलियन से अब 44 मिलियन है, उस समय करीब 20-22 मिलियन के आस-पास हुई, साठ तक। और साठ के बाद फिर दुगनी रफ्तार से फिर दुगनी हो गई। तीस वर्ष में दुगनी हुई। जो आबादी की बढ़ोतरी हमारी साठ वर्षों में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हुई थी वह इन तीस वर्षों में हो गई। आप यह कहेंगे, मृत्यु दर में कमी। मैं यह तो मानती हूं कि इन्सेन्टाईल मृत्यु दर में तो कमी आई बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने से, लेकिन एपेडेमिक तो साठ से पहले हमने कन्ट्रोल कर लिये थे, साठ के बाद कोई एपेडेमिक चाहे मलेरिया हो, चाहे स्मॉल-पोक्स हो, चाहे प्लेग हो, चाहे और कोई एपेडेमिक हो, उसको तो कन्ट्रोल हम पहले. ही कर चुके थे। इसलिए आपका जो यह कथन है कि हमने इस अरसे के अन्दर जो कुछ काम किया है, साठ के बाद में जिस तेजी के साथ जनसंख्या की वृद्धि हुई है, यह बात सही है कि चाहे कांग्रेस हुकुमत हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यह बात नहीं है कि इस प्रदेश में विकास नहीं किया गया, प्रदेश में विकास तो हुआ है, सारे ही क्षेत्रों में हुआ है लेकिन यह बढ़ती आबादी लील गई, सारे विकास के, सारे लक्ष्यों को लील गई, सब को लील गई और इसीलिए जनसंख्या के अन्दर पिछले दशक में, बल्कि एक ही साल में जहां हम दसवें नम्बर पर थे वहां हम नवें नम्बर पर आ गये अब। और किसी क्षेत्र में तो हम बढ़ोतरी, अपनी प्रगति नहीं कर पाये, चाहे शिक्षा में, आज सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि महिलाओं की शिक्षा राजस्थान में सबसे कम है। सारे क्षेत्रों में सबसे कम है। और आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी कम है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, परिवार कल्याण करना है तो आप महिला शिक्षा का प्रसार कर दीजिए, अपने आप परिवार कल्याण हो जायेगा, कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात के लिए तो मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने परिवार कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए, आबादी पर नियंत्रण करने के लिए हर पैदा होने वाली बच्ची के लिए एक हजार रुपये का परिवार नियोजन बाण्ड, इसे परिवार कल्याण बॉण्ड का नाम दीजिए, नियोजन का नाम मत दीजिए, परिवार कल्याण बॉण्ड का जो उन्होंने किया, इसके लिए तो मैं उन्हें बधाई दूंगी लेकिन केवल इन्सेन्टिव देने से काम नहीं चलेगा। डि-इन्सेटिव भी हमें कुछ करने होंगे। जिनके दो बच्चों के में बच्चे हैं उनकी फीस हाई होनी चाहिए, उनके लिए और चीजों के अन्दर एवं चुनावों में भी क्यों नहीं कर देते आप, आप एम. एल. ए. के चुनाव में नहीं कर सकते तो कम कम आपके जो होने वाले....(व्यवधान) यह नहीं कर सकते ना भारत सरकार करेगी वह, मेरा मतलब है कि वह तो भारत सरकार की चीज है, इनके करने की बात बताती हूं जो और आपके चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव, नगरपालिका के चुनाव या अन्य चुनाव जो भी सारे होते हैं उनमें क्या आप नहीं रख सकते हैं, फिलहाल चार बच्चों का रखिये, उसके बाद फिर दो का कर दीजिए, फिर एक ही का कर दीजिए। कुछ डि-इन्सेन्टिव तो आपको करने पड़ेंगे कि जिनकी वजह से...(व्यवधान) आप अपनी दे दें। मेरे को अपनी बात करने दो। कुछ इन्सेन्टिव आपको करने पड़ेंगे कि जिनकी वजह से आप लोगों को हतोत्साहित कर सको और जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है उपाध्यक्ष महोदय, यह जो असमानता आज के दिन राजस्थान में पुरुष और महिलाओं में, नारी और नर की जो समानता नहीं है, लड़की और लड़के में जो समानता नहीं है,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

यह सबसे बड़ी बाधा है और बुढ़ापे की सुरक्षा, यह दो बाधाएं हैं जिनकी वजह से लोग पुत्र प्राप्ति के लिए संतान पैदा करते चले जाते हैं....

(2.05 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

इसलिए इन दोनों बातों को यदि आप कर दें, लड़की और लड़के को एक समान कर दें, उसके लिए कोई फर्क न करें, न पढ़ाई में, न खाने-पीने में, न उनकी किसी और चीज में, पहला काम तो आप यह करें और दूसरा, लोग इसीलिए तो करते हैं न कि बुढ़ापे में लड़की तो शादी होकर चली जायेगी और लड़का पास रहेगा, कोई हमारे दक्षिण केरला की तरह से, दक्षिण भारत की तरह से नायर प्रथा तो है नहीं कि जहां पर शादी करके, मुख्य मंत्रीजी के तो हो गई, लड़की एक ही थी, जवांई साहब आ गये घर के अन्दर, लेकिन जिनके लड़की नहीं है, मेरे जैसी के लड़की नहीं है, वह बड़े परेशान है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि यह व्यवस्था तो अभी है नहीं राजस्थान में, तो ओल्ड एज में अपनी सुरक्षा के लिए लोग लड़कियों की संख्या जब करते चले जाते हैं लड़के के अभाव में, यदि हम ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ सुरक्षा की बात करेंगे, ओल्ड एज होम्स बना दें या उनके लिए कुछ और इस तरह की बातें कर दें जो कि हमने मुख्य मंत्रीजी को, जब हम उनकी सरकार में थे, तब कही थी कि 65 साल से बड़े आदमी की, सब की बुढ़ापे की पेंशन कर दीजिए जिनको कहीं और से पेंशन नहीं मिलती हो। ताकि आदमी सिक्योर महसूस करे और इसलिए या तो ओल्ड एज पेंशन कर दें या ओल्ड एज होम्स बना दें ताकि लोगों के दिमाग में जो एक यह है कि लड़का बुढ़ापे में हमें रखेगा और हमारी सारी बातें जिसे कहना चाहिए—परिवार का पालन—पोषण करेगा, तो एक तो यह बात हट जाय, दूसरा लड़की और लड़के की समानता हो जाय एवं लड़की शिक्षा महिला शिक्षा के लिए जो कुछ अभी तक प्रावधान किये हैं, उनसे आगे बढ़ कर, जितना जो कुछ किया उससे भी आगे जाकर यदि हम महिला शिक्षा के लिए काम करेंगे तो यह परिवार कल्याण, आबादी का नियंत्रण अपने आप हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गम्भीर विषय पर सात और आठ मार्च को एक सेमीनार का आयोजन किया उससे हमको राजस्थान की और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न भयावह स्थिति की जानकारी मिली। मैं आज आपके माध्यम से ही हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रोफेसर केदारजी को, पर्यटन मंत्री सुश्री पुष्पाजी जैन को, सिंचाई मंत्री कैलाश जी मेघवाल को, शिक्षा मंत्री श्री हरिकुमार जी औदिच्य को और पूर्व मंत्री डॉ. चन्द्रभानजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जनसंख्या वृद्धि में कम से कम वह तो इस पाप के भागीदार नहीं हैं।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उन्होंने अपने आप को बचाकर रखा है। और साथ ही मैं माननीय मदनमोहन सिंघल और श्री जुबेर खां को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने उम्र पार करने के बाद ही शादी की है इसलिए यह भी चाहूंगा कि यह भी जनसंख्या वृद्धि से थोड़ा अपने आपको बचाये रखें। इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरे, माननीय सभापति महोदय, यह बात कह देना बड़ा आसान है कि हमको एक कानून बना देना चाहिए। अभी पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि नगरपालिका और नगर परिषदों के लिए दो बच्चों से ज्यादा या चार बच्चों से ज्यादा जिसके हों उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, उसका कानून बना दें। जब एम. एल. ए. और एम. पी. की बात आई तो उन्होंने कहा कि इसका अधिकार तो भारत सरकार को है। हमारे प्रधान मंत्री जी के 7 बच्चे हैं, बिहार के मुख्य मंत्री लालूप्रसाद जी यादव के 10 बच्चे हैं तो फिर यह लोग बैठे हैं तो यह कानून नहीं बन सकता। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी यहां जिक्र किया कि पिछले दिनों दिल्ली में चिकित्सा मंत्रियों के सम्मेलन में यह चर्चा चली कि इस तरीके का कानून बनाना चाहिए और उसमें यह छूट रख दें कि जो कि एक आयु सीमा को पार कर चुके हैं उनको तो इससे छूट दे दी जाये। सभापति महोदय, यह सारा अपने मन का, अपने सोच का और अपनी मानसिकता का है। पुराने लोगों को छूट क्यों मिले? माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत पुरानी पीढ़ी के हैं इनके तो एक ही बच्ची है और यह पंडित जी बैठे हैं और दूसरे बैठे हैं इनको आधा-आधा दर्जन है.....

श्री रामकिशन : मैं जान-बूझकर नहीं बोलना चाहता हूं। भैरोंसिंह जी के एक बच्ची है और मेरे ज्यादा बच्चे हैं। कारण यह नहीं है। ताकत तो उन्होंने भी पूरी लगाई लेकिन रिजल्ट नहीं आये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसका मतलब आप अपने आपसे कम क्षमता मानते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 'दिस इज रांग मिस-कन्सेप्शन' कि इसमें बहुत ताकत की जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, पण्डित जी ने ताकत की बात कही। मैं एक बात कह दूं। एक बहुत बड़े विद्वान लेखक ने यह लिखा है कि आज-कल बच्चे पैदा होने में ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। रेल्वे स्टेशन के ऊपर जो वजन बताने वाली मशीन है उसमें जैसे दो पैसे डालो, 20 पैसे डालो और जैसे वजन आ जाता है उसी तरह से बच्चे पैदा हो जाते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो, माननीय सभापति महोदय, यह विषय एक बहुत गम्भीर विषय है और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, मैं इस संबंध में कुछ संक्षिप्त में आंकड़े भी देना चाहूंगा कि आज राजस्थान की आबादी 4 करोड़ 38 लाख 80 हजार 640 है और जनसंख्या वृद्धि की दर 28.07 प्रतिशत है। अगर इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो हमारे प्रदेश की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है सन् 2001 में 5 करोड़ 78 लाख 33 हजार से भी ज्यादा पहुंच जायेगी। यह माना कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

राजस्थान के पास भू-भाग पूरे देश में दूसरे नम्बर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम नम्बर पर मध्यप्रदेश और सैकिण्ड नम्बर पर राजस्थान आता है लेकिन उस 60 प्रतिशत हिस्सा तो है रेगिस्तान। रहने के लिए जगह लोगों को सुलभ होगी तो पानी का तो आज भी अकाल है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अगर जनसंख्या नियन्त्रण पर ध्यान नहीं दिया गया और समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो पीने के लिए तो दूर चुल्लूभर पानी डूबने के लिए भी इस राजस्थान में मुहैय्या नहीं करा पायेंगे।

मैं बजाय इस पर भाषण देने के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो जो माननीय पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया, यह सही है कि अपनी बात को दूसरों से मनवाने के सभापति महोदय तीन तरीके होते हैं—पहला आदेश, दूसरा उपदेश और तीसरा आचरण। जो लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं उनको आचरण के हिसाब से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ कानून बना देने से ही हम जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं कर सकते, हमको इसको जन आन्दोलन का रूप देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष तक यह सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों की एक समिति इस सम्बन्ध में भी गठित की जाये जो विभिन्न जिलों में जाकर जनसंख्या नियन्त्रण के कार्यक्रमों की समीक्षा करे।

महिला शिक्षा की बात आई। हमें परिवार नियोजन और जनसंख्या नियन्त्रण के लिए आकर्षक फिल्मांकन करके उसको भी जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। सबसे जरूरी सुझाव में, माननीय सभापति महोदय, यह देना चाहूंगा कि हमको परिवार के सम्बन्ध में या परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के अन्दर शिक्षा के रूप में इसको लागू करना चाहिए। बच्चा शुरू से ही यह पढ़े कि अगर सीमित परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा और बड़ा परिवार होगा तो किस तरीके के अनुभव सामने आयेंगे। जैसा अभी खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य अपना अनुभव बता रहे थे। हमको ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का भी विकास करना चाहिए और जहां तक इसको धार्मिक मान्यताओं और रूढिवादिता से जोड़ने का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, मैं एक अल्पसंख्यकों की बात आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो 1991 की सेन्सस आई है उसमें जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत बताया है उसमें मुसलमानों का नम्बर दूसरा है। नम्बर एक पर सिक्ख और ईसाई आये हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में खड़ा हूं। मेरे भी दो बच्चे हैं। आज से सात वर्ष पूर्व मैंने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया। हमारे सदन के मोटर गेराज के मंत्री हैं उनके भी एक ही बच्ची है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पढ़े-लिखे अल्पसंख्यकों को एक तरफ लेंगे और अनपढ़ को एक तरफ रख दें और

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पढ़े-लिखे लोग जो आपको मिलेंगे उनके परिवार सीमित मिलेंगे और अनपढ़ लोग जो मिलेंगे उनके परिवार बड़े मिलेंगे । तो यह धार्मिक मान्यताओं, रूढिवादिताओं और अन्धविश्वास का सवाल नहीं है, इसका सम्बन्ध शिक्षा से है । अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो लोग शिक्षित होंगे । केरल में आज साक्षरता का प्रतिशत 83 है तो वहां जन्म दर 19 या 23 रह गयी है । तो इसको शिक्षा से जोड़ना चाहिए । मैं, माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के महकमे को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से पृथक विभाग बना देना चाहिए । लोग अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं परिवार के सुख के लिए और अपनी समृद्धि के लिए वह अस्पताल में जायें, उसको अच्छा नहीं लगता । इसके लिए अलग से विभाग बनाना चाहिए । एक मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि यह जो सोनोग्राफी की प्रथा प्रारम्भ हो गयी इसको तत्काल प्रभाव से आपको बन्द कर देना चाहिए । सोनोग्राफी करा कर यह पता लगा लेते हैं कि मां के गर्भ में या स्त्री के गर्भ में बच्ची है या बच्चा है और उस हिसाब से वह प्रयास चल रहे हैं । इसलिए इसको आप तत्काल रोक दीजिए. अगर आप यह चाहते हैं कि बच्चा या बच्ची है दोनों एक समान हैं । बाल-विवाह को, माननीय सभापति महोदय, सख्ती से रोका जाना चाहिए । मैं मुसलमानों की बात बताता हूं कि अल्पसंख्यकों की जब मैं शादी में जाता हू तो यह स्थिति होती है कि काजी जी बैठे हुए निकाह पढ़ा रहे हैं और बच्चा कह रहा है, अप्पा-मुझे पेशाब आ रहा है, मैं पेशाब तो कर आऊं । यह स्थिति हो रही है । इसलिए बाल विवाह बहुत सख्ती से आपको रोकना चाहिए । इसको रोक पायेंगे तभी आपकी जन्म दर कम होगी । यह सही है कि मृत्यु दर हमारी कम हुई है, चिकित्सा सेवाओं का विकास हुआ है । अन्त में एक सुझाव यह देना चाहूंगा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अभी जिक्र किया था और मैंने भी नियम 131 में इस सबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया था लेकिन जैसा माननीय अध्यक्ष जी और आपसे बात हुई कि यदा-कदा जहां कहीं भी नसबन्दी के कार्यक्रमों में और शिविरों में जिन चिकित्सकों की लापरवाही से रोगियों की या नसबन्दी कराने वालों की मृत्यु हो जाती है आपको उसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए । तखतगढ़ का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि वहां गौरी बाई नसबन्दी कराने गयी, यह चर्चा अखबारों में नहीं छपे, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उसका नतीजा स्वास्थ्य मंत्री जी यह पड़ा ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जांच का आदेश दे दिया है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :....उसका नतीजा यह पड़ा कि पाली जिले में ही नाडोल कस्बे में अभी 8 दिन पहले जो परिवार नियोजन का नसबन्दी का शिविर हुआ उसमें एक भी व्यक्ति उसके लिए नहीं आया । यह उसका प्रभाव पड़ा.... मैं यह

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सफलता से लागू हो, इसमें किसी तरीके की ढिलाई और कमी नहीं आये, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग, जो चिकित्सा अधिकारी इसमें शिथिलता बरतें या जिनकी कमी या दोष रहे, उनके खिलाफ आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारा यह कार्यक्रम सफल हो। इतने ही सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है....

श्री सभापति : आप बोल चुकी हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : बोल चुकी, मेरा तो प्रस्ताव है कि अभी पण्डित रामकिशनजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी के बीच मजाक हुई है कृपया इस गम्भीर विषय का मजाक नहीं बन जाय इसलिए उस सब को डिलीट करने का आदेश दिया जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, इसको निकाल दिया जाय, साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यह बिल्कुल सही बात है। कार्यवाही से उसे डीलिट कर दिया जाय। यह उनकी मजाक का, बातचीत का स्तर बहुत नीचा था, इसे निकाल दिया जाय साहब....(व्यवधान)....

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम राज्य की योजनाबद्ध प्रगति के लिए एक अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम है। अगर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं पाया तो विकास एवं प्रति के सम्पूर्ण प्रयास विफल ही रह जायेंगे एवं गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भयानक रूप धारण कर लेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी चिकित्सा मंत्री जी ने अपना भाषण दिया। मैं तो यह सोचती थी कि चिकित्सा मंत्री जी कुछ ऐसे ठोस सुझाव बतायेंगे कि आने वाले परिवार कल्याण कार्यक्रम में और नसबन्दी करने में कैसे प्रगति कर सकें, मगर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चिकित्सा मंत्री जी ने भाषण तो बहुत ही अच्छा दिया मगर इसके बारे में कोई ऐसा सुझाव नहीं बताया कि इस परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे कैसे प्रगति की ओर ले जा सकते हैं

माननीय सभापति महोदय मैं अध्यक्ष महोदय, को धन्यवाद देती हूं कि 7 और 8 तारीख को जो शिविर लगाया, वास्तव में वह एक जन-जागरण का विषय था और इसकी बड़ी भारी प्रशंसा हुई है और जनता इसको समझने लगी है, अखबार पढ़कर ऐसा लगा। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने भी परिवार कल्याण कार्यक्रम को तहम् कार्यक्रम घोषित किया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राजस्थान में इस कार्यक्रम को विशेष सफलता नहीं मिली है

(श्रीमती सूर्यकान्त व्यास)

और राज्य की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले इस कार्यक्रम में काफी पीछे है। इसके कारणों के बारे में मैं विचार व्यक्त करना चाहूंगी। कई कारणों में से सर्वप्रथम कारण मैं समझती हूं कि इस कार्यक्रम को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम माना है अगर इस कार्यक्रम को आगे सफलता देने के लिए सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं को व इसमें जो सामने बैठे विधायक महोदय और इधर बैठे हुए हैं, सभी इस कार्यक्रम को सफल बनायें तो मैं समझती हूं काफी अच्छा रहेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ डाक्टरों का ही नहीं मानें, इसमें सभी को अपना सहयोग देना चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो कहती हैं कि मैंने बताया नहीं है। एक विषय तो मैंने ही बताया है यह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपने तो सारा पढ़कर सुना दिया था। अब क्या बतायें, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, या तो राज नेताओं का या धार्मिक नेताओं का, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडोनेशिया जैसे देश में जहां मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य है. वहां के धार्मिक नेताओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम के मोटिवेशन का भार सौंप रखा है और वहां पर इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है। दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि सभी पार्टियों के राज नेता जो हमेशा गरीबी, पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात करते हैं, इस कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने में क्यों हिचकिचाते हैं? मैं पुरजोर शब्दों में यह बताना चाहूंगी सभापति महोदय, कि परिवार कल्याण कार्यक्रम गरीबी एवं पिछड़ेपन को हटाने का अहम् कार्यक्रम है। उच्च और वर्ग के लोगों ने मोटे तौर पर परिवार सीमित कर रखा है इसलिए उनकी पर केपिटा इन्कम में गिरावट नहीं आयी है। परन्तु गरीब एवं पिछड़े वर्गों में यह पाया गया है कि उन्होंने परिवार सीमित नहीं रखा है इसलिए उनकी पर केपिटा इन्कम मे गिरावट आयी है। इसलिए सीमित परिवार गरीबी उन्मूलन का मूल मंत्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां बैठे सभी माननीय विधायकों से, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अपील करूंगी कि इस कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करें, इस प्रोग्राम के प्रति अपनी संवेदनशीलता समझें।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि परिवार कल्याण सेवाएं सही पात्रों को सही प्रकार से उपलब्ध करायी जा सके, अभी तो मेडिकल विभाग के डाक्टर खाली आंकड़े ही देते हैं और मैं यह समझती हूं कि नौ महीने तक तो यह चुप बैठे रहते हैं और दो-तीन महीने में भाग-दौड़ लगा देते हैं कि किस तरह से अपना लक्ष्य पूरा करें। मगर मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। मैं यह चाहती हू, सभी मेरी बहिनें माननीय सदस्या, मेरे भाई माननीय सदस्य बैठे हैं, इस कार्यक्रम को सुचारू रुप से बढ़ाने में पूरा व भरसक प्रयास करें तो सरकार को भी इस कार्यक्रम में काफी बल मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, मैं आपका और मंत्री महो-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो डाक्टर आपरेशन करने के लिए जाते हैं...

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : विशेष रूप से मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि उस डाक्टर ने जाकर के खाली आपरेशन कर दिया, यह नहीं हो । उसकी देखभाल के लिए वापस जानकारी करनी चाहिए । जानकारी नहीं लेने से काफी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ऐसी जानकारी मिली है। सभापति महोदय, आप तो स्वयं उस कमेटी में उपस्थित थे अलवर में जब अपने सामने एक ऐसी समस्या आयी थी कि एक महिला ने तीन दफा आपरेशन करवाया था। वह गलत आपरेशन क्यों हुआ ? इसलिए डाक्टरों को भी हिदायत देनी चाहिए कि ऐसे आपरेशन नहीं करें । यहां तक कि वह महिला अपने घर के जेवर बेचकर दुबारा अपना आपरेशन करवाने के लिए मजबूर हुई थी, फिर आपने उस मीटिंग में उन डाक्टरों और और डाइरेक्टर साहब को हिदायत दी थी कि इनका अपरेशन फ्री ऑफ चार्ज किया जाय, इनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाय । माननीय सभापति महोदय, इस तरह से जो कोई भी चिकित्सक इस बात पर अमल करेगा तो मैं समझती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इतना ध्यान नहीं रहता है, वे तो आ गये चलो आपरेशन करवा लिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए । सुचारू रुप से उनको सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाय और सारी देखभाल करनी चाहिए । चिकित्सा मंत्रीजी इस पर विशेष ध्यान देंगे तो इसको काफी बल मिलेगा । यह भारत सकार और राज्य सरकार का मामला है, इसको आगे प्रगति देना ।

सभापति महोदय, परिवार कल्याण को सफल कैसे बनाया जाय ? इसका यह भी तरीका है कि शिक्षा में विस्तार, आर्थिक स्थिति सुधार, आजकल जो टी. वी. पर, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सभापति महोदय, टी. वी. पर आजकल परिवार नियोजन के तरीके के जो विज्ञापन दिये जा रहे हैं मैं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूं । जैसा कि मैं मेरा ही बता रही हूं, जब मैं टी. वी. के सामने बैठती हूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है । मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी टी. वी. देखते हैं वे यहां तक पूछते हैं कि यह क्या आया ? हम उनको क्या बतायें ? इसके लिए भी सदन को विचार करना चाहिए कि इस तरीके के विज्ञापन नहीं आये और आपने यह जो कार्यक्रम रखा और इसके लिए हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, इनको तो कोई जानकारी नहीं है, यह क्या कहेंगे इसके बारे में । यह तो इललिट्रेट हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह आने वाली पीढ़ी को उदाहरण देंगे कि वह भी इनका अनुसरण करे ।

श्री सम्पत राम : यह डाक्टर हैं । डाक्टर के रुप में सुझाव देंगे ।

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या है और राजस्थान के लिये यह चिन्तनीय विषय है । जहां तक मेरा सवाल है और मैं जिस जिले से....

श्री सम्पत सिंह : समस्या कोई राष्ट्रीय नहीं होती है, गैर राष्ट्रीय होती है ।

डा. चन्द्रभान : जहां तक मेरा सवाल है और जहां तक मेरे जिले का सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण में हमारा विशेष योगदान है ।

श्री नत्थी सिंह : आपका तो है ।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं करेंगे, माननीय सदस्य ।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, बाबूजी वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी तक तो योगदान है, आगे की कैसे गारंटी दे सकता हूं । लेकिन, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का मैं थोड़ा ध्यान भी आकर्षित करूंगा और दो-तीन सुझाव भी देना चाहूंगा । राजस्थान प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है लेकिन यह हकीकत है कि जनसंख्या वृद्धि में यह देश के राज्यों में शायद सबसे आगे है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : शायद नहीं, निश्चित ।

डा चन्द्रभान : यह बात ठीक कह रहे हैं माननीय मंत्रीजी, बर्थ रेट के मुकाबले मार्टेलिटी रेट घटी है । लेकिन अन्य राज्यों से जब मुकाबला करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वह भी हमारे लिये कोई विशेष सन्तोष की बात नहीं है । माननीय सुमित्राजी ने कहा कि यहां कोई पेडेमिक तो फैलाना नहीं । हमको कभी उसकी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिये, नहीं फैले । चिकित्सा सेवाओं में सुधार हुआ है और आगे और होना चाहिये । बर्थ रेट को भी कण्ट्रोल करना है । इसके लिये मैं दो-तीन सुझाव आपको देना चाहूंगा । जनसंख्या वृद्धि में अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी यह तीन मूल कारण हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाल विवाह नहीं है क्या ? बाल विवाह भी है ।

डा चन्द्रभान : बाल विवाह भी उसमें आ जायगा । अशिक्षा में आ जायगा, नासमझी में आ जायगा । सभापति महोदय, जो लोग शिक्षित हैं, या जो लोग समझदार हैं, अपने परिवार और अपने भविष्य के प्रति चिन्तित हैं वह परिवार कल्याण के कार्यक्रम को बहुत आसानी से अपना लेंगे । असुरक्षा की बात मैं इसलिये कह रहा हूं मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन देश में इस तरह का एक वातावरण बनता है मुख्य रूप से अल्पसंख्यक भाइयों के लिये, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है । इनकी जन संख्या बढ़ रही है । वह लोग परिवार कल्याण के कार्यक्रम को कम अपना रहे हैं, यह भी एक हकीकत है । इन लोगों में यह साम्प्रदायिक दंगे वगैरह फैलते हैं इससे एक असुरक्षा का भाव आता है, मुकाबले की फिजूल की स्थिति है । एक दूसरी आपकी स्थिति बनती है, दूसरा, अल्प संख्यक समुदाय के लोग सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, सब इस मामले में इसलिये समझ नहीं पाते हैं । जो लोग शिक्षित हैं

(डा. चन्द्रभान)

वह लोग इसे अपना रहे हैं और इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहूंगा, केरल में लिट्रेसी सबसे ज्यादा है, सैण्ट पर्सेण्ट लिट्रेसी है। परिवार कल्याण का कार्यक्रम वहां सफल है। मेरा जिला झुन्झुनू जो साक्षरता की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है, यह अलग बात है कि सरकार ने उसे सम्पूर्ण साक्षरता वाले जिले में नहीं रखा हैं लेकिन लिट्रेसी में और महिला शिक्षा में सबसे आगे है। जहां महिलाओं में शिक्षा ज्यादा होगी वहां इस कार्यक्रम को आसानी से स्वीकार किया जायगा। मैंने गरीबी की चर्चा की। मेडिकल साइन्स का स्टूडेण्ट होने के नाते जो भी रिसर्च हुई है उसमें एक बात सामने आयी है कि जो महिलाएं जितनी गरीब है, गर्भ धारण करने में वह उतनी ही ज्यादा जमीर हैं। जो महिलाएं ज्यादा अमीर हैं और स्वास्थ्य की की दृष्टि से मजबूत हैं वह उतनी ही गर्भ धारण करने में गरीब है। मैं, मंत्रीजी, कहना चाहूंगा, इसमें आप जानकारी प्राप्त करलें (व्यवधान) जहां तक गरीबी का सवाल है, जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां ना समझी है और जहां मनोरंजन के साधनों का अभाव है वहां पर जनसंख्या वृद्धि की सम्भावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिये प्रदेश में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले। शिक्षा को इन्सेंटिव के रूप में कहें या कम से कम सम्पूर्ण साक्षरता हो। इसके साथ मैं माननीय मंत्रीजी से सहमत हूं कि यह कोई मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट का अकेले का काम नहीं है। यह कोई ललित किशोरजी चतुर्वेदी का काम नहीं है। यह जन-जन का कार्यक्रम बनना चाहिये। इसमें सभी वर्गों को और समाज के सभी अग्रणी लोगों को, मैं यह कहना चाहूंगा, सभी राजनैतिक दलों को और सभी सार्वजनिक संगठनों को, सभी कर्मचारी और अधिकारियों के संगठनों को, सभी शिक्षित वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में अपना-अपना योगदान देना चाहिये। यह जो कार्यक्रम है, इसे जन-जन का कार्यक्रम बनायें। इसके साथ-साथ हैल्थ एजूकेशन का भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार होना चाहिये। अभी जो चर्चा हो रही थी, चाहे वह विधान सभा के चुनाव हों, चाहे लोक सभा के चुनाव हों, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हों, कोई भी चुनाव हों, उनमें उम्मीदवार लोगों के लिये यह कानून बनाया जा सकता है और इस सदन को आज सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करना चाहिये केन्द्र सरकार को कि विधान सभा और लोक सभा में भी दो बच्चों से ज्यादा, मैं पुराने लोगों के बारे में नहीं कहना चाहूंगा लेकिन जो भी कानून बनेगा वह आगे के लिये लागू होना चाहिये और इसके साथ में सभी राजनैतिक दलों को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिये और हम विधायकों को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और जो कर्मचारी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी लगती है, टार्गेट फिक्स होना चाहिये, वह अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और इस तरह से इस कार्यक्रम को पोपूलर बनायें। तो, सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि राजस्थान प्रदेश जो आज जनसंख्या वृद्धि में सबसे आगे हैं, इसे पीछे लाया जा सकता है। जब जनसंख्या का नियंत्रण होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे जो भी विकास के काम हुए हैं उसका लाभ साधारण लोगों तक पहुंचेगा। इसलिये गरीबी, अशिक्षा, नासमझी और असुरक्षा–यह जो चार मैंने सवाल

(डा. चन्द्रभान)

उठाये हैं इनकी तरफ माननीय मंत्रीजी ध्यान दें और जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम के लिये हम सब लोगों को आपसी मतभेदों को भुलाकर माननीय मंत्रीजी का, सरकार का, विभाग का और कहना चाहिये जनता का कार्यक्रम है इसमें सबको सहयोग करना चाहिये।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर : सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो अपना वक्तव्य दिया उसमें विस्तार से सारी बातें कही हैं लेकिन जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न मात्र एक चिकित्सा मंत्रीजी के दायरे का ही नहीं है, यह प्रश्न बहुत व्यापक है और इस का न केवल समूची राजस्थान सरकार पर बल्कि राष्ट्रीय सरकार और सारे समाज का दायित्व है। जनसंख्या वृद्धि ने जो भयावह रूप आज ले लिया हैं अगर इसके सम्बन्ध में हमारी सरकार का और हमारे समाज का यही सोच रहा तो निश्चित ही एक ऐसा समय आने वाला है जब मानव समाज के लिये विकास की सुविधाओं की बात तो दूर रही, अनाज, पानी और स्थान के लिये भी छीना-झपटी शुरू हो जायेगी। मान्यवर, यह बीमारी बहुत व्यापक है और साथ ही बहुत ही गम्भीर भी। इसलिये इसका इलाज कोई मामूली साधनों से होने की सम्भावना नहीं है। इसके लिये अगर कोई आवश्यकता है तो पहली और अन्तिम शर्त है दृढ़ संकल्प और राजनैतिक इच्छा शक्ति बड़ी मजबूती से इस कार्यक्रम को हाथ में लेना पड़ेगा। सभी राजनैतिक दल आम सहमति के आधार पर कोई कार्यक्रम बनायें और उसकी क्रियान्विति हमें एक तरह से मानवीय जिम्मेदारी लेकर करनी पड़ेगी। सभापतिजी, आज जन जागरण करने के लिये हम सम्मेलन करते हैं, संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, वीडियो फिल्म दिखाते हैं, प्रचार-प्रसार करते हैं। लेकिन इन सबका जो क्षेत्र है वह एक बहुत सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र में जो वर्ग शामिल होता है वह तो पहले से ही इस भय और आशंका से मुक्त हो चुका होता है। इसलिये उन प्रचार-प्रसार साधनों को कोई प्रभावी असर नहीं पड़ता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे गांवों में, कस्बों में, ढाणियों और मजरों में जाकर इस तरह के छोटे-छोटे सम्मेलन करें और जो सीमित परिवार के साधन हैं उस सम्बन्ध में जो भय और आशंका लोगों के दिमाग में उन्हें उमूंल करने की आवश्यकता है। उसके बिना हमारा यह प्रोग्राम सफल नहीं होने वाला। पिछले वर्षों में हमने बड़ी भारी धनराशि खर्च की है... इस परिवार नियोजन के प्रचार के सम्बन्ध में और अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो जो हमने सुविधाएं इस सम्बध में लोगों को दीं, उसका प्रभावी रूप से कहीं असर दिखाई नहीं दिया। तो हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि जो लुभाने की बात हमने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में और सीमित परिवार रखने में कोई लाभ है? सवाल आज इस बात का है कि अब सुविधायें और रियायतों के साथ इस पर कोई न कोई कड़ाई, कठोरता का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारे साधन सीमित हैं। हम उन परिवारों को जो असीमित रूप से इसमें वृद्धि करते जा रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरह से रोक लगायें। मैं उदाहरण

(श्रीमती मदन कौर)

देना चाहती हूं कि हमारी राशनिंग व्यवस्था है और नियंत्रित मूल्यों पर हम कुछ आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते हैं, इसमें भी हम पर यूनिट पांच सदस्यों के ऊपर यह सुविधा नहीं, आप इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। दूसरी बात हम यह भी कर सकते हैं कि पंचायत चुनाव हमारे प्रान्त में होने वाले हैं और पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने भी इस बात को कहा और हम पहले से ही इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आने वाले एक साल में दो बच्चों के बाद जो सन्तान की उत्पत्ति करेगा, उसे अगले पंचायत चुनाव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाये। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, इस पर विचार करना चाहिए और तीसरी बात जो सुरक्षा की कही, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे यहां संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं।

मान्यवर, तीसरी बात जो हम लागू कर सकते हैं, वह है कल्याण की बात। मैंने कहा कि आज सामाजिक रूप से असुरक्षा हैं और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं तो वृद्धों के मन में भय होना स्वाभाविक है कि हमारे पुत्र नहीं हुआ तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा और हमारे कई प्रान्तों में यह व्यवस्थाएं हैं, कुछ सरकार करती है और कई संस्थाएं भी करती हैं तो हमें प्रौढ़ों के लिए भोजन की, आवा, सकी, स्वास्थ्य और मनोरंजन की, यह सुविधाएं भी हमारे यहां किसी समिति के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो। इस चीज जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यह सारी सुविधाएं एक जगह मिले तो इसका भी बहुत बड़ा असर हमारे परिवार नियोजन के प्रोग्राम पर पड़ सकता है। वैसे सारी बातें इस सम्बन्ध में इस सदन के सामने आ चुकी है और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के बस की बात तो नहीं है इसलिए सारी सरकार को समग्र रूप से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जनता को भी।

श्रीमती मदन कौर : जनता में तो है ही। लेकिन कुछ कदम तो सरकार को उठाने होंगे और वह कड़ाई के कदम जब तक सरकार नहीं उठायेगी, तब तक इसका प्रभावी असर होने वाला नहीं है। हमने लुभाने की बातें बहुत कर ली हैं, उससे प्रभावी असर जनसंख्या वृद्धि पर नहीं पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसके ऊपर पुनर्विचार करके यह लुभाने वाली बातें छोड़े और कोई न कोई प्रतिबंधात्मक कदम उठायें, तभी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग पायेगी। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। पूरी दुनियां के अन्दर सबसे पहले तो चाइना की आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन आज चाइना दूसरे नम्बर पर आ गया और हिन्दुस्तान पहले नम्बर पर रह गया। उन्होंने 15–20 साल से जनसंख्या वृद्धि पर कण्ट्रोल किया है। अगर वक्त रहते जनसंख्या वृद्धि पर कन्ट्रोल नहीं किया गया तो देश के हालात बहुत खराब हो जायेंगे। सब लोगों ने तो भाषण दिये हैं लेकिन मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए शिक्षा बड़ी

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

जरूरी है। महिला अगर पढ़ी-लिखी होगी तो वह दूसरों को भी फैमिली प्लानिंग के बारे में शिक्षा दे सकती है। जैसे कि घर के अन्दर अगर महिला पढ़ी-लिखी होती है तो घर में रोशनी होती है और अगर आदमी पढ़ा-लिखा होता है तो बाहर तो रोशनी हो जाती है लेकिन घर के अन्दर अंधेरा ही रहता है वह अंधेरा तब खत्म होता है जब महिला पढ़ी-लिखी हो। महिलाओं के लिए फैमिली प्लानिंग की शिक्षा और पढ़ा-लिखा होना बड़ा जरूरी है। अगर आबादी पर कण्ट्रोल नहीं हुआ तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, उग्रवादिता हावी होगी। क्योंकि जो बेरोजगार बच्चे होंगे उनको खाने-कमाने के लिए कोई साधन नहीं होंगे तो कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, इसलिए इन सब हालातों पर कण्ट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग बड़ी जरूरी है और मैं यह कहना चाहती हूं कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपने अन्दर फैमिली प्लानिंग का प्रवेश करना बड़ा जरूरी है। जब तक वह दृढ़ता से अपनी पोलिटिकल पार्टीज में इसका प्रवेश नहीं करायेंगे, तो हम बातें तो चाहे जितनी कर लें, हाउस में बैठकर कर लें, बाहर कर लें, सेमीनार कर ले, गोष्ठी कर लें, लेकिन इसके जो नतीजे आने वाले हैं, वह नहीं आ सकते हैं। इसलिए, मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, आपको दो बच्चों से ज्यादा वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चाहे एम. एल. ए. का चुनाव हो, चाहे एम. पी. का चुनाव हो, उनको भी टिकट तभी मिले कि पहले उनको पूछ लें कि आपके कितने बच्चे हैं, अगर वह एक या दो बच्चों की बात कहे तो उनको टिकट मिलना चाहिए। नहीं तो आप बातें चाहे जितनी करते रहें, आप जनसंख्या पर न तो कण्ट्रोल कर सकते हैं, न ही आप देश के हालात सुधार सकते हैं और वही हालत हो जायेगी। हो जायेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो धन और धरती बंटकर रहेंगे। बेरोजगारी के कारण यह धन भी बट जायेगा, धरती भी बंट जायेगी और एक दिन ऐसा आ जायेगा कि हम एक दूसरे मुंह देखते रहेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को, जो यहां बैठे हैं, उन सब लोगों को मजबूती से एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि उन्हीं लोगों को टिकट मिले और राजनीतिक पार्टियों को अपने मन में मजबूती लानी पड़ेगी और उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाये जिनके दो बच्चे हों। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मी नारायण दवे। (व्यवधान)

(2·45 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : हां, इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि अपने विचार रखें, लेकिन विचारों को संक्षिप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हर माननीय सदस्य को इसमें बोलने का अधिकार दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह राष्ट्रीय कार्यक्रम

(श्री उपाध्यक्ष)

है यह तो सभी मानते हैं लेकिन सवाल पूछिये थोड़ा संक्षेप में, मैं रोक थोड़े ना रहा हूं। थोड़ा इसे संक्षिप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : जिनका कॉल अटेन्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। अभी विचार हाईलाइट....

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : हां बिल्कुल संक्षिप्त....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां बिराजिये। जिसका कॉल अटेन्शन मोशन है, वही बोलेंगे। हां, दवे साहब, प्रारम्भ कीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र के लिए बहुत ही गम्भीर समस्या है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है मात्र कानून बनाने से ही जनसंख्या वृद्धि पर कण्ट्रोल नहीं किया जा सकता। सन् 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के अन्दर यह घोषणा की कि सन् 2000 में हिन्दुस्तान से हम गरीबी मिटा देंगे। दूसरा उन्होंने कहा एवरेज एज 60 वर्ष तक की कर देंगे। तीसरा, जो बच्चों की मृत्यु दर है, आज प्रति मिनट 48 बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों की जिस हिसाब से मृत्यु दर हो रही है, उसको हम आधा कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस राष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या, आवासीय समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, इस प्रकार की अनेक समस्याओं की मूल जड़ वह जनसंख्या है। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्रीजी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग के अन्दर जनता को विश्वास दिलाया है कि 2000 में हम जनसंख्या के ऊपर कण्ट्रोल कर लेंगे और हिन्दुस्तान से हम गरीबी मिटा देंगे, परन्तु यह कहने मात्र से गरीबी मिटेगी नहीं। आज भारत के हर नागरिक, हर जन प्रतिनिधि, हर गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले और हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है, एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, यह बड़ा गम्भीर विषय है, इसलिए हिन्दुस्तान के हर नागरिक को इसके बारे में चिन्तन करना पड़ेगा, सोच करना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर गरीबी और अशिक्षा का वातावरण है जो इसका मूल कारण है। परिवार नियोजन फलीभूत न होने का कारण अशिक्षा और गरीबी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राज्य के अन्दर जिस हिसाब से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत निरोध, लूप, कापर-टी, गर्भ निरोधक या जो राज्य कर्मचारी परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है और जो परिवार नियोजन करवाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिये, उनकी चिकित्सा के लिये और उनकी अन्य सुविधाओं के लिये जिस हिसाब से राज्य सरकार खर्च करती है, यह खर्चा करने के पश्चात् जिस हिसाब से परिवार नियोजन की जो संख्या होनी चाहिये, लोगों में जागृति होनी चाहिये, एक आन्दोलन का रूप होना चाहिये, वह नहीं है। मेरा माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी से एक अनुरोध है, एक बहुत ही गम्भीर सुझाव मैं देने जा रहा हूं। आज परिवार नियोजन के अन्दर एक सामाजिक संरक्षण की भावना के लिये

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आपको बीमा योजना लागू करनी चाहिये। जो परिवार के सदस्य, जो दम्पत्ति परिवार नियोजन करवाते हैं उनके बच्चों के चाहे एक बच्चा हो तो उसको 50 हजार रुपये की बीमा योजना लागू करनी चाहिये। अगर परिवार में दो पुत्र हैं तो उसमें दोनों के हिसाब से 25,25 हजार रुपये का कुल 50 हजार रुपये बंटवारा होना चाहिये। जब उनकी आयु 20 वर्ष तक की हो जायेगी, बच्ची विवाह करने लायक हो जायेगी या उनकी आयु 20 वर्ष की हो जायेगी, और यदि इन 20 वर्षों के बीच में जो दम्पत्ति परिवार नियोजन करवाते हैं और बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के दम्पत्ति को जिस हिसाब से एक भय का वातावरण रहता है उसकी सुरक्षा के लिये उस दम्पत्ति के लिये यह बीमा योजना लागू करना आवश्यक है। 20 वर्ष की आयु समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही बीमा योजना खत्म हो जायेगी।....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप कीजिये। मैं भाषण अलाउ नहीं करूंगा, आगे मांग है, रात के 11 बजेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसके परिणाम में अगर किसी बच्चे की या दम्पत्ति की मृत्यु हो जाती है चाहे बीमारी के कारण, चाहे अकस्मात दुर्घटना के कारण, तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि बीमा योजना लागू करनी चाहिये। जिससे दम्पत्ति के अन्दर चाहे औरत या पुरुष हो, प्रोत्साहित होंगे। इससे जो विवाह आज नाबालिग बच्चों के होते हैं उस पर कण्ट्रोल होगा और परिवार नियोजन कार्यक्रम फलीभूत होगा। मेरा निवेदन है कि इस योजना को माननीय चिकित्सा मंत्रीजी सर्वप्रथम राजस्थान में लागू करेंगे तो निश्चित है कि यह योजना फलीभूत होगी। मेरे विधान सभा....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय गुलाबसिंहजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक मिनट मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आइ विल नोट अलाउ। मैं नहीं सुनूंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : आइ विल नाट अलाउ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : परिवार नियोजन से सम्बन्धित बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : इसमे नहीं बोलने दूंगा आपको।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोजत रोड राज्य सरकार की योजना के तहत 1988–89 के अन्दर ग्राम पचायत परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम के तहत पुरस्कार योजना जो लागू की थी उस योजना में पंचायत प्रथम आयेगी उसको हम पुरस्कार राशि सरकार के द्वारा दिलवायेंगे। 1988-89 के पश्चात् सोजत रोड ग्राम पंचायत परिवार नियोजन के अन्दर प्रथम आयी और जो तत्कालीन राज्य सरकार ने घोषणा की थी उसमें पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये आज तक उपलब्ध

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

नहीं कराये। मैंने इस सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन किया और पाली जिले के उच्च चिकित्सक अधिकारी से भी निवेदन किया। ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो पंचायत प्रथम आती है उन लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित राशि निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराये ताकि यह परिवार नियोजन कार्यक्रम फलीभूत हो सके. ऐसी मेरी अपेक्षा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाबसिहजी। भाषण नहीं करेंगे। सवाल, सुझाव दीजिये।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : मेरा निवेदन है कि भाषण नहीं देंगे। भाषण तो जन सभा में देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की वृद्धि और विकास की दर में कमी हो रही है उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है। सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं और जनता का और सदन का सहयोग चाहा है। काफी अच्छा सुझाव था, उनका जवाब था लेकिन कुछ अनुपूरक प्रश्न खड़े हुये हैं उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में एक बात कही गयी कि शिक्षा के जरिये से जनसंख्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता है और अशिक्षा जहां है वहां पर भी जनसंख्या बेहताशा बढ़ती जाती है। लेकिन एक जगह माननीय मंत्रीजी ने बात कही कि शहरों में आबादी थी, आज राजस्थान के शहरों की आबादी बढ़ गयी है। तो शहरों में शिक्षा भी है। पहले कहते थे कि मनोरंजन के साधन नहीं है इसलिये मनोरंजन के साधन बढ़ने चाहिये। शहरों में आज वह भी है और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी है। अच्छे अस्पताल, अच्छे विशेषज्ञ डाक्टर भी हैं उसके बावजूद आपने स्वीकार किया है कि शहरों में जनसंख्या गांव की उपेक्षा ज्यादा बढ़ रही है। तो यह मसला है। फिर भी क्या कारण है, यह हमें सोचना होगा। इतना सब कुछ, शिक्षा होते हुये भी, मनोरजन होते हुये भी, अच्छी व्यवस्था होते हुये भी जनसंख्या शहरों में बढ़ती जा रही है और गांवों में आप स्वीकार कर रहे हैं कि कम हो रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल शिक्षा या अच्छी चिकित्सा व्यवस्था या मनोरंजन के साधनों इस पर नियंत्रण नहीं लाया जा सकता। उसके लिये हमें जन जागरण करना पड़ेगा और जन जागरण कैसे हो? आज टी. वी. मनोरंजन का साधन है उस में जो विज्ञापन आते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखते होंगे। वह कैसे आते हैं। आज जो फिल्में सिनेमा वाले लाते हैं सेंसर बोर्ड कैसे उनको पास करते हैं। आज बड़े-बड़े हार्डिंग्स लगे हैं। आप देख रहे होंगे। कैसे बने होते हैं। आज इस तरह की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण से यह अव्यवस्था होती है। आदमी की मानसिक विकृति बढ़ती जाती है और उससे उसका ब्रह्मचर्य-संयम नहीं रह पाता, यह मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है और आज यही बात है। एक गांव में थका–मांदा शाम तक जाता है और वह इतना संयम, परिश्रम से आता है दूसरी कोई सूझबूझ नहीं होती। इसलिये मेरा माननीय मंत्रीजी और सदन से यह आग्रह है कि इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय। अश्लील विज्ञापन आज टी. वी., रेडियो, पोस्टरों के जरिये आते हैं उन पर प्रभावी नियत्रण किया जाय। पढ़े-लिखे पढ़ सकते हैं इसलिये

(श्री गुलाबसिंह)

अश्लील पत्र-पत्रिकाओं, उपन्यास खरीदते हैं उनको पढ़ा जाता है ।....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । माननीय लक्ष्मीचन्द मेहता ।

श्री गुलाबसिंह : माननीय मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव आपके आ गये हैं ।

श्री गुलाबसिंह : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव ही दीजिये संक्षेप में । जब आपको इतना कह दिया है है कि आप सुझाव दीजिये, भाषण मत दीजिये ।

श्री गुलाबसिंह : मैं भाषण नहीं दूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सरकार की नीति है । गांव में यह नीति बना रखी है कि पेयजल, घरेलू कनेक्शन नलों का उन्हें दिया जायेगा जहां की आबादी 5 हजार से अधिक हो । एक तरफ तो आप परिवार नियोजन को अपना रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आबादी नहीं होगी तो नल कनेक्शन नहीं दिया जायेगा । तो क्या हम पानी के लिये आबादी को बढ़ायें । इसलिये यह होना चाहिये कि जिस गांव में कम आबादी हो, जिसका रेश्यो कम हो दर कम होगी उसको पहले नल कनेक्शन दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने पिछले दशक में कम आबादी बढ़ाई है, 25 गांवों को डामर से जोड़ने की घोषणा की है स्वास्थ्य मंत्रीजी ने....

श्री गुलाबसिंह : मान्यवरजी, मैं पेयजल की बात कह रहा हूं, रोड की बात अलग है । आदमी खड्डे में चला जायेगा परन्तु पीने के पानी बिना जिन्दा रहेगा क्या ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीचन्दजी । (व्यवधान)....आप विराजिये । प्लीज हैल्प मी । मैं अलाउ नहीं करूंगा । जवाब के बाद में पूछ लेना । इस तरह तो सदन को चलना ही मुश्किल हो जायेगा । आई विल नोट अलाउ ।

श्री गुलाबसिंह : एक मिनट का समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो हर सदस्य टाइम मांगेगा । पांच वक्ता और बोलने वाले हैं । रिपिटीशन हो रहा है । आपकी बात रेकार्ड पर आ गयी है ।

श्री गुलाबसिंह : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं । आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने यह कहा था... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट मेहता, साहब पहले इनको कहने दीजिये ।

श्री गुलाबसिंह : मैं सुझाव दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले यह कह रहे हैं, आपको बाद में सुन लूंगा । आप बैठिये ।.... (व्यवधान)....कह दिया है फिर भी नहीं मान रहे हो ।

(3.00 म. प.)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस बात

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

पर चर्चा करने जा रहे हैं परिग्रह कम करो, याने परिग्रह कम करने की बात जिस बात को आज हम सोच रहे हैं। 2500 वर्षों पूर्व हमारे भगवान महावीर कहकर गये हैं। परिग्रह कम करने के कारण, याने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करो। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक परिग्रह पर अंकुश नहीं लगेगा और इस बात को पूर्ण करने के लिए हम माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं कि सरकार इस माध्यम को करे। इस माध्यम को स्वयंसेवी संस्थायें, सदन के माननीय सदस्य, विद्वान लोग इस प्रोग्राम को आगे चलायें और जनता को यह प्रेरणा दें कि हमें परिग्रह में कमी करनी है और स्कूलों में इस बात की शिक्षा दी जाय। ताकि बच्चों के दिमाग में, कोमल फूल के दिमाग में इस बात का असर हो कि भविष्य में देश का क्या हाल होने वाला है।

एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं सदन मुझे माफ करेगा। इस देश के अन्दर एक सम्प्रदाय पर तो कानून लागू है कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, करता है तो अपराध है और एक समाज को चार शादी तक करने की छूट दी जा रही है तो आटोमेटिकली इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए, हमें समानता लाने के लिए पार्टी से ऊंचा उठकर सब को उस पर विचार करना पड़ेगा। तीसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल के पाठ्यक्रम में भी बच्चों का कोमल दिमाग होता है, फूल को जिस प्रकार से मोड़ा जाय उसी प्रकार से मुड़ जाता है। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए। जिसके कारण आने वाले भविष्य में बच्चों पर इसका असर पड़े कि हमें देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व निभाना है।

तीसरी चीज अश्लील चीजें। कुछ खाने पीने की चीजों पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि शरीर में ऐसी चीजें, तामसी चीजें जो ब्रह्मचर्य को खण्डित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी चीजों पर भी अंकुश लगाने पर विचार करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय जुबेरखां जी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की वृद्धि से न सिर्फ विकास की दर में कमी हो रही है बल्कि समाज में काफी बुराइयां इससे बढ़ती हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ती है लोगों को काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं होगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। हर चीज इससे जुड़ी हुई है और वह बढ़ती है सदन में काफी चर्चा हुई मैं तो कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने समय सीमा बांध दी है तो मैं कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा।

एक बाल विवाह के ऊपर सुझाव देना चाहता हूं। यह सब मानते हैंकि बाल विवाह गलत है और यह राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए, जितने लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं सब विरोध करते हैं पर दौड़कर आगे से आगे बाल विवाह में कन्या दान करने जाते हैं मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इच्छा

(श्री जुबेर खां)

शक्ति नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, तब तक इस प्रोग्राम को लागू नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार का रजिस्ट्रेशन करती है जन्म के टाइम और मृत्यु के समय भी होता है तो मेरा सुझाव है कि विवाह के समय भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

श्री सम्पतसिंह : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अगर बाल विवाह नहीं करे गांवों में पिछड़ी जातियां और 18-20 साल तक इन्तजार करें स्कूल कालेज है नहीं। क्या यह सम्भव है क्या ?

श्री जुबेर खां : नगर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा तो इसलिए हो रही है कि कठिनाइयों को दूर करें।

श्री सम्पतसिंह : कोई तरक्की किसी देश ने नहीं की है। आप समग्र विकास करने का सुझाव दीजिए। जिस गांव में स्कूल नहीं, औषधालय नहीं, कोई शिक्षा का साधन नहीं। वह अपनी बहन बेटियों को 20 साल तक बैठाये रखेंगे ? बीस साल की हो जायेगी तब करेंगे। बड़े आये अंग्रेज।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाल विवाह पर जितनी रोक लगा सकें, लगानी चाहिए। एक मेरा सुझाव नसबन्दी के जो शिविर लगते हैं। चिकित्सा मंत्री महोदय आपके पास यह ध्यान में आया होगा कि जितने केस लाने की बात होती है चाहे पटवारी के माध्यम से केस लाने की बात करें, या अध्यापक के माध्यम से केस लाने की बात करें या तहसीलदार और एस. डी. ओ. के माध्यम से केस लाने की बात करें क्योंकि आपका डण्डा होता है, टार्गेट लाने होते हैं, कभी यह नहीं सोचते हैं कि हम यह केसेज ला रहे हैं। यह हकीकत में ऐसे हैं केसेज हैं जिनसे जनसंख्या रूकेगी या नहीं। उनको टार्गेट पूरे करने होते हैं, उनको कोटा पूरा करना होता है, इसलिए ऐसे लोगों का भी आपरेशन करते हैं जिनका जनसंख्या वृद्धि में अब कोई रोल नहीं रह जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप टार्गेट बनाते समय तय करें कि ऐसे लोगों को लिया जायेगा तो वास्तव में आपको लक्ष्यों में सफलता मिलेगी।

एक मेरा यह निवेदन है कि जैसा माननीय सदस्य गुलाबसिंह जी कह रहे थे कि शहरों की जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं बढ़ रही है। चूंकि माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है इसलिए बढ़ रही है। जहां शिक्षा का प्रसार करना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में करिये क्योंकि शहरों में तो हर पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी और कहां से मकान बनायेंगे, कहां से खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। शहरों में तो शिक्षा इतनी महंगी हो गयी है कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ग्रामीण स्तर पर करायें क्योंकि किसानों के मन में यह भावना आने लगी है कि ज्यादा जनसंख्या उपयुक्त नहीं है क्योंकि जमीन तो लगी बंधी है लेकिन उन लोगों की मजबूरी है कि उन लोगों के पास इस तरह की शिक्षा नहीं है। आपको कोई न कोई इन्सेंटिव या डीसेन्टिव स्कीम चलानी होगी। मेरा यह मानना है कि इस सदन को प्रस्ताव

(श्री जुबेर खां)

पास करना चाहिए चाहे कोई भी माननीय सदस्य हो, जन प्रतिनिधि हो किसी आधार पर हो, केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करे कि राजस्थान असेम्बली ने प्रस्ताव पास किया है कि जितने भी जन-प्रतिनिधि का चुनाव होता है उनकी योग्यता के लिए जन-सख्या का क्रायटेरिया रखा जाय। दूसरा यह निवेदन है कि इस सदन को संकल्प लेना चाहिए। बात इतनी गम्भीर है, गम्भीर समस्या है और सारे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं तो सदन को संकल्प लेना चाहिए कि हर माननीय सदस्य, हर तरह से कोशिश करेगा कि बढ़ी हुई जनसंख्या को किस तरह से कम किया जाय और इसमें उनको क्या भागीदार हो सकती है। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है। जिस तरह से (व्यवधान)····

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, मेरे बुलाने में भी कोई रीजन्स हो सकते हैं। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप संक्षेप में करिये।

श्री सम्पतसिंह : यह मानेंगे नहीं। सिवाय भाषण देने के लिए कह रहे हैं। बच्चे जचके पैदा करेंगे और हमें बोलने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए जुबेर खां जी। एक आध सुझाव और दे दें।

श्री जुबेर खां : सम्पतसिंह जी नहीं चाहते हैं ज्यादा बोलूं इसलिए समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पता नहीं स्थगन प्रस्ताव और दूसरे मोशन साथ में ले लिये हैं। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा दूसरा है। जनसंख्या पर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं अभी इसी पर चल रहा है। मेरे पास सूचना आयी है। एक उजला अरोड़ा और अरुण जी और एक नाम और आया है।

माननीय उजला अरोड़ा जी, बोलिए।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन को चलाने में कभी तो माननीय अध्यक्ष महोदय इतने कठोर हो जाते हैं कि उनको क्या होता है कि गर्म हो जाते हैं और दूसरे इतने लीनीयेण्ट हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं सवाल के सिवाय कुछ नहीं कहने दूंगा 131 पर या ध्यानाकर्षण पर। एक तरफ सारा सदन, जनसंख्या की समस्या है लेकिन 131 के माध्यम से। सारा समय इसको दे चुके हैं। डिमाण्ड रह जायेगी। दूसरे प्रस्ताव रह जायेंगे। आसन की व्यवस्था चाहते हैं। आपकी मंशा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मर्जी क्या है? चर्चा चलाइये यह प्रक्रिया के नियमों के साथ चलायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा अन्तिम वक्ता हैं।

श्री सम्पतसिंह : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूं। खाम खा के उपदेश दिला रहे हैं। मंत्री जी ने उपदेश दे दिया, उधर

(श्री सम्पतसिंह)

माननीय सदस्य दे रहे हैं और जनसंख्या सब बढ़ा रहे हैं (व्यवधान) आप कानून बनाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जी जवाब दें ।....(व्यवधान) आर्डर प्लीज । आप बिराजें । तारा जी, आप बैठें, आप चेयर को डाइरेक्शन नहीं दे सकतीं । श्री हीरालाल जी आर्य, बैठे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर अपने विभाग की सारी सुचारु व्यवस्था के बारे में बताया, निश्चित रूप से यह प्रयास अच्छे हैं लेकिन इतना होते हुए भी मैं कहना चाहूंगी कि उक्त विभाग का कार्य चिकित्सा कार्य करना है अगर परिवार नियोजन का निदेशालय अलग से बनाया जाये तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी । मैंने मेरे बजट भाषण में भी आपको सुझाव दिया था अगर अलग से इसका निदेशालय बनायेंगे तो निश्चित रूप से सभी आयामों पर सारे आस्पेक्ट्स को देखकर निश्चित रूप से सारी व्यवस्था कर सकेंगे कि इसके प्रचार-प्रसार के लिये क्या गति देनी चाहिये । क्या सेमिनार करनी चाहिये, क्या गोष्टियां करनी चाहियें क्या छवि चित्रों में इस भयावह स्थिति के ऊपर जागरूकता के ऐसा उसको फिल्मायें कि लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं उससे भी ज्यादा छविअंकन का प्रभाव लोगों पर पड़ता है । पहले के समय में छोटे-छोटे नाटकों से, कटपुतली के प्रोग्राम थे । इन प्रोगाम्ज को अपनाया जा सकता था अब भी अपनाया जा सकता है, यह मैं कहना चाहूंगी । मान्यवर, अधिक सख्या में लिटरेचर पंचायत समितियों में भेजना चाहिए और पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पहले प्रोग्राम चला था, अधिक पैसा देकर के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सम्पतसिंह जी, सहयोग करो । आप वरिष्ठ सदस्य हैं । एक मिनट में ओवर हो रहा है ।

श्री सम्पतसिंह : एक निवेदन है एटलैंथ डिबेट करा लीजिये लेकिन सबके आखिर में रख दीजिये तो देखेंगे कितने माननीय सदस्य बैठ रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, एक मिनट और बोल जाइये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो वैसे ही बैठ जाती हूं । मैं अनावश्यक विवाद में पड़ना नहीं चाहती । सम्पतसिंह जी पता नहीं क्यों बैचेन में बोल रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है मेरे बोलने से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, बिराजें आप । माननीय सम्पतसिंह जी । what is this ?

गुलाबसिंह जी, बिराज जाइये आप । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं सारे माननीय सदस्यों का जिन्होंने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी, माननीय उजला जी, आपस में बात नहीं करें । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कितने अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की दृष्टि से दिये और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। इस चर्चा में प्रदेश की जनता को भी एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया है। आज हम सारे प्रतिनिधि जो सारे राजस्थान से चुनकर विधान सभा में आये हैं राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे द्वारा की हुई सार्थक चर्चा राजस्थान की जनता को भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए बहुत बड़ी सहयोगी होगी। उसी प्रकार हमारी यह चर्चा वर्तमान सरकार को और केन्द्रीय सरकार को भी जिस-जिस इन्सेन्टिव्स की चर्चा यहां पर की है उस दृष्टि से भी बहुत राह दिखाने वाली होगी। जितना यह पब्लिक डिबेट का इश्यू बनेगा, बात जनता में से यह निकल कर आयेगी उतने ही उस प्रकार के उपाय बनाने के कारण इस सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम को ठीक रूप से हम लागू कर सकेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से सदन के सभी बन्धुओं को इन सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

(2) गंगा-यमुना नदियों के पानी में राजस्थान का हिस्सा

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री यदुनाथ सिंह, श्री नत्थीसिंह, श्री अरूणसिंह, डा. चन्द्रभान, श्री सम्पतसिंह, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री रामकिशन, श्री रामप्रसाद, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री निर्भयलाल, प्रो. केदारनाथ गंगा-यमुना नदियों में राजस्थान राज्य का हिस्सा होते हुए भी राज्य सरकार की उदासीनता व उत्तर प्रदेश सरकार के अडियल रवैये के कारण अभी तक जल का बटवारा न होने से राज्य के हितों पर हो रहे कुठाराघात की ओर सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री यदुनाथसिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का गंगा-यमुना के पानी में बरती जा रही उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह : आन ए पाइन्ट ग्राफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह विभाग इन मंत्री जी के पास नहीं है। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं विद्वान् भी है लेकिन जितना यह गम्भीर विषय है, राजस्थान के लिए जितना महत्वपूर्ण विषय है उसका उत्तर देने के अगर कोई लायक हैं तो स्वयं मुख्य मंत्री हैं। क्योंकि अन्तर्राज्य नदी जल विवाद का विभाग भी उन्हीं के पास है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, वह मेरी बात सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको बुलवा लें। इस विषय पर चर्चा उन्हीं के द्वारा की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जी।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : अगर आप की इजाजत हो तो यह स्टेटमेंट

(श्री कैलाश मेघवाल)

तो मैं पढ़ दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : वह आ गये हैं

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल (सिचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

यमुना जल के फलो वाटर की राजस्थान को देय हिस्से की मांग सर्व प्रथम 1955 में उठाते हुए केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया था ..

श्री यदुनाथ सिंह : 1950 में।

श्री कैलाश मेघवाल : 1955। आप सुन लीजिये। थोड़ा इधर-उधर हो सकती है तारीखें। हमारा जो रिकार्ड है उसमें 1955 है। मैं वही स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसके पास जो तथ्य हैं वह सामने आ जायेंगे जब वह अपनी बात रखेंगे। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : यह रिकार्ड पार्टी का है या सरकार का ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप जानते हैं यहां पर जो वक्तव्य दिया जाता है वह सरकार के रिकार्ड से ही दिया जाता है। वह आपको मालूम है।

इससे राजस्थान के झुंझुनूं, चूरू, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में 2.55 मिलयन एकड़ फिट पानी की मांग सिंचाई के लिये प्रस्तावित की है। जिससे करीब 8.85 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा 1.667 मिलियन एकड़ फिट पेयजल की मांग की गई है। इस प्रकार से यमुना जल से कुल मांग 4.217 मिलियन एकड़ फिट है। यमुना जल के हिस्से के लिए राजस्थान सरकार लम्बे समय से जोर देती आ रही है। अन्ततः अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनी जिसने अप्रैल, 1985 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजस्थान के चूरु एवं झुंझुनूं जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु 1 लाख एकड़ फिट की सिफारिश की जिस पर अन्तिम निर्णय होना है। बिसाऊ बांध एवं नये ओखला बैराज में राजस्थान का हिस्सा यमुना जल के बंटवारे के साथ में जुड़ा हुआ है। जल का अन्तिम बंटवारा होने पर ही इस प्रकरण पर निर्णय हो सकेगा। इस तरह राजस्थान के वन्य जीवन एवं पेयजल की आवश्यकता की यमुना से आपूर्ति की मांग भी विचाराधीन है। यमुना जल के उपयोग के लिए गुडगांव नहर परियोजना का सिंचित क्षेत्र 28200 हैक्टेयर है एवं मार्च 91 तक 20155 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। मुख्य नहर का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है तथा वितरिकाओं तथा छोटी नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1994-95 में पूरा होना प्रस्तावित है। गंगा नदी के सरप्लस नदी वाटर में हिस्से की मांग गंगा बाढ़ नियन्त्रण मण्डल की पहली बैठक में दिनांक 3-6-72 को उठाई गई थी और

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसमें राजस्थान व हरियाणा अपने-अपने समुचित प्रस्ताव पेश करने को कहा गया था। गंगा नदी के सरप्लस वाटर को राजस्थान में परावर्तन हेतु केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मन्त्रालय एवं गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना को दिनांक 1-12-1972 को मांग प्रेषित की, जिसमें 40 हजार क्यूसेक्स बाढ़ जल का वर्ष में 50 दिनों के लिए बिजनौर के पास एक बैराज निर्माण कर अथवा वर्तमान में नरोरा बैराज से राजस्थान के झुंझुनूं, चूरू, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर एवं जालौर जिलों में सिंचाई हेतु प्रस्तावित किया गया है। गंगा बेसिन में होने के कारण राजस्थान ने टिहरी बांध में 10 प्रतिशत जल एवं 10 प्रतिशत बिजली के हिस्से की मांग की है। राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिलों के सूखे क्षेत्रों में पीने के लिए भी इस जल की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता है। भरततुर की फीडर में प्रारूप अनुबन्ध के अनुसार जब भी आगरा नहर में मानसून के दौरान सरप्लस फ्लड वाटर होता है तभी उत्तर प्रदेश पानी छोड़ता है। इस जल से प्रथमतः पेयजल हेतु तालाब भरे जाते हैं. तदुपरान्त सिंचाई की जाती है। इस वर्ष 1991-92 में लगभग सात हजार एकड़ क्षेत्रों में सिंचाई की गयी। इस फीडर की कुछ वितरिकाओं की क्षीण हालत ठीक करने हेतु राज्य सरकार जागरूक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राज्यीय मामले अपने आप में बहुत उलझे हुए और संवेदनशील होते हैं, जिनके निपटारे हेतु लगातार प्रयत्नशील रहना होता है। राजस्थान की इन मांगों के समीचीन समाधान हेतु पिछले दो सालों से माननीय मुख्य मंत्री जी ने तेजी से प्रयास प्रारम्भ किये हैं और वे हर स्तर पर नियमित आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस विधान सभा में आया हूं लगातार मेरा प्रयास होता है कि राजस्थान में सिंचाई के साधनों का किस प्रकार विस्तार किया जाय। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का दो तिहाई भू-भाग रेगिस्तान है। अगर हम पूरी राजस्थान कैनाल का निर्माण कर लें, रावी-व्यास के पानी का उपयोग कर लें, माही के पानी का उपयोग कर लें, चम्बल के पानी का उपयोग कर लें, नर्मदा के पानी का उपयोग कर लें और अपने जो इण्टरनल रिसोर्सेज हैं उनका अण्डरग्राउण्ड वाटर का उपयोग कर लें तो राजस्थान की जो 26.60 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है उसमें से सिर्फ 6 मिलियन हैक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई कर पाएंगे। राजस्थान में हर साल अकाल पड़ते हैं, रेगिस्तान बढ़ रहा है। 20 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के स्रोतों को हमें ढूंढना होगा और उसके लिए गम्भीर और अथक प्रयास करने होंगे। जब हम इन स्रोतों की खोज की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमारी दृष्टि गंगा और यमुना के पानी की ओर जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, संसार में और हिन्दुस्तान में पानी के बंटवारे के कुछ सिद्धान्त बने हुए हैं। बेसिन स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी का सिद्धान्त हिन्दुस्तान में प्रतिपादित है। यहां पर जितने भी नदी जल के बंटवारे

(श्री यदुनाथसिंह)

हुए वे बेसिन स्टेट्स के बीच में हुए हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग गंगा बेसिन में आता है, यमुना बेसिन में आता है। यमुना खुद ही एक तरह से गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तीन लाख 80 हजार स्क्वायर मील इसका कैचमैण्ट है। देश का 30 प्रतिशत जल गंगा से उपलब्ध होता है। इस नदी में से राजस्थान की हिस्सेदारी का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर, ये ऐसे इलाके हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां पानी के दूसरे साधन नहीं होने के कारण इस पानी को लेना बहुत आवश्यक है। मुझे दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का कि शुरू से ही जिस प्रकार हमने रावी-ब्यास का पानी लेने का प्रयास किया, और नदियों का पानी लेने का प्रयास किया, गंगा-यमुना के लिए हमने गम्भीर प्रयास नहीं किये। जो कुछ प्रयास हुए हैं वे 1981 के बाद इन नदियों का पानी लेने के बारे में गम्भीर प्रयास हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर लेवल पर चिट्ठी-पत्री चली। आपको आश्चर्य होगा कि 1962 में श्री नाथूराम जी मिर्धा यमुना वाटर की एक मीटिंग में उपस्थित हुए, उसके बाद 1980 के दशक के बाद ही मंत्री और मुख्य मंत्री स्तर की मीटिंगें इसके बारे में होने लगीं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले दो वर्षों में, गंगा वाटर की तो नहीं कहता, यमुना वाटर के मामले में सरकार के प्रयासों से हम काफी आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि यमुना के पानी में से जो 1.667 मिलियन एकड़ फीट पानी हमने मांगा है, बहुत शीघ्र ही कम से कम वह हिस्सा हमें मिलेगा और चूरू, झुंझुनूं, भरतपुर, अलवर और धौलपुर इन इलाकों को हम पीने के पानी के संकट से बचा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार हमारा इनमें सहयोग नहीं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश लगातार कह देता है कि यमुना में अधिकाय पानी नहीं है और केन्द्र सरकार के मंत्री स्तर के लोग उस बात को सच मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हर तीसरे-छठे महीने पानी में राजस्थान की हिस्सेदारी का क्लेम केन्द्र सरकार के सामने लगातार रखता रहा हूं। मैं एक-दो पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, कि केन्द्रीय मन्त्रियों की मंशा क्या है और क्यों हम इस पानी को अभी तक लेने में सफल नहीं हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र 20 जुलाई, 1981 को राव वीरेन्द्रसिंह जी को लिखा। रावी-ब्यास का भी साथ लिखा था, एग्रीमैण्ट हुआ उसके बाद। उसका जवाब वे देते हैं :

"Regarding your apprehension,-you have suggested that some allocation should be made to Rajasthan out of the waters of the Yamuna and Ganga rivers, In respect of the Yamuna waters, the matter is already under consideration and discussions are continuting at appropriate levels with the representatives of the concerned States, including Rajasthan to determine their respective shares. The position regarding

(श्री यदुनाथ सिंह)

waters of the Ganga, however, is different. The Uttar Pradesh Government has repeatedly held that there is no surplus water from this river. As such, there may not be much scope for additional supplies to Rajasthan from river Ganga. You have also mentioned the problem of famines caused by droughts in Rajasthan." यानि, राव वीरेन्द्र सिंह जी ने जो सिंचाई मंत्री थे, एक तरह से उत्तर प्रदेश ने जो कहा उसको एण्डोर्स करके राजस्थान के हितों की अनदेखी करने का काम किया है। फिर मैंने केदार पाण्डे मंत्री थे, उनको पत्र लिखा। उन्होंने जवाब यह दिया : "On the basis of preliminary study made by the Central Water Commission, with the available data the proposal of diversion of surplus flood waters of Ganga at Hardwar does not seem to be feasible the likely surplus water at Naroda, even now, inadequate to meet the demands of the region and also imerge a considerable high lift. The proposal of taking a canal from Bijnor may involve comparatively lower lift, but there too inadequate quantities of surplus flood water may not be available at this point. You will realise that for such a proposal, active co-operation of Uttar Pradesh Government will be necessary. We have, therefore, requested U. P. Government to indicate their views in this regard. According to the Uttar Pradesh Government, there will not be any surplus available even during the Monsoon season for diversion after implementation of various propasal planned by them Therefore, this will clarify the position."

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैंने वी. शंकरानन्द को चिट्ठी लिखी। उन्होंने भी एक तरह से, वही मान लिया जो उत्तर प्रदेश कह रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगा नदी का हमारे पास जो कुछ डाटा आज मौजूद है उसके अनुसार नरोरा और बिजनौर के ऊपर उसमें बहुत सरप्लस पानी मौजूद है। गंगा नदी में 49.40 मिलियन हैक्टेयर मीटर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी, थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, वक्ता 7-8 और भी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : गंगा नदी में 49.40 मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी मौजूद है। प्रजेण्ट यूज जो गंगा का है वह 18.50 मिलियन हैक्टेयर मीटर है। अब गंगा-कावेरी लिंक का प्रस्ताव पड़ा हुआ है, हमारी गंगा लूणी लिंक का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। अगर बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी देने के लिए गंगा-कावेरी लिंक योजना को लागू भी किया जाय तो 2.60 मिलियन एकड़ मीटर पानी का और उपयोग होगा। गंगा-लूणी लिंक के लिए 1.60 मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी का उपयोग हम करें तो गंगा का टोटल उपयोग फिर

(श्री यदुनाथसिंह)

भी 5.70 मिलियन हैक्टेयर मीटर होता है। यानी 26.6 मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी गंगा में फिर भी सरप्लस बचता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश कह दे और केन्द्र सरकार उसको एण्डोर्स कर दे तो यह हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारे हित में किसी प्रकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एक तरफ तो कहता है कि गंगा में अधिकाय पानी नहीं है और दूसरी तरफ गंगा नदी पर लगातार नयी-नयी योजनाएं बनाता चला जा रहा है। जैसा मैंने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी अंकित किया है, उत्तर प्रदेश यमुना नदी पर अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल के अलावा दो और बड़ी कैनाल बना रहा है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि जब तक गंगा नदी के जल के बंटवारे का सवाल तय नहीं हो जाता विभिन्न स्टेट्स के बीच में, तब तक किस प्रकार केन्द्रीय जल आयोग, प्लानिंग कमीशन और यहां तक कि वर्ल्ड बैंक उनको सहायता देने का काम कर रहा है। मध्य गंगा कैनाल और उत्तरी गंगा कैनाल, दो बहुत बड़ी कैनाल बनाने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। टिहरी डैम बना रहा है। टिहरी डैम ही नहीं, कई डैम उत्तर प्रदेश गंगा नदी पर बनाने का काम कर रहा है और 6.65 मिलियन एकड़ फीट पानी को स्टोर करने का काम करेगा। टिहरी पर 2.12, कोटियाल हिल पर 2.13, स्यातू पर 0.9 और कर्ण प्रयाग वगैरह इन पर 1.50–यानी, 6.65 मिलियन एकड़ फीट पानी लेने का काम उत्तर प्रदेश कर ले और हमारे क्षेत्र के लिए बिजली के हिस्से का सवाल, पानी के हिस्से का सवाल नकार दिया जाय, यह कोई उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश टिहरी डैम के बाद जिन क्षेत्रों में सिंचाई करेगा वे हैं मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और नीचे तक। वह इस क्षेत्र में अपनी इण्टेंन्सिटी को बढ़ाएगा, जहां पर पहले से ही यमुना नदी से सिंचाई के साधन मौजूद हैं। वहां पर वह इण्टेन्सिटी को दुगनी करने का काम करेगा। एक तरफ केन्द्र सरकार यह छूट दे दे कि वह अपनी इण्टेन्सिटी को बढ़ावे और दूसरी तरफ राजस्थान के जो सूखे क्षेत्र हैं उन सूखे क्षेत्रों को पानी उपलब्ध नहीं हो, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिये मेरा करबद्ध निवेदन है केन्द्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और हरियाणा सरकार से कि मानवीय दृष्टिकोण अपनायें और राजस्थान के जो हक हैं उन पर अच्छी तरह विचार करें और भाईचारे के हिसाब से इस मसले को तय करने का काम करें।

यहां तक यमुना नदी के जल के बंटवारे का सवाल है, मुझे खुशी है कि हम दो कदम आगे बढ़े हैं. लेकिन इसमें भी जिस तेजी से हमें काम करना चाहिये उसी तेजी से काम हुआ नहीं। और तेजी से हमें काम करना चाहिये। लेकिन मुझे खेद है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस जमुना नदी के पानी के लिये अभी मंत्री महोदय ने कहा कि 1954 से हमने प्रयास शुरु किये। जी नहीं। हमने 1905 में यमुना नदी के पानी को राजस्थान में लाने के सवाल को उठाया था और 1905 और 1909 में दो समझौते भी उत्तर प्रदेश सरकार से हुए जिसमें डीग एसकेप 40 क्युसेक्स और हथीन एसकेप 60 क्युसेक्स पानी देने का करार हैं और वह करार हमारा आज तक मौजूद है। इसी

(श्री यदुनाथसिंह)

प्रकार से यमुना नदी से, जो सी. डब्ल्यू. सी. की लाइब्रेरी में रिकार्ड मौजूद है, उसमें पंजाब के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से, भाखरा तहसील से 4.7 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये व्यवस्था थी। यानि हम आजादी से पहले जो पानी लाने का प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों को, माननीय मंत्री महोदय, 1954 के प्रयास मत कहिये।

आजादी के बाद राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने पहली बार 23-4-50 को पत्र लिखा कि यमुना नदी में हमारा हिस्सा तय किया जाये। यमुना नदी का पानी मिले और इन क्षेत्रों में बहार आयें। यमुना नदी पर जो भी परियोजनाएं बन रही है, मुझे आश्चर्य होता है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री को कई पत्र भी लिखे, अभी सवाल आया कि नया ओखला बैराज का निर्माण हो रहा है। नये ओखला बैराज के निर्माण के बाद आगरा कैनाल में 3210 क्युसेक्स अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। उस पानी को उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा ने आपस में बांट लिया, हमको पूछा तक नहीं। हमारे शेयर का 500 क्युसेक्स पानी, उसमें हम कास्ट शेयर करें, वह सारा पानी आगरा कैनाल को दे रहे हैं, ओखला बैराज को बैराज को दे रहें हैं। हमारे पानी को नकार दिया गया और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह है कि हमने अपनी राजस्थान की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख दिया, आपकी यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट है गुडगांवा कैनाल, जिला भरतपुर के बारे में, यह 1985 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसके पृष्ठ 30 पर आप पढ़िये। राजस्थान और हरियाणा के बीच में 1.2:0.5 के रेश्यो में पानी का बंटवारा होगा गुड़गांवा कैनाल से, और जब कभी पानी घटेगा बढ़ेगा, तो इसी रेश्यो में घटेगा बढ़ेगा। लेकिन हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम खुद ही लिख रहे हैं। अपने अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं उसमें लिखा है:

"On the basis of daily discharges of river Yamuna at Okhla weir, supplier more than 5350 cuescs are avilable for 90 days on an average during the months of July to November. The distribution of these supplies amongst participating States will be as under:

Uttar Pradesh 3250 cusecs;

Punjab now Haryana : 1600 cusecs;

Rajasthan 500 cusecs."

बाद में नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमने क्या जोड़ा है, ओखला बैराज बनने के बाद "Recently in the revised estimate of construction of New Okhla Barrage, which has also been nearly completed by Uttar Pradesh, the allocation of water for various States has been provided as under: Agra canal–4000 cusecs, For Harya–1740 cusecs.

यानि 1600 क्युसेक्स से तो हमने 1740 क्युसेक्स कर दिया और राजस्थान 500 क्युसेक्स और बदरपुर थर्मल 60 क्युसेक्स यानि बदरपुर थर्मल को भी दिया है हमने फिर एक्स्ट्रा 20 प्रतिशत सिल्ट

(श्री यदुनाथसिंह)

इजेक्टर के लिए रखा वह ठीक है और 1000 क्यूसेक्स आगरा कैनाल की फ्यूचर डिमांड के लिये। यानि जो पानी बढ़ा ओखला बैराज में, हम पैसा दें, हमारा पैसा लगे और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश और हरियाणा उस पानी को आपस में बाट लें और राजस्थान उसमें क्लेम तक नहीं करें यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर फीडर और गुडगांवा कैनाल का इन्होंने जिक्र किया हरियाणा ने गुडगांवा कैनाल की केपेसिटी 100 क्यूसेक्स से ज्यादा छोड़ी नहीं है। हरियाणा ने एक्स रेग्यूलेटर लगा लिये, रेग्यूलेटर्स लगा लिये। पम्प लग रहे हैं, उसकी कैपिसिटी घटाकर 100 क्युसेक्स कर दी। वह ही हालत भरतपुर फीडर की कर रखी है जीर्ण-शीर्ण अवस्था में।

इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार से आप बात करके न सिर्फ कैनाल की ओरीजनल कैपेसिटी को कम नहीं करेंगे, जो फन्ड्स हैं वह फन्ड्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही अब आने वाली गर्मी के लिये आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से बातचीत करके इस गर्मी के मौसम में पानी दिलाने का काम करेंगे। गुड़गांवा कैनाल की क्या स्थिति है, भरतपुर फीडर की क्या स्थिति है, उसके बारे में मेरे अन्य साथी गण विचार रखेंगे। तो मैं यह ही निवेदन करता हूं कि पानी की राजस्थान को बहुत आवश्यकता है, और पानी को लेने के लिये हमको गम्भीर प्रयास करने चाहिये।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो बातों का विशेष जिक्र है। एक तो यमुना और गंगा के पानी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की उदासीनता और दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरी सरकारों की हठधर्मिता जिसके कारण से आज हमें पानी नहीं मिलता। जैसा अभी हमारे माननीय विधायक साथी ने कहा कि 1905 से हम पानी की मांग कर रहे हैं। पानी की मांग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आज से कुछ दिन पहले जब हम भरतपुर के पानी का जिक्र कर रहे थे तब मुख्य मंत्री जी एकदम से खड़े हो गये और कहने लग गये थे कि यह नदियां रूकी थीं कांग्रेस के जमाने में। लेकिन आपको याद होगा कि आप भी यहां बैठते थे और हम भी यहां बैठते थे तब माननीय श्री सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री थे और जब यह नदियां बांधी जा रही थी तब भरतपुर से आने वाले हम लोगों ने उस वक्त मांग की थीं कि भरतपुर सूखा रह जायेगा, पानी नहीं रहेगा। यमुना से पानी का प्रबन्ध करिए, नदियों को बांधिये चाहे वह रूपारेल हो, चाहे बाणगंगा हो, चाहे गम्भीर हो। मगर यह बात उस समय की बहरी राजस्थान की सरकार के कान पर पड़ी नहीं, उसे सुनी नहीं। उसके बाद सन् 1972 में माननीय मुख्य मंत्री जी राज्य सभा में थे और मैं भी था। आज हमारे

(श्री नत्थीसिंह)

बीच में रहे नहीं, कहूंगा कि स्वर्गीय राजबहादुरजी वह बहुत प्रयत्नरत थे। यह फैसला हुआ कि ओखला बैराज बनना था उसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपये राजस्थान सरकार को अपने हिस्से का देना था लेकिन राजस्थान सरकार सोती रही उस वक्त और 1985 में जब हम लोग यहां पर चुनकर आये तीसरी बार तब हमने फिर मांग उठाई तब 10 लाख रुपये उस वक्त की सिंचाई मंत्री, माननीय श्रीमती कमला जी थी, उन्होंने वहां पर जमा करवाये। जो उचन्त खाते में जमा करा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष तक आप सोते रहे और अब आये हो ? यह उदासीनता रही है। अगर यह नहीं रहती तो हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता कि जितना हमने सफर किया है। हमने तो तब भी कहा था चाहे गंगा का पानी हो, यमुना का पानी हो उसमें हमारा हक बनता है-यह तो सब के सब मानते हैं लेकिन कहते हैं कि गंगा में पानी नहीं है। स्वर्गीय श्री कमलापति जी त्रिपाठी उस समय कांग्रेस के राज्य सभा में हमारे नेता थे, मैंने उनसे कहा था कि पंडितजी आप तो ऐसा मत कहिए काशी और गंगा में तो सब शामिल है और आप कैसे यह बात कहते हैं लेकिन आज तक वही बात दोहराई जा रही है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि अब जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में हमारे मुख्य मंत्री जी तो गए हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने और मुख्य मंत्री शामिल हुए हैं ? और मुख्य मंत्री आते ही नहीं हैं, वह कभी किसी मंत्री को भेज देते हैं या अधिकारी को भेज देते हैं, क्योंकि वह हमारे हक को देना नहीं चाहते हैं। इसलिए जरूरी तो यह है कि हमारा हक मिले इसके लिए हमें निश्चित रूप से यह आवाज उठानी जरूरी है। एक तो यह कह दिया भरतपुर फीडर के सम्बन्ध में कि गुड़गांवां कैनाल पर बड़ी मन्थर गति से काम हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। हमने कहा कि दोनों सरकारों ने, हरियाणा सरकार ने और यू. पी की सरकार ने एक तरह से दोषारोपित किया है कि आपने अपनी कैपिसिटी डवलप नहीं की। जितना हमारा समझौता था उतना पानी ले सकें यह क्षमता न भरतपुर फीडर में हमने की, न गुडगांवां कैनाल में की और उसी का नतीजा हुआ कि उन दोनों सरकारों ने उस पानी को रोकने का काम किया और आज भी जैसा आपने कहा कि क्षतिग्रस्त है उसको ठीक करिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर हम पानी लेना चाहते हैं इन दोनों में तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वह जमाना चला गया, आज आप कितनी ही चिट्ठियां लिखते जायं, कितना ही अनुनय-विनय कर लीजिए कोई पानी देने वाला नहीं है। पानी लेने के लिए आपको जनता में चेतना जगानी होगी, जन-आन्दोलन संगठित करना होगा और थोड़ा खुद को भी कड़ा बनाना होगा। हरियाणा ने न्याय युद्ध चलाया तब उनको यमुना-सतलज लिंक बनाने के सम्बन्ध में बात हुई, वरना पंजाब सुनता ही नहीं था। कावेरी विवाद शुरू हुआ है, दोनों राज्यों में जब संघर्ष की स्थिति तो सरकार कुछ सुन रही है लेकिन आपके यहां तो कुछ है ही नहीं। अब तक तो हम समझते थे कि हमें

(श्री नत्थीसिंह)

ही पानी चाहिए लेकिन अब तो पूरे राजस्थान के उन जिलों को जो पानी से महरूम हैं उन सारे जिलों में गंगा-यमुना का पानी मिलना कड़ी बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में हम कई बार कहते रहे हैं तो उस समय बहरी सरकार थी उससे भी मांग की और आप से भी मांग करते आ रहे हैं कि चम्बल का पानी रोक कर जिस पानी को यू. पी. आज सौ करोड़ रुपये की योजना बनाकर पानी ले जा रहा है। ठीक है कि अभी कुछ रुकावट आई है लेकिन उस चम्बल के पानी को हमारे इन जिलों में दीजिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए उसको रोकिए ताकि वह मजबूर हों, इनमें भी ताकत आ गई है, ये बिना रीढ़ के नहीं हैं, रीढ़ वाले बनिए।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज जो आपकी जरूरत है हमें आवाज उठानी चाहिए कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है, कह तो दिया श्रीमती इन्दिराजी के जमाने में कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को जो पानी के लिए सबसे ज्यादा त्रसित हैं पीड़ित हैं और आवश्यकता है ठीक है, उसके लिए हमारा आन्दोलन होना चाहिए, जन आन्दोलन होना चाहिए, सब पार्टी के लोग, पार्टी हितों से ऊपर उठकर कहें कि इन नदियों का पानी हमें मिले, जल राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाय और रीवर बोर्ड बने। क्योंकि जहां से नदियां निकलती हैं वहां की राज्य सरकारें दादागिरी करने लग जाती हैं कि पानी हम नहीं देंगे और वह पानी पर कब्जा कर लेती हैं। इनको हम कब रोक पायेंगे, उनको तभी रोक पायेंगे जब राजस्थान भृकुटी तनी हुई लगे।

ठीक है कि आप मीटिंग्स में जाते हैं, कहते भी बहुत हैं लेकिन उनका असर नहीं होता है। मैं भी गया हूं एक बार आपकी मीटिंग्स में, आप अकेले ही मुख्य मंत्री थे। कोई आया ही नहीं। आपने कहा, खूब कहा आपने कोशिश रखने में कोई कमी नहीं रखी लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब तो यहां सरकार में भी आपके मित्र हैं, आपकी पार्टी के है, उन पर आपका दबाव हो, अपना असर यहां करवायें कि वह पानी की हठधर्मीता छोड़ें और हमें पानी दें। नहीं तो राजस्थान की जनता को आन्दोलन के पथ पर संगठित करके बढ़ाना होगा तभी पानी मिलेगा। नहीं तो हम यों ही रह जायेंगे। एक विधान सभा का कार्यकाल खत्म हो जायेगा, दूसरी विधान सभा आ जायेगी और राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। चम्बल के पानी को राजस्थान में रोकिए और उसको हमें दीजिए, जन-आन्दोलन बनाइए, सक्रिय बनिये और यह जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है, कोई दादागिरी नहीं है जहां से नदियां निकलती है उनकी और रीवर बोर्ड बने और हमारे हक हमको मिले। लीड लीजिए तब जाकर कुछ मिलेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं नहीं है। नहीं तो हमारे अधीर की सीमा आ चुकी है और निराशा की सीमा आ चुकी है। इसलिए यों ही रहे तो इस पानी में हमारा हिस्सा मिलने वाला नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से आन्दोलनात्मक रुख अपनाना चाहिए जब पानी मिलेगा उसके अलावा नहीं मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अरूणसिंह जी ।

श्री अरूणसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री, श्री कैलाश मेघवाल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुड़गांवां कैनाल का अभी जिक्र किया गया है । गुड़गांवां कैनाल का मैन कैनाल अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है । 1966 में वह चालू हुई और 1994 में वह कम्प्लीट होने का सरकार ने टार्गेट बनाया था । पर आज की तारीख में न डिस्ट्रीब्यूटरीज, छोटी या माइनर उन पर काम चल रहा है । ऐसी हालत में राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने कामां क्षेत्र से 2 सब डिवीजन राजनीतिक कारणों से झालावाड़ ट्रांसफर कर दिए थे 1986 में पहले और अब दुबारा पूर्व सिंचाई मंत्री जी ने आदेश कर दिए यह पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय है । 1986 में राजनीतिक कारणों से इन दो सब डिवीजनों को हटाया गया फिर भरतपुर के लोगों ने आन्दोलन किया और दोनों सब डिवीजन वापस आये । इसलिए मंत्री महोदय आपसे हमारा आग्रह है कि यह दोनों सब डिवीजन वापस हमारे यहां लायें । नहीं तो आप मजबूर करेंगे हमें कि हम आपके खिलाफ आन्दोलन उठायें ।

मेरा यह भी अनुरोध है कि राजस्थान सरकार ने 90 करोड़ रुपया इन्दिरा गांधी नहर पर खर्च करे और गुड़गांवा प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान करे यह सौतेला व्यवहार पूर्वी राजस्थान के साथ क्यों ? थैंक यू ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब आप बोलेंगे क्या ?

डा चन्द्रभान : जी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सब बोलेंगे यह हमारे जीवन मरण का सवाल है । आप बीच में घण्टी भी मत बजाना ।

श्री नत्थीसिंह : क्यों नहीं बोलेंगे, झुन्झुनू को भी पानी मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा अपने वक्तव्य को संक्षिप्त कीजिए । क्योंकि टाइम ज्यादा जा रहा है और सारे फैक्ट्स वैसे श्री यदुनाथ सिंह जी ने बता ही दिए हैं ।

डा चन्द्रभान (मंडावा) : वही वाटर आस्पेक्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 1990 मिन्स 42 साल से यह गंगा-यमुना का पानी राजस्थान में लाने के लिए सरकार प्रयासरत है और चुनी हुई सरकार भी 1952 से है तब से कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता आंशिक भी नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी भी विरोध पक्ष में थे तो ऊंचे स्वरों में यहां अन्तर्राज्यीय मामले उठाते थे और राजस्थान के हिस्से की मांग करते थे, 2 वर्षों से शासन में है लेकिन इनकी भी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे गिनाया जा सके । मैं यह नहीं कहता कि इनकी नीयत में कोई गड़बड़ी है या वह प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं नहीं है । एक उलाहना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहूंगा कि जब भी जनता की ओर से पानी के सवाल को लेकर आंदोलन होता है, अन्तर्राज्यीय विवादों के संबंध में यहां विधान सभा में या विधान सभा के बाहर चर्चा होती है तो मुख्य मंत्रीजी या

(डा. चन्द्रभान)

तो स्वयं भयग्रस्त हैं या डरते हैं, कहते हैं कि इससे वातावरण बिगड़ जायेगा। जब अच्छा वातावरण रहा तब क्या सफलता मिली ? अच्छा वातावरण हमने बनाये रखा, वह हमारी तरफ से बनाया, उधर पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा जय ललिता वाला रोल तो करिये। कर्नाटक ने जैसा किया यदि जय ललिता उस तरह से जवाब नहीं देती तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। राजस्थान के साथ भी इससे ज्यादा हो रहा है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि रावी-ब्यास नदियों में, नर्मदा-माही का विवाद जारी है लेकिन फैसला तो हो गया यह भरतपुर, अलवर, झुन्झुनूं, चूरू, सीकर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही और जयपुर इनमें कोई नदी आने की सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वैसे तो समूचे राजस्थान प्रदेश में ही पानी की बड़ी समस्या है, मानसून तो अनिश्चित है, यहां पर हरा-भरा राजस्थान भी बना नहीं पाये हैं पहाड़ियां नंगी हैं, बरसात कम होती है और भू-गर्भ स्थित जल भी काफी नीचे चला गया है। मैं जिस जिले से आता हूं उसमें 170 गांव तो ऐसे हैं मुख्य रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र मंडावा में जहां पर 54 गांव खारे पानी के हैं। अब आप बताइए नदियों का कोई पानी नहीं आ सकता है, बिजली का अभाव है, कुओं में पानी निकाल नहीं सकते हैं, पानी ऊपर से गिरता नहीं है सिंचाई की बात तो छोड़िए पीने के पानी की समस्या है। मैं मुख्य मंत्री जी से और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाय और हम सब लोग, सभी माननीय सदस्यों को और प्रदेश की जनता को विश्वास में लेकर एक पानी का आन्दोलन राजस्थान में खड़ा किया जाना चाहिए और दबाव बनाकर और बराबर की हैसियत से आपको जाकर केन्द्र में बात-चीत करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पूरे सदन के सदस्यों को विश्वास में लेकर आप चाहे कोई भी एक दिन और तारीख निश्चित कर लीजिए 200 के 200 माननीय सदस्य आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और मजबूती के साथ राष्ट्रपति महोदय और प्रधान मंत्रीजी के सामने पंजाब और दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि....

झुन्झुनू जिले में सिंचाई की बात तो छोड़िये। आपकी जानकारी में है कि सन् 1985 में केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी और उसमें पहले तो यह बताया गया कि झुन्झुनू और चूरू जिले के लिये पेयजल के लिए एक लाख एकड़ फिट पानी मिलेगा, 0.10 मिलियन एकड़ फिट लेकिन बाद में कह दिया गया कि अभी मंत्री जी का जवाब आया कि वह सिफारिश की गई थी। 1985 से 92 आ गया आपने क्या प्रयास किया ? अभी गुढा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो दिन पहले विशेष

(डा. चन्द्रभान)

उल्लेख में चर्चा की, मैंने चर्चा की, हमारे तीनों सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है। झुन्झुनू, मंडावा में खारा पीने का पानी है। खेतड़ी में वाटर पोल्यूशन हो गया है। सूरतगढ़ में पानी का श्रोत ऊपर चलाया गया है और चिड़ावा में डार्क जोन है तो उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झनू जिले में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिये पानी लें, जिस प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन कम से कम पीने के पानी के लिए तो, इस पानी को लेना बहुत जरूरी है। कोई भी राज्य सरकार हो उसके साथ हम बराबरी से बात करें। चम्बल के पानी को हम रखेंगे. जो चाहे वहां उसके अन्दर बांध बना लेते हैं यू. पी. के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। बहुत कह दिया आपने।

डा चन्द्रभान : आधा मिनट, अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में हमको गम्भीरता से लेकर राजस्थान के लिए जीने मरने का सवाल है सभी दलों के माननीय सदस्यों को एकमत होकर हम लोग मुख्य मंत्री जी के साथ हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी भी अगर वाकपटुता से काम चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। मुख्य मंत्री जी को मजबूती के साथ, चाहे वह सरकार में रहें या नहीं रहें इस लड़ाई को लड़ें और राजस्थान का गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जो पानी का हिस्सा है उसे प्राप्त करें। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पतसिंह जी, कृपया आपस में बात न करें।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विस्तार से बातें बताई, मैं उनमें से किसी की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता और सदन का समय भी नहीं लेना चाहता। मैं संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार खूब गम्भीरता से इस कोशिश में है कि जहां-जहां अन्तर्राज्यीय जिले के हमारे विवाद है वह जल्दी से जल्दी सुलझें। पहले की सरकार कोशिश करती थी परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, जब सिद्धान्ततः हम यह मानते हैं कि गंगा-यमुना का हमें पानी मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा है फिर कौनसी ऐसी अड़चन है। कांग्रेस की सरकार जिस वक्त थी उन्होंने अपने तरीके से जो ताकत लगाई वह कहने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुड़गांवा केनाल का प्रोजेक्ट 1966 में शुरू हो और आज हमारे वर्तमान मंत्रीजी को यह कहने की व्यवस्था हो तो एक तरीके से वह अपने आप में ही स्पष्ट नहीं है और आज कह रहे हैं कि यह 1994 तक जाकर पूरा होगा होना चाहिए। आज लगभग तीन करोड़ की योजना बन कर पूरी हो जानी चाहिए थी आज आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ रुपये देंगे। वर्ष 1991-92 के सत्र के चलते यह योजना पूरी होगी और आज अकस्मात् मंत्रीजी यह कहते हैं कि सदन में गुड़गांवा कैनाल की योजना पूरी होगी 1994 में तो उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 14 करोड़ रुपया आप इस पर व्यय करोगे। अन्तिम एक वर्ष में या दो वर्ष में बाकी 12 करोड़ रुपया किस तरह आप खर्च कर देंगे और यह मानना पड़ेगा उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सम्पतसिंह)

चाहे पानी का विवाद हो, चाहे बिजली का विवाद हो, चाहे विकास का किसी भी बात का विवाद हो। आज आम नागरिक यह देख रहा है, अन्तिम तौर पर यह देख रहा है और मुझे तो इस बात का विश्वास है कई बार सवाल करते हैं सदन के नेता महोदय से। वह स्वयं चिन्तित हैं हिन्दुस्तान का नहीं, हमारे प्रान्त का नहीं तमाम जो संवेदनशील लोग है, आखिर कोई समस्या का निदान इन विधान सभाओं के माध्यम से, इन चुनी हुई सरकारों के माध्यम से, संसद के माध्यम से अगर नहीं हुआ तो आखिर बड़े से बड़े नेता यह कह रहे हैं, हमारे नेता स्वय यह कह रहे हैं फिर इन पार्लियामेंट्स का आखिर होगा क्या। पहले कमलाजी का जिक्र किया नत्थीसिंहजी ने। उन्होंने ऑन दी स्पोट स्टेडी कराई गुड़गांवा केनाल की, फिर हमारे मंत्री आये झाला साहब उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया कि हम समयबद्ध आपको वचन देते हैं, फलां तारीख तक, तीन महीने के अन्दर-अन्दर हम राजस्थान का हिस्सा हरियाणा में जमा करेंगे। गुड़गांवां कैनाल के लिए समय रहते हम वचनबद्ध हैं इसको पूरी करेंगे। आज भी जैसा डीग से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि दो ढाई महीने पहले गुड़गांवा कैनाल के दो सब डिवीजन उठा लिये गये या तो इस सरकार ने, चाहे कोई सरकार रही हो या आगे रहेगी या तो आज फैसला करे, हम कभी भी बैठ करके फैसला करें, प्रजातांत्रिक पद्धति के लोग हैं, या तो उन सरकारों को सरकारी अधिकारी चलाये, यह जो हमारी बेशकीमती स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है, योजनायें हैं उनको वचनबद्ध तरीके से हमारी सरकारें चलाये और केन्द्र में हमारी बैठक हुई। एक बैठक में मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ उपस्थित था। इन्होंने पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रखा और यह कहा कि आज अन्तिम तौर पर इस समिति में बैठ रहे हैं वरना हम आयेंगे नहीं। जब एक तरफ वहां हम अपना यह तर्क देते हैं कि बेसिन का सिद्धांत माननीय होगा और जहां इन्टेंसिव सिंचाई की बात है इससे पहले नये तरीके से सिंचाई के लिये जो साधन जुटाना चाहता है प्रान्त उनके लिये आपको पहल करनी होगी और उससे पहले पीने के पानी की समस्या को हल करना होगा। जब हम अपने प्रान्त में इन समस्याओं को हल करने के लिए बैठते हैं तब यही तर्क दिये जाते हैं, ऊंचाई पर बैठा हुआ आदमी सदियों से देता आ रहा है। सन् 1966 से जो महात्वाकांक्षी योजनायें अधूरी पड़ी हुई है और आज उत्तर सरकार हमारे दो सब डिवीजन उठा लें, इसलिए नहीं कि वहां सिंचाई हो जायेगी। आनन फानन में पिछले मार्च के महीने में हुआ, आपने विचार किया कुछ सिंचाई हुई। वहां के किसान फुदक-फुदक कर के नाचने लगे और अपने भाग्य को सराहने लगें लेकिन अब ज्योंहि गर्मी आती है वहां पीने के पानी की समस्या है। उस वक्त भी यूनाइटेड प्राविंस, उत्तर प्रदेश तो हमारे अनुबन्धों की एक तरह से इज्जत करता था लेकिन आज हम दो साल से लगातार इस बात के लिए, भरतपुर के जनप्रतिनिधि गुहार करते हैं और पूरी गर्मी का सीजन चला जाता है हम पानी पीने के लिए टुकुर-टुकुर देखते चले जाते हैं। आज ठीक कह रहे थे कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कि भरतपुर में गम्भीर नदी का पानी आये नहीं, भरतपुर में बाणगंगा का पानी आये

(श्री सम्पतसिंह)

नहीं, भरतपुर में रुपारेल का पानी आये नहीं और भरतपुर में 3-3, 4-4 हजार फिट नीचे तक का पानी से लाइन हो, जहां आज आदमी तीन-तीन हजार टी. डी. एस. का पानी पीने के लिए मजबूर हो उस जिले के लिये उसे अपने ही प्रान्त के एक हिस्से के लिए हम अपने सिंचाई साधनों को वचनबद्ध तरीके से पूरा नहीं करना चाहते हो। आज हरियाणा बना रहा है हथनी कुंड। जहां उनका अधिकार है वहां वह बनाने में सक्षम है। जितने भी उनके पुराने साधन हैं, आज नई स्कीम के तहत बड़ी होशियारी के साथ वह अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बढ़ा रहा है, आज डीग एस्केप छोड़ दीजिए। आज हथिनी एस्केप में भी हम अपना पानी नहीं ले सकते और 90 दिन के लिये जो हमने अपनी योजना बनाई थी। हमारे ऊपर किसी ने अहसान नहीं किया था दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए गुड़गांवा नहर का एक सपना उन्होंने देखा और उस पानी को बाहर निकालने की बात करी? सिर्फ बरसात के दिनों का पानी हमने देने की बात करो और खुद का सिर शर्म से शर्मसार होता है कि हमारे इंजीनियर आज पांच सौ क्युसेक्स पानी दे दे, हरियाणा तो, आज हमारी नहर 100 क्युसेक्स से ज्यादा पानी देने की क्षमता नहीं रखती। आज सिंचाई की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, उस पानी को, पहले हमें मांग करनी चाहिए कि उसको पेरेनियल कैनाल पर बनाने के लिये हम अपना हिस्सा जतायें। अगर पूरे 12 माह हम पानी लेंगे और उसको भी छोड़ दें अगर बरसात के दिनों में ही हम स्टोर कर लें तो भरतपुर, कुम्हेर, डीग, नगर, कामां इन सारी तहसीलों के लिए पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं, सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं और हमारी सरकार जब मरम्मत के नाम पर भी रुपया जमा नहीं करायेगी। दो-दो, तीन-तीन बार सिंचाई मंत्रीजी चाहे कांग्रेस सरकार के हो चाहे हमारी सरकार के हो, इस पवित्र सदन में यह वचन दे दें कि हम इस अवधि में अपना हिस्सा जमा करा देंगे और इन योजनाओं को कब तक पूरा कर देंगे उसके बाद अगर हम असहाय हो जाते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सबकी स्थिति यह होगी कि इन विधान सभाओं के चलते आम आदमी यह मानने लगेगा कि हमारे भाग्य का फैसला अब इन पवित्र संस्थानों के हाथ में भी नहीं रह गया और खाली जो स्कूलों और कालेजों में डिबेट होती होगी। उस तरीके से अगर औपचारिक-अनौपचारिक रूप से हमारा यहां विवाद चलता रहे। मैं भी बहुत विनम्रता से कहता हूं कि पुराने सिस्टम अगर नहीं रहे तो यह सिस्टम भी नहीं रहेगा और यह बेहतरीन सिस्टम है है प्रजातंत्र का। इससे हमने हाथ धो लिये सिर्फ इस बात के लिए कि हम किसी भी काम के लिए आपको अपनी आत्मा, अपनी वचनबद्धता के साथ काम नहीं करें तो यह बहुत मुश्किल होगी और उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक विनती करता हूं कि इस तरीके से अगर हमारे क्षेत्रों में राजस्थान भर में चाहे चूरू हो चाहे झुंझनू हो, कोई भी जिला क्यों न हो, अगर बड़ी योजनाओं के माध्यम से जो सिंचाई हो रही है। छोटी योजनाओं से, छोटे संसाधनों से राजस्थान में दो तिहाई ज़मीन पर सिंचाई होती

(श्री सम्पतसिंह)

है और एक तरफ हम इसकी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ठंडे बस्ते में बांध दें और सिर्फ इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर और उस पर भी हम कोई पहाड़ नहीं तोड़ें तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। दूसरे प्रान्तों के लिए, देश भर के लिए यह अपने आप में मजाक का विषय बनेगा। आज क्या वजह है कि झुंझनू से आने वाले माननीय सदस्य जयललिता का उदाहरण राजस्थान विधान सभा में दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी का उदाहरण हिन्दुस्तान की दूसरी विधान सभाओं में दिया जाय और जो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंगित किया है कि हम अगर यहां कोई समाधान नहीं निकलता है मुख्य मंत्री जी, यह अन्तिम तौर पर विनती समझ लीजिये अगर यहां कोई समाधान नहीं निकलता है हम बंधे हुए हैं अपनी-अपनी धरती से, वहां जन आंदोलन खड़ा होगा और जिस क्षेत्र में पीने के पानी के लिए अनेकानेक बार विधानसभा में गुहार की जाय और गुहार करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकले तो फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, पार्टी चाहे कोई हो, सरकार चाहे कोई हो, वहां जन आंदोलन उठेगा और जन आंदोलन का स्रोत राजस्थान की विधान सभा से चलेगा और चाहे कोई भी प्रतिनिधि किसी भी राजनैतिक पार्टी का क्यों न हो, यहां पर तो हमने सरकार से इस्तीफा दिया है, कल को हम राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफे का विचार करेंगे, तब तक हम आपका इंतजार करते हैं। आपकी महती कृपा होगी राजस्थान प्रांत पर ही नहीं अकेले, आप हिन्दुस्तान की राजनीति में अपना कद बनाये हुए हैं। आज राजस्थान पूरी तरह से बहुत गौर से देख रहा है और यह कोई जरूरी नहीं कि आने वाली सरकार हमारी हो, कांग्रेस की सरकार भी होगी, किसी भी पार्टी की सरकार होगी लेकिन एक-एक दिन का तकमीना राजस्थान का नागरिक हमसे लेगा इसलिए हम यह आपसे निश्चित रूप से संरक्षण चाहेंगे, आपकी तरफ से पूरा आरक्षण चाहेंगे और नहीं तो वह अन्तिम कदम होगा जब विधान सभा से बाहर रहकर हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे और उस उक्त दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जब कि हम अपने अधिकारों को मांग कर नहीं माने। इस समय हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हमारी सिंचाई की बात तो दूर है, आज तो हमें पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि करनी पड़ रही है, इसलिए अगर हम बरसात के पानी को स्टोर कर लें, अंदरावली बांध बनाने की हम बात कह दें। हमारे इंजीनियर्स हंसते हैं चाहे जोशीजी जब मुख्य मंत्री थे. उनकी बैठक मे कोई भी मंत्री पहुंच जाय, उनके सामने कितनी ही बार जिलों की बैठकों में कह दें, हमारे इंजीनियर्स हमारी पीठ पीछे हंसते हैं। इन चीजों को आगे कभी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और समय रहते अगर हमने इन महती योजनाओं को पूरा नहीं किया तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था से हम लोगों का विश्वास उठ जायेगा। इससे पहले कि हमारा विश्वास पवित्र सदन से उठे, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद! थोड़ा संक्षेप में कीजियेगा। इसमें वक्ताओं द्वारा काफी प्रकाश डाला जा चुका है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनू) : मेरा नाम आते ही संक्षेप की बात क्यों कर रहे हैं ? देखिये, पानी का मुद्दा है और उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि आज हमारे झुंझनू जिले की स्थिति यह हो गई कि लोगों को....

डा. चन्द्रभान : झुंझनू का नाम आते ही संक्षेप में बोलने के लिए कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। डाक्टर साहब ने कह दिया है झुंझनू के बारे में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब ने कह दिया है। हमको भी अपनी बात कहने का हक है।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये कहिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह समय की सीमा को सबके लिए लागू कीजिये। अकेले मेरे ऊपर लागू नही रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा सबके लिए लागू रहेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी बात माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय सिचाई मंत्रीजी और माननीय पेयजल मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हम आज अन्तर्राज्यीय विवादों में राजस्थान का जो पानी का हिस्सा है सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, उसके सम्बन्ध में यहां पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, माननीय सदन के नेता महोदय जब विपक्ष के नेता के रूप में यहां अपना भाषण देते थे और अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के सम्बन्ध में जब ये कहा करते थे कि सत्ता पक्ष के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के दबाव में और अपनी कुर्सी के बचाव में आकर राजस्थान के हितों की अनदेखी कर दी है। मैं आज यह जानना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने कौनसा ऐसा दबाव है, कौनसी ऐसी स्थिति हैं कि हमारा राजस्थान का जो हिस्सा है, पानी का हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज झुंझनू जिले की स्थिति यह है कि पिछले बजट के अन्दर राज्यपाल के अभिभाषण को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि "गंगानगर, झुंझनू व चूरू जिलों में खारे पानी के 353 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल योजनाओं के लिए जर्मन सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पेयजल योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने के प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेज दिये गये हैं" आज तक भी इन 353 गांवों में से क्या एक भी गांव को पेयजल सुलभ कराने का काम किया गया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जल स्तर नीचे चला गया, कुओं में पानी है नहीं, औसत वर्षा होती नहीं है, लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है और आज स्थिति यह बन गई कि झुंझनू जिले की स्थिति तो यह है कि आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। लोगों के दांत घिस गये, दांत झड़ गये, सुबह उठते ही उसको अपने पांवों पर मुक्के से ठोकना पड़ता है। उसके पांव सीधे नहीं होते, उसमें गठिया की, कुबड़ेपन की ओर रीढ़ की हड्डी दोहरी होने की बीमारियां हो

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

गई । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा नदी का जो पानी बरसात में यू. पी. में बाढ़ का रूप धारण करके तबाही मचाता है, क्या उसको आप गुड़गांव कैनाल यमुना में डाल करके झुंझनू जिले में पहुंचाने के लिए या झुंझनू जिले को मिले, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ? आज घग्घर नदी का पानी है वह भी तबाही मचाता है, उसको भी हनुमानगढ़ के द्वारा झुंझनू तक पहुंचा सकते हैं । आज झुंझनू जिले की स्थिति यह है कि नारनोद, मालीगांव, जाखोड़ा, बदनगढ़, मुकाना, भड़ूंता, चनाना, आलीपुर चिड़ावा, पिलानी, मंडावा और अलसीसर पंचायत समितियों में गांव ऐसे हैं वहां लोगों को पानी की एक बूंद भी स्वच्छ और मीठे पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी का इतना अहम मुद्दा है, यह हमारे जीवन मरण का सवाल है और जो सिचाई के पानी की बात कर रहे हैं लेकिन पेयजल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ नहीं होगा तो अब गर्मी का मौसम आने वाला है । मैं इस सन्दर्भ में एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा : एक शायर ने सही कहा है :

"तस नदी के भी मुकामात हैं क्या-क्या

यानी दरिया नहीं काफी, कहीं कतरा है बहुत"

तो हमको दरिया नहीं चाहिये, हमको कम से कम कतरा तो पीने के लिए सुलभ करा दे । मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । पण्डित रामकिशन जी ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य सदन के सामने आ चुके हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आबकारी और सामुदायिक विकास पर चर्चा का मौका नहीं दिया जायेगा ? आबकारी और सामुदायिक विकास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन मांगों पर क्या आप मौका नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बहुत वरिष्ठ हैं । अब चर्चा को एण्ड कर रहा हूं । जस्ट 15 मिनट और हैं ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्यता से सहमत हूं .. (व्यवधान) मैं भी इनके विचारों से सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा शेष माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में एक-दो आपकी जानकारी के लिए जो चीज है, उस पर बोले । वास्तव में लम्बा हो रहा है । काफी लोगों ने इसमें भाग ले लिया है । मामला भी काफी लम्बा हो गया है ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सिंचाई पर भी डिमान्ड है ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मुझे जो तथ्य सदन के सामने आ गए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है । ये जो अन्तर्राज्यीय मामले हैं ये इतने जटिल और कठिन हैं कि इनको सुलझाना बिना राजनीतिक

(श्री रामकिशन)

ताकत के सम्भव नहीं है। तो राज्य सरकार से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि पानी की कितनी जरूरत है राजस्थान को, इसकी कितनी गम्भीरता है, तथ्यों को एक बार कहूं या 10 बार कहूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। असल सवाल यह है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है? और आपकी राजनीतिक मेनुपलेशन की ताकत क्या है? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस गम्भीरता को समझती है, जो लोग यह समझते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में कोताही बरतेगी मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि अन्तर्राज्यीय सवालों पर सब सरकारें अपने राज्य के हितों के लिए कोशिश करती हैं। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि जिस प्रकार चिमन भाई पटेल मुख्य मंत्री होते हुए नर्मदा के सवाल पर जो रूख लिया था, अब वह रूख उचित रहेगा या नहीं रहेगा उसे सदन तय करे, हमारी परम्परा तय करे लेकिन उस तरह का रूख जब तक हम नहीं लेंगे मैं नहीं समझ पाता कि हमें कहीं पानी मिल पायेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सरकार है वह खासतौर से बी. जे. पी. के माननीय सदस्यों से मिलने-जुलने वाले मुख्य मंत्री हैं वो हमारी समस्या को समझते हैं। जब मथुरा के गांव में पानी आ सकता है तो बगल का गांव जो भरतपुर का रह जाता है उसमें पानी क्यों नहीं आ सकता? वे हमारी समस्या को समझते हैं अगर इसको तर्कसंगत ढंग से लिया जाय और राजनीतिक असर का पुरजोर इस्तेमाल किया जाय तभी यह समस्या सुलझेगी। मैं इससे ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूं और मैं चाहता हूं जैसे भरतपुर के माननीय सदस्य बोल रहे हैं ये तो बहुत ठण्डे बोल रहे हैं, बहुत कम मन से बोल रहे हैं लेकिन भरतपुर की भावनाएं इस मामले में बहुत तीव्र हैं और मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इसी भावना से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री हेतराम बेनीवाल। संक्षेप में कहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिर्फ दो बात कहनी है और दो बात यह कहनी है कि पानी का सबसे बड़ा मामला है बंटवारा, वह उसी पर निर्भर करता है जो पानी इस्तेमाल करते हैं वही बंटवारा करते हैं। हम पूरा इतिहास देखें, राजस्थान को पानी इसलिए मिला कि गंगासिंह जी गंग कैनाल ले आए। अगर 1925 में हमारी गंग कैनाल नहीं होती तो जो इण्टरनेशनल फैसला हुआ पानी का उसमें भी तीसरी नदी हमको नहीं मिलती, दो नदियां ही मिलती तीसरी पाकिस्तान में जाती। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अगर फाइनेंसेज रखने को तैयार हैं, हमारी हालत यह है कि हमने जो आगे पानी ले रखा है उसको यूज करने की क्षमता नहीं हैं। जो पानी है गंग कैनाल का उसमें यूज करने को पूरा पानी है नहीं और इन्दिरा गांधी नहर का पानी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी भी 8 हजार पानी जा रहा है और बिना यूज किए हुए पंजाब को देना पड़ रहा है। यह जो पानी हमको एक लाख एकड़ मिला है मेरा एक निवेदन है अगर वाकई हम सीरियस हैं और यह सरकार कुछ करना चाहती है तो उसके लिए योजना बनाकर खर्चा तैयार कर ले ओर वह खर्चा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

शुरू कर दे । अगर हम इस एक लाख एकड़ फिट को इस्तेमाल कर लें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के चांसेज हमको मिलेंगे ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमको एक एटमोस्फेयर यह बनाना चाहिए कि जब गंगानगर वाले बोलें या उस इलाके के बोलें, अकेले वे ही लोग बोलते है। लड़ाई करें, जेल जायें, आवाज उठायें जलसे करें, असेम्बली में बोल दें उसकी कोई कीमत नहीं । दूसरी बात अभी यही हो रही है भरतपुर के लोग अगर एक डिस्ट्रिक्ट के जहां वो नहर आनी है वो बोलें यह मामला नहीं है । अगर हम वाकई राजनीति चाहते हैं तो इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी को जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी पार्टी सारे राजस्थान में है उनको इस तरह का एटमोस्फेयर बनाना चाहिए कि एक जिले के पानी के लिए सारे राजस्थान में जलसे हों, पब्लिक बोले, जुलुस निकलें तो पता लगे कि उदयपुर में भी 5 हजार लोगों का जुलुस जाये कि भरतपुर में पानी मिले तब पता लगे कि हम जयललिता बन रहे हैं। असेम्बली में जयललिता बनने से कुछ नहीं बनने वाला है, मुझे यही कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए । माननीय सिंचाई मंत्री जी ।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए उन पर मैं अपनी बात रखूं, माननीय सम्पतसिंह जी ने दो बुनियादी मुद्दे उठाये । उन मुद्दों की ओर मैं ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं या मंत्री चला रहे हैं । मैंने माननीय सम्पत सिंह जी को भी काम करते देखा है और उस समय भी मुझे यह विश्वास था कि सरकार सम्पत सिंह जी चला रहे थे उनके अधिकारी नहीं चला रहे थे । आज वह कह रहे हैं....

श्री सम्पतसिंह : मैंने माननीय मंत्री जी सभी सरकारों के लिए कहा था । पिछले 10-20 सालों से यह ट्रेण्ड बन गया है जैसे ब्यूरोक्रेट ही सरकार चला रहे हों ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पत सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस सदन के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हैं वे ही चला रहे हैं वे ही चलायेंगे और अधिकारियों को उनके अनुसार काम करना पड़ेगा, इस बात से वे आश्वस्त हो जायं ।

दूसरा, माननीय सम्पत सिंह जी ने एक मुद्दा यहां पर यह उठाया कि बहस होती है और उस बहस के कोई नतीजे नहीं निकलते, कोई परिणाम नहीं निकलते । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि संवेदनशीलता किसमें कितनी है । अभी वरिष्ठ माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे समय-समय पर इस सदन में इन विषयों को उठाया गया और इन विषयों को उठाये जाने के बाद केन्द्रीय मंच पर या दूसरे राज्यों के साथ प्रभावी ढंग से इन पर कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि या तो राजस्थान का पिछला नेतृत्व जिसके नेतृत्व में राजस्थान का 40 साल तक शासन रहा वह बौना था या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी लेकिन आज सौभाग्य से उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि इस विधान सभा में कही हुई हर बात को प्रतिबद्धता के साथ संवेदनशीलता के साथ उस सारी बहस को समझ सकता है और दिल्ली और अन्य राज्यों से लड़ने की तैयारी हमारे मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत की है और उसके मैं प्रमाण भी देना चाहता हूं।

अभी यमुना की बात यहां कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण इसलिए रखना चाहता हूं कि 19 अप्रैल, 1985 में जैसा मैंने अपने मुख्य बयान में कहा था कि केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया और उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। चाहे केन्द्र के दबाव से इस ओर बैठने वाले उस समय के सत्ताधारी पार्टी के लोग न बोल सके हों लेकिन 11 सितम्बर, 1990 को सम्बन्धित राज्य, इसमें उत्तर प्रदेश है इसमें हरियाणा है इसमें हिमाचल प्रदेश है, इसमें राजस्थान है, इसमें केन्द्रशासित दिल्ली है और ऊपर से केन्द्रीय सरकार है। इतने विभिन्न राज्य के साथ केन्द्रीय सरकार के हिसाब से इसको डील करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने 11 सितम्बर, 1990 को इन सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की और वहां एक ही सुझाव दिया है कि बेसिक डेटाज का हम पहले आदान-प्रदान कर लें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8-10-90 को केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक ली। 13-2-91 से सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई और 14.4.91 को राजस्थान ने लिखित में अपना विचार भेज दिया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 22-12-91 एवं 10-1-92 को सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई है और उसमें कुछ सार्थक निर्णय हुए हैं। अभी कल ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय केन्द्रीय जल आयोग के जो अन्तर्राज्यीय विवादों को देखने वाले मुख्य अभियन्ता हैं उन्होंने हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की है और पिछली 14 तारीख को मुख्यमंत्री स्तर पर एक बैठक होने वाली थी वह बैठक पोस्टपोण्ड होकर 28 मार्च को होने वाली है। अब यमुना जल के विवाद के बारे में मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने रख रहा हूं।

यमुना जल का जो हमारा हिस्सा है वह अब हमको मिलने के नजदीक आ गया है वह यों आ गया है कि इसमें कुछ सिद्धान्त तय हो गए हैं। अब हरियाणा बात कर रहा है कि इसको अलग-अलग तय कर दिया जाय। राजस्थान इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि एक साथ पैकेज डील हो। यमुना नदी के उपलब्ध जल में संसाधन के विकास के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ताकि जल संसाधन बिगड़ न पायें। इस परिप्रेक्ष्य में 5 मुद्दों का औपचारिक करार की दिशा में प्रयास करने के लिए सहमति हुई है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

पहला, हरियाणा द्वारा हथिनी कुण्ड बैराज का निर्माण। यह भी एक विषय है। दिल्ली की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा रेणुका बांध का निर्माण। दिल्ली को जल आपूर्ति के लिए हरियाणा द्वारा एक अतिरिक्त समानान्तर चैनल का निर्माण। राज्यों के लिए जल आपूर्ति करने के वास्ते तदर्थ आधार पर आवंटन। असहमत मुद्दों को अधिकरण को सौंपना।

उपाध्यक्ष महोदय, अब ये दूसरे राज्य हैं वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तीन मुद्दे हैं वे तय हो जायं। राजस्थान इस बात में सफल हुआ है कि पैकेज डील होगा तो चारों मुद्दों पर होगा उसमें राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान के लिए तय होगा। जिस समय हम उपयोग करने की आगामी योजना बन येंगे यह बहुत जल्दी ही तय होने वाला है यह मैं आपकी सूचनार्थ निवेदन कर दूं और यह इसलिए भी कहना चाहता हूं अभी एक बात कही गई माननीय उपाध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हिमाचल प्रदेश में भी है। सवाल यह नहीं है कि कहां किस पार्टी का शासन है, सवाल यह है कि इस समस्या को हल करने की आपकी इच्छा शक्ति क्या है, सवाल यह है कि इन इच्छाओं की आपकी पर्सुएसिव स्किल क्या है। अब मैंने जैसे जमना वाटर का आपके सामने प्रश्न रखा है और इसमें अब हम नजदीकी पर पहुंच गये, यह राजस्थान के जो हमारे आज के नेता हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिहजी की अपनी पर्सुएसिव स्किल, वह कहीं कठोरता कहीं वास्तव के अन्दर बड़े संवेदनशील हैं, लड़ाई-झगड़ा करने से कोई समस्या हल नहीं होती, हम देख रहे हैं कि कावेरी विवाद किस तरह हो रहा है. और यहां पर जिस तरह जन आन्दोलन खड़ा करने की बात कही गई, वह भी इस समस्या का हल नहीं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण है, यह दोनों नदियां हमारे भू-खण्ड पर है नहीं आज यह बात भी आ गयी कि गंगा पर उत्तर प्रदेश अपनी यह कैनाल बना रहा है, वह कैनाल बना रहा है, गंगा उत्तर प्रदेश की धरती से निकलती है, वहां उनको अधिकार है, आप जमुना ...

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं यह नहीं बोलें आप।

श्री नत्थीसिंह : अधिकार का मतलब यह नहीं है कि हमको पानी मिलेगा ही नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : अधिकार का मतलब यह है कि वह गंगा उनकी धरती से निकल रही है, उनके सीधे नियंत्रण में है....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका एक बेसिन है, बेसिन में हम भी आते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चम्बल का क्या है फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यदुनाथसिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने अधिकार क्षेत्र शब्द पर एतराज किया है और मैं उसको सही मानता हूं। इसका कारण है। मैं जो पाइंट कहना चाहता था वह यह कहना चाहता था कि गंगा उत्तर प्रदेश के भू-भाग से निकलती है, उत्तर प्रदेश सरकार के सीधे नियंत्रण में है और उसके पानी में हमारा अधिकार बनता है, वह

(श्री कैलाश मेघवाल)

विवाद है और जमुना में तो हमारा हक है ही. जमुना में हमारा हक फलो वाटर में, कुल या जमुना का जो फ्लो वाटर है उसमें हमारा हक है और गंगा में हमारा सरप्लस फ्लड वाटर है उसमें हम अपना हक मांग रहे हैं तो यह दो तरह की स्थिति है जो माननीय यदुनाथ सिंहजी समझते हैं। तो मैंने कहा कि कुल या जमुना का जो फ्लो वाटर है उसमें अब हम हमारे हक के नजदीक पहुंच चुके हैं लेकिन क्या है कि जमुना भी दूसरे राज्यों के भू-भाग से निकलती है और इसलिए हमारी पर्सुएसिव कैपिसिटी, हमारी अपनी स्किल, हमारे नेतृत्व की क्षमता, केन्द्र और इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से वातचीत करके ही हल निकलेगा और उस हल के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अब रहा सवाल गंगा का, गंगा के बारे में 11-2-86 को प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया था और जिस पर मतैक्य नहीं हुआ, मतैक्य इसलिए नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश ने जो कुछ आंकड़े दिये, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं. यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इनके अपने हित जुड़े हुए हैं, जब कहीं किसी के हित जुड़े होते हैं और उन हितों से खुशहाली आगे बढ़ती है तो उन हितों को आसानी से कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता। नाजायज कब्जा भी एक बार आदमी कर लेता है तो उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो आज हम उस पर अपना हक मांग रहे हैं। हमारे कुछ अन्तर्राज्यीय मसौदे हैं, अन्तर्राज्यीय एग्रीमेंट हैं, अन्तर्राज्यीय परम्परा है, उसके आधार पर, लेकिन यह कह दें कि आसानी से दे देंगे, इसलिए हमने इस बात की कोशिश की है, हमारे मुख्य मंत्रीजी से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि फिर से अधिकारी स्तर की बात हो क्योंकि उस समय 1986 में जो उत्तर प्रदेश ने डाटाज दिये थे वह आंकड़े सही नहीं थे, उन आंकड़ों के आधार पर कोई मतैक्य नहीं हो सकता और इसलिए भारत सरकार भी उस रिपोर्ट पर चुप बैठी रही। 14-1-88 को राजस्थान ने फिर मामला उठाया। 1986 के प्रतिवेदन पर कुछ नहीं हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उन्होंने प्रश्नचिन्ह लगाया, इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग ने यह व्यवस्था की कि वह अपने स्तर पर इन आंकड़ों की जांच करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये जो आंकड़े हैं उनके बारे में जांच करेगा और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है यह बात कहने में कि केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस मामले में राजस्थान के साथ सहानुभूति रखते हुए 15-5-90 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, वह रिपोर्ट राजस्थान सरकार को मिली और 5-6-90 को राजस्थान की टिप्पणी हम प्रस्तुत कर चुके हैं। उस दिशा में इस गंगा का जो सरप्लस फ्लड वाटर है उस दिशा में भी हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 19 तारीख को मैंने अभी शपथ ली थी, उसके बाद माननीय विधायकों का यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने के बाद ही मैंने इस सारे मसले का अध्ययन किया है, मैं इसको बहुत ही गम्भीर मानते हुए, क्योंकि यह पिछली सरकार की मैं आपराधिक लापरवाही मानता

(152)

(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं, इसका राजस्थान की खुशहाली से संबंध जुड़ा है, इसका राजस्थान के पेयजल से संबंध जुड़ा है, इसका राजस्थान के किसान से सम्बन्ध जुड़ा है और मैं अपने स्तर भी जितना हो सकेगा उतना इसमें, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बार-बार निवेदन करने पर और हमारे अधिकारियों को भी निरन्तर सतर्कता से इन दोनों विषयों पर, अन्तर्राज्यीय मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के आधार पर कार्य करूंगा। मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने उठाया कि वह गुड़गांव को कैसे चला गया....

श्री दिग्विजय सिंह : डीग से आने वाले।

श्री कैलाश मेघवाल : डीग से आने वाले, सॉरी। गुड़गांव में 28,200 की क्षमता पैदा करने की हैसियत थी और 20,155 की क्षमता हो चुकी....

श्री यदुनाथ सिंह : काहे से कर ली? एक भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनी है, एक भी रेगुलेटर नहीं बना है. एक भी माइनर नहीं बनी है, सब-माइनर नहीं बनी है, चैनल नहीं बनी है...

श्री नत्थी सिंह : पानी नहीं है....

श्री यदुनाथ सिंह : लिंक चैनल नहीं बनी है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : एक भी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनी है तो आपने क्षमता कहां से क्रियेट कर ली?

श्री उपाध्यक्ष : यदुनाथ सिंहजी, विराजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय यदुनाथ सिंहजी, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं फिर वही बात आयेगी....

श्री सम्पत सिंह : मैंने इसलिए कही थी अधिकारियों की बात, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो काम आपने बंद किये हैं उनको तुरन्त चालू किया जाय। एक भी डिस्ट्रीब्यूटरी सही नहीं है, एक भी रेगुलेटर सही नहीं है, तमाम छोटे माइनर सिल्टेड हुए पड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि अब काम बंद किया जाय। मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में जब आया तो उनकी हैसियत के आदमी थे इसलिए धमका दिया, छोटे-मोटे मंत्री होते तो कह भी नहीं सकते थे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि 91-92 में हरियाणा को हमने गुड़गांव कैनाल के लिए 71.30 लाख रुपये दिये हैं और वह इस कैनाल की जो आप चाहते हैं, जो आपने सुझाव दिये. उसके लिए, लेकिन अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जो मुझे सूचना मिली है कि वहां से डिविजन हटाने का कारण वहां कार्य कम हो जाना है. उसके बाद भी मैंने डीग से आने वाले विधायक को विश्वास दिलाया है कि वह मेरे साथ बैठ कर इस इश्यू पर चर्चा कर लें और अगर उनकी मांग में कोई औचित्य होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको सदैव स्वीकार करने के लिए तहेदिल से तत्पर हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : औचित्य यही है कि

(श्री यदुनाथ सिंह)

14 करोड़ रुपये के काम बाकी है और अगले साल उसको पूरा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने चर्चा के लिए कह दिया है कि आप आपस में बैठ कर बात कर लीजिए।

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी यह बतावें, आपके इस बयान की कॉपी दूसरे प्रांत लेंगे, कहां बात कर लेंगे हम। आज दस साल से वहां हैंगिंग स्वोर्ड है. सब डिवीजन हटाने की आज पहली बार बात नहीं हुई है, पहले भी हटाते रहे हैं, हमेशा ही यह हैंगिंग स्वोर्ड रहा है, दो सब डिवीजन हटा दो, चार सब डिवीजन हटा दो, पर काम बाकी है....

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो संबंधित विधायक हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि इसी सत्र के दौरान हम समय निकाल कर मैं सारी स्थिति पता लगा कर यहीं बैठ कर उस पर सारी चर्चा कर लेंगे, उसमें जो औचित्यपूर्ण हल होगा वह निकालेंगे। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : चम्बल का पानी, मेरा एक प्रश्न रह गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : झुन्झुनूं और चूरू के पानी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंहजी, इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा एक प्रश्न रह गया। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सम्पत सिंह : मुझे एक प्रश्न पूछना है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रजी कम से कम स्पष्ट तो यह कहें, हम विधायकों को आमंत्रित करेंगे, यह तो हमारी रोजमर्रा की राजनीति है, यह सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करें, अगर 14 करोड़ रुपये के काम बाकी है, पहला फेज पूरा नहीं हुआ है गुडगांव कैनाल का, दूसरा फेज शुरू होना है, वहां जो सब डिवीजन तोड़े हैं उनको चालू करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री अरूण सिंह : यह घोषणा करें मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : इसी विषय पर अपन चर्चा करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : क्या बात करेंगे, आपने 14 करोड़ का काम पेण्डिंग कहा है...

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 13-आबकारी, आबकारी मंत्री, - श्रीमती विद्या पाठक।

श्री सम्पत सिंह : मंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा....

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को एक बात पूछ लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह : बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है वहां। उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ समझ नहीं रहे....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप क्या कर रहे हैं, अब इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है। अब आपको आमंत्रित कर दिया है.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आपने क्या दे दिया...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि बाद में पूछ लेना प्रश्न कोई बाकी रह जाय तो. अब आप एकदम खत्म करके डिमाण्ड पर आ गये....

श्री नत्थी सिंह : जवाब ही नहीं दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई वाद-विवाद का वह विषय नहीं है जिसको लम्बा किया जाय। इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) माननीय नत्थी सिंहजी. माननीय नत्थी सिंहजी। डॉक्टर साहब, प्लीज।

डा. चन्द्रभान : हम तो बैठ जायेंगे लेकिन यह जवाब ही नहीं आया कि झुन्झुनूं, चूरू के पीने के पानी के बारे में कुछ प्रगति हो रही है या नहीं। मंत्रीजी, आप इतना तो कम से कम बता दें कि झुन्झनूं चूरू के पीने के पानी के बारे में 1985 में जो योजना हुई उसमें कोई प्रगति है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, डाइरेक्ट कोई झुंझुनूं-चूरू का मामला नहीं था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई के पानी का सवाल है, पेयजल का भी सवाल है, दोनों मिलते हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पेयजल के मंत्रीजी इसका जवाब देंगे और दिया होगा। बिराजिए आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई के बारे में क्या, पेयजल के बारे में क्या, एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, बिल्कुल कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : झुंझनूं के पीने के पानी की समस्या का हल यमुना में राजस्थान का जो हिस्सा हमें मिलेगा उससे भी सम्बन्धित है और गंगा के सरप्लस फ्लड वाटर में से जो 40 हजार क्यूसेक्स हमने 50 दिन के लिए मांगा है उसमें भी उनका हिस्सा है। यह दोनों हल होने पर आपके पीने के पानी की समस्या हल हो जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपको याद दिलाऊं पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 353 गंगानगर, चूरू और झुंझनूं के गांव यह लिखा हुआ है इसमें इन गांवों को खारे पानी के जो गांव हैं वहां इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी दिया जायेगा इसके लिए हमारी वार्ता चल रही है। यह आपका लिखा है पृष्ठ नम्बर 17 पर। माननीय मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय से कहलवा देते हो बात को और पार पकटते नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने माननीय सुमित्रा जी सोच विचार कर ही लिखा होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : जिस विषय पर चर्चा हुई उससे सम्बन्धित है क्या यह ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसमें क्या प्रगति की यह भी तो बता दो ?

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो कदम बढ़ाये हैं सरकार ने और राजस्थान को सफलता मुझे उम्मीद है साल दो साल में हमको यमुना का पानी मिलेगा। राजस्थान सौभाग्यशाली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा था कि हम बहुत निगलीजेंट रहे हैं अपने केस को रखने में और मैंने 10-4-91 को माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र भी लिखा था और जो मैंने अपनी बात को रखा तो इसको दोहराया भी था....

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट को री-ओपिन मत कीजिए यदुनाथ सिंह जी। आप बात कह दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं कह रहा हूं। प्रश्न पूछ लीजिए ना आप। जो भी जानकारी आप चाहें ले लें लेकिन वापिस केस को री-ओपिन नहीं करें।....आप वरिष्ठ सदस्य हैं मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : तो मैं यह पत्र पढ़ना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी नेगलीजेन्स के कारण बहुत बड़े लेप्सेस रहे हैं। मैंने हाउस में मीं इस मुद्दे को उठाया और मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा और उन्होंने जवाब भी भेजा होगा लेकिन मुझे तो उसका एकनालेजमेन्ट मिला नहीं कि जो हमने गुड़गांव कैनाल की नयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट की है उसमें नये ओखला बैराज के निर्माण के बाद जो 3210 क्यूसेक्स पानी अतिरिक्त उपलब्ध होगा उस पानी को हरियाणा, और उत्तरप्रदेश ने अपने स्तर पर बांट लिया और हमारा जो उसमें इन्क्रीज्ड शेयर है उसकी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कृपा करके विथड्रा कीजिए और नयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए वरना हमेशा के लिए हम इस पानी से महरूम रह जायेंगे। हमारा केस कमजोर पड़ेगा। आप इस रिपोर्ट को विथड्रा करवाने की कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आबकारी मंत्री जी,

श्री यदुनाथ सिंह : क्या हुआ साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात सरकार को सुना दी। उस पर विचार किया जायेगा।

माननीय श्रीमती विद्या पाठक।

आय-व्ययक (बजट) 1992-93

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 13—आबकारी की प्रस्तुति

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 37 करोड़ 11 लाख 1 हजार तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री हरलाल सिंह खर्रा : (सामुदायिक

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 38 करोड़ 36 लाख 16 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडभीम)

1. अवैध शराब के कारण ग्रामों में बीमारी फैलने पर रोक लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

2. सवाईमाधोपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)

3. अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों को मन्दिर, अनुसूचित जाति मोहल्ला, सार्वजनिक कुंआ व आबादी के पास लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. नागौर जिले में देशी व अंग्रेजी शराब की हर गांव, कस्बे, मौहल्लों में अवैध दुकानें लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर)

5. सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान व गुजरात के बोर्डर पर जंगल में शराब की अवैध दुकानें खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर)

6. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खतम करने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

7. आबकारी विभाग की मिली भगत से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

8. कुशलगढ़ क्षेत्र व पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

9. गुजरात व मध्य प्रदेश के शरहदी गांव कुशलगढ़ क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी शराब की अवैध दुकानों को बन्द कराने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

10. अवैध महुवा बिक्री व अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

11. राज्य में बिना लाईसेन्स के बिकने वाली शराब को बन्द कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल (बाली)

12. विधान सभा क्षेत्र बाली में शराब के अवैध ठेकों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

13. सवाई माधोपुर जिले में शराब के ठेके नहीं होने के कारण आबकारी अधिकारी की मिली भगत से पड़ौसी ठेकेदारों की शराब की अवैध बिक्री को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

14 अवैध शराब बिक्री की रोकथाम एवं निर्धारित स्थान पर ही दुकानें लगवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. शराब के बढ़ते प्रचलन से गरीबों पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी)

16. जिला बाड़मेर के गांव मंडली और नागाना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की बस्ती में चल रहे शराब के ठेके से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

17. राज्य सरकार द्वारा अफीम के डोडों की विक्रय व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

18. विनोबा हरिजन बस्ती बीकानेर के पास श्रीगंगानगर शुगर मिल के शराब के गोदाम को न हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

19. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में नाजायज शराब की दुकानें बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. अन्य प्रदेशों से आने वाले महुवा फल पर प्रतिबन्ध लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

21. नाजायज शराब निकालने पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

22. भीलवाड़ा नगर व जिले के अन्य स्थानों पर सार्वजनिक व धर्म स्थलों के निकट लगी शराब की दुकानें हटाने के संबंध में पर चर्चा के लिये।

23. राज्य में नाजायज रूप से चलने वाली शराब की दुकानों की जांच कर बढ़ती अनियमितताओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

24. बड़े ठेकों के बजाय प्रत्येक दुकान का अलग-अलग ठेका दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. स्कूल, मंदिरों, धर्मशाला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों हाइ वे तथा सार्वजनिक स्थानों से शराब की दुकानें तुरन्त हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

26. शराबबंदी अविलम्ब लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में परचर्चा के लिये।

28. विषाकृत शराब की बिक्री रोकने में विभाग की विफलता के सम्बन्ध में, पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

29 प्रदेश में आबकारी करों की बकाया की वसूली में व्याप्त शिथिलता एवं नाकायाबी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रति पादित आबकारी सम्बन्धित 12 सूत्री टेम्परेंस कार्यक्रम की क्रियान्विति में सरकार की विफलता के बारे में पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में जहरीली शराब बनने एवं उससे होने वाली मृत्यु एवं अन्य हानियों के संबंध में पर चर्चा के लिय।

32. आबकारी नीति के अन्तर्गत एक वर्ष में शराब के ठेकों को दो वर्ष तक एक साथ देने से राज्य सरकार को होने वाली राजस्व हानि के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल (राजसमंद)

33. राजस्थान में शराब के ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत सब काउंटर संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में जहरीली शराब से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. शराब के ठेकों के बारें में सरकारी नीति से वांछित रेवेन्यु वसूल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति में पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

36. दौसा, मेंहदीपुर बालाजी, महुआ, छोंकरवाड़ा एवं हलैना पर देश में निर्मित अंग्रेजी शराब की बिक्री बढ़ाने के लिये नियम विरुद्ध विज्ञापन पट्ट लगा लिये जाने पर चर्चा के लिये।

37. नेशनल हाइवेज के किनारे तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर रोड़वेज के बस अड्डों के पास निर्धारित नीति का उल्लघंन कर शराब बिक्री की दुकानें खोले जाने पर चर्चा के लिये।

38. आबकारी विभाग में शराब की गारंटी प्रथा में शराब की दुकानों का पूल बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

39. जैतारण वृत्त में चल रही अवैध शराब की दुकानों से ग्रामीणों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

40. ग्राम वाबरा (पाली) में विद्यालय एवं धार्मिक स्थान के समीप स्थित शराब के ठेके को हटाने पर ग्रामीणों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

41. कम आयु के व्यक्तियों पर प्रदेश में शराब सेवन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

42. 60 वर्ष की आयु से ऊपर के अफीम सेवन करने वालों को अन्य राज्यों की तरह चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर अफीम के परमिट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43 बस स्टैण्ड, स्कूल, सराय के पास से एवं घनी आबादी क्षेत्र से शराब की दुकानों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. पोस्त के डोडे में रेत मिलाकर एवं मनमर्जी के भाव वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

45 बालोतरा स्थित आबकारी कार्यालय की जीर्ण शीर्ण स्थिति तथा शहर से बाहर कार्यालय ले जानें एवं इसे सिटी डिस्पेंसरी हेतु दानदाता को उचित मूल्य पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना)

46. राज्य में अवैध शराब की दुकानें चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

47. नीमका थाना उपखण्ड में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकाने अवैध व बिना मापदण्ड खोलने से हो रही जन-धन की हानि पर चर्चा के लिये ।

48. राजस्थान में देशी व अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों से पूरी राजस्व वसूली न होने एवं राजस्व वसूली पूरी न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

49. राज्य में शराब एवं डोडा की कीमत अधिक होने व घटिया पदार्थ मिलने एवं शराब के ठेकेदारों द्वारा संगठित होकर सम्पूर्ण राज्य में एकाधिकार करने से राज्य की आय में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

50. शराब अफीम और हेरोइन, गांजा आदि के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की पड़ने वाली लत को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

51. नशीली वस्तुओं का युवा पीढ़ी में अधिक प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में पर चर्चा के लिये ।

52. शराब के कारण माफिया गिरोहों का उदयपुर में कलह व गुजरात में शराब की तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

53. माताजी, सत्यनारायणजी का मन्दिर, खेरारीवाड़ा, अम्बामाता मन्दिर, चांदपोल बहार उदयपुर नगर के अन्य मन्दिरों व धार्मिक स्थलों के पास शराब की खुली बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृतलाल (बाली)

54. शराब के ठेके बाली व खुडाला में गाव के बीच से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रद्युमन सिंह (राजाखेड़ा)

55. प्रदेश में अवैध शराब के कारखाने चलने एवं जहरीली शराब से होने वाली अकाल मौतों के सबंध में चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

56. तहसील लालसोट में रामगढ़-पचवारा, शिवसिंहपुरा, दौलतपुरा, झापड़ा, कल्लावास, डिडवाना आदि कई गांवों में ठेकेदारों द्वारा शराब की अवैध रूप से चलाई जा रही दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

57. दौसा जिले में चल रही अवैध शराब की दुकानों को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रमाकान्त (थानागाजी)

58 गंगानगर शुगर मिल को देशी शराब का एकाधिकार देने में गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट एवं करोड़ों रुपये के वार्लिंग प्लान्ट लगा दिये जाने के बाद भी ब्लैन्डिग की इजाजत न देने के कारण हो रही राजस्व हानि पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

59. केशवरायपाटन सहकारी शुगरमिल में आबकारी विभाग द्वारा डिस्टलरी प्लांट की अनुमति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. बून्दी जिले में अवैध शराब बहुतायत से बनाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

61. बून्दी जिले के कापरेन नगर में आम सड़क एवं संवेदनशील स्थानों के आस-पास शराब की दुकानें होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

62. आबकारी विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसुचित जन जाति के आरक्षित कोटे को पूरा करने हेतु बेकलॉग पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

63. आम सड़क विद्यालय, मन्दिर व अनुसूचित जाति मौहल्ला में या इनके आस-पास लगी शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

64. ग्राम चाणोद के मुख्य बाजार एवं मन्दिर के पास स्थित शराब की दुकान को हटाने पर चर्चा के लिये ।

65. सुमेरपुर नगर में मुख्य बस स्टेण्ड व जैन मन्दिर के पास चलाई जा रही शराब की दुकान को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

66 हिण्डौन तहसील में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की बस्तियों में चल रही शराब की दुकान हटाये जाने एवं अवैध शराब की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (नोखा)

67. आबकारी विभाग के बड़े-बड़े ठेकेदारों में करोड़ों रुपये की बकाया को वसूल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)

68. आबकारी विभाग के निरीक्षकों के द्वारा आबकारी ठेकेदारों से मिलकर अनाधिकृत दुकानें चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

69. आबकारी विभाग के द्वारा अधिकृत दुकानों के अलावा अनाधिकृत शराब की दुकानें लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

70. धरियावाद, सलूम्बर और सराड़ा, खैरवाड़ा में नौसादर एवं यूरिया खाद मिली शराब के निर्माण एवं अवैध धंधों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

71. अवैध कच्ची शराब की दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाने पर चर्चा के लिये ।

72. नौसादर व यूरिया खाद युक्त कच्ची शराब को बेरोकटोक बिक्री की रोकथाम में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

73. धरियावाद क्षेत्र में कच्ची शराब के अवैध निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाने पर चर्चा के लिये ।

74. आदिवासी क्षेत्र में रासायनिक पदार्थ मिलाकर कच्ची शराब बनाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

75 लूणकरणसर तहसील के ग्राम शेरपुरा (महाजन), सुरनाणा, सारेवाली, बिझरवाली, सूई में शराब की अवैध दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

76 लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाइवे, मन्दिर एवं मस्जिदों, गुरूद्वारों तथा मेले लगने वाले स्थानों से शराब की दुकानें हटाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

77. अर्जुनसर मोटर स्टेण्ड (महाजन थाना जिला बीकानेर) पर शराब की कोका कोला एवं अन्य ठण्डे पेय की भांति सरेआम सवारी बसों तक यात्रियों को (बसों के अन्दर) छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा बिक्री कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

78. शराब के प्रचलन से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

79. राजस्थान में घटिया किस्म की एवं जहरीली शराब के सेवन से होने वाली जन हानि पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

80. गंगानगर जिले में आबकारी विभाग के कार्यालय, भवन एवं कर्मचारियों के रहने को क्वार्टर्स, भत्ता इत्यादि की विशेष व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

81. डोडा पोस्त की कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम वसूल करने और बिना लाईसेन्सधारियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

82. आबकारी विभाग की छत्र छाया में अवैध शराब की पक्की सूरेवाला, 8 एल. एन. पी. इत्यादि गांवों में सरेआम निर्माण व बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83 ग्राम अलीपुरा तहसील सादुलशहर में शराब का ठेका धर्म स्थल के पास व हरिजनों गरीबों के मौहल्लों में स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

84 शराब की दुकानों को अनुसूचित जाति के मौहल्लों व विद्यालय से दूर रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

85. आबकारी की आय कल्याणकारी राज्य की नीतियों के विपरीत होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. अवैध शराब जगह-जगह निकाले जाने और उसके उपयोग से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री मोती लाल (सवाई माधोपुर)

87. जिला सवाई माधोपुर के देहाती क्षेत्र से तथा ढाणियों से शराब की अवैध दुकाने एवं जिले में स्कूल, मन्दिर या कोई भी देवस्थानों के पास स्थापित शराब की दुकाने तुरन्त हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. सवाई माधोपुर क्षेत्र में चकचैनपुरा व जयपुर उद्योग की झुग्गी झौपडियों के पास एवं बजरिया सवाई माधोपुर में मुख्य बाजार से देशी शराब की दुकान हटाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

89. सवाई माधोपुर जिले में सड़कों के किनारे बसे गांव में शराब के वैध या अवैध ठेकों पर शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर)

90 तहसील राजगढ़ (चूरू) में मुख्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. चूरू जिले के समस्त ग्रामों में बिना स्वीकृत दुकानों पर शराब बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुरग्रामीण)

92 राज्य में जहरीली शराब के पीने से हो रही मृत्यु से जनता में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

93. जयपुर नगर के सोडाला क्षेत्र में अफीम की खेती की झूठी खबर से आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों सब्जी पैदा करने वालों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं
2. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल)

94. स्कूल, गरीब बस्ती धार्मिक स्थानों आदि के पास शराब की दुकाने न खोले जाने वाले नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

95. शिक्षण संस्थाओं के मार्ग कारून्दा रोड़ बेगूं पर लगी शराब की दुकान हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

96. धार्मिक स्थल जोगणिया माता बेगूं के आस-पास लगी शराब की दुकान हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. नेहरु पार्क सब्जी मंडी बेगूं के पास लगी शराब की दुकान को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

98. गांव सेनावास तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पक्की शराब की दूकान में कच्ची शराब शामिल कर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

99. गांव गरनावट तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में अवैध शराब विक्रय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100. गांव चिरोला व टामटीया तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में वन व नालियां में कच्ची शराब के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

101. गांव भमरबोड व कुबानी की सरहद तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में कच्ची शराब निकाल कर विक्रय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

102. गांव जगपुरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में कच्ची शराब निकलवाकर गांवों में बेचने से बीमारी व नाजायज झगड़े फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क)

103 स्कूल भवन एवं धार्मिक स्थलों पर व इसके आस-पास चल रही शराब की दुकानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

104. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

105. शराब की ठेकेदारी व्यवस्था को बदले जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

106. शराब के ठेकेदारों द्वारा अनुचित लाभ कमाने एवं राज्य में अवैधानिक शराब बनाने पर सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द)

107. अवैध मदिरा की रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

108 विभागीय संगठन पर पुनर्विचार एवं युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

109. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में स्कूलों एवं धार्मिक स्थलों के समक्ष शराब के ठेके हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. अवैध शराब की बिक्री से राजस्व में हो रही हानि तथा निर्दोष लोगों की मौतों के संबंध में चर्चा के लिये ।

(डा. चन्द्रभान)

111. आबकारी विभाग की अकर्मण्यता एवं पक्षपाती तरीके से काम करने के कारण सरकार को राजस्व में हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

112. राज्य में पूर्ण शराब बन्दी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़)

113. देशी शराब की बोतलों के ढक्कन ढीले रहने से मिलावट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

114. राजस्थान में पूर्ण नशाबंदी करके आम जनता को राहत प्रदान करने एवं आदर्श स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

115 शराब की दुकानें सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर खोलने एवं शराब बेचने से दुषित वातावरण बनने व कुप्रभाव पड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

116 शराब के ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं राजस्व आय में बढ़ोतरी करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

117. अवैध शराब के निर्माण को न रोक सकने एवं उसके सेवन से आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

118. धार्मिक स्थल, स्कूल, कालेज, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मौहल्लों में नियम विरुद्ध शराब की दुकान होने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

119. विभाग एवं ठेकेदारों की मिली भगत से राजकोष में होने वाली हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. ठेकेदारों द्वारा ठेकों/दुकानों पर बार का अवैध संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

121. मेरे क्षेत्र कोटपूतली के राष्ट्रीय मार्ग पर पनियाला मोड़, रघुनाथपुरा, प्रागपुरा के बीच मगना वाली प्याऊ व अन्य होटलों, ढाबों में नशीले पदार्थों के अवैध विक्रय को रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

122. जयपुर जिले में कई स्थानों पर कच्ची बस्तियों व हरिजन बस्तियों में नशीली वस्तुओं की अनाधिकृत दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. राज्य में यूरिया, फास्फेट व अन्य खादों से नाजायज शराब के निर्माण को रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा केलिये।

124. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में चौराये पर पेट्रोल पम्प व दवाखाना के पास स्थित शराब के बिक्री केन्द्रों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. शराब के ठेकेदारों द्वारा इससे अन्य विष जैसे पदार्थ मिलाकर जीवन से खिलवाड़ करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

126. विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों की मिली भगत से निषिद्ध क्षेत्रों तथा प्रतिबन्धित बस्तियों में शराब की दुकाने खोलने की स्वीकृति दी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

127. आबकारी विभाग के स्टाफ को कल्याणकारी राज्य की नीति के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रशिक्षित करने में सहकारी विफलता पर चर्चा के लिये ।

128. अनुसूचित जाति की आबादी में शराब की दुकानों की मंजूरी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

129. विभाग के निरोधक दल द्वारा शराब के ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार फैलाने के उद्देश्य से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

130. लिकर तथा स्प्रिट के क्रय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री दिलखुसराय चौधरी (फतेहपुर)

131. राष्ट्रीय राज मार्गों पर अवैध शराब की दुकानों को हटवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

132. तहसील श्रीमाधोपुर के गांव आसपुरा खण्डेला उप तहसील के ग्राम फतेहपुरा (भोमियान) कोटडी लुहारवाल में अवैध शराब निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

133. सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम बालवाड, पीपलोदो की ढाणी, तपीपल्या गांवों में शराब बिक्री की स्वीकृत दुकान नहीं होने के बावजूद भी अवैध रूप से शराब बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

134. तहसील राजगढ़ (चूरू) में डोडा पोस्त की तस्करी कर राज्य से बाहर भेजे जाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

135. चौमूं क्षेत्र में आबकारी अधिकारियों की साठगांठ से अवैध शराब निर्माण होने से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

136. चौमूं क्षेत्र के ग्राम हस्तेड़ा में अवैध शराब से आम जनता में व्याप्त असन्तोष की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा)

137. आबकारी विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

138. जिला नागौर में ग्रामीण आंचल में चल रही अवैध देशी शराब की दुकाने नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

139. आबकारी विभाग के प्रशासनिक ढांचे के प्रभावी परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)

140. नैनवा तहसील के तलवास गांव में अनुसूचित जाति के मौहल्ले में विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से स्वीकृत शराब की दुकानों को बन्द करने में विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

141. जहरीली शराब एवं नकली विदेशी मदिरा की अवैध बिक्री से जन धन की हो रही क्षति पर चर्चा के लिये ।

142. भीनमाल नगर में स्थित, भीनमाल उपखण्ड के आबकारी कार्यालय भवन को बेच देने के उपरान्त भी नया भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

143. राजस्थान के सीमावर्ती जिले से हो रही शराब की तस्करी रोकने में प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

144. भीनमाल उप खण्ड में स्थित आबकारी विभाग के पास जीप न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

145. विदेशी मदिरा की दुकानों पर विक्रय हो रही मदिरा बिक्री के बिल मांगने पर नहीं देने से आयकर की चोरी एवं नकली विदेशी मदिरा की बिक्री से सम्भावित दुर्घटना से ठेकेदार द्वारा बच निकलने की सम्भावना पर चर्चा के लिये ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

146. प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आयातित 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक एल्कोहल युक्त औषधियां जो औषधियां न होकर औषधियों के नाम पर शराब होती है बिना लाइसेन्स के विक्रय की प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

147. अजमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर स्कूल भवन के पास शराब के अवैध ठेके चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

148. अजमेर व उदयपुर जिले में शराब की दरों में भारी अन्तर के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

149. अजमेर शहर व अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की अंग्रेजी शराब की दरों से जनता में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।

150. अजमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. ब्यावर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू)

152. हरिजन बस्तियों, मन्दिर, मस्जिद, स्कूल व अस्पतालों के नजदीक स्थापित

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

शराब के ठेकों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153 रामनवमी जन्माष्टमी, स्वतन्त्रता दिवस आदि की तरह इदुल फित्तर, ईदुल जुहा मोहर्रम बारह बफात आदि त्यौहारों पर भी सूखा दिवस रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. झुन्झुनू जिले में शराब के अवैध ठेकों व बिक्री से आम जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

155. झुन्झुनू जिला सहित सम्पूर्ण प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. राजस्थान राज्य में जहरीली शराब से आए दिन होने वाली बीमारियों व मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

157. राजस्थान प्रदेश में शराब बन्द कर इसमें मिलने वाली आय का कोई अन्य साधन जुटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. ठेकेदारों द्वारा मन्दिर, विद्यालय व मस्जिद जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दुकाने खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. आबकारी विभाग के ठेकेदारों पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. अवैध शराब के बनाने से गरीब लोगों की बढ़ती मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके व जगह पर शराब की दुकाने खोलने से पनपते भ्रष्टाचार व अनाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

162. अजमेर शहर में अवैध शराब के निर्माण रूकवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी)

163. फागी, रेनवाल व चाकसू में आबादी के बीच चल रही शराब की दुकानों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. बस स्टेण्ड चाकसू पर अवैध शराब की दुकान थड़ी पर चलाने से नागरिकों में रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. ग्राम भोजपुरा तहसील फागी में चल रही अवैध शराब की दुकान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र फागी में अवैध शराब की भट्टियां चलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

167. गांवों में शराब की वैध दुकानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर शराब बेचने

(श्री सांवरलाल)

से जन साधारण में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

168. शराब के मूल्यों में एकरूपता न होने के कारण लोगों में असंतोष पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

1. सवाई माधोपुर जिले में सामुदायिक विकास के नये कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)

2. पंचायत समिति सांचोर में ग्राम सेवकों के अभाव होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

3. सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यों में और अधिक प्रगति लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दांनपुर)

4. विभाग द्वारा बांसवाड़ा में विकास कार्यों को पर्याप्त मात्रा में खोलने एवं अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

5. बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण हेतु राशि का प्रावधान नहीं कराने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

6. जन प्रतिनिधि अपने द्वारा योजना बना सकें इसके लिए डी. आर. डी. ए. को जिला परिषद में मिला देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. प्राथमिकता के आधार पर सारे विकास कार्य ग्राम सभा की राय से 5 साल की योजना बनाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

8. विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में सचिव लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. ग्राम पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा कोटा के पूर्व सरपंच के विरूद्ध गबन सिद्ध होने पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

10. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं का विस्तार कर इसे कारगर बनाते हुये नतीजे अधिकतम लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बंशीलाल पटवा)

11. सामुदायिक क्षेत्र में बिना भेदभाव के लोगों को अधिकतम लाभ मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

12. पंचायतों के चुनाव कराने में राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर देरी करने तथा चुनाव न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

13. उन्नत चूल्हा योजना की विफलता एवं योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

14. सामुदायिक विकास के नाम पर अनु-उपयोगी प्रसार अधिकारियों के पद समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

15. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण शौचालयों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

16. पंचायत राज व सामुदायिक विकास के प्रति सरकारी उपेक्षा, विकास योजनाएं बिना सोचे समझे लागू करने उन्हें बन्द करने नई योजनाएं ऊपर से लादने आदि से हो रही फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

17. प्रदेश में ग्रामीण शौचालयों के निर्माण में गति आने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)

18. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर)

19. डूंगरपुर जिले में सामुदायिक विकास योजनाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

20. पंचायत समिति लालसोट के विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. पंचायत समिति लालसोट में विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. नवीन पुनर्गठित पंचायतों के मुख्यालय सबसे अधिक आबादी वाले गांव में नहीं बनाकर राजनैतिक आधार पर कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

23. केशवराय पाटन पंचायत समिति में तीन चार वर्षों से पंचायत द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएँ करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर)

24. पंचायत समिति सुमेरपुर में पूर्व सरपंचों द्वारा करवाये गये विकास कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार तथा अन्य तरीकों से किये गये गबन की उचित जांच नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

25. ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा करवाये गए निर्माण कार्यों की बकाया धन राशि चुकाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विकास कार्यों को पूरा कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में विभाग द्वारा अधूरे पंचायत भवनों तथा अन्य निर्माण कार्यों को पूरा कराने में सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

28. बीकानेर जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की मोनीटरिंग (जांच) करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार स्वीकृत योजनाओं की समुचित क्रियान्विति कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

30. विकास कार्यों में आ रहे अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. पंचायतों के पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन के कार्य में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समिति सादुलशहर में अन्त्योदय परिवार के चयन में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

33. पंचायत लालगढ़ के प्रशासक के खिलाफ अलाटमेन्ट व निर्णय में भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

34. पंचायत समितियों के द्वारा निर्मित अधूरे छोड़े गये कार्यों को पूर्ण करवाने की अनिवार्यता पर चर्चा के लिये।

35. पंचायतों के पुनर्गठन की अनिवार्यता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाईमाधोपुर)

36. जिला सवाई माधोपुर में सामुदायिक विकास के कार्यों में राशि के दुरूपयोग

(श्री मोतीलाल)

की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. सवाई माधोपुर में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

38. पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में टूटी फूटी बन्द पड़ी जीप से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

39. जिला जयपुर में सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा मोनिटरिंग व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)

41. ग्रामीण शौचालय व स्वच्छता कार्यक्रम एवं निर्धूम चूल्हा कार्यक्रम को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

43. ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ज्यादा धन राशि का आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये ।

44. राज्य में चुने हुए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास कार्य कराने हेतु चर्चा के लिये ।

45. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण (मेड़ता)

46. पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन कराकर उन्हें अधिक स्वायत्तशासी बनाने तथा अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. विभिन्न माध्यमों से कराये गये अपूर्ण ग्रामीण विकास के कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

48. पंचायत राज संस्थाओं को भंग करके प्रशासक नियुक्त करने एवं सत्ता का केन्द्रीयकरण करके ग्रामीण विकास को ठप्प करने से ग्राम जनता में व्याप्त भयंकर आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

49. राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को भंग करके सरकारी मशीनरी द्वारा कराये जा रहे कार्यों से विकास कार्य अवरुद्ध होने पर चर्चा के लिये ।

50. सामुदायिक विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

51. वर्ष 1991-92 में ग्रामीण शौचालय एवं स्वच्छता कार्यक्रम में न्यूनतम लक्ष्य

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भी प्राप्त नहीं होने एवं 92-93 में लक्ष्य आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. उन्नत चूल्हा योजना की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

53. राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले जयपुर जिले में कम विकास कार्य होने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

54. कोटपूतली क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति सरकार की उदासीनता एवं भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

55. विभागीय अधिकारियों का विकास कार्यों के प्रति निराशाजनक रवैया रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

56. ग्राम पंचायतों में सरपंचों को हटने के बाद विकास कार्य ठप्प पड़ जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर)

57. पंचायत राज संस्थाओं को भंग कर दिये जाने से ग्रामीण विकास कार्यों में आये गतिरोध पर चर्चा के लिये ।

58. पंचायत राज्य संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति से होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर)

59. पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) क्षेत्र में पूर्व सरपंचों द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

60. प्रदेश में पंचायत तथा पंचायत समितियों के भंग करने से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

61. प्रत्येक सचिव को 2-3 पंचायतों का कार्य भार देने से आम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

62. चौमूं क्षेत्र की ग्राम पंचायत छिनोई, मंढ भिण्डा, हस्तेड़ा एवं आसीरल्या को पंचायत समिति प्रस्तावित रेनवाल में लगाने से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

63. चौमूं क्षेत्र में नीति विरुद्ध पंचायतों के पुनर्गठन से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

64. पंचायत राज की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

66. ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों सम्बन्धी बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की अवहेलना पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

67. अजमेर जिले में सामुदायिक विकास

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

68. अजमेर जिले में विभाग द्वारा कराये गये विभिन्न कार्य में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

69. अजमेर जिले में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा अधूरे पड़े कार्य को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनू)

70. झुंझनू जिले की अलीपुर पंचायत से मालीगांव व नारनोद को पुनर्सीमांकन में अलग-अलग नहीं किये जाने की मांग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

71. ग्राम पंचायत देरवाला पंचायत समिति झुंझनू की हरिजन वस्ती अनुमानपुरा की इन्द्रा आवास कालोनी में अधूरी पड़ी सड़क जिसका पूर्ण भुगतान कर दिये जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं कराने पर चर्चा के लिये ।

72. पंचायत समिति झुंझनू को नई जीप आवंटित नहीं करने से कार्य में हो रही बाधा पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

73. ग्राम पंचायत के सचिव को प्रशासक बनाने से भ्रष्टाचार बढ़ जाने और विकास कार्य अवरुद्ध होने पर चर्चा के लिये ।

74. पंचायतों के पुनर्गठन में सत्ता पक्ष की मनमानी पर चर्चा के लिये ।

75. पंचायतों के गठन में जन प्रतिनिधियों, विधायक, प्रधान एवं सरपंच की जान-बूझकर अवहेलना करने पर चर्चा के लिये ।

76. पंचायत समितियों के गठन में नियमों की अवहेलना से ग्रामवासियों के लिए उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

77. जयसिंहपुरा खोर व सुमेल पंचायत, पंचायत समिति झोटवाड़ा को जयपुर नगर परिषद में शामिल किये जाने से उत्पन्न भयंकर असंतोष तथा उन्हें पंचायत ही बनाये रखने हेतु उचित निर्णय लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. पंचायतों में नियुक्त हैड मास्टर-सचिव आदि के द्वारा गबन के आरोपित तथा सस्पेण्ड सरपंचों से कार्य कराये जाने और ग्रामीणों की समिति न बनाये जाने से उत्पन्न खिन्नता से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

79. राज्य में समस्त विकास कार्यों में एतदर्थ हो रही अव्यवस्था से ग्रामीणजनों में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 13 व 14 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

कई विपक्षी माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इधर से बुलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कल से ध्यान रखेंगे.. मैंने नाम पुकार लिया है। कल से ध्यान रखेंगे।

श्री नत्थीसिंह : इतनी देर से मांग पर विवाद हो रहा है इधर से कराइये। 4.30 बजे शुरुआत हो रही है फिर भी सत्ता पक्ष से करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी नाम पुकार लिया गया है। कल इधर से करा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को हर निर्देश को चेलेन्ज करने की आदत सी बन गयी है माननीय उपाध्यक्ष जी। यह कौनसी परम्परा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले वाली परम्परा को तोड़ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने नोटिस दिया है और मैं लगाऊंगा एलीगेशन्स और उस एलीगेशन में माननीय महावीरप्रसाद जी खुद इनवाल्व हैं। बेहतर होगा यह बाद में बोलें तो सफाई दे देंगे। अदरवाइज फिर कहेंगे कि पर्सनल एलीगेशन्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मैं बाद में लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन.... प्लीज कोआपरेट मी। आप लगायें तब लगायें। आप महावीरप्रसाद जी अपनी स्पीच शुरू कीजिए।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : मैं पहले से ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप लगाये हैं उसमें एक कमेटी कायम कर दें और जो व्यक्ति दोषी हो वह सदन की सदस्यता से स्तीफा दे दे। यह मैं अपने आपको इनवाल्व करता हू और माननीय श्री सुरेन्द्र जी भी इसमें इनवाल्व कर लें। मैं उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 41 आबकारी और सामुदायिक विकास पर जो हम चर्चा कर रहे हैं और आज मुझे बड़े हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है, पहले सामुदायिक विकास पर मैं चर्चा करना चाहूंगा।

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम हम राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान के जनजीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है उस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं और इसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। लम्बे समय से लगभग 10 हजार अध्यापक और राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में नहीं थे और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो पुराने कांग्रेस के समय जो जिला प्रमुख बैठे हुए थे उन लोगों ने जिस प्रकार की उसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार किया उन सब को समाप्त करके मेरिट लिस्ट के आधार पर हमने पहली बार शुरूआत की और पांच छः हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कराई। इतना ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निशुल्क भूखण्ड आवंटन के मामले में हमने जहां 91-92 में 30 हजार का लक्ष्य रखा था वहां 22976 की

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

प्राप्ति फरवरी तक कर ली है जो लक्ष्यों के अनुरूप तो नहीं हुई और मैं यह चाहता हूं कि बजट सत्र के पूरा होने तक इन आवंटनों की निश्चित रूप से उपलब्धि की जायेगी और 92-93 के लिए भी 30 हजार का लक्ष्य रखा है वह बहुत खुशी की बात है कि 150 वर्ग गज भूमि निशुल्क गरीबों को आवंटित करेंगे। जिनकी लिमिट 350 रुपये प्रतिमाह आमदनी की है। इसी प्रकार ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण योजना के तहत जो 18 हजार के लक्ष्य 91-92 में रखे थे उसको बढ़ाकर 92-93 में 20,400 के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। यह भी हमारे लिए एक खुशी की बात है।

ग्रामीण शौचालयों का जो कार्यक्रम है इसके लिए बहुत से माननीय सदस्य चिन्तित हैं और इसके लिए मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे रह गये हैं। जहां हमने 12800 का लक्ष्य तय किया था वहां हमने केवल 2200 का लक्ष्य प्राप्त किया है। आज गांवों के अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं और बच्चियों को शौचालय के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं है और मैं यह चाहता हूं कि लक्ष्यों को प्राप्त भी किया जाये और आगे आने वाले समय में लक्ष्यों को बढ़ाकर इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाया जाये। उन्नत चूला योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मैं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए हैंडपम्प हैं इनके संधारण का कार्यक्रम आपने अपने हाथ में लिया है लेकिन इस दृष्टि से सारे राजस्थान में मैं यह कह सकता हूं कि यह जो पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है जो मिस्त्रियों को औजार उपलब्ध कराते हैं और जो यह मिस्त्री ग्राम पंचायतों ने रखे हुए हैं मैं समझता हूं कि किसी भी गांव में और आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से कहीं पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, हैंडपम्प जो खराब पड़े हैं उनके संधारण की व्यवस्था की जा रही है इस कार्यक्रम में हम फेल हुए हैं। इस पेयजल को पेयजल में ही भेज दिया जाये इससे डबल व्यवस्था करनी पड़ती है। याने पेयजल अपना एक अभियान चलाता है। इधर

(समय 4.39 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

एक अभियान चलाते हैं इसमें मैं यह समझता हूं कि राजकोष पर डबल भार पड़ता है। तीसरे माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा में इस बार बहुत सारे स्कूल खुले हैं और जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं उनको भी भरने की कोशिश की जा रही है उसके लिए मैं कह चुका हूं और जो नई योजनायें इस बार राज्य सरकार शुरू कर रही है इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे पंचायत राज मंत्रीजी बतायेंगे लेकिन एक हमारे जो सरपंच और उपसरपंच के खिलाफ हमारे विभाग में सरकार के पास विचाराधीन मामले पड़े हुए हैं, आज बहुत-बड़ा दुख का विषय है कि लगभग 5000, 7000 व्यक्तियों के खिलाफ हमारे यहां पर केस विचाराधीन पड़े हों, चाहे कलक्टर के यहां जांच के लिए पड़े हों, चाहे एस डी. ओ. के यहां, चाहे पंचायत समिति में पड़े हों। आज बहुत-बड़ी राशि का गबन-घोटाला

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हो जाता है और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जाय. यह एक चिन्ता का विषय है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो फाइलें लम्बित है उनके ऊपर निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जाय और उनको कानून के शिकंजे में लिया जाय।

आज एक-एक गांव, पचायतों में जहां लोगों की आदतें खराब पडी हुई हैं, लाख-लाख रुपये उन्होंने अपनी जेबों में रख रखे हैं। काम नहीं किये कागजों में दर्शाये हुए हैं। कई सरपंचों ने चार्ज नहीं दिये और आज तक उनसे चार्ज नहीं लिया गया। यह एक बहुत-बडा चिन्ता का विषय है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर प्रभावी कार्यवाही की जाय। जहां पर राज्य सरकार की जवाहर रोजगार योजना है बहुत सारी योजनायें आपके और डिपार्टमैण्ट के माध्यम से चलाई जाती हैं, मैं यह चाहता हूं कि इस पर प्रावधान किये जायं। बहुत सारे प्रावधान हमने किये हैं तो कई माननीय सदस्य बोलेंगे। मरू विकास, सूखा सम्भावित क्षेत्र में 8.5 करोड़ रुपये का किया है, मरू विकास में 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. एकीकृत ग्रामीण विकास में हमने एक लाख 10 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का जो लक्ष्य रखा है, जवाहर रोजगार योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। इस प्रकार कार्यक्रम में 6 करोड़ रुपये खर्च करके और 11 हजार 275 कृषि परिवार को हमने लाभान्वित करने का प्रावधान किया है. यह बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन इसको प्रभावी रूप से पूरा किया जाय, समय पर पूरा किया जाय और इसमें जो उत्तरदायित्वपूर्ण काम हो इस बात की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आज आपका जमा नहीं जैसे रामायण पढ़ रहे हों।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विकास पर तो माननीय सदस्यों को चर्चा में मजा नहीं आ रहा है। इनको किस बात में मजा आयेगा, आबकारी में। अब हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि 10 साल बाद हम शराबबंदी करेंगे। पिछली सरकार ने शराबबंदी की थी। यह बात सही है कि राज्य में विकास का जहां पर बहुत-बड़ा साधन है आबकारी वहां विनाश का भी बहुत-बड़ा साधन है। आज बिक्री करके बाद मैं समझता हूं 4 सौ करोड़ रुपये हम शराब से इकट्ठे कर रहे हैं और इतना ही नहीं यदि प्रभावी योजना बनाई जाय, तो मैं समझता हूं बिक्री कर से जो 9 सौ करोड़ रुपये हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे भी ज्यादा शराब से हम कर सकते हैं लेकिन क्या पैसा ही सब-कुछ है ? मुझे याद है कि मैंने जिस समय यह शराबबंदी को लेकर, और जब कांग्रेस की सरकार आयी, शराब को खोल दिया गया। पैसा ही सब तरह से प्राप्त करना, क्या हमारा यही उद्देश्य है ? यह उद्देश्य मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसों के और भी सोर्स ढूंढे जा सकते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत प्रचुर संभावनायें हैं। इसके लिए हम और रिसोर्सेज कायम कर सकते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं लेकिन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

4 सौ करोड़ रुपये हम राज कोष में लाकर हजारों-करोड़ों का दुर्व्यसन कर रहे हैं, हजारों-करोड़ों की ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मेरे खड़े होने से पहले एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं आरोप लगाऊंगा। मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और इसके लिए मैंने कहा भी कि कोई भी माननीय सदस्य अगर आरोप लगाता है तो इसके लिए मैं तैयार हूं। और मैं पहले से कह चुका हूं, मेरी इस पूरे सदन से करबद्ध प्रार्थना है कि यदि मैं कहीं भी आरोपी साबित होता हू तो निश्चित रूप से दूसरे दिन से मैं इस सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा.... (व्यवधान).... लेकिन मुझे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। मैंने पिछली बार भी यह कहा था, इस बार भी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, से भी निवेदन किया है। एक इस प्रकार का गिरोह विधान सभा में क्या चर्चा करें और क्या नहीं करें? यह एक स्वतंत्र अधिकार है लेकिन माननीय सदस्य तब भी इसमेंरुचि लेते हैं। मैं नहीं समझता कि क्या और क्यों उनमें इन्वाल्व होते हैं? ऐसे कौन-से कारण हैं कि जिसके कारण हमारे यहां पर प्रक्रियायें और नियमों में यह व्यवस्था है कि जिनका (समय समाप्ति सूचक घण्टी) इण्ट्रेस्ट इन्वाल्व है, जिनका डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट इन्वाल्व है, ऐसे कोई व्यक्ति सदन में चर्चा नहीं करें और नहीं करनी चाहिए। हम आखिर राजस्थान की जनता को रिप्रेजेण्ट करते हैं। हमारा बहुत-बड़ा उद्देश्य है। हम किसी के इशारों पर क्यों चलें? एक लोबी हम को चलाये, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। मैं नहीं कहता, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन जिस प्रकार यह रोका-रोकी और टोका-टोकी और जिस प्रकार यह कहा गया कि आप यहां से चले जाओ, जिस प्रकार यह कहा गया कि आप इसमें भाग नहीं लें और जिस प्रकार कहा गया कि तुम्हारे ऊपर प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे, उस हर स्थिति से निपटने के लिये मैं तैयार हूं। यदि मैंने कोई अपराध सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में किया है, न तो किया है और न करूंगा और जिस दिन करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने आज तक कोई व्यक्तिगत हित को नहीं पाला है, राजनीति में संरक्षण नहीं दिया है। जिस दिन यह सिद्ध कर देंगे मैं उस दिन बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में और राजनीनिक जीवन में नहीं रहूंगा। इतना ही मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जिस विषय को मैं इतना बुरा मानता हूं और जहां मेरी यह इच्छा है कि शराबबंदी होनी चाहिए। मैंने कुछ कट मोशन दिये और आज जो इस प्रकार माफिया गिरोह इस सारी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, समानान्तर सरकार चलाने की बात करता है, वह कहता है कि हम चाहेंगे जो बात करते हैं, चाहेंगे जो यहां पर पास करवायेंगे। आज मन्दिरों-मस्जिदों में, राष्ट्रीय राजमार्गों, स्कूल-कॉलेज, वहां पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, यह हमारी नीति में है लेकिन आज हम कहीं भी चले जायें, राजस्थान के गांव में चले जायें, एस. टी. एस. सी. की बस्तियों में उनकी दुकान नहीं होगी,

(178)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उनको लाइसेंस नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का प्रावधान है लेकिन यदि लाइसेंस मिले हुए हैं तो गलत है और यदि लाइसेंस के बिना व्यापार हो रहा है तो वह भी गलत है। यह राज की अस्मिता का सवाल है। यह कोई....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह कोई व्यवस्था है या नहीं है, इस बात का सवाल है इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां पर मंदिर-मस्जिद, स्कुल और गुरुद्वारे हैं वहां पास में ठेका चल रहा है, उसे तुरन्त बंद किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और एस. टी., एस सी. की बस्तियों में यह ठेके चल रहे हैं अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, मैं नहीं कहता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? यह राज का विषय है और राज को करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। इसके लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए जय भारत।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 13 व 41 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, आबकारी विभाग की मांगों पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्री, श्रीमती विद्या पाठक से क्षमा चाहता हूं क्योंकि पर्सनल लेवल पर मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं but it is a call of duty. सभापति महोदय, इतना फुल प्रूफ केस है जिससे यह बात प्रमाणित है कि मिनिस्टर ने किस तरह से अपनी पावर्स को मिसयूज करके एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाया है। मैं यह आरोप नहीं लगाऊंगा, पहले मैं फैक्ट्स बताना चाहूंगा। तो फैक्ट्स से हाउस अपने आप डिसाइड करेगा कि जो मैं बात कह रहा हूं उसके अलावा कोई निष्कर्ष निकल भी सकता है क्या।

श्रीमती विद्या पाठक : सारी फार इण्ट्रेप्शन। फैक्ट्स आप बताइये जरूर, पर फैक्ट्स का जवाब सुनने के लिये कृपया बैठे रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं इस बात को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि मैं निश्चित रूप से पूरे फैक्ट्स का जवाब सुनूंगा। लेकिन मैं भी यह चाहूंगा, आखिर डिबेट के अन्दर पालिटिकल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इश्यूज आयेंगे और पालिटिकली जवाब दे करके आप चली जायं, यह नहीं होना चाहिये। I will talk on facts only and I would like the reply to be on facts only. सिर्फ यह बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। एक जुलाई, 1991 और 2 जुलाई, 1991 के बीच की रात्रि को एक मारुति वैन डी एन बी 2545 के अन्दर 254 बोतलें शराब की जयपुर की ओर ले जायी जा रही थीं जिसको पकड़ा गया। कार के अन्दर चार व्यक्ति सवार थे। एक रमेश, एक लक्ष्मण, एक राजेश और एक कोई और आदमी था। तीन आदमी उतर कर भाग गये और राजेश को पकड़ लिया। राजेश को यहां लाये और मनीराम इक्साइज इंस्पेक्टर ने

(4.50 म प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. नम्बर 26/91 एक्साइज एक्ट की धारा 15 और 15 (4) के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया और अनुसंधान प्रारम्भ किया।

श्री टीकमचन्द कान्त : वह मनीराम कौन था ? जिनके ऊपर एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार आरोप था वह है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां वह वही है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अच्छा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : यहां पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस समय मांगों पर डिबेट कर रहे हैं और माननीय सदस्य जो मालपुरा से चुनकर आये हैं उन्होंने अपना भाषण ही माननीय मंत्री के ऊपर आरोप लगाकर शुरू किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नोटिस दिया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दिया हुआ है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नोटिस देने के बावजूद भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कई परम्पराएं रही हैं....(व्यवधान) मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री देवेन्द्र सिंह : काहे का पाइन्ट आफ आर्डर है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : क्या विराजिये। मर्जी आये जो कुछ हो रहा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवेन्द्र सिंहजी साहब, बैठ जाइये। एक मिनट लगा नहीं उनको।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपको क्या तकलीफ हो रही है... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं बैठेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं व्यवस्था चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की, मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर।

श्री देवेन्द्र सिंह : किस नियम से पाइन्ट

(श्री देवेन्द्र सिंह)

आफ आर्डर है और क्या पाइन्ट आफ आर्डर है यह ।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात तो पूरी करने दें इनको ।

श्री देवेन्द्र सिंह : क्या सुनें इनको ।.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप डिसाइड करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अजी आप बात तो पूरी करने दीजिये ।....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : Are you going to decide my point of order or Deputy Speaker will do it ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बात शुरू की है, आप बात तो पूरी करने दीजिये । वह कहने दीजिये आप ।.. (व्यवधान) कृपया सहयोग कीजिये । आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।... (व्यवधान) There is no point of order.

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन सुनता है । उनकी बात करने दीजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह :....(व्यवधान) लेकिन उनको इण्ट्रप्ट क्यों कर रहे है आप ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये । आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सहयोग कीजिये । बोलिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां हां, जरूर है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : और ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उनको अपनी बात तो कहने दीजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है यह ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : कोई कारण नहीं है जो आप उनको रोकें । कोई पाइन्ड आफ आर्डर नहीं है । किस रूल के तहत यह पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। आप बताइये ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर का कोई रूल होता है यहां ।.. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : बताइये आप क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह बोल रहे हैं, बोलने तो दीजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : बोले ना वह, वह कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं होगा तो हम ही रिजेक्ट कर देगें ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन की अवमानना कर रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : वह बोल लिये ना कि वह सदस्य नाम नहीं ले सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बोले नहीं। प्लीज प्लीज सहयोग कीजिये। ऐसी कोई बात नहीं कही है, माननीय देवेन्द्र सिंहजी साहब। कृपया सहयोग कीजिये आप।

श्री देवेन्द्र सिंह : इन्होंने कही है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सहयोग कीजिये, उनको बोलने तो दीजिये, क्या कह रहे हैं वह।

श्री देवेन्द्र सिंह : उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्य नाम नहीं ले सकते। हम यह कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस दिया है और यह नाम ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी उन्होंने एक सेन्टेन्स बोला है, पहले ही हम कैसे कल्पना करलें कि यह क्या कहने जा रहे हैं। सरकारी मुख्य सचेतकजी।.... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : और क्या मतलब है ?.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो मंत्री महोदया ने कही that is precisely what impressed me कि वह जवाब देना चाहती हैं। लेकिन आपकी पार्टी के मैम्बर्स सुनना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते।

एक माननीय सदस्य : गलत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो क्लाउड आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर आ गया है, मंत्रीजी, मैं भी चाहता हूं वह क्लियर हो जाय लेकिन वह आपकी पार्टी के मैम्बर्स नहीं चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो पाइन्टआफ आर्डर रेज करना चाहता हूं उसको सुना ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको कहा, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ? कोई नियम का उल्लघंन हुआ है। ऐसा है, पार्टी के चीफ व्हिप यहां सदन में बिना कोई....

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये कल्ला साहब, जिम्मेदार आदमी बोल लें, सुनिये, क्या बोल रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, व्यवस्था, कल्लाजी, आपकी चली क्या।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कोई नियम का उल्लंघन हो या कोई संविधान का उल्लंघन हुआ हो या नियमों का उल्लंघन हुआ हो.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : व्यवस्था आप दे रहे हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्लाजी, आप सचेतक रहे हो, सचेतक को जरुरत ही नहीं है कि वह पाइन्ट आफ आर्डर करे। वह बोल सकते हैं। आप रोक नहीं सकते हैं। आप रोक किस आधार पर रहे हो। वह बोलेंगे, उनको अधिकार है। वह सदन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के सचेतक हैं इसलिये बोल सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब विराजिये। माननीय सुरेन्द्रजी, बोलिये। सुरेन्द्रजी व्यास।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बोलेंगे, बोलिये ओमजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नहीं, मेरी व्यवस्था क्या हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात तो कह ही नहीं रहे हैं, मैं किस पर व्यवस्था दूं ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप अलाउ करें जब कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेते यहां। मैंने कहा बोलिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : I am a disciplined member.

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बताइये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस हाउस में इस प्रकार की डिबेट होती है तो मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि क्या पर्सनल एलीगेशन अगेंस्ट दी मिनिस्टर और दी आनरेबल मैम्बर, मंत्री हो चाहे व्यक्तिगत मैम्बर हो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : 273 पढ़िये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : क्या उनके खिलाफ डिबेट में पर्सनल एलीगेशन लगाया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंहजी ने लगाये हैं रात दिन। रात दिन लगाये भैरोंसिंहजी ने

श्री सुरेन्द्र व्यास : Please go and read Rule 273

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि क्या वह डिबेट का पार्ट हो सकता है ? और इस बारे में एक बार श्री गुलाबसिंह शक्तावत.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, इनको पढ़ने दीजिये। बात कह दी इन्होंने, वही बात थी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारे ही हाउस की रूलिंग है और उस बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। श्री गुलाबसिंह शक्तावत, राज्य मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण। उनके खिलाफ आरोप लगाया, उस पर यह रूलिंग हुई है। स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् श्री गफ्फार अली और योगेन्द्र हांडा से कुछ मुद्दों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण कराने का प्रयास किया जिसके लिये आसन ने अनुमति नहीं दी। इस विषय में मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर श्री हांडा ने औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किया कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं देकर सदन के नेता को सफाई देने का अवसर कैसे दिया

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

गया और वह किस अधिकार से बोल रहे हैं। उन्होंने पाइन्ट आफ आर्डर के बारे में यह रूलिंग दी। उसके बाद जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन वगैरह के बारे में "A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House. But in this case, no debate matter may be brought forward and no debate shall arise." इसमें आगे यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : हां, डिबेट के लिये अलाउ नहीं करेंगे। हां, नहीं करेंगे अलाउ।

एक माननीय सदस्य : डिबेट थोड़े ही अलाउ करेंगे?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसमें आगे जो निर्णय हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, निर्णय बोलिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इस निर्णय को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप वह भाग पढ़ लीजिये जो लागू हो रहा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसमें एक उल्लेख हुआ है, जहां ऐसी डिबेट हो रही हो उसमें जो पर्सनल एलीगेशन हैं उनकी डिबेट का पार्ट नहीं बनाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। डिबेट नहीं होगी। माननीय कल्ला साहब, हो गयी ना बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि इन्होंने जो बात कही है उस बारे में हमको भी कहने का हक है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, क्या बोल रहे हैं आप, सम्पतराम जी साहब।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, आज एक निश्चित डिमाण्ड के ऊपर चर्चा हो रही है। और जिस महकमे का इंचार्ज मिनिस्टर होता है उस डिमाण्ड के ऊपर चर्चा करते वक्त इस सदन को पूरे अख्तियारात हैं कि वह चार्जेज लगाये तो लगा सकते हैं। लेकिन एडवांस में इत्तला देना जरूरी होता है। जब उसकी खानापूर्ति हो गयी उसके बाद यह सदन के हित में है और सरकार के हित में है कि किसी भी माननीय सदस्य के दिमाग में कोई गलतफहमी है, सही है या गलत है, उसका निस्तारण इस सदन में होना चाहिये। मैं समझता हूं, सत्ता पक्ष को इसका स्वागत करना चाहिये और इस बात को सुनना चाहिये और माननीय मंत्री महोदया ने भी इसको निश्चित तौर से स्वीकार किया है। इसलिये इसमें कोई वाद विवाद का विषय है ही नहीं। जो कुछ भी मुद्दे हैं, सदन के सामने आने चाहिये, उससे स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक जुलाई, 1991 और 2 जुलाई, 1991 की मध्य रात्रि को एक डी. एन. बी. 2545 मारुति वैन के अन्दर 254 शराब की बोतलें जयपुर की ओर लाते हुए पकड़ा गया। उस कार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के आकूपेंट्स चार थे। रमेश, लक्ष्मणसिंह, राजेश और एक चौथा आदमी था। तीन आदमी गाड़ी छोड़ कर भाग गये। राजेश को, बोतलों को और मारुति वेन को लेकर मनीराम एक्साइज इन्सपैक्टर ने एक मुकदमा कायम किया एफ. आई आर. नम्बर 26/91 अण्डर सैक्शन 15 एण्ड 54 एक्साइज एक्ट यह एक बात हुई। काउण्टर एफ. आई. आर. लक्ष्मणसिंह ने पुलिस स्टेशन जोबनेर में जाकर दर्ज कराई, वह दर्ज की है 56/91, 323, 147, 379 आई पी. सी.। यह यहां से चालू होता है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी पशोपेश में था कि यह बात मैं पहले कहूं, या उसको मैं बाद में इण्ट्रोड्यूस करूं; लेकिन इन मुकदमों का अलग-अलग हश्र हुआ है। यह जो एफ आई. आर. नम्बर 56/91 है, इसके अन्दर एफ. आर. लगा दी गई और एफ. आर. लगाई है 20-8-91 को। मैं इसका ओपरेटिव पोरशन आपको पढ़कर सुनाता हूं एफ आर. नम्बर 29 ए अदम वकुआ नाकाबिले दस्तन्दाजी होने से एफ. आर लगा दी, यानि for want of accurrence। इनवैस्टीगैशन से यह पाया गया कि जो एफ आई. आर. के अन्दर तथ्यों का वर्णन किया गया था, वह सत्य नहीं था। यह है एक किस्सा। इधर चालान पेश हो गया एक्ससाइज एक्ट के अन्दर और, सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2 जनवरी 1992 को राजेश को सजा मिल गई। अब मसला यह आता है कि मिनिस्टर को मैं कैसे कनेक्ट करता हूं। तो सजा अदालत में उतने तक की हुई। 254 बोतल शराब की में से सिर्फ 22 बोतल कैमिकल ऐनेलेसिस के लिए भेजे गये और 22 बोतल का ही जुर्म मान लिया गया उसमें। कोर्ट ने यह आर्डर किया कि 22 बोतल का ही माना जायेगा और सरकारी वकील ने उसकी हां मान ली। न उसकी कोई अपील हुई है और मेंडेटरी प्रोवीजन आफ लॉ जो है, वह मारुति वेन कनफिसकेट होनी चाहिए थी, वह कनफिसकेट नहीं हुई। डेढ़ लाख की तो मारूति वेन ही हो गई होगी, 50 हजार, एक लाख की शराब होगी। अब सजा मिनिमम जो प्रेसक्राइब्ड है, वह सजा भी नहीं हुई और उसकी अपील भी नहीं हुई और सरकारी वकील ने कोई पैरवी भी नहीं की। यह मामला कनैक्ट होता है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत नाराज हो रहे थे. लेकिन इस सदन का, इस अगस्ट हाउस का, राजस्थान का जो सर्वोच्च स्थान है. उसका माननीय मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के मार्फत कैसे दुरुपयोग किया है वह सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह मसला सिर्फ आबकारी विभाग का नहीं है। मसला और गम्भीर हो जाता है। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, 16 सितम्बर को अल्प काल प्रश्न संख्या 212 टौंक से आने वाले माननीय सदस्य के नाम से प्रश्न सूची में आया और वह क्वेश्चन इसी मसले पर था। "क्या यह सही है कि दिनांक 1-7-91 की रात ढाणी गुनियावास, थाना जोबनेर, में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण किया गया, जिसकी एफ. आई. आर. दिनांक 2-7-91 को थाना जोबनेर में दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही गई? क्या यह सही है कि इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए जयपुर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अपर स्थित आबकारी निरीक्षक द्वारा फर्जी केस बनाया गया था। सम्बन्धित अधिकारी निश्चित रूप से फुलेरा में तैनात थे। क्या सरकार प्रकरण में दोषी आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित कर रही है? यदि नहीं, तो क्या आबकारी अभियोग प्रमाणित हो चुका है?" इसका आफिशियल जवाब एक्साइज डिपार्टमैण्ट ने दिया कि कोई फर्जी केस नहीं बनाया गया, किस तरह से बरामद हुई शराब, कोई जवाब नहीं दिया गया। पोसिबली क्वेश्चन हाउस में लिस्ट नहीं हुआ होगा और इसलिए कोई सप्लीमेण्टरी इसके अन्दर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में संयम बरतूंगा। रूल 49 रेग्यूलेट करता है, आधा घण्टे की चर्चा, जो प्रश्नकाल के किसी प्रश्न का सन्तोषप्रद जवाब नहीं आने की हालत में एक अधिकार माननीय सदस्य को देता है। रूल 49 की कम्प्लाइस नहीं हुई। 16 तारीख को क्वेश्चन लगा है, निश्चित रूप से 16 तारीख को कोई आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव माननीय महावीर जी ने नहीं दिया और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इनका जो प्रस्ताव है, आधा घंटे चर्चा के प्रश्न लगाने का, I would like to read this motion with your permission Mr. Deputy Speaker Sir. The House would be interested to know it. प्रकरण में मूल सवाल यह है ढाणी कूचियावास, थाना जोबनेर में दिनांक 1-7-91 की रात मार पीट कर एक मारुति वेन छीने जाने की वारदात हुई। घटना की रिपोर्ट एफ. आई. आर. नम्बर 56/91 धारा 147, 325, 379 दर्ज हुई। रिपोर्टकर्त्ता लक्ष्मणसिंह के 6 चोटें आई हैं। मारुति वेन बी. एन. बी. 25454 जयपुर समूह के ठेकेदारों के व्यक्ति तोलाराम द्वारा जबर्दस्ती जयपुर लाया गया, यह रिपोर्ट में दर्ज है। रिपोर्टकर्त्ता ने रिपोर्ट में यह भी अंदेशा व्यक्त किया था, चूंकि तोलाराम ठेकेदारों का आदमी है, अतः वह हम पर शराब का गलत मुकदमा लगा सकता है। रिपोर्टकर्त्ता का संदेह साबित होता है, तब साबित होता है, जब आबकारी निरीक्षक दक्षिण, जयपुर श्री मनीराम आबकारी निरीक्षक द्वारा 2.30 ए एम. पर तोलाराम की रिपोर्ट पर वेन को जब्त कर अभियोग संख्या 26, 2-7-91 आबकारी नियमों के तहत दर्ज कर लिया गया तथा मुजरिम को फरार बता दिया गया। 11 कट्टे शराब के जयपुर शहर के ठेकेदारों की मदद से वेन में रखकर बरामदगी बता दी गई। थाना जोबनेर के जांच में दोषी पाये जाने एवं पुलिस सूचना दर्ज होने के कारण पुलिस से बचने के उद्देश्य से यह मुकदमा तोलाराम द्वारा आबकारी निरीक्षक के सहयोग से बनाया गया। थाना जोबनेर ने आबकारी फोर्स को जांच में सूक्ष्म मुद्दा बनाकर कानून को हाथ में लेकर वारदात करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि इसमें एफ. आर. दर्ज की। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में प्रश्न संख्या एक के उत्तर में आबकारी विभाग द्वारा पुलिस अनुसन्धान होने के कारण आबकारी विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होना बताया गया, जबकि दूसरे प्रश्न के प्रत्युत्तर में पुलिस केस का पूर्ण ब्यौरा देते हुए विवरण दिया गया।

जाहिर है कि प्रकरण में आबकारी विभाग की दिलचस्पी है तथा जानते हुए विभाग लीपापोती कर रहा है। मूल प्रश्न

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह है कि तोलाराम पुत्र जेठानंद, निवासी सी. 82 पृथ्वीराज ने कानून हाथ में लेकर न केवल लक्ष्मणसिंह व अन्य के साथ मार-पीट की, बल्कि वेन को छीनकर जयपुर ले आया, इस गैर कानूनी कार्य के लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टे वेन पर आबकारी मुकदमा बना दिया गया। कृपया प्रकरण में इन तथ्यों को स्पष्ट करावें; (1) क्या यह सही नहीं है कि तोलाराम पुत्र जेठानन्द जयपुर के ठेकेदारों का व्यक्ति है तथा सी. 82 पृथ्वीराज रोड, उसका मुख्यालय है। (2) क्या यह सही नहीं है कि श्री मनीराम आबकारी निरीक्षक ने यह जानते हुए कि तोलाराम ठेकेदारों का व्यक्ति है, जान बूझकर उसे पुलिस केस से बचाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। (3) क्या यह सही है कि आबकारी निरीक्षक दक्षिण मनीराम द्वारा कभी भी रात्रि गश्त नहीं की गई ? यदि की गई तो विवरण बताया जावे तथा इस केस के अतिरिक्त भी क्या कभी श्री मनीराम को कोई परिणाम प्राप्त हुआ है। (4) क्या यह सही नहीं है ढाणी कूचियावास से जयपुर तक कई पुलिस थाने बीच में आते हैं फिर तोलाराम जैसे सद्नागरिक द्वारा सूचना थाने में नहीं देकर, आबकारी निरीक्षक दक्षिण को मुकदमा लाकर दिया गया। क्यों ? (5) क्या आबकारी मुकदमों में बताया गया वृत्त दक्षिण में यह नहीं था, नहीं है तो किस प्रकार, यह केस मात्र मनीराम ही बना सकता है। (6) क्या आबकारी निरीक्षक नियमों के अनुसार तैयार मुकदमा घर बैठे ही बना सकते हैं ? यदि नहीं, तो यह मुकदमा किस प्रकार बन गया। (7) क्या यह जानकारी होने पर भी कि तोलाराम ठेकेदारों का आदमी है तथा इसी प्रकार की + + + के लिये तैनात है। फिर भी जानते बुझते मुकदमा दर्ज करना नियमों में आचरण का उल्लंघन नहीं है। यदि हां, तो कार्यवाही क्यों नहीं की।

मैं यह मांग करना चाहूंगा भारतीय दण्ड संहिता के तहत थाना जोबनेर में दर्ज मुकदमें को पुन जांच करवा कर दोषी व्यक्ति श्री तोलाराम को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाय। श्री मनीराम, आबकारी निरीक्षक द्वारा दर्ज फर्जी अभियोग की उच्च अधिकारियों के निष्पक्ष जांच करायी जाय तथा प्रकरण में दोषी निरीक्षक के विरुद्ध आचरण नियमों के उल्लंघन तथा पद के दुरुपयोग करने के कारण नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय। ठेकेदारों की इस प्रकार की + + + को रोकने के लिये उपाय किया जाय एवं श्री मनीराम जैसे निरीक्षक को पब्लिक ड्रिलिंग क्षेत्रों से अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो देखिये, रूल 49 क्या कहता है :—

"(1) The Speaker shall allot half-an-hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a recent question oral or written and the answer to which needs elucidation on a matter of fact.

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"(2) A member wishing to raise a matter shall give notice in writing to the Secretary three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall briefly specify the point or points that he wishes to riase :

"Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question;

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members;

Provided further also that the Speaker may, with the consent of the Minister concerned waive the requirement concerning the period of three days."

उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन के नोटिस के बिना इसको लगा दिया गया गया 19 तारीख को, 16 तारीख को पेश नहीं हुआ यह नोटिस। क्योंकि इसमें लिखा है कि मेरा 16 तारीख का क्वेश्चन है और 17 को पेश हुआ होगा तो वह तो The Speaker canwaive with the consent of the Minister.

तो मिनिस्टर की कन्सेंट हो गयी। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, दो दस्तखत नहीं है इसमें।....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही को आप चैलेंज नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आगे चलिये। इसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ यह नोटिस में डाल रहा हूं. दस्तखत एक है तीन नहीं है। मैं अगर 49 का मोशन डालूंगा दो The Secretary would just refuse and throw away my letter and application. कि नहीं साहब मैं तीन दस्तखत के बिना नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौथी दफा विधान सभा में चुन कर आया हूं। मुझसे वरिष्ठ लोग यहां मौजूद हैं। मैंने ऐसा कभी नोटिस आफ एन ऑवर का नहीं पढ़ा। आप पूरे उन शराब के ठेकेदारों की वकालत करके सिर्फ यहां दे देते कि यह एग्जेम्प्टेड है उसमें जवाब नहीं आया, चर्चा करना चाहता हूं। इतना टाइम इनको मिल गया या कोई रेडीमेड ड्राफ्ट इनको मिल गया। (व्यवधान) ...आप बैठिये।

You will not interrupt me.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, यह जो असेम्बली की कार्यवाही है उससे आगे बढ़िये ना आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आगे बढ़ रहा हूं। असेम्बली कार्यवाही आगे आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय आप क्या बात करते हैं। असेम्बली की कार्यवाही आगे आयेगी।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बैठ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब 19 तारीख का आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये आप । आप कहिये । समय दिया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, I want your protection. I should not be interrupted. I do not want to take much of time. देखिये, 19 तारीख को यह आता है । अब आज मिनिस्टर कहती हैं, सुनिये । मिनिस्टर की दिलचस्पी यहां से जाहिर हो रही है, इस लिस्ट आफ बिजनेस में एक और लगा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, 5 के बाद अगर इसको नहीं है तो मैं कागज समेटूं । यहां तक तो इजाजत ही नहीं है, अब महावीर प्रसादजी फरमाते हैं । मैं दिनांक 16-9-1991, प्रश्न सख्या-112 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जिस प्रकार का जवाब आया, मैं जानता हूं कि आज विधान सभा में और विधान सभा के बाहर (व्यवधान) .. और आधे घंटे की चर्चा आयी तो चारों तरफ ठेकेदारों के समूह घूम रहे हैं, विभाग के कर्मचारी इस प्रभाव को लगाने में लगे हुये हैं । मैं इसको प्रेस नहीं करना चाहता, मैं जानता हू कि यह सदन का बहुमूल्य समय है और ऐसा गन्दा विषय है जिसकी बात करना भी अच्छी नहीं है । दो बजे पहले हमें लिख करके देना पड़ेगा कि यह गन्दा विषय है लेकिन सारे राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार समाज में उन्होंने कर रखा है । इसलिये महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने समय दिया । मैं आबकारी मंत्रीजी से पूछना चाहता हू, मुझे पता है कि आप ठेकेदारों से मिले हुये हैं । यह बीच में कोई इन्टरेप्शन के वक्त कहा है इन्होंने लेकिन मैं इन सब बातों से दबने वाला नहीं हूं । ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी उस पाइंट पर आइये ना । आप तो सारी प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं । कितना समय लेंगे, आप उस पाइंट पर आयें । प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं काफी समय से देख रहा हू, आधा घंटा हो गया उनको....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप । शॉर्ट कीजिये । आप उस पाइंट पर आइये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय मैं आ रहा हूं । पूरी तरह से जितना कहना था कह दिया. अब आ रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बात को मैं शिरोधार्य करता हू । माननीय सदस्य का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिलचस्पी तो मिनिस्टर की जाहिर होनी चाहिये । मिनिस्टर का भाषण पढ़ देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह पढ़ लीजिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ना जरूरी है, साहब ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 16 तारीख को एक प्रश्न रखा था उसका जो जवाब दिया गया है, उनको भिजवा दिया गया था उसमें प्रश्न का क्वेश्चन नम्बर एक और दो होम डिपार्टमेण्ट से सम्बन्धित है और यह मैं....

(189)

श्री उपाध्यक्ष : आरोप लगाने से सहयोग मिलेगा क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल मिलेगा, I will read from the Excise Act.

श्री उपाध्यक्ष : आपरेटिव पार्ट पढ़ लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : आपरेटिव पार्ट पढ़ लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, Section 58 prohibits the Minister from taking the position, कि false है, presumption है । आप कैसी बात करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिस-अलाउ नहीं कर रहा हूं । माननीय व्यासजी, आपरेटिव पार्ट पढ़ लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपरेटिव पार्ट नहीं, पूरा यह....

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन के माननीय सदस्य हैं ।... (व्यवधान)... बहुत ध्यान रखते हैं हर बात का । मुंह से बोलते ही समझ जाते हैं यह तो ।....(व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आयेगा, आगे आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आपरेटिव पार्ट पढ़ लीजिये ।....(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय गृह मंत्री को सुनिये आप । आप सुनिये ।

'माननीय गृह मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केस नम्बर 56/91 दिनांक 2-7-1991 को मंगवा कर देखें ।" एफ. आर. लग चुकी उसमें उनका डिपार्टमेण्ट नहीं है । आपकी दिलचस्पी देखिये, "होम मिनिस्टर से कहूंगी कि 56/91, उस फाइल को मगवा कर उस केस को रीओपन करें, देखें ।" आगे सुनिये आप "इसमें जोबनेर थाने में एक केस दर्ज हुआ है और वह केस मारपीट का दर्ज हुआ है । इस मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट भी करायी गयी है । फिर उसमें एफ. आर. किस आधार पर दे दी गयी । तो दोनों ही माननीय गृह मंत्री से सम्बन्धित हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी इसको मंगवा लें ।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न जो आता है वह आबकारी विभाग से सम्बन्धित है । जब माननीय सदस्य ने पूछा कि यह फुलेरा के आबकारी निरीक्षक हैं । यह फुलेरा के नहीं हैं जयपुर दक्षिण के हैं, अधिकृत नहीं हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कैसे दिया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "मुझे यह फाइल देख कर यह सही प्रतीत होता है कि यह केस फर्जी बनाया गया है ।" यह मिनिस्टर कह रही है । गाड़ी को लेकर अब आप .. (व्यवधान)....अब मैं एक्साइज....

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा केस फर्जी बनाया गया है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक्साइज वाला ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्साइज वाला, ठीक है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे यह फाइल देखने से सही प्रतीत होता है कि यह केस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

फर्जी बनाया गया है। गाड़ी को लकर पी. पी. एस. की लाइन में गये और इन्सपेक्टर ने जानते बुझते केस दर्ज भी किया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ठेकेदारों के रिश्तेदारों और व्यक्तियों को मालूम नहीं हो। इसमें मुझे कोई मालूम नहीं कि दो ठेकेदारों की लड़ाई क्या होती है। इस फाइल को देखने से यह लगता है कि अनधिकृत रूप से सब इन्सपेक्टर ने, पेट्रोलिंग आफिसर ने, केस बनाया है। मनीरामजी जयपुर दक्षिण वृत के हैं। पेट्रोलिंग आफिसर कहे कि मनीराम, जयपुर को निलम्बन करने का, उपाध्यक्ष महोदय, नोट करें, आप अश्योर करिये इस प्रकरण की जांच करने का। "जयपुर कलक्टर द्वारा जांच करायी जाने का, तीन महीने में जांच करायी जाने का और उसके पश्चात् निलम्बन आदेश पर पुनः विचार किये जाने के आदेश देता हूं।" आदेश हुये कि एक प्रति आपको... (व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज एक्ट का सेक्शन 58 क्या कहता है। उपाध्यक्ष महोदय, समझने की जरूरत है ..

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कहां जरूरत है एक्साइज एक्ट की यहां ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज एक्ट की जरूरत क्यों नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, एक्साइज का तो यह केस ही है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कहीं जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्साइज का केस है। आप क्या समझते हो ? उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्साइज का ही है। क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। (व्यवधान) आप क्षमा मांगिये। आप किस तरह से उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहे हैं। आप क्षमा मांगिये पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कानून की स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय यह पोजिशन नहीं ले सकती कि यहां केस दर्ज होने के बाद यह + + + है। इसलिए मैं सेक्शन 68 आपकी अनुमति से सदन के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि ओनस प्रोसिक्यूशन पर रहता है। क्रिमनल ज्यूरिसप्रडेन्स का फण्डामेण्टल प्रिंसिपल है। Prosecution has to prove beyond reasonable doubts. कि उसने आफेंस किया है। यह फण्डामेण्टल प्रिंसिपल है इकोनोमिक आफेन्सेज में, और कई आफेन्सेज में इसको रिवर्स कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : 68 क्या है ? प्रिंसिपल है वह दीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट है. यह कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है। माननीय सदस्यों के भी समय का प्रश्न है। आपने समय के हिसाब से उनका समय निर्धारित किया है। यह सीमा तो बताइये।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समय सीमा पूरी हो गयी है। कितना समय आपको और चाहिए ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अदालत की क्या बात करते हो ? केस उस तरह का नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस केस में वकील हैं इसलिए इसमें नहीं बोल सकते हैं। यह अपने केस को यहां प्लीड कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय के समर्थक हैं तो उनका डाउट क्लियर होने दीजिए। पढ़ने दीजिए मुझे पूरा।

श्री कालीचरण सराफ : नम्रता की राजनीति हमारे यहां नहीं चलती। समर्थक की राजनीति हमारे यहां नहीं चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा ले लिया और भूमिका बनायी है (व्यवधान) आधा घण्टे तक तो भूमिका ही बनायी है, इतना समय नहीं दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि कोई पर्सनल इण्ट्रस्ट हो तो यहां मसला उठाकर किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह मुद्दा पहले आपने उठाया, उसका लक्ष्य यह था कि यहां डिबेट हो.... (व्यवधान) इसके अन्दर स्पेसिफिक चार्जेज लगा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ? क्या आरोप लगाना चाहते हैं, उसको बोलिए ना। बाकी सारी बातें समझ गये। एक लाइन क्या है ?

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य को कितना समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : "In every prosecution for any offence...."

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात को 10 मिनिट में कह दें। 20 मिनिट ले लिये हैं। 10 मिनिट और दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई तरीका है ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पाइंट आफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि प्रत्येक पार्टी को कितना समय दिया गया है और उसमें जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको कितना समय मिलना चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष : इनको 10 मिनिट का समय दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहं कोई....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी निवेदन करना है। जब किसी भी मंत्री के खिलाफ किसी तरह के एलीगेशन लगते हैं तो समय की अवधि निश्चित नहीं होती है। वह अपनी पूरी बात कहता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन में अनर्गल बातें सुनी जायेंगी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अनर्गल बात क्या होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : फैक्ट्स पर आयें तथ्यों पर आयें। तुरन्त कहिये। आधा घण्टे तक तो केवल भूमिका बनायी है।

श्री कालीचरण सराफ : यह नियम कहां है ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नियम कहां है ? कौन से नियम के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान एक्साइज एक्ट के सेक्शन 68 में :– "In every prosecution for any offence pun shable under this Act, it shall be presumed"

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह केस कोर्ट में चल रहा है और माननीय सदस्य उसके वकील हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

आप पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। "In every prosecution for any offence punishable under this Act, it shall be presumed without further evidence, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence." एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी, चालान पेश हो गया तो लीगल प्रिजम्शन यह है कि आफेन्स एडमिट हो चुका है। मंत्री महोदया इसके बाद कहती हैं 'फर्जी प्रतीत होता है।" This is not right. उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि यह क्यों उन्होंने किया है यह बताता हूं। अब आप हल्ला करके डिबेट खत्म कराना चाहेंगे। मंत्रीजी, मेरा दोष नहीं है, अपने सदस्यों को चुप रखिए।

श्री उपाध्यक्ष : पीसफुली सुन रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह रसीद है 4 जुलाई, 91 की 11 लाख 1 हजार रुपये, रमेश कुमार। रामदास अग्रवाल के दस्तखत हैं और माला त्रिपाठी के दस्तखत हैं। माला त्रिपाठी माननीय मंत्री महोदया की लड़की है, और रामदास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। यह रसीद है 4 जुलाई, 1991 की, राशि प्राप्त की 1 लाख 1 हजार रुपया। (व्यवधान) जो है सो है, ज्यादा तो मुंह से बोलने का है। मैं गलत बात नहीं करूंगा। जितने का मेरे पास डाक्यूमेण्ट है उतनी ही बात करूंगा। 1 लाख 1 हजार की रसीद के बाद केस खत्म करने की कोशिश की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य उत्तेजित नहीं हों। असेम्बली चालू होने से पहले 51 हजार की दूसरी रसीद है। मोहनजी ठेकेदार। यह भी ठेकेदार हैं। रमेशजी ठेकेदार हैं और यह मोहनजी भी शराब के ठेकेदार हैं। वही रामदास अग्रवाल के दस्तखत हैं। यह वही रमेश है जो गाड़ी से उतरकर भागा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वह फाइनल रिपोर्ट भी पढ़कर सुनाता हूं। फाइनल रिपोर्ट में मारुति वेन मालिक संजय सक्सेना व रमेश

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रतनलाल से दरयाफ्त की गयी। एडमिटेडली यह मारुति के मालिक हैं। अब आप फिर मुझे कहेंगे सेक्शन मत पढ़िए। सेक्शन 69 में, उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्हिकल के अन्दर ट्रान्सपोर्ट किया जायेगा एक्साइजेबल आर्टिकल इल्लीगल तरीके से उसको कनफिसकेट किया जायेगा वह मेण्डेटरी प्रोविजन है तो वह आपने कनफिसकेट नहीं किया। सीजर तो बनाया उन्होंने एक बार, पर फिर मंत्री जी के प्रभाव से आप ने वहां कोर्ट के अन्दर गोल कर दिया, 254 पर किया। उपाध्यक्ष महोदय. यह मैं रूलिंग नहीं पढ़ूंगा, 1981 क्रिमिनल ला रिपोर्टर, यह महेन्द्र भूषण जी का फैसला है, जो वन आफ दी बेस्ट जजेज आफ दी कण्ट्री हैं, जिनको माननीय भैरोंसिह जी ने लोकायुक्त नियुक्त किया। भैरोंसिहजी जी, मैं लोकायुक्त के पास जाऊंगा अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप "माननीय मुख्यमंत्रीजी" बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : You are free, आप कहीं जाइये, पर आप विषय पर बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह मारुति वेन सीज होनी चाहिए थी। यह 1974 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड यह किया है "Excise Inspector deposing that he had passed 21 years service and that he had tested lakhs of samples. Held that in this case particularly when the accused had taken the point at a very late stage. This Excise Inspector could be treated as an expert." फिर क्या नेसेसिटी है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर सेम्पल के लिए नहीं भेजा जाता तो आप इन बोतलों को कम से कम कनफिसकेट तो करते। पर आपने Till the rising of the court की सज़ा कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-1-1992 को चार्ज लगाया और आप कहते हैं कि +++ केस बनाया मुल्ज़िम राजेश क्या कहता है? उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया, चार्जेज लगाए हैं। उसने एक एप्लीकेशन भी लिखकर दी है कि "उपरोक्त मुकदमें में की गयी 1554 राजस्थान एक्साइज के अन्दर अपराध का आरोप है कि यह प्रार्थी स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के सोच समझ कर अपना अपराध स्वीकार करता है। यह कि प्रार्थी को इस बात का ज्ञान है कि इस अपराध स्वीकार करने से उसको सजा हो सकती है।" अपना अपराध स्वीकार कर लिया और, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2 जनवरी, 1992 को उसने अपराध स्वीकार किया, सरकारी वकील ने खड़े होकर वहां पैरवी नहीं की। तो बोतलों वाली बात मैंने आपको बतायी, कनफिसकेट वाली बात उठायी, मारुति वेन वाली बात उठायी। अब इसके बाद 7 जनवरी, 1992 को मंत्री महोदय के आदेश से मनीराम और नेनूराम जो पेट्रोलियम इन्सपेक्टर और एक्साइज इन्सपेक्टर थे को ससपेण्ड किया गया। और कलक्टर की जांच आ गयी। उपाध्यक्ष

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

महोदय, कलक्टर की जांच जिसमें उनको निर्दोष पाया गया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टाइम ओवर हो रहा है। दो मिनिट और है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात कलक्टर ने एस. डी एम. ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। उसमें यह लिखा है कि पुलिस ने केस में एफ. आर. बिल्कुल सही लगाया है। मनीराम ने बिल्कुल सही केस बनाया, वह बिल्कुल निर्दोष है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक वह सस्पेण्डेड है। अब अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत गम्भीर है, चिन्तन का विषय है। इसे हास्यास्पद स्थिति पैदा करने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपनी बात तीन मिनट में पूरी कर दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैं करूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मुझे मुख्य मंत्री जो मार्ग दर्शन करें, या तो रामदास अग्रवाल के दस्तखत शुदा आपने अपने मंत्रियों को बांट दी है रसीदें खाओ और कमाओ, पार्टी के लिए लाओ और खुद भी खाओ। प्लेन एण्ड सिम्पल। उपाध्यक्ष महोदय, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यह पैसा लेकर के आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना चाहते हैं....

श्री मदनलाल सैनी : यह आपकी संस्कृति रही है..,

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय. एक बात है। माननीय भैरोंसिंह जी ने विपक्ष में बैठकर कई दफा यह भाषण दिये हैं और सत्ता पक्ष में सीनियर एम. एल ए. के नाते बैठकर मैंने सुना है. मिनिस्टर की हैसियत से भी सुना है, यह भाषण देते थे यह बात वोट से तय होगी कि कौन आदमी ईमानदार है और कौन आदमी बेइमान है? मुख्य मंत्री जी आप यह बात वोट से तय करायेंगे? आपके पास वोट ज्यादा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य कृपया यह बता दें, माननीय विद्या पाठक जी की तरफ से इस मामले में मानहानि का दावा प्रस्तुत किया गया है या नहीं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे जानकारी नहीं है (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर जाइये, आप बहुत बोले हैं. इतना आप समझ कर चलिये कि यहां इस प्रकार के आरोप लगे हैं, मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इस मामले को लेकर अदालत में मानहानि का दावा पेश किया है।.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि जो मैटर सबजूडिस है उस पर इस तरह से चर्चा नहीं होनी चाहिये...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सबज्यूडिस है ही नहीं....(व्यवधान) Let me conclude. Let me conclude.

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और है, एक मिनट में कह दीजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहली बात, मुख्य मंत्री जी, जो बात सुरेन्द्र व्यास सदन में कहता है वह सदन के बाहर भी कहता है,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप मेरे खिलाफ मुकदमा चला के तो देखो। मैं तो हर बात कहता हूं जो आप मेरे खिलाफ कहते हो, क्योंकि मैं फैक्ट्स के अलावा बात नहीं करता हूं। दूसरी बात अगर आप हाउस में आने के लिए कोई आपने सिविल सूट डिफेमेशन का फाइल करवाया है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेन एण्ड सिम्पल यह बात है मैं आपसे ज्यादा करता ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Only two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Only two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : You have completed your version.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Only two minutes. I will conclude.

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हम सब यहां पर सदन में संविधान की शपथ लेकर बैठे हुए हैं। और कान्स्टीट्यूशन को सबवर्ट जिस तरीके से इस चीफ मिनिस्टर की काउंसिल आफ मिनिस्टर्स कर रही है, एक-एक मिनिस्टर कर रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है। मुख्य मंत्री जी उसको वोट के आधार पर तय कराना चाहते हैं, उसको डिसआर्डर क्रीएट करके बाई पास करना चाहते हैं। मैंने सीधे-सीधे सवाल जो खड़े किये हैं उनका माननीय मंत्री महोदया जवाब दें। मैं आपसे कहता हूं एक लाख रुपये की बात, रसीदों की बात जाने दीजिये, सेक्शन 68 के वायलेशन में मिनिस्टर का यह कहना कि केस + + + है जब ला यह प्रज्यूम करता है। मैं कहता हूं The + + + Minister. is a corrupt minister. She does not deserve to remain as a Minister.. She does not deserve to be a Member of the House. (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्या पाठक जी बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर इस विषय में कोई और भी बोलना चाहें और इससे भी अधिक बोलना चाहें, सब बोल लें, जवाब मैं दूंगी। केस सबज्यूडिस है अब जब हाउस में एलाउ हो गया है तो भी मैं दूंगी... I am not affraid. आप खुल कर बोलिये और स्पेसीफिक लैंग्वेज में बोलिये, मैं जवाब दूंगी।....

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, ...(व्यवधान) मेरे को शांति से सुनने के लिये प्रोटेक्शन दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस तो इनके द्वारा ही दिया गया था....

श्री जोगेश्वर गर्ग : उस + + + केस में इनको सस्पैण्ड किया फिर भी इनको तकलीफ है, क्या करना चाहते हैं यह ? दोषी लोगों को बचाना चाहते हैं।.... (व्यवधान)।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शिष्ट् भाषा का प्रयोग करें ।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीट्युएंसी में लगते हुए एरिया में यह क्राइम....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, अब आप कोई प्रश्न पूछ लीजिए पूछना चाहते हैं तो....

डा. हरिसिंह : मेरा नाम है इसमे । नोटिस दिया हुआ है । माननीय उपाध्यक्ष जी, सुरेन्द्र जी व्यास ने बहुत लम्बा चौड़ा किस्सा सुना दिया, मैं तो दो टप्पे की बात आपको सुनाना चाहता हूं। एक केस जोबनेर थाने में दर्ज हुआ वह केस + + + पाया गया । एक केस एक्साइज में दर्ज हुआ उसमें सजा हो गई । और फ्लोर आफ दी हाउस में जोबनेर वाले केस की पैरवी की कि यह अन्याय हुआ है और पुलिस ने ज्यादती करके और एफ. आर. लगा दी । महावीर जी ने इस केस को उठाया और माननीय मंत्री जी ने फ्लोर आफ दी हाउस का यूज करके यह कहा कि जिन आबकारी इन्सपैक्टर्स ने तस्करों को पकड़ा, शराब का खराब धन्धा करने वालों को पकड़ा, उनको तो सस्पेंड कर दिया और जिनकी पैरवी के अन्दर उनको पकड़ने के लिए सस्पेंड किया उन मुल्जिमों को सजा हो गई । यह क्या शो करता है ? यह साफ शो करता है कि There was a connivance between the Government and the Thekedar. अब इन कन्वायेंस के लिए मोटिव्स क्या इम्प्युट करते हो आप ? मैं किसी अपने अफसर को, जो चोरों को पकड़े उनको तो सजा दूं. और जिन लोगों को अदालत में सजा हो जाए उनके लिए उनको सजा दूं, इससे क्या मोटिव इम्प्यूट होते हैं ? सीधा मतलब है that there is some vested interest और वेस्टेड इन्ट्रस्ट के कारण फ्लोर आफ दी हाउस का यूज हुआ, लास्ट मोमेंट पर हुआ । पहले कह दिया गया विदड्रा हो गया । मैंने भी अध्यक्ष जी से पूछा कि केस का क्या हुआ, महावीर जी ने जो नोटिस दिया है, कि वह तो विदड्रा हो गया । मैंने विद्या जी से भी पूछा, केस का क्या हुआ, कि वह तो विदड्रा हो गया । और लास्ट मोमेंट पर महावीर जी खड़े हो गए और किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कहा था, आप मत उठाओ, मैंने कहा था मैं तो उठाऊंगा । अब तक तो नहीं उठाया और अब उठाऊंगा....

डा. हरिसिंह : मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता । प्रोसीडिंगस आफ दी हाउस देख लीजिए । लास्ट मोमेंट पर, किसी को नहीं बोलने दिया और फिर विद्या जी ने यह कह दिया कि मैं उनको सस्पैण्ड कर दूंगी । फिर उनकी इन्क्वायरी हुई । कलक्टर ने कहा यह निर्दोष हैं । जिन के लिए सस्पेंड किया उनको, उनको अदालत से सजा हो गई । What more do you want ? What more evidence do you want ? अब जहां तक पैसे लेने का सवाल है, जो मोटिव्ज इम्प्यूट हो जाते हैं वह चाहे पैसे के माध्यम से हों चाहे प्रेशर

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(डा. हरिसिंह)

के माध्यम से हों। The Minister has used the Floor of this House in a particular vested interest, misused her powers and misuse of her position as a Minister and she has abused this House mis-used this House. और जो इन्होंने शपथ ली थी कि मैं निष्पक्ष ढंग से काम करुंगी वह शपथ के खिलाफ इन्होंने काम किया। अब क्योंकि मेरा बोलने में भी नाम है मैं उस पर भी बोल दूं ? या मुझे आप बाद में मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह बाद में आप बोलना, विराज जाइये।

डा. हरिसिंह : आज मेरा आबकारी की डिमाण्ड पर है....

श्री उपाध्यक्ष : पहले यह उत्तर देना चाहेंगी ..

डा हरिसिंह : तो इसलिए मैं यह चार्ज लगाता हूं कि रमेश ठेकेदार, मोहन ठेकेदार फुलेरा से बाकायदा जयपुर शराब सप्लाई करते हैं और उनके खिलाफ दस केस लगे हैं और उनमें सजा हुई है। उन्हीं ठेकेदारों की पैरवी माननीय महावीर जी ने की है ..(व्यवधान) फुलेरा से जयपुर दारु सप्लाई करने के विषय में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कोई पैरवी नहीं की है। मैंने केवल इन्सपेक्टर के कन्डक्ट के लिए किया है....

डा. हरिसिंह : यह केस है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पूरी प्रोसीडिंग्स पढ़ लो। मैंने कहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं ठेकेदारों के बीच में नहीं जाना चाहता। केवल मैंने उसके कण्डक्ट के ऊपर कहा है कि इन्सपेक्टर को अधिकार था या नहीं। एक ठेकेदार का आदमी उस वेन को लेकर आया है वह अधिकृत था या नहीं। क्या आपने यह पाबन्दी लगा रखी है कि कोई भी ठेकेदार का आदमी, जिस समय रेड पड़ेगी उस समय नहीं होगा....(व्यवधान).... एक वेन में जिसमें कोई आदमी उपस्थित नहीं था, ठेकेदार का एक आदमी लेकर आया और उसने जबरन केस बनाया, इसलिये मैंने कहा था....

एक माननीय सदस्य : लगता है कि महावीर जी के पास भी बोतल पहुंच गई....

डा. हरिसिंह : राजेश को सजा हुई है यह रेगुलरली, यह मेरी नालेज में है, मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में है, रेगुलरली फुलेरा से जयपुर शराब लाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो आपका रिश्तेदार है ठेकेदार, और उसकी पैरवी आप यहां कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : और सुनो, जिस राजेश की पैरवी आपने की है इस सदन में, और इन्स्पेक्टर्स को सस्पेण्ड करवाया है, वह फुलेरा के ठेकेदारों का आदमी है। आपने उन ठेकेदारों के दबाव में आकर....(व्यवधान)....जिन्होंने मंत्री जी को घूस दी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस समय यह कण्डण्ट किया है उस समय भी कहा था और आन दी फ्लोर आफ दी हाउस भी कहा था कि मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं।

डा. हरिसिंह : जिन्होंने मंत्री जी को घूस दी । आप और मंत्री जी साजिश करके राजेश को बचाना चाहते थे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई साजिश नहीं की । आपने उस समय भी कहा था और लगातार मुझे + + + देते रहे । मैंने उनके कण्डक्ट पर ...

डा. हरिसिंह : जिसको अदालत ने सजा दी, जिसने जुर्म स्वीकार किया

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, बिराजिये । you have explained all the facts.

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं वह सर्कुलर पढ़कर सुनाता हूं जो आबकारी आयुक्त का सर्कुलर है । उसके आधार पर मैंने यह कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, बिराजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य को हर अधिकार है कि किसी को भी न बोलने दें ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, वे बैठ गये हैं ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : बहुत + + + ली है, अब मालूम पड़ रहा है आपकी + + + का ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, बिना अनुमति नहीं बोलेंगे अब आप ।

डा. हरिसिंह : मैं सम-अप करता हूं विद योर प्रोटैक्शन । यह कि इस सदन में माननीय महावीर जी द्वारा कहा है कि फलानी जगह फलाने-फलाने आदमी के साथ मारपीट की और उनके साथ + + + मुकदमें बनाए । वह मुकदमा वाकई + + + है, जोबनेर की जो बात कही न कि यहां का आबकारी मुकदमा + + + बनाया वह मुकदमा तो सही निकला अदालत के जरिये से । और ये जो कह रहे थे कि जोबनेर के अन्दर मुकदमा सही है वह मुकदमा + + + निकला । माननीय मंत्री जी, आपको शराब के तस्करों को रोकना चाहिए कि प्रोटैक्ट करना चाहिए ? You have been protecting them. This is my charge against you, because those whom you were protecting were sentenced by the court and they had accepted it कि हमने जोबनेर में मुकदमा दर्ज कराया है वह गलत था । आपने जोबनेर के मुकदमें को रीओपन करवाया. अपने इन्फ्लुएन्स को यूज करके होम मिनिस्टर से रीओपन करवाया । ये सब बातें हैं । ये सब बातें क्या मोटिव इम्प्यूट करती हैं ? कि आप और महावीर जी ठेकेदारों से पैसे लेकर यह काम करते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + यह सब उठा रहे हैं । मैं विशेषाधिकार लाऊंगा कि आपने मुझे इससे रोका है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । माननीय विद्या पाठक, आबकारी मंत्री ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कह रहे हैं बैद जी कि मुझे शर्म आती है कि आप जैन हैं । + + + (व्यवधान)

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, जितना शान्ति से मैंने सुना है, मैं अपेक्षा करती हूं कि उतनी ही शान्ति से बिना डिस्टर्ब किये मुझे सुना जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना इस प्रकरण में बोले हैं अगर उससे आधा समय भी बिना डिस्टर्ब किये मुझे दे देंगे तो मैं बहुत ओब्लाइज्ड होऊंगी। इसको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरू करना चाहती हूं थोड़ा-सा अंग्रेजी में बोलकर आप समझ पाएंगे। "Liqour trade is becoming more and more alluring field to make quick money, by hoodlum elements, shady and criminal characters entering this business. They tend to collude with administration, law and order and politicians. Such elements build up a nexus with politicians in their elective process by way of election funds and help in providing muscle men and booth capturing. I wish all of us become alive to this problem, contain and discourage it before it is too late. Persons with criminal records and doubtful antecedents should be debarred from obtaining contracts etc."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोप तो बहुत लगाये गये, मैं इसको इस तरह से शुरू करना चाहूंगी। जो कागज इन्होंने विधान सभा सचिवालय को दिये हैं उनको देखकर यह लगता है कि इन्होंने तीन एलिगेशन लगाने की कोशिश की है। एक तो यह कि मैंने कोई ठेकेदार मोहन और रमेश को मदद की इस अभियोग में, जो अभियोग आप बता रहे हैं जोबनेर के वाइन केस का, उसमें मैंने मदद की। और उस मदद के बदले उन्होंने पार्टी कूपन टिकट डेढ़ लाख रुपए और इक्यावन हजार रुपये के लिये। यह भी कि मैंने इस केस को हुश-अप करवाया। यह भी आरोप लगाया कि इसमें मैंने इन लोगों को निलम्बित क्यों कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके सारे दुःख की जड़ एक ही है कि इन दो को निलम्बित क्यों कर दिया, क्योंकि माननीय सदस्य के वे रिश्तेदार हैं, वे ठेकेदार रिश्तेदार हैं। ठेकेदार राजाराम आपका रिश्तेदार है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) Dont take like that. और ये उसके टाउट हैं आप क्या बेकार बात करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : On a point of order.

डा. हरिसिंह : मेरे को इसका जवाब देना होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चेयर से प्रोटेक्शन मांगा था।

डा. हरिसिंह : सुनना होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष जी, मैंने चेयर से प्रोटेक्शन मांगा था कि मुझे अनइण्टरप्टेड बोलने दिया जाय।

डा. हरिसिंह : मेरा रिश्तेदार हो तो मैं इस्तीफा देता हूं असैम्बली से।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था (व्यवधान) राजाराम आपका रिश्तेदार है और उस राजाराम के ये कर्मचारी टाउट हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी + + + एलीगेशन लगा रही हैं... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : वर्ना आप इस्तीफा दें (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने चार्ज लगाया, सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(5.45 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि मैंने ये आरोप लगाने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि उसका जवाब शान्ति से सुना जाएगा। यदि जवाब शान्ति से नहीं सुना गया तो जो आरोप लगाये गये हैं वे सब एक्सपंच कर दूंगा।... (व्यवधान) सुनिये आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज हियर भी। सुनिये आप पहले।

डाक्टर हरिसिंह का नम्बर नहीं था, उनको बोलने के लिए इजाजत किसने दी? उपाध्यक्ष ने दी। वे बोले, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। दूसरी बात है कि सुरेन्द्र व्यास ने करप्ट लेडी कहा है You have told like this that the Minister is corrupt. I have heard It.

श्री सुरेन्द्र व्यास : करप्ट मिनिस्टर कहा है।

श्री अध्यक्ष : हां, मिनिस्टर। एक ही बात है। करप्ट मिनिस्टर कहा है Yes I correct myself आपने कहा है करप्ट मिनिस्टर। सुन लीजिए आप। जब आप इस तरह का चार्ज लगाते हैं तो Be prepared to hear about all the corruptions is which you may be involved by the Minister Let her speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिल्कुल ठीक।

श्री अध्यक्ष : तो चुपचाप सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : Let her speak. Let her conclude first.

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है, जो कूपन के बारे में बात की है, थोड़ा-सा विवरण पढ़कर सुनाना चाहूंगी क्योंकि मैंने इनको बहुत लम्बा विवरण सुना है किताबों का, या सदस्य, जो आपने पढ़ा है। जनवरी-फरवरी में मेरी पुत्री को कुछ कूपन पार्टी की तरफ से दिये गये थे। मीटिंग में, बाकायदा पार्टी फोरम में पार्टी की महामंत्री होने के नाते, उसको दो कूपन बुक दी गयीं। गृहस्थ महिला होने के नाते उसका अधिक सम्पर्क है नहीं और यह स्वाभाविक है कि

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती विद्या पाठक)

ऐसे में परिवार के मित्रों, परिचितों और मिलने-जुलने वालों की मदद लेनी पड़ती है। मेरी पुत्री ने भी कुछ कूपन हस्ताक्षर करके कुछ जानकर लोगों को दे दिये। यह बात जनवरी-फरवरी, 1991 की है। तत्सम्बन्धी विवरण का हिसाब माह मार्च, 1991 में ही मय भरे और बिना भरे कूपन के प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार यह प्रकरण पूरा हो गया।

दिनांक 28-29 को एक सांध्यकालीन अखबार, जिसकी इन्होंने चर्चा की है, में दो कूपन छपे। ये उक्त अखबार और उसके बाद "माया" में भी छपे। क्योंकि यह समाचार मुझसे सम्बन्धित था एवं मेरे सार्वजनिक जीवन एवं आचरण को बदनाम करने का +++ कुत्सित और भ्रामक प्रचार था, अतः अपने नेता और राज्य के मुख्य मंत्री को तत्काल पत्र लिखकर मैंने स्थिति स्पष्ट की। कुछ दिनों पश्चात् 30 नवम्बर, 1991 को "माया" में यही कूपन फिर छपे। तत्पश्चात् मामले में कुछ और तथ्य मुझे प्राप्त हुए और प्रकाश में आने पर मेरे विरुद्ध किये गये इस कदम में षड्यंत्र, जालसाजी का होना प्रकट हुआ जिसे उजागर करने के लिये मैंने 26-11-91 को प्रेस कांफ्रेंस ली और उसमें कुछ बिन्दु उठाये। मैंने उस प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मेरा सार्वजनिक जीवन कोई नया नहीं है. चार बार से मैं विधायक हूं, पहले मंत्री भी रही हूं और इससे पूर्व भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ी रही हूं, परन्तु इससे पूर्व कभी ऐसा आरोप सदन में या सदन के बाहर कहीं नहीं लगा। 19-9-91 के बाद यह आरोप, लगना शुरू हुआ। और उसके बाद तो सिलसिला चालू हो गया। फिर भी उसके पीछे कहानी इन्हीं दो लोगों के सस्पेंशन की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह समाचार सही होता तो उसके बाद दो बार विधान सभा का सत्र हो चुका था। यह प्रकरण विधान सभा में या प्रेस में कहीं तो आता। अभी तक कहीं नहीं आया था, बल्कि एक भूतपूर्व मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसा प्रकरण आने के बाद कहा कि, "मैं यह बात आबकारी मंत्री श्रीमती विद्या पाठक के लिये नहीं कह रहा हूं"। ये वर्डस थे जो विधान सभा के रिकार्ड पर हैं।

देखने से ही स्पष्ट होता है कि कूपन, जो पहले सीरियल का था, वह बाद में काटा गया और बाद के सीरियल को पहले काटा गया। यह टोटल फोर्जरी हुई। मैंने प्रेस कांफ्रेंस में यह मन्जूर किया है कि वे दस्तखत मेरी लड़की के हैं। मैंने साथ ही यह भी कहा है कि इसमें लिखा हुआ फिगर मेरी लड़की के लिखे हुए नहीं हैं और इस फिगर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। देखने से स्पष्ट होता है कि हस्ताक्षर दूसरे के हैं परन्तु धनराशि और यह किसी अन्य के द्वारा लिखे गये हैं। जब समस्त खाली-भरे कूपनों का हिसाब मार्च से पहले खत्म हो गया तो फिर ये कूपन आये कहां से? इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि खाली कूपन किसी अवांछनीय व्यक्ति ने कहीं से प्राप्त करके और मनमानी राशि भरकर नाम भरकर (व्यवधान) I will tell you. जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनके दस्तखतों के कूपन हैं।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैंड-राइटिंग की जांच के लिये मुख्य मंत्री महोदय को दूंगी मैं। यह भी उन्हीं की साजिश है, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं वे कूपन रखने को तैयार हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं....

डा. हरि सिंह : एक सेकण्ड।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बैठिये। माननीय सदस्य, मैं पहले कह चुका हूं कि अनइन्टरप्टेड सुनना पड़ेगा। There is no condition. Nobody will be allowed to interrupt.

डा. हरि सिंह : मेरा जवाब भी सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनना पड़ेगा। जो नियम हैं, उससे होगा। आप कह चुके हैं अपनी बात। She is replying to your allegation and you have to hear it.

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के पीछे कारणों की जांच करने से एक ही बात स्पष्ट होती है कि 19-9-1991 को जो दो कर्मचारियों का मेरे द्वारा निलम्बन किया गया था, यह कहानी भी उसी के विरुद्ध भ्रामक प्रचार है। फिर कोई भी व्यक्ति इतनी अधिक राशि कोई रसीद काटकर किसी पालिटिकल पार्टी को नहीं देता। आपने भी चन्दे तो बहुत लिये हैं (व्यवधान) हां, आप तो हवा में चुनाव लड़ते हो, मालूम है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखिये ताकि मैं भी शान्त रहूं।

श्रीमती विद्या पाठक : इतनी राशि कभी रसीद से राजनीतिक दल को नहीं देते। यही नहीं, जिनके नाम से उक्त कूपन रसीद बनाई गई है, वह भी ठेकेदार हैं। उन्होंने इसकी जानकारी मिलने पर कूपन छापने वाले दोनों पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध अदालत में मानहानि और क्रिमिनल केस किया हुआ है। मैं इसलिये ही कह रही थी कि यह सब-जुडिस है। उन्होंने अदालत में कहा है कि उनके विरुद्ध कुछ अन्य ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों ने मिलकर यह षड़यन्त्र रचा है और वे उन्हें आयकर के मामले में फसाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो हलफनामे का हवाला दिया है, उसकी कापी है आपके पास ?

श्रीमती विद्या पाठक : वह मैंने आपको प्रस्तुत की है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दी है ?

श्री अध्यक्ष : तो टेबिल पर रखिये उसे।

श्रीमती विद्या पाठक : उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस के लोग हैं। पार्टी में उनकी निष्ठा को संदिग्ध कर इस प्रकार जान-बूझकर यह भ्रामक प्रचार कि इन्होंने बी. जे. पी. को चन्दा दिया है, ऐसा करके भ्रामक दुष्प्रचार करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने कुछ सबूत....(व्यवधान) अब यह संगीत आप बाद में कर लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने कुछ सबूत भी अदालत में प्रस्तुत किये हैं जो न्यायालय में यह साबित करेंगे कि उन्हें फंसाने की साजिश में कौन-कौन सम्मिलित हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि जिसके नाम से कूपन बेचना बताया है, वे उसे जानते भी नहीं,

(श्रीमती विद्या पाठक)

कभी मिले नहीं और कभी देखा नहीं।

इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि कूपन द्वारा चन्दा प्राप्त करने का समाचार एवं आरोप एकदम निराधार, भ्रामक, असत्य, मनगढ़न्त और बदनीयती से किया हुआ प्रचार है। यह दो ठेकेदारों की आपसी लड़ाई का मामला है।

इस सम्बन्ध में मैं पुनः यह कहना चाहूंगी कि इस मामले में मेरा डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मामला फर्जी, तथ्य-हीन, असत्य और जालसाजी है और यह सब-जुडिस होने के कारण इसे सदन की परम्पराओं के अनुरूप डिस्कस किया जाना उचित भी नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निलम्बन प्रकरण के बारे में चर्चा करना चाहती हूं। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास ने जो तथ्य दिये हैं, मैं सोचती हूं, वे प्रोपरली प्रोफ्ड नहीं थे। तथ्य भी वे हैं जो रिकार्ड से अलग हैं उन्होंने यह भी कहा कि 254 बोतलों का केस था जिसको मैंने छुड़वा दिया, इसमें डेढ़ लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने मारुति वैन भी कानफिस्केट नहीं की। तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। यह फाइल मेरे पास है। मैंने विभाग को लिखा मारुत्ति वैन को कानफिस्केट करने के लिये, उस पर आदेश लेने के लिये, बाकी बोतलों पर निर्णय लेने के लिये, आगे पैरवी की जाय। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप क्या कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि तोलाराम के साथ वैन में राजेश साथ गया था। राजेश, ड्राइवर जिसको बताते हैं, वह साथ गया और वह तोलाराम राजेश को साथ लेकर EPF लाइन गया। जो तोलाराम ने बयान रिकार्ड करवाया है. उसमें कहा है कि मैं वाहन को टोचिंग करके लाया हूं और इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। मैं राजेश नाम तो इसलिये बोल रहा हूं कि कोई भाग के जा रहा था, दूसरा साथी आदमी यह कह रहा था कि "राजेश भाग, राजेश भाग"। इन्होंने गवाही की बात की, यह भी तथ्य असत्य है। यह तोलाराम ठेकेदार का व्यक्ति है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस केस में जिनकी गवाही हैं, वे भी ठेकेदार के आदमी हैं। जिस कलक्टर की जांच की आप बात करते हैं, उसमें मेरे विधान सभा का दिया हुआ आदेश देकर अधिकारियों को भेजा है, कलक्टर को कि आप इसकी जांच करायें। मेरे आदेशों की जांच होगी? या कि टर्म्स एण्ड रेफरेंस दिया जायेगा? ये माफिया हर स्टेज पर मेनिपुलेट करते हैं तो आप भी मेनिपुलेट करें तो क्या आश्चर्य है।

(6.00 सायं)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसका सही विवरण, रिकार्डेड विवरण देना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात पूछना चाहूंगी। इन्होंने यह भी कहा कि जोबनेर थाने में जो केस दर्ज हुआ था, उसमें एफ. आर. लग गई। यह भी असत्य है। मेरे 19-9-91 के सदन में प्रश्न के उत्तर के बाद एफ. आर. खुली, विधान सभा के बाद एफ. आर. खुली और उसमें तोलाराम के अगेन्स्ट वारंट इश्यू भी पुलिस ने किया और

(श्रीमती विद्या पाठक)

चालान भी अदालत में प्रस्तुत हो चुका है। एस. एच. ओ. जोबनेर द्वारा आबकारी अभियोग का हवाला देकर प्रकरण में एफ. आर. दे दी गई और यह एफ. आर. अन्त में खुल भी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ तथ्य तो सामने आ गए हैं हाउस के सामने, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप प्रश्न किससे पूछना चाहती हैं?

श्रीमती विद्या पाठक : मैं हाउस के सामने रखना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न हाउस के सामने रखिए।

श्रीमती विद्या पाठक : हाउस के सामने कन्सिडरेशन के लिए रखना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : किसी को इंगित मत करिए, किसी को मत करिए। आप जो सवाल खड़े होते हैं वह हाउस के सामने रखिए।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह कहना चाहती हूं कि आबकारी अधिनियम 19 धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार आबकारी अवैध मदिरा के वाहन आपरेटर जिसका वाहन व मदिरा पर उस समय कब्जा और नियंत्रण होता है उसी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था एक्साइज एक्स के मुताबिक। तदनुसार आबकारी अभियोग भी प्रथमतया निरीक्षक द्वारा तोलाराम पर ही दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रश्न उठता है कि क्यों निरीक्षक ने ऐसा नहीं किया? उल्टे तोलाराम के कहने सुनने पर सूनी वाहन पर काल्पनिक मुजरिमं का नाम अभियोग में अभियुक्त के नाम से दर्ज कर दिया। फिर आबकारी विभाग में यह स्पष्ट नियम है कि रेड के लिए ठेकेदारों के व्यक्तियों को यूज चयन नहीं होगा। मैं मंजूर करती हूं के ठेकेदार का व्यक्ति ले ही आया था तो वह शराब यह कह कर नहीं छोड़ी जा सकती थी कि आप पी जाओ। उस पर केस तो बनना ही था। पर पहले केस सामने कलप्रिट है, उस पर बनाया जाना चाहिए था, जो दोस्ती के नाते और ठेकेदार से favour gains. गैम्स के कारण उसने छोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 गवाह जो बताये गए हैं वह भी ठेकेदारों के आदमी थे, जिनको वह अपनी गाड़ी में लेकर आया तोलाराम वह भी ठेकेदार के आदमी थे। अब यह हाउस तय कर ले कि क्या ठेकेदार ही अब केस बनवायेंगे? ई. पी. एफ. लाइन में ले जाकर ठेकेदार किसी इज्जतदार आदमी की इज्जत उतार देंगे? क्या आप यह चाहते हैं डा. साहब? किसी दिन आप ही की गाड़ी को ले जाया जाय डा. साहब और यह कहा जाय कि इसमें शराब थी और डा. साहब पर केस बनाओ? ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए भविष्य के लिए अभियोग ठेकेदारों के द्वारा दर्ज न कराया जाय। यह स्थापित करना चाहती हूं उनमें 1-2 कर्मचारी थे उन्होंने नियमों के विपरीत कार्यवाही की उनका सस्पेंशन बिलकुल सही हुआ है और इस सस्पेंशन को जहां तक मुझ पर लगाये गए

(श्रीमती विद्या पाठक)

आरोपों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में 26-11 को मैंने प्रेस कान्फ्रेंस में सारी बातें बता दीं थी और तथ्य सम्बन्धी विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य मंत्रीजी को भी लिख कर दे दिया है। दो कनिष्ठ स्तर के आबकारी कर्मचारियों, जिनका निलम्बन आबकारी अधिनियम की धारा 19 (54) के विपरीत कार्य करने और केस नियमों के विपरीत बनाने, केस बनाना गलत नहीं था मगर केस किस तरह से बनाया जाना चाहिए और जिस पर केस बनाया जाना चाहिए था उसको चलाकर छोड़ दिया इसके लिए अपराधी को, पुलिस वाहन को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चुप नहीं रह सकते Cannot you keep quiet ? Be patient If you were so...आपने अटेक किया है, जरा कन्सीडरेबली लीजिए .. यह तरीका है लाज का वह शब्दों का नहीं है। आपके पास कारण थे वह आपने दे दिए। आप सुनिए।

श्रीमती विद्या पाठक : 5 मिनट में खतम करती हूं साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो व्यक्ति शराब के ठेकेदारों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह माननीय सदस्यों के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं, बड़े-बड़े आफिसर्स सस्पेंड भी हो जाते हैं, पेंडिंग इन्क्वायरी में भी सस्पेंड हो जाते हैं, इन्क्वायरी बाद में होती रहती हैं। कोई नई बात नहीं है, नई प्रशासनिक प्रक्रिया भी नहीं है then what itches you, that I don't know. तो शराब माफिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो नो। पहले सुन लें। पहले सुन लें आप Hear her first. पहले सुन लीजिए hear her first आप बैठिए। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इनको पहले कम्प्लीट होने दीजिए। (व्यवधान) मैं आपके निवेदन को रद्द करता हूं। विराजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब माफिया का प्रशासन पर कितना वर्चस्व है यह भी तथ्य यों जाहिर होता है कि इनके निलम्बन आदेश 4 माह तक जारी ही नहीं होने दिए। वैसे यह अपनी अपराधिक प्रवृत्तियों के लिए पूर्व में भी निलम्बित रह चुके हैं और जेल की सजा भी काट चुके हैं....(व्यवधान)....आस्ट्रेलियन लेडी के केस में जा चुके हैं ये। शराब माफिया के मुख्य तंत्र हैं और Payrolls पर हैं, आदतन अपराधी हैं, जिला कलक्टर जांच कर रहे हैं, वैसे भी मामला सबज्युडिस है, ठेकेदारों में प्रतिद्वंदता है। मुझ पर भी दबाव डाला जाता है सब तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मैं इस केस में किसी तरह कम्प्रोमाइज कर लूं। मैं कम्प्रोमाइज क्यों करूं, मेरा व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, कोर्ट में केस किया है, court will take care दबाव डालने के लिए, ऐसे मामले में दबाव में मैं आने वाली नहीं हूं। और सम्बन्धित मामले में क्रिमिनल केस किया जा चुका है। मैटर सबज्यूडिश है, परिणाम आना अपेक्षित है। मामला स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान).... बिराजिये आप। बैठिए। वही बता रहा हूं।

इसी सदन में, मैं आपको यह इसी सदन में हुई रूलिंग को पढ़कर सुना देता हूं

(श्री अध्यक्ष)

कि एलिगेशन का मामला था, मिनिस्टर ने जवाब दे दिया और रूलिंग यह हुई कि जो एलिगेशन्स मंत्रीजी के खिलाफ लगाए गए थे उनको रिवर्ट करने का अधिकार नियमों में दिया हुआ है और ऐसे एक्सप्लेनेशन के बाद में किसी तरह की डिबेट अलाउ नहीं की जायेगी। There is no provision for debate. यह डिबेट का मुद्दा नहीं बन सकता है। इसलिए अब एक और दो का सवाल नहीं है I won't allow a single word about it. श्रीमती उजला अरोड़ा। श्रीमती उजला अरोड़ा। श्रीमती उजला अरोड़ा यू स्टार्ट। (व्यवधान) सुमित्रा जी मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं।... मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं। मैं डिबेट अलाउ नहीं करूंगा यह रूलिंग दे चुका हूं और यह रूलिंग मैंने इसी हाउस की रूलिंग के आधार पर दी है— I won't allow Sumitraji. सुमित्राजी आप विराजिए। प्लीज सुमित्रासिंह जी बैठिए। प्लीज सुमित्राजी आप बैठिए। नोट नहीं किया जाय, कुछ नहीं लिखा जाय। सिर्फ उजलाजी का लिखा जाय। (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अमृतलाल परमार : × × ×

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्रीमती सुमित्रासिंह : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री टीकमचन्द कान्त : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट, केवल मात्र एक एलीगेशन यह लगाया गया था कि वह रिश्तेदार है... (व्यवधान).... सुनिये, प्लीज सुनिये। डा. हरिसिंह ने तत्काल खड़े होकर कह दिया कि वह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं.... (व्यवधान) I have heard it. I have heard it. It has come on record.

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य राजाराम जी के भी रिश्तेदार नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं इसकी ताइद करता हूं कि रिश्तेदार है।... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आर्डर प्लीज। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा कि शराब की लोबी से किस तरह से सरकार को दबाया जाने की कोशिश की गयी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगी कि वह एक हिम्मत के साथ फिर मद्यनिषेध का जो कार्यक्रम था उसको लागू करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो 1977 से 80 तक मुख्य मंत्री रहे

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उन्होंने 13 जिले जो सुखाड़ियाजी ने बन्द किये थे, उसके बाद हिम्मत करके 13 जिले बन्द किये थे तब अपने राजस्थान में एक बहुत अच्छी स्थिति बनी थी। तब सारा सर्वे करवाया गया था। मैं भी इस सदन की सदस्या थी और सर्वे के उपरान्त यह निकला था कि केवल राजस्थान में एक लाख पियक्कड़ है जिनके लिए वह मर ना जाये बिना पीये उसके लिए सरकार शराब की व्यवस्था करे तो सरकार ने उनकी व्यवस्था की। उनके फोटो बनाये, परमिट बनाये उनके आधार पर जितनी उनके लिए जरूरत थी जीवन के लिए शराब मुहैया कराई गई। मैं धन्यवाद देती हूं श्री भैरोंसिंहजी को पुनः-पुनः देती हूं कि उन्होंने सर्वोदय आन्दोलन के प्रणेता श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन में धरना, सत्याग्रह की मर्यादा को स्वीकार करते हुये प्रदेश में शराबन्दी की थी। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगी कि वही दिन फिर आ गया कि आप बड़ी हिम्मत से इस को पुनः प्रदेश में लागू करें।

(6.15 सायं)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति पदासीन)।

जिससे अपराधों में कमी हो, जिससे एक्सीडेन्ट में कमी हो, जिससे अन्य सामाजिक स्थितियां सुधरे। मैं कहना चाहूंगी पुनः ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करते हुये आगे आने वाली पीढ़ी को जीवनदान देते हुये एक अपना विनिश्चय जाहिर करेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : टूंटी लगा दो टूंटी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पण्डितजी आपके यहां तो टूंटी नहीं टूंटा लग रहा है। आपके यहां तो शराब के बनने का कारखाना खुला हुआ है।

श्री केदारनाथ शर्मा : मेरे। टूंटी वाले मेरे सामने रहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं ना। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो।

श्री सभापति : आप मेरी तरफ देखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मुझे पता नहीं था। लेकिन आप यह मान लें कि यह चीज बहुत बुरी है और ठेकदारों की जो लॉबी है। राज्य कर्मचारी और अधिकारी पियक्कड़ है उनकी लॉबी है उनका हावीपन सरकार को दबाता है। वह ऐसा कार्य ना करे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इससे जो आय होती है वह आय जिसका बार-बार हवाला दिया जाता है कि इतनी बड़ी आय का प्रलोभन कैसे छोड़ दें। मुख्य मंत्रीजी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी श्री गोकुल भाई भट्ट ने आपको एक राय दी थी लाटरी खोलने की कि आप अल्टरनेटिव वाइज अपना काम चला लें और यह शराब का व्यापार बन्द कर दें। आपने तब माना था लेकिन आज लाटरी भी चल रही है और शराब का भी विक्रय चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आप उस प्रोजेक्ट को लें जिसमें कि इस शराब से मुक्ति दिलाते हुये लोगों की माली हालत अच्छी बनें और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई औरत शराबी पति से ना पिटे, कोई बच्चा समाज में यह ना सुने की तुम्हरे बाप ने कल पीकर मारा था। वह पड़े हुये नील, वह पड़ी हुई गरीब की हालत वह बच्चे की असामाजिक स्थिति, प्रदेश की असामाजिक स्थिति, मैं समझती हूं कि कभी ग्राह्य नहीं है। मुख्य मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे वह इस शराब के व्यापार को बन्द करायेंगे और इस लॉम्बी पर हावी होकर हौंसले से संकल्प लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी गांव-गांव, शहर-शहर उन दिनों औरतों ने बुला-बुला करके मुझ से कहा कि भला हो भैरोंसिहजी का जिन्होंने शराब बन्द करी तो हमारे घर आज गेहूं की बोरियां नजर आ रही है। हमने कभी ज्वार, बाजरा भी नहीं खाया ठीक तरह से, आधे समय हम भूखे रहते थे। मैं कहना चाहूंगी कि यह जो अपदार्थ है, मैं इसको अपदार्थ की संज्ञा देती हूं। मैं कहना चाहूंगी कि मिलावट की हुई शराब से हो रही हानि, इस शराब के जहर में एक जहर डी. डी. टी. मिलाना, दूसरा यूरिया मिलाकर बेचना, कितनी मौतें हुई हैं इससे उनकी गणना की जाये। कितने लोगों के घर बरबाद हुये हैं। इस प्रकार से हम आने वाली सन्तान की सुरक्षा कर पायेंगे, शराब की आय को मैं पाप की आय कहती हूं। श्री गोकुल भाई भट्ट को श्रद्धांजलि देते वक्त हमने संकल्प लिया था कि हम उनके छोड़े हुये कामों को पूरा करेंगे और उस श्रद्धांजलि सभा में श्री भैरोंसिहजी शेखावत थे जिन्होंने इस बात को खुद ने दोहराया था कि आज बहुत बुरा हुआ और इस कार्य को हम आगे ले जायेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है मीसा में जब हम बन्द थे उस समय गोकुल भाई भट्ट और भैरोंसिहजी साहब का सानिध्य मुझे मिला... उन दिनों जेल में भी हमने शराब बन्द करने का आन्दोलन शुरू किया था और उसके लिए सरकार को जेल के अन्दर से भी बाध्य करने का प्रयास किया था। माननीय भैरोंसिह जी ने यह कहकर और सरकार को लिखकर भेजा, उनको इस बात के लिए हतोत्साहित किया था कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शराब का व्यापार बन्द कर दिया जायेगा। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगी कि यह गलत आय का मोह छोड़े और जो आदमी शराब नहीं पियेगा अगर उसके पास पैसा हुआ तो निश्चित रूप से वो अच्छी तरह खायेगा, पियेगा तो बिक्री कर के माध्यम से और अन्य करों के माध्यम से इस सरकार को कुछ देगा। सरकार अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे, समिति बनाये, निश्चित रूप से सोचे कि इसका विकल्प क्या होना चाहिये। मेरा पूरा का पूरा सहयोग रहेगा और मैं कहना चाहूंगी कि मद्य निषेध के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाने की बात चली थी कि किस तरह से लोगों को विरक्त किया जाय कि लोग नहीं पिये। वह शिक्षाप्रद समिति, जब माननीय मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर आए, उन्होंने उस समिति को भी भंग कर दिया। पिछली शराब तो खोल दी, उन्होंने उस सरकार ने फिर माना कि हम गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनायेंगे और उन्होंने वह नहीं बनाई तो मैं कहना चाहूंगी कि शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एक समिति बनाये। जैसे पहले नशाबन्दी मण्डल था, आप समिति को कोई नाम दे दें, कोई परिषद का नाम दे दें कोई संघ का नाम दे दें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मेरे प्रदेश से शराब बन्द होनी चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो आपने मुझे टाइम दिया है न।

श्री सभापति : आपको कष्ट हो रहा है। बार-बार खांसी आ रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो बीच में डिस्टरबेंस हुआ न। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शराब की आय का मोह छोड़े और अपना संकल्प पूरा करें। इसके साथ ही मैंने आज जो वातावरण देखा, मैंने आज इस प्रकार की हल्केपन की चुटकियां लेते देखा, इस तरह का वातावरण कोई ग्राह्य नहीं है। अगर कोई ठोस बात शराबबन्दी के प्रकरण में विपक्ष के लोग दें तो निश्चित रूप से कोई अच्छी बात होगी, यह बात तो ठीक थी लेकिन अनावश्यक आक्षेप-प्रत्याक्षेप की श्रेणी में जाना, यह गलत तरीका है। मैं चाहूंगी कि वे कोई ठोस कार्यक्रम लेकर अगर आये हैं तो यहां फ्लोर पर रखें। आपके कई माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा लेकिन इस प्रकार से.... (व्यवधान) उदयपुर में इसके आयुक्त बैठते हैं जो कभी पहले मद्य निषेध के भी आयुक्त हुआ करते थे। वह अम्ब्रेला बना हुआ है पूरा का पूरा और उसके अन्तर्गत कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यह देखें कि यह

(समय-समाप्ति, सूचक घंटी)

जहर बिकता है, सरकार चुप है। बच्चे मरते हैं, सरकार चुप है। असामाजिकता होती है, सरकार चुप है। मैं कहना चाहूंगी कि यह जहर बिकता है, सरकार चुप है। कितनी रिपोर्टें आई हैं कि जेलों में स्मैक बिकती है लेकिन सरकार चुप है। किस चीजों की आय यहां देशी विदेशी शराब की दुकानों से, लेकिन जितनी वैध हैं, उससे दुगुनी अवैध खोली गई हैं। वे कच्ची बस्तियों के पास खोली गई हैं, गंदी बस्तियों के पास खोली गई हैं और स्कूल कालेजों के पास खोली गई हैं, जिनके लिए पहले हमने ही कहा था कि उनके पास नहीं खोलेंगे....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं और यह कहा गया था कि हम इसको शीघ्र ही चेंज करेंगे लेकिन वे नियम भी चेंज नहीं हुए। आज से 40 साल पहले वाले बने हुए नियम। जगह-जगह स्कूल खुले हैं, जगह-जगह शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि वे कार्य जो विद्याजी ने यहां पर कहा था पिछली बार कि हम दो महीने में इसको चेंज कर देंगे, वह भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदया इस पद का लोभ छोड़े और सरकार को बाध्य करके इस विषय को समाप्त करा दें तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे एक तो ब्राह्मण है, दूसरी महिला है, उनको आबकारी का विषय देना शोभा नहीं देता।

श्री सभापति : आप समाप्त करें। डाक्टर चन्द्रभान।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि वे बहुत समर्थ मंत्री हैं लेकिन सरकार से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी कि वे इस पाप का लोभ छोड़ दें और शराबन्दी में योगदान करें । धन्यवाद ।

श्री नत्थीसिंह : नाम मेरा है । मेरा नाम पहले है । (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, आपका नाम है नत्थीसिंह जी ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, ये नेताजी हैं पहले इनको बोलने दीजिये ।

श्री नत्थीसिंह : नेताजी हैं । नेताजी तुम्हारी खबर लेंगे यहां ।

डा. चन्द्रभान : नेताजी पहले बोल लेंगे ।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, आबकारी का वातावरण सदन में बना है, शराब का माहौल है, उसमें तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से कि आपने एक वायदा किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं रहेंगी, यह वादा पूरा नहीं हुआ है । आज भी सार्वजनिक स्थानों पर दुकानें हैं । कम से कम सार्वजनिक स्थानों को तो पवित्र कर दीजिये लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूगा कि बजट पर जब बहस हो रही थी, तब इस सदन में आम राय आई थी कि पंचायती राज की व्यवस्था को भंग करने के कारण विकास कार्य ठप्प हो गये है और इसलिए जल्दी से जल्दी एक व्यवस्था कायम की जाय । हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में और बजट के उत्तर में एक बात दोहराई थी, एक बात यह कही थी कि केन्द्र की सरकार सारी ताकतों को अपने अन्दर समाहित करती चली जा रही है और इससे राज्य कमजोर हो रहे हैं । सरकारिया कमीशन की बात भी इन्होंने कही और उन्होंने कहा कि अगर लोकतन्त्र को सफल बनाना है तो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जरूरी है और उन्होंने संघवाद की बात कही, मुझे एक तो बहुत खुशी हुई सभापति महोदय, यह जानकर कि जो बी.जे.पी. आज तक मैंने पढ़ा और सुना यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट की बात करती थी, एकात्मक प्रणाली होनी चाहिये, यह बात करते थे । कम से कम हमारे मुख्यमंत्रीजी के हवाले से उसमें अपना स्टैण्ड तो बदला कि वे यूनिटरी फार्म बदलकर संघवाद पर तो आये । यह तो एक खुशी की बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कब सफल हो सकता है । केवल केन्द्र के पावर राज्यों को मिल जाय, और राज्य स्वायत्तशासी संस्थाओं की हत्या करता चला जाय, उनको भंग कर दे, उनको कोई ताकत नहीं दे तो इससे लोकतन्त्र सफल नहीं होगा । लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली बनकर नहीं रह सकता, लोकतन्त्र को जब तक हम जीवन प्रणाली नहीं बनायेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायती राज संस्थाएं भंग हुई । मुझे मालूम है, एक बात मैं कहूंगा कि यह दबाव बहुत पहले से था, माननीय गृह मंत्रीजी पर था, यह जानकारी है (व्यवधान) जब से सरकार बनी थी 4 मार्च, 1990 से और फिर 14 तारीख को जब हमारा पूरा मंत्रिमण्डल बना, थोड़ा बाद में बना तब से ही यह प्रेशर था मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कि इन पंचायती राज संस्थाओं को तुरन्त भग कर दिया जाय

(श्री नत्थीसिंह)

और जिला परिषद् और और पंचायत राज संस्थाओं को तुरन्त भंग कर देना चाहिये और जो हमारे मिडिल स्कूल हैं, उनको वापस लिया जाय। मुझे खुशी है कि उस वक्त सरकार में ऐसे तत्व मौजूद थे जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखते थे और दबाव के बावजूद भी हमने मुख्य मंत्रीजी को दबाव में नहीं आने दिया लेकिन मुझे दुख है कि उन तत्वों के दूर होते ही वे उनके प्रभाव और दबाव में आ गये और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अन्त्येष्टि क्रिया राजस्थान में कर दी। मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक जवाब दिया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का समय समाप्त हो गया था। आप इस बात की व्यवस्था करते कि जब तक समय समाप्त हो, तब तक चुनाव करा दें और आज एक बात और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, वह बात यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो दौर चल रहा है कि हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मजबूत करें, तो क्यों नहीं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहिये। दो बात आज इस सदन में बहुत आई, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कलक्टर ने जो पंचायतें बना दी है, उसके आधार पर चुनाव करा देंगे। मैं मेरे क्षेत्र में गया, गांव के लोगों को विश्वास ही नहीं है कि वे संस्थाओं के चुनाव करायेंगे। सरकार चुनाव कराएगी ही नहीं। यह विश्वसनीयता इतनी कम हुई है कि कहते हैं कि कोई न कोई बहाना तलाश लिया जायेगा और चुनाव नहीं कराये जायेंगे। इसलिए इसी सत्र में जैसा वादा किया है....(व्यवधान) उन्हें छोड़ो, अपनी कहो, अपनी जात क्यों बिगाड़ते हो? अपनी क्रेडिट क्यों खराब कर रहे हो?....दूसरों की देखादेखी गलत प्रकरण मत करो, हम उनसे भी लड़े थे। (व्यवधान) मैं जानता हूं सभापति महोदय, जो बहाना लिया जाता है पुनर्सीमांकन का, हमारी पालियामेंट असेंबली का भी डी-लिमिटेशन होता है, समय पर चुनाव होता है, समय पर डी-लिमिटेशन होता है और उसके बहाने चुनाव नहीं टाले जाते। आज मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी ने जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे लोगों को इस पर शक है। सभापति महोदय, बाई इलेक्शंस हुए, मुख्य मंत्रीजी ने दौरा किया, चुनावों में भाषण दिया कि पंचायतों में सरपंच के चुनाव पंचों से करा दिए जायेंगे, एक दिन में ही सब चुनाव हो जायेंगे पंचायत के, जिला प्रमुख के, पंचायत समिति के। मैं कहना चाहता हूं अगर पंचों के जरिए चुनाव कराने की पद्धति डल गई तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा इस प्रदेश का कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर कील ठोकी जा रही है उसके माथे पर। कोई नहीं चाहता इस बात को कि पंचायतों का जो सरपंच है वह पंचों से चुना जाय, वह निश्चित रूप से जनता द्वारा चुना हुआ आदमी होना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर आपका कोई विचार है, किसने रोका था आपको? आप ग्राम सभा में भाषण देते हैं। इस विधान सभा का सत्र 24 तारीख से शुरू है। अब तक पंचायत राज संस्थाओं का क्या संशोधन करना था, क्या उनको ताकत देनी थी क्या उनका स्वरूप करना था, किस तरह से उनका चुनाव होना था। क्यों नहीं इस सम्बन्ध में विधेयक लाये ताकि सारी विधान सभा उस पर विचार करती और उसमें सही बात को स्वीकार करती। इस तरह से बैकडोर से जो आप

(श्री नत्थीसिंह)

काम करना चाहते हैं, अगर कॉपरेटिव की तरह से आर्डिनेंस निकाल करके सबको बाहर कर दो और यह ले आवो तो यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की तरफ जाना नहीं होगा। हमारी कथनी और करनी का अन्तर साफ आ जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज इस बात की जरूरत है, एक बहाना यह भी मिल जाता है पंचायत राज संस्थाओं के बारे में कि संसद में विधेयक आ रहा है तब देखेंगे। लेकिन कर्नाटक ने बाट नहीं देखी, केरल ने बाट नहीं देखी, पश्चिमी बंगाल ने बाट नहीं देखी, गुजरात ने बाट नहीं देखी। उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार दिए हैं, सुदृढ़ बनाया है और उनको वास्तव में स्वायत्तशासी संस्था बनाने की कोशिश की है। इसलिए सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि अगर आप चाहते हैं राज में स्वायत्तता आये, केन्द्र में सत्ता का केन्द्रीकरण न हो तो राज्य में भी सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं नहीं होना चाहिए। ग्राम की पंचायत प्रशासन की ओर आर्थिक विकास की एक इकाई बने और जिले की जिला परिषद् जिले की प्रशासनिक और आर्थिक विकास की इकाई बने। इसके लिए आप संशोधन लायें, कराइये पास, तब तो चौखम्बा राज होगा, तब तो वास्तव में गांवों में, जिले में ताकत जायेगी। अगर आप यह काम नहीं कर पाते हैं तो फिर केवल यह इसलिए कर रहे हैं। इसलिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पूरा हो केवल एक सरकारिया कमीशन में यह विचार आया। अनेक बार इस विचार को दोहराया गया है कि हमारी पचायत राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत ही अधिकार दिए जाय कि इनका आर्थिक स्रोत क्या होगा? इनके चुनाव के लिए भी इलेक्शन कमीशन को दिया जाय, समय पर चुनाव कराये जाय और इसके साथ-साथ इनको इस तरह से भंग करने के पावर भी ले लिए जाने चाहिए। यहां पर माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं मुझे बड़ी हैरत हुई जब वे कह रहे थे कि सरपंच तो बेईमान थे। इलेक्टेड रिप्रजेंटिव पर इस तरह से आरोप लगाना और उसकी जगह नौकरशाही पर विश्वास करके चलना कि ग्राम सेवक अच्छे हैं, पटवारी अच्छे हैं यह इस बात को दिखाता है कि लोकतत्र में हमारी आस्था नहीं है। जो बेईमान हैं उनको सजा दें लेकिन लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि का स्थान निश्चित रूप से नौकर से ऊपर रहेगा यह व्यवस्था हमें करनी होगी। अगर यह व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप व्यवधान न करें।

श्री नत्थीसिंह : कहां है, रेकार्ड पर है और यह भी कहा है महावीर जी साहब, कि 2700 सरपंचों पर मुकदमें चल रहे हैं। उनको आप सजा दो लेकिन इससे चुने हुए लोगों का स्थान कम नहीं हो जाता। चुने हुए लोगों का स्थान निश्चित रूप से ऊपर रहता है। आज जरूरत इस बात की है....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लायें उसे पास करें और चुनाव करायें। उसके साथ-साथ वह अधिकार भी उनको देना चाहिए।

(श्री नत्थीसिंह)

मिडिल स्कूल आपने ले लिए। ठीक है ले लिए आपकी राय थी लेकिन क्या उनको देना चाहते हैं ? जिसके पास आर्थिक अधिकार नहीं होंगे वह प्रशासनिक रूप से सक्षम कभी नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि पंचायत राज संस्थाओं को सक्षम बनाया जाय और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान में क्या हुआ ? चाहे इधर बैठने वाले राज करते हों या इधर बैठने वाले राज करते हों। राजस्थान में नागौर में जब नेहरूजी ने 2 अक्टूबर को दीपक जलाया लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उस समय हमारी क्या स्थिति थी ? हमारी पंचायत समितियों, जिला परिषदों में अधिकार था, हम सवाल पूछ सकते थे विधान सभा की तरह से। सरकारी अधिकारी को आना पड़ता था, आज तो सारा खत्म हो गया और उसके बाद तो मीटिंग भी होती नहीं। आज वह अधिकारी और प्रधान, उधर जिला प्रमुख व सी. ओ. वे दोनों मिल जायें तो सदस्यों को कोई पूछता ही नहीं। तो यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पंचायत राज संस्थाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा। जिला परिषद में जो सचिव होगा उसका स्टेटस जिले के कलक्टर से ऊपर होना चाहिए ताकि वे महसूस करें कि वास्तव में सत्ता कहां है और जिला परिषद वास्तव में प्रशासनिक इकाई है, पंचायत प्रशासनिक इकाई है तब जाकर काम चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पब्लिक के अन्दर आज जो एक तरह से अविश्वास का वातावरण बन गया है उस अविश्वास के वातावरण को हटाया जाय और पंचायत राज संस्थाओं का सही तरीके से विकास करिए नहीं तो आज जो सामुदायिक विकास का, आंगनबाड़ी, पोषाहार केन्द्र हैं उनके लिए कौन नहीं जानता कि इस सबमें भारी भ्रष्टाचार है, भारी गोलमाल है, इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, सारा पैसा वेस्ट जा रहा है। इनके सुधार के लिए आवश्यक है कि पंचायत राज संस्थाओं को हम सबल और सक्षम बनायें। एक बात मैं आपके जरिए कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आज सामुदायिक विकास के काम चल रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हम प्रथम रहे 20 सूत्री कार्यक्रम में। यह बहुत अच्छी बात है इसके लिए हम भी आपको बधाई देना चाहते हैं लेकिन उस बीस सूत्री कार्यक्रम के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उन सबको एग्जामिन करिए कि क्या उनसे विकास होता है या वह पैसा इधर-उधर चला जाता है। निश्चित रूप से आज गांव के लोग महसूस करने लगे हैं अतः इन सारे कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना होगा और पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, तभी हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कल्पना में साकार होंगे उससे पहले नहीं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पंचायत राज संस्था के सम्बन्ध में, ग्राम पंचायतों को भंग करने, पंचायत समितियों को भंग करने, जिला परिषदों को भंग करने के बारे में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु पंचायतों से चुनाव के बारे में अपने विचार

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्रकट किए। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों को भंग कर राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और ग्रामीण पंचायती राज मंत्री खर्रा साहब ने जो पुनर्गठन की योजना बनाई है उसके लिए गत 23 तारीख के पूर्व में मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के ऐसे गांवों का प्रवास करके आया। राज्य सरकार ने यह जो पुनर्गठन की योजना पंचायतों की बनाई है उसका हर गांव वालों ने स्वागत किया है। पचायत राज व्यवस्था कायम होने के पश्चात् जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 10 हजार, 15 हजार हो गई जिस ग्राम पंचायत के अन्दर 5 या 10 गांव हो गए और जो ग्राम् पंचायत का मुख्यावास का गांव उस मुख्यावास से दूसरे गांव की दूरी 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हो गई। ग्राम पंचायत का सरपंच जिस गांव के मुख्यावास में रहने वाला है जो राज्य सरकार की जे. आर वाई. की योजना है चाहे अपना गांव–अपना काम योजना हो, चाहे 30 जिला 30 काम की योजना है, चाहे जीवनधारा की योजना है, जितनी भी राज्य सरकार की योजनायें हैं इनका विकेन्द्रीकरण न करके इनका केन्द्रीकरण करते रहे। उसका परिणाम यह हुआ माननीय सभापति महोदय, अगर इसकी जांच की जाय तो आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जहां मुख्यावास है वहां पर इन योजनाओं का पैसा अधिक खर्च हुआ और जो छोटे गांव हैं जिस पंचायत से अटैच हैं उन गांवों के अदर विकास के काम कम हुए। मैं मुख्य मंत्रीजी का और माननीय ग्रामीण पचायती राज मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सरपच छोटे गांव का है तो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : छोटे गांव का तो आपने आने ही नहीं दिया आज तक। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह पुनर्गठन की कार्यवाही जिसकी जनसंख्या का आधार दो साल या पांच साल के बीच में रखा उसके कारण जो आज तक 14-15 साल से कांग्रेस शासन था, कांग्रेस के माननीय सदस्य जो चुनाव की बात करते हैं इन्होंने 15-15 वर्ष तक चुनाव ही नहीं कराये। भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिकाओं के चुनाव कराए। गांवों की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव कराए। ग्राम की सहकारी समितियों के चुनाव कराके प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत किया है। और यह पुनर्गठन की कार्यवाही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, गांव के विकास के लिए, इन योजनाओं की राशि को छोटे-छोटे गाव में लगाने के लिए यह कार्यवाही की है, यह स्वागत योग्य है। इसके लिए हर गांव का व्यक्ति आज उसको स्वागत की दृष्टि से देखता है। लोगों में उत्साह है और उनकी इच्छा है कि जिस हिसाब से जनसंख्या दस और बारह हजार के बीच में थी, दस-दस गांव के बीच में एक एक ग्राम पंचायत थी, यह विकेन्द्रीकरण होने के बाद में तीन गांवों के बीच में अगर एक पंचायत होगी या एक गांव के बीच में एक पंचायत होगी तो राज्य सरकार को जो योजना चाहे जे. आर. वाई. हो, चाहे अपना गांव अपना काम योजना हो, चाहे तीस जिले तीस काम योजना हो, चाहे भू-संरक्षण का कार्य हो, चाहे अन्त्योदय का कार्यक्रम हो, इनका विकेन्द्रीकरण होगा और गांव के अन्दर गरीब व्यक्ति के पास,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अनुसूचित जाति के व्यक्ति और शोषित व्यक्ति के पास राज्य सरकार का पैसा लगेगा, गांव की उन्नति होगी और गांव की खुशहाली होगी। यहां विपक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह पुनर्गठन की कार्यवाही और जो पंचायतों को भंग किया गया, इससे गांवों के विकास के काम अवरुद्ध हो गये। मेरे हिसाब से जो माननीय सदस्य यह बात करते हैं, या तो गांव के अन्दर उनका प्रवास कार्यक्रम रहा ही नहीं, अपने विधान सभा क्षेत्र में गये ही नहीं। आज कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर कि उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जहां उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है। आज ऐसी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसमें भवन का निर्माण जे. आर. वाई. में हो, चाहे अपना काम अपना गांव योजना में हो, चाहे तीस जिले तीस काम योजना के अन्दर हो, आज ऐसा कोई डेयरी भवन या गांव की जो भी आवश्यकता है, चाहे सांड घर, चाहे पाडा घर, चाहे सडक का निर्माण हो, इन योजनाओं के तहत आज निरन्तर रूप से हो रहे हैं। यह कहते हैं कि जो....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मेरे साथ चलो मेरे क्षेत्र में, मैं बताता हूं आपको।

श्री सभापति : आप बैठिये, बैठिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, जिस हिसाब से यह कहते हैं सेन्ट्रलाइजेशन की बात और यह आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने गांव के पंचायत के सरपंच को पचास हजार तक के पक्के काम करने का अधिकार दिया है....

श्री रामस्वरूप मीणा : सब को गारण्टी मत दो आप, आप अपनी बात करिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जिसको पंचायत के विकास अधिकारी या जिला परिषद या कलक्टर को लेने का कोई अधिकार नहीं है और दस हजार तक के .. (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य, सरपंच कहां हैं, प्रधान कहां हैं ?

श्री सभापति : आप बैठिये माननीय सदस्य। आपका नम्बर आये तब बोल लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कच्चे काम का अधिकार गांव के सरपंच को दिया है....

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से ग्रुप सचिव और जिस प्रकार से भंग करने के बारे में बात करते हैं, गांव की ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अन्दर वहां का ग्रुप सचिव, वहां का प्रधानाध्यापक और वहां की पंचायत समिति का अधिकारी, इन तीनों की कमेटी गांव की ग्राम सभा में बात करके जो निर्णय करती है उसके आधार पर विकास के काम करवाये जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो गांव के प्रतिनिधि हैं, जो पंचवर्षीय योजना है, जो गांव के विकास के लिए बनाई थी, ऐसे कई अधिकारी हैं जो उन पंचवर्षीय योजना को ताक

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर रख कर एडीशनल काम को प्रारम्भ करवाये हैं, ग्राम पंचायतों के सरपच या ग्राम की ग्राम सभा के अन्दर पंचवर्षीय योजना के तहत जो पक्के काम या कच्चे काम करने का निर्णय लिया गया था उन प्रतिनिधियों के अधिकार और जनता की भावनाओं के विपरीत पाली जिले के कलेक्टर ने पंचवर्षीय योजना को ताक पर रखकर एडीशनल जो प्लान सेंक्शन किया है इसकी जांच करवायें। गांव के अन्दर आवश्यकता है, ग्राम सभा के अन्दर जो तय किया जाता है कि यहां पर कच्ची सड़क की आवश्यकता है, यहां पर डेयरी भवन की आवश्यकता है, उनके स्थान पर पटवार भवन, पुलिस चौकी के अन्दर पानी की टंकी आदि कामों को स्वीकृति दी गई। जे. आई. बाई. एक्ट के अन्दर यह प्रावधान दिया गया है कि गांव की ग्राम सभा और गांव के अन्दर जो पंचवर्षीय योजना बनाई है पहले उन कार्यों को पूरा करवाया जायेगा और उसके बाद में एडीशनल प्लान, जो भी पंचायत या ग्रुप सचिव के द्वारा बनाया जायेगा, उनको पूरा किया जायेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो गोचर भूमि है, अघोर की भूमि है या रास्ते की भूमि है जिसके ऊपर अतिक्रमण किया जाता है और राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमण के हिसाब से 91 की कार्यवाही की जाती है और उनके विरुद्ध पेनल्टी इम्पोज की जाती है वह राजस्व विभाग के अन्दर यहां पर जमा होती है। मैं पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी भी 91 के अन्दर गोचर भूमि पर पेनल्टी लगी है जो पंचायत के अधिकार की बात है, पंचायत का पैसा है उन्हें राजस्व विभाग से ग्राम पचायतों को दिलाया जाय ताकि गांव के विकास के लिए कार्य हो सके।

श्री सभापति : वह दिया जाता है माननीय सदस्य, वह पैसा दिया जाता है ग्राम पंचायतों को।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नहीं मिला आज तक।

श्री सभापति : नहीं, आप ले लीजिए, नियम हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : वह नियम ही है, प्रेक्टिकल नहीं है माननीय सभापतिजी।

श्री सभापति : समाप्त करें। पैसे मिल जायेंगे आपको।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जो झाड़ियां, अंग्रेजी बबूल की झाड़ियां गोचर के अन्दर है...

श्री जोगेश्वर गर्ग : समाप्त करने का पैसा मिलगा क्या ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उन गोचर के अन्दर, जो एक्ट के अन्दर यह प्रावधान है

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कि यह फ्यूल, विलेज फ्यूल के काम में लिया जाता है, पाली जिले के कलक्टर ने जो झाड़ियां गोचर के अन्दर सघन झाड़ियां हैं, उनको हटाने के लिए उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है बारिश के बाद में गांव का मवेशी, गांव का पशु धन वहां पर जब तक उन झाड़ियों को हटाने की परमीशन वापस निरस्त नहीं की जायेगी तब तक वहां पर मवेशी घास वगैरह चर नहीं सकेंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की जो कार्यवाही जिला कलक्टर, पाली के द्वारा की जा रही है इस पर प्रतिबंध लगाया जाय।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये माननीय सदस्य, अभी आज बहुत सदस्य हैं बाकी बोलने के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, जहां तक जे. आर. वाई. योजना का सम्बन्ध है और तीस जिले तीस काम का सम्बन्ध है, तीस जिले तीस काम के अन्दर जो एलोकेशन हो रहा है हर जिले के अन्दर, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय और विशिष्ठ योजना संगठन मंत्रीजी से भी निवेदन करता हूं कि जो एलोकेशन वहां पर हर जिले में दिया जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर विधान सभा क्षेत्र में बराबर-बराबर करने की व्यवस्था की जाय और ऐसे जिला कलक्टर को निर्देश दिया जाय ताकि विकास का काम बराबर हर विधान सभा क्षेत्र में किया जा सके।

श्री सभापति : धन्यवाद। डा. हरिसिंह।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह तो पहले बोल लिये ना।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपको एतराज हो तो नहीं बोलें, कोई अगर तकलीफ हो तो, कि आपके कारनामे उजागर न करें, ऐसी आपकी इच्छा हो तो। माननीय सभापतिजी, आज दो डिमाण्ड्स हैं. एक पंचायत राज की और दूसरी आबकारी की। पहले मैं कुछ रोशनी पंचायतीराज वाली पर डालना चाहूंगा। इस सरकार ने....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखते हुए माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : दस मिनट तो जरूर लूंगा माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : दस मिनट ज्यादा हैं।

डा. हरिसिंह : फिर आप ताला ही लगा दीजिए।

श्री सभापति : आप वैसे ही समय बरबाद कर रहे हैं, आप प्रारम्भ कीजिए।

डा. हरिसिंह : इस सरकार ने पंचायतों को भंग राजनैतिक दृष्टि से किया है और आज वहां क्या हो रहा है कि ग्राम सेवक के बस की बात नहीं हैं, वह रोक नहीं पा रहा है जगह-जगह जो पंचायतों की भूमियां हैं, काफी आबादी की कीमती भूमियां हैं उन पर कब्जे हो रहे हैं और मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं रखूंगा कि बी. जे. पी. के आदमी उन पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई दफा कहा कि हमने इसका पुनर्सीमांकन करने की बात और हम इसका सुधार कर रहे हैं, सिर्फ यह डिले करने की प्रेक्टिस है, पंचायती राज से, लोगों को, आम आदमी को दूर रखने की एडमिनिस्ट्रेशन की कि आम आदमी की पंचा-

(डा. हरिसिंह)

यतों के संचालन में भागीदारी न हो और सरकार के अधिकारी, सरकारी नौकर के माध्यम से सारी पंचायतों में काम हो, यह उसकी डिले करने की प्रेक्टिस है सिर्फ। तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि पंचायतों का दुबारा गठन है वह पॉलिटिकल है। पहली बात तो यह हुई कि तहसीलदार से मांगा गया कि क्या चाहते हैं, वह आपकी गैर कानूनी, सोचा कि पावर्स नहीं है तो कलक्टर के यहां रातों-रात पॉलिटिकली पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है और अब एक वन मैन कमीशन बना दिया गया है। वह वन मैन कमीशन कौन है, वह वही आदमी है वन मैन कमीशन जिसके खिलाफ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां सदन में आरोप लगाये और जिसकी जांच मुख्य मंत्रीजी के पास है ताकि वह वही काम करें जो मुख्य मंत्रीजी कहें कमीशन का कोई लेनदेन उसमें है नहीं। तो मेरा यह निवेदन है कि....

श्रीमती सुमित्रासिंह : न भी वह करते हैं तो आप कह कर करवा दो।

डा. हरिसिंह (फूलेरा) : वह तो करेंगे, मैं कहूंगा या नहीं कहूंगा, वह तो उनका इरादा साफ है। तो इस कमीशन वाले मामले में कितना वायोलेशन हुआ है, कलक्टर के यहां न तो डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, न आबादी का ध्यान रखा गया है और सारा मामला, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं सदन को, आप कितनी ही तोड़-मरोड़ पंचायतों में कर लें, वोट तो पब्लिक के हाथ में है, आप कितनी ही कर लें, वोट आपको मिलने वाले हैं नहीं।

श्री हेमराज मीणा : डा. साहब, यह बिना वोट के ही दुबारा जीत कर आ गये हैं क्या ...

डा हरिसिंह : आ जाना, दोबारा आ जाना, एक दफा तो गलतियां हो जाती है, पब्लिक भी कई दफा गलती कर लेती है, अब आपके प्रति कोई गलती नहीं करेगा।

श्री सभापति : आप बीच में व्यवधान नहीं डालें, आपका नम्बर आयेगा बोलने का तब जवाब दीजियेगा।

डा हरिसिंह : यह बातें पंचायतों की है, यह सरकार, पंचायतों को इस तरह से डील कर रही है जैसे पटवार घर हो और यह बिल्कुल गलत काम है, पब्लिक की भावनाओं के खिलाफ है। अब माननीय मंत्रीजी को तो मैं क्या कहूं, माननीय मंत्रीजी न तो कुछ सोचते हैं इस मामले में, न कुछ समझते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जैसा कह देते है उसके लिए यस सर कहकर आगे टाल देते हैं (व्यवधान) आप इनकी क्या पैरवी कर रहे हैं, यह मेरे साले हैं, आप क्या पैरवी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसीलिए तो आपकी पैरवी नहीं की अब तक....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, साले को तो बख्शो। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह साले-बहनोई के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन कर रही हूं कि साले को तो बख्शो।

डा. हरिसिंह : अच्छा बेरुश दिया, पंचायत का मामला बन्द । अब आबकारी पर चलिये ।

माननीय सभापति जी आबकारी के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की टोटल पालिसी गलत है क्योंकि जो ठेके दिये जाते हैं, आज जो ग्रुप वाइज ठेके दिये जाते हैं उसमें एक ठेकेदार तो दारू की जो मैनुफैक्चरिंग कास्ट है वह आती है 15 रुपये और कोई ठेकेदार तो बेचता है 130 में और कोई बेचता है 50 में । यह सारे झगड़े इस बात के हैं और अभी भी जो विवाद हुआ था वह इस बात का है....

श्री यदुनाथ सिंह : विद्या जी हैं ही नहीं ।

डा. हरिसिंह : नहीं. मैं विद्याजी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं । सारे झगड़े इस बात के हैं और सरकार तो यह चाहती है कि पैसे ज्यादा से ज्यादा आयें और इसमें पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है । इससे क्या होता है डिस्पेरिटी आफ प्राइज से क्या होता है कि अनडिस्टीलेशन होता है, गैर कानूनी शराब बनाई जाती है क्योंकि एक आदमी अगर 15 रुपये में वही नशा कर ले तो वह 110 रुपया क्यों देगा । तो यह सारी सरकार के सोचने की बात है । मैंने कटमोशन देखे कटमोशन्स में सब जगह तो यह था कि फला जगह से ठेका हट जाना चाहिए, फलानी स्कूल के सामने से हट जाना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने दिया कि क्योंकि सवाई माधोपुर में दारू के ठेके नहीं हैं इसलिए वहां गैर कानूनी शराब बिकती है वहां ठेके खोले जायें । यह एक कटमोशन में है....

श्री सभापति : समय बरबाद हो रहा है । देखिये माननीय सदस्य आपका समय पूरा हो गया है ।

डा. हरिसिंह : माननीय चुन्नीलाल जी ने दिया है कि सवाई माधोपुर जिले में शराब के ठेके नहीं होने के कारण आबकारी अधिकारी की मिली भगत से पड़ौसी ठेकेदारों की शराब ही अवैध बिक्री को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए । तो यह क्यों होते हैं इसलिए होते हैं कि सस्ती शराब, वही शराब है ।

तीसरा सवाल यह आता है कि जब इल्लीगल डिस्टिलेशन होता है तो उसमें यूरिया मिलाया जाता है, डी. डी. टी. मिलाया जाता है । तो इसको सख्ती से सरकार रोक नहीं पा रही है । अब स्मगलिंग का जैसा सारा किस्सा आपके सामने आया कि स्मगलिंग शराब की हुई एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाने की । तो ठेकेदार तो चाहते है कि ज्यादा एरिया एक ही आदमी को मिल जाये जिससे क्या होगा कि स्मगलिंग नहीं हो । इसी चक्कर में ग्रुपिंग में हमेशा परेशान हैं और करते भी रहते हैं और इसी ग्रुपिंग के चक्कर में मैं आपको कहना चाहूंगा ठेकेदारों ने + + + दिये हैं । बात तो सच्ची कहनी पड़ेगी । अभी मेरा नाम आया था कि मेरे रिश्तेदार हैं, ठेकेदार मनीराम वगैरह मेरे रिश्तेदार हैं । मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है । मैं मनीराम को शक्ल से ही नहीं जानता, मैं नेनूराम को शक्ल से ही नहीं जानता....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने मनीराम के लिए नहीं कहा। मैंने कहा राजाराम आपके रिश्तेदार हैं। राजाराम के यह टाउट्स हैं....

डा. हरिसिंह : तो ऐसे तो श्रीलंका में भी मेरे रिश्तेदार बसते हैं और आपने तो मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। + + + और लिए। अब सुनो। + + + ले लिये और बख्शा ही नहीं।....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यहां थी ही नहीं और आपने अभी इश्यु बोलना शुरू किया....

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

डा. हरिसिंह : मैं तो कहना नहीं चाहता था....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं थी नहीं आपने कुछ कहना शुरू किया और इतना सा इन्तजार कर लेते।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

डा. हरिसिंह : तो यह जो आबकारी की पालिसी है सरकार की यह बिलकुल गलत है! इसको बदलना चाहिए और जनहित को लेकर शराब बन्द हो मैं तो इसके भी पक्ष में हूं। शराब चालू हो लेकिन शराब को एक्सप्लाइट करके सरकार को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ कायदे कानून बनाये हैं तो उनका सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि यह झगड़े फिसाद नहीं हो। यह सारे मामले जो इसमें रिश्वतखोरी के हैं कि एक आदमी उधर से ले जा रहा है तो आबकारी वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो वहां रिश्वत होती है। जहां गुंजाइश पैसे के मेनुपुलेशन की होती है वहां बेइमानी होगी। बेईमानी ठेकेदार करेगा। मैं ठेकेदारों के पक्ष में नहीं हूं, खिलाफ हूं लेकिन बेइमानी अफसर करेगा और बेइमानी जो स्मगलिंग करता है वह करेगा क्योंकि 5 रुपये की इधर से ले जाकर 50 रुपये में उधर बेच दी....

श्री सभापति : सुझाव उत्तम है माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : बेइमानी में एडमिनिस्ट्रेशन का इनवाल्वमेन्ट है और कोई ताज्जुब नहीं इस बेइमानी में मंत्री भी इनवाल्व हो जाये क्योंकि गुंजाइश होती है तो सब काम हो जाते हैं और इसमें + + + में विद्या जी इनवाल्व हैं....आपने + + + लिये हैं ...

श्रीमती विद्या पाठक : क्या बेकार बात करते हैं 10 लाख रुपये लिये हैं।

श्री सभापति : श्री नन्दकिशोर।

डा हरिसिंह : या तो आप मन्दिर में चढ़ जाओ या मैं चढ़ जाऊं।

श्रीमती विद्या पाठक : या तो आपकी लाइन टो करें, आपके रिश्तेदारों की लाइन टो करें नहीं तो + + +

डा. हरिसिंह : मैंने कहा कि मैं शराब के ठेकेदारों के खिलाफ हूं। आप पक्ष में हैं उनके।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या गजब करते हैं।

(6.55 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : यह + + + एक्सपन्ज कर दो। ... इतना कहने के बाद भी आप नहीं मानते। ... + + + आरोप एक्सपंज कर दो। मैंने उसकी परमीशन नहीं दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटमोशन्स के वक्त ही नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे हम।

श्री अध्यक्ष : आप + + + यह आरोप नियमानुसार बिना मेरी परमीशन के नहीं लगा सकते और जिस तरह से माननीय सदस्य व्यास ने मुझे नोटिस दिया मैंने उनको परमीशन दी। यदि उनको आरोप लगाना था तो मेरे से परमीशन लेते आई वुड हैव गिवन इट कोई नोटिस नहीं है मेरे पास आपका और न मैंने आपको आदेश दिये हैं। सुरेन्द्र व्यास बोले थे और मैंने परमीशन दी थी....

डा. हरिसिंह : सुरेन्द्र व्यास बोले थे....

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र व्यास नहीं बोल रहे हैं डा हरिसिंह बोल रहे हैं।

डा. हरिसिंह : सुरेन्द्र व्यास भी बोले थे....

श्री अध्यक्ष : मैं सुरेन्द्र व्यास का एक्सपन्ज नहीं कर रहा हूं आपका कर रहा हूं।

डा. हरिसिंह : उस पर मैंने भी दस्तखत किये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका कर रहा हूं। आपको परमीशन नहीं दी है। श्री नन्दकिशोर।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, इस ग्रामीण विकास की करीब 15-20 योजनायें चलती है—वन विस्तार, इन्दिरा आवास, निर्धूम चूला, परिवार कल्याण, शिक्षा, अनोपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, माडा, ग्रामीण शौचालय, अपना काम अपना गांव योजना—यह सारे काम ऐसे है जिनमें राज्य की 50 प्रतिशत राशि से ज्यादा राशि खर्च होती है इसलिए जो पंचायतों के द्वारा होती है उनका सफल होना बहुत जरूरी है। अभी जैसा कह रहे थे तो उनमें सन् 59 की बनी हुई पंचायतें थीं उनका पुनर्गठन आवश्यक था इसलिए उनका समय पूरा होने पर उनको भंग किया यानि पुनर्गठन के लिए चुनाव समय एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया और पुनर्गठन में वहां के हिसाब से 30 साल पुरानी जो व्यवस्था थी तो उस हिसाब से पुनर्गठन करके सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। पंचायतें छोटी होंगी और उसके हिसाब से जो गांव के विकास की योजनायें हैं वह ढंग से होंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ग्रामसभाओं को सफल करना चाहते हैं, उनको सबल करना चाहते हैं, हर तीन महीने में उसकी मीटिंग हो। जितने काम हैं उनका लेखा जोखा ग्राम सभा में हो और उसी के अनुरूप वह पंचायतें काम करें। इस हिसाब

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

से पंचायतों का पुनर्गठन होना अतिआवश्यक था। अभी परिवार कल्याण की बात सुबह दो तीन घंटे चली जैसे महिलायें पंचायतों में यदि होंगी तो शिक्षा की और परिवार कल्याण की जो जनसंख्या वाली बात है वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। महिलायें सरपंच भी होंगी और पंच भी होंगी। जैसे काम अभी वार्ड में नगरपालिकाओं में भी चुनाव कराकर किया है। तो यह कहना कि हमने जनतंत्र का गला घोटा है बल्कि जनतंत्र को बढ़ावा दिया है। नगरपालिका और सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराये हैं। पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें गांवों का शुद्ध विकास होगा और जितनी ग्रामीण योजनायें चलती हैं वह कायदे से चलेंगी। जैसा अभी कह रहे थे कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कि जनतंत्र का गला घोटा है हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसमें सोचा है कि जो प्रधानों के और प्रमुखों के चुनाव होते थे उन चुनावों में बाराबन्दी होती थी और आठ-आठ दिन तक लोग बन्द कर दिये जाते थे और उनको पैसा दिया जाता था। प्रधान और प्रमुख के चुनाव तुरन्त कराना और उसी दिन कराना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उससे सारा भ्रष्टाचार मिटेगा और सही आदमी का चुनाव हो सकेगा.... दूसरी बात पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव की आप लें, वे भी जनता के द्वारा ही होने चाहिए और प्रधान और प्रमुख का चुनाव उसी दिन हो जाना चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो बात शुरू की है, साहब।

(7.00 सायं)

श्री अध्यक्ष : 6.55 पर आपने शुरू किया था और 7 बज गये हैं।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा इसमें निवेदन है कि जिसमें हमारा आधा पैसा खर्च होता है ऐसी योजनाओं में विकास अधिकारी का पद कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए। ऐसे विकास अधिकारी जो सचेत हों उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए क्योंकि जिन पर हम 50 प्रतिशत पैसा ग्रामीण विकास का खर्च करते हैं, हमारी सारी योजनायें वहीं से क्रियान्वित होती हैं वह एक्सैप्टेड होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत में सचिव की योजना हमने पहले लागू कर दी थी, कृषि के ग्राम सेवक उसमें लगा दिये थे लेकिन बाद में उनको ले लिया। चाहे पंचायतें बढ़ जायेंगी तब भी हमें कोई कर्मचारी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। कृषि के ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं को और ग्रुप सचिव को मिलाकर के ही हमारा यह काम हो सकता है। साथ ही इसमें सी. ओ. और कृषि ए. ओ. के पद बेकार के पद हैं इनमें कोई काम नहीं होता, उनको हटाकर दूसरा काम लेना चाहिए।

एक प्रवृत्ति बहुत बुरी चल रही है। जिसमें हमारे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और कई बातें भी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, गांव में जो ट्यूर करते हैं वे रात्रि में विश्राम नहीं करते। विकास अधिकारी और प्रसार अधिकारी पर यह जिम्मेदारी निश्चित तौर से थोपी जानी चाहिए कि उनका रात्रि विश्राम वहीं होगा, वे ग्राम सभाओं में निश्चित जायेंगे और महीने में 5 या 7 ट्यूर वे करेंगे। मैं तो यह भी सुझाव देता हूं कि कलक्टर का कार्यक्रम भी महीने में एक रात का किसी

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

गांव में हो। वहां की मूल समस्या वह देखे और वहीं पर दूर कर दे। इसी प्रकार एस. डी. ओ. का हो, तहसीलदार का हो जितनी योजनायें चलती हैं उनके बारे में उनका महीने में एक बार ट्यूर हो तो उनसे सारी योजनायें ठीक हो जायेंगी (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आबकारी के विषय में तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि चर्चा बहुत हो चुकी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1978 में मद्यपान पर निषेध लागू किया था लेकिन उसकी आय आज बहुत बढ़ गयी है। उस समय मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे और केन्द्र से जब चाहो, मतलब उस हिसाब से सहायता मिलती थी। लेकिन आज इसमें काफी अवैध दुकानें हैं, और उन क्षेत्रों में चलती हैं जहां अन्त्योदय परिवार लाभ लेते हैं जे. आर वाई. का लाभ लेते हैं और आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत मवेशी लेते हैं वे चीजें शराब पीकेर वापस चली जाती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता है। शराब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की और कितने ही कुकृत्यों की जड़ है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री दिलसुखरायजी।

डा. चन्द्रभान : इनसे पहले मेरा नाम था, माननीय अध्यक्ष महोदय। कौशलजी ने पुकारा भी था लेकिन तब नेताजी खड़े हो गये इसलिए मैं वापस बैठ गया था। मैंने मेरा समय नहीं दिया था। नेताजी ने आलरेडी नाम दिया हुआ था।

श्री अध्यक्ष : देखिये, दो नम्बर पर नत्थी सिंह जी का था तब भी हरिसिंहजी बोल गये....

डा. चन्द्रभान : नहीं, हरिसिंहजी हमारी पार्टी में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। नम्बर एक बी. जे. पी. का महावीर प्रसाद जैन और नम्बर दो पर नत्थी सिंहजी का था। आपकी पार्टी का नम्बर वन था.... मेरी बात तो सुन लीजिए। उनकी जगह डा. हरिसिंह बोल गये, फिर सुरेन्द्र व्यास बोल गये, फिर श्रीमती उजला अरोड़ा बोल गयीं फिर आपका आया नाम....

डा. चन्द्रभान : मेरा नाम ?

श्री अध्यक्ष : आपका नाम आया तब नत्थी सिंहजी बोले उस वक्त....(व्यवधान).... आपने नत्थी सिंहजी के पक्ष में बोलना बन्द किया... (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : नहीं, मैंने नहीं किया.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब लक्ष्मीनारायण दवे हैं फिर डा. हरिसिंह का। होना यह चाहिए था कि डा. हरिसिंह की जगह आपको बुलाते। सही बात तो यह होनी चाहिए थी।

डा. चन्द्रभान : हमारी चलती थोड़े ही है। वे 3 बार बोल गये।

श्री अध्यक्ष : अब सुनिये आप। सुन तो लीजिए आप। सजेशन करिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो आपको लिस्ट बता रहा हूं आप उसमें बता दीजिए कहां बुलाना है, मैं बुला लूंगा। मुझे क्या आपत्ति है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान).... क्रम बदल गया न सारा। अब दूसरा नम्बर तो आपकी पार्टी का है ... मेरे पास तो सारी पार्टियों का क्रम है तो वह क्रम बदल गया है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा। यह क्रम जो बनाते हैं आप....

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : क्रम तो हम देते हैं पार्टियों का....

श्री अध्यक्ष : आपको दिलसुखजी के पहले बुलवा दूं ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि दिलसुखजी आपत्ति नहीं करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं ..

श्री दिलसुखराय चौधरी : पहले डाक्टर साहब को बुला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यही मैंने इनसे पुछवाया था कि आप अपने सदस्यों को पूछ लीजिए नहीं तो वे आपत्ति करेंगे कि मेरा नाम आ रहा है....

श्री नत्थी सिंह : डा हरिसिंह को जनता दल में शामिल कर दो आप, तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा कन्सर्निंग मेम्बर को पूछ लीजिए। उनको आपत्ति नहीं है तो बुला दूंगा मैं उनको। मुझे क्या दिक्कत है ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्षजी, साधारण मेम्बरों के यह नेता हैं। यह भी नेता रहे हैं। साधारण मेम्बर का हक काट रहे हैं। दिलसुखजी, आप अपना हक लो....

श्री नत्थी सिंह : हक किसी का नहीं काट रहे हैं। डा हरिसिंह अमर जनता दल में शामिल हों तो हमारा नम्बर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। कैसे ले लिया हमारा नम्बर ? .. (व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : इनका कहना भी तो यही था कि भई ! सेक्रिफाइस तो नेता को करना चाहिए था........ (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : आपके उपदेश के लिए धन्यवाद।

डा चन्द्रभान : नेता नहीं बोलेंगे तो फिर, मंत्रीजी, कौन बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। दोनों ने ठीक किया है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास और आबकारी की मांगों पर....

श्री यदुनाथ सिंह : हमारी डिलिप्लिण्ड पार्टी है एक।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है। आप मर्यादा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री नत्थी सिंह : ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको।

डा. चन्द्रभान : मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सामुदायिक विकास के लिए अनुदान की मांगें पारित करने का प्रस्ताव माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने रखा। पंचायती राज के मंत्रीजी तो आप हैं लेकिन पंचायतें तो प्रदेश में काम कर नहीं रही हैं और जब पचायतें काम नहीं कर रही हैं तो फिर ये सामुदायिक विकास के कार्य किसके माध्यम से होंगे ? आपका जो प्रगति प्रतिवेदन आया है उसमें काफी कुछ उपलब्धियां गिनाई गयी हैं। सब पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बड़ी मानवीय समस्या है गांवों में शौचालय की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में तो कहीं पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से कोई शौचालय बनते नहीं देखा।

प्राथमिक शिक्षा की बात इसमें कही गयी है। यह सही है कि स्कूलें खुली हैं और यह भी सही है कि उनमें अध्यापक भी हैं लेकिन वे अध्यापक क्या करते हैं. इस हकीकत को मंत्रीजी जानत भी हैं। अब हाउस में नहीं बोलेंगे लेकिन हाउस के बाहर यही स्वयं भी स्वीकार करते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की ग्रामीण जनता के साथ षड्यन्त्र है, मैं यह कहना चाहूंगा। जो लोग शहर में हैं वे लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं। वे अपने लड़कों को प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेते हैं, नर्सरी में पढ़ा लेते हैं और एक से पांच तक की कक्षा में जब तक उसकी अध्ययन में रुचि पैदा नहीं होगी तो वह लड़का आगे जाकर के....

श्री अध्यक्ष : हाउस के बाहर तो आप दानों मित्र हैं और यहां एक-दूसरे की आलोचना करते हैं, अब यह तो है इस व्यवस्था की क्या करेंगे ? बताइये आप।

श्री नत्थी सिंह : इनकी नहीं सरकार की करते हैं।

डा. चन्द्रभान : सरकार की। व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है तो इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त अध्यापक हैं, छात्र हैं, स्कूलों की संख्या है, इससे काम नहीं चलेगा। ब्लैक बोर्ड आपरेशन की चर्चा की गयी यहां पर और यहां पर खेल-कूद के लिए सामान देने की बात भी कही गयी, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ नहीं है और सुधार की बड़ी आवश्यकता है। आप इसमें सुधार कीजिए तो फिर अपनी मांगों को पारित कराने की मांग कीजिए।

जहां तक पंचायतों का सवाल है, मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पहले काफी चर्चा हो चुकी है। (व्यवधान) लेकिन पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। कंस्टीट्यूशनल बाइंडिंग उस पर होनी

(7.10 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चाहिए। जिस तरह से लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव 5 साल में होना जरूरी है उसी तरह से 3 साल में पंचायतों के चुनाव भी होने चाहिए। जो अभी कलक्टर की रिपोर्ट की बात कही गयी है, एक बात मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि ये पंचायतें जो आप छोटी कर रहे हैं लेकिन फिर एक पंचायत तो 2 हजार पर हो जायेगी और एक 6 हजार की हो गयी तो ? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि दो हजार वालों का भी प्रति-

(डा. चन्द्रभान)

निधित्व करेंगे 10 पंच और सरपंच और 6 हजार वालों का भी प्रतिनिधित्व 10 पंच और सरपंच ही करेंगे । यह छोटी कांस्टीट्युएंसी बड़ी कांस्टीटयुएंसी वाली बात है, फिर भी करना यह चाहिए कि पंचायत एक समान हो । इतना अन्तर नहीं रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : एक गांव में 6 हजार की आबादी है तो एक में दो पंचायतें भी हो सकती हैं ।

डा. चन्द्रभान : क्यों नहीं हो सकती 2 पंचायतें ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दो पंचायतें भी एक गांव में हो सकती हैं । (व्यवधान) ...और यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले की बात छोड़िये बाकी पूरे राजस्थान में जोग्राफिकली यह समस्या नहीं है, इतनी संख्या होती नहीं ऐसी बात नहीं है । बड़े और छोटे सब तरह के गांव हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : दो भागों में बांटना बड़ा डिफिकल्ट है गांव को, ठीक कह रहे हैं ।

डा. चन्द्रभान : दो-तीन जिलों में भौगोलिक समस्या सामने आ सकती है । ऐसी बात नहीं है । जिस तरह नगर पालिका, इसी तरह से वहां दो पंचायतें हो सकती हैं । मैं दो पंचायतों के पक्ष में हूं ।

इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के आप चुनाव करवाइये । जन प्रतिनिधियों के हाथ में विकास के काम सौंपिये तो कुछ है कि जमीन पर उतरेगा । "अपना गांव अपना काम", मैं कह दूं अपना दाम तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । पहले आपने कहा कि 30 पर्सेण्ट गांव वालों को देना होगा । अब 70 पर्सेण्ट ग्राम पंचायत और गांव को मिल कर देना होता है । आप इसमें अपने मद को बढ़ाइये, जो 20 करोड़ है वह ज्यादा होना चाहिये । इस तरह से ग्रामीण विकास के जितने भी काम हैं वे छोटी-छोटी पंचायतें करें और इस काम में देरी नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब ।

डा. चन्द्रभान : बिराजें ?

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये ।

डा. चन्द्रभान : पांच ही मिनट हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, 15 ।

डा. चन्द्रभान : दो मिनट आबकारी मंत्रीजी का ध्यान तो आकर्षित करने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 6.55 पर बोलना शुरू किया था और 7.05 हो रहे हैं ।

डा चन्द्रभान : 6.55 पर तो वे बोल रहे थे नन्दकिशोरजी । उपाध्यक्ष महोदय, 6.55 पर बोल रहे थे वे । अब आप बताइये, आप 6.55 बता रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय । खैर, मैं दो मिनट लूंगा । मैं आबकारी मंत्रीजी से इतना कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजिये आप ।

डा. चन्द्रभान : बहुत ही संक्षेप में मैं

(डा. चन्द्रभान)

कहूंगा। मैं इतने संक्षेप में कहूंगा कि उसमे गुंजाइश नहीं रहेगी। आबकारी मंत्रीजी का मैं शुरू से सम्मान करता आया हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आज्ञाकारी हो।

डा. चन्द्रभान : आज्ञाकारी हूं। मैं आबकारी मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप शराब नहीं पीती हैं, डाक्टर साहब भी नहीं पीते हैं और आपके घर में कोई भी शराब नहीं पीता है। तो फिर आपको क्या यह नैतिक अधिकार है कि प्रदेश के इन गरीब लोगों को आप शराब पिलाओ? इसलिये उजला अरोड़ाजी ने जो प्रस्ताव रखा था पूर्ण नशाबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। मैंने सवेरे भी कहा था मुख्य मंत्रीजी से और मैं फिर आबकारी मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह बड़ा पुनीत काम है। और कोई की मैं नहीं कहता परन्तु प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग है उसको तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। शाम होने के बाद शहरों में तो मैं नहीं कहता, गांवों में जो स्थिति है, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, गांवों में आप रात को जा नहीं सकते। महिलाओं के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय है कि शराब की जिस तरह से खुली छूट है.... (व्यवधान) आप बैठिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा....

श्री नत्थी सिंह : राजेन्द्र सिंह समर्थन नहीं करेगा शराबबंदी का।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सवेरे मुख्य मंत्रीजी से कहा था जल विवाद के मामले में और फिर आपसे कह रहा हूं कि आप भी थोड़ा जयललिता का अनुसरण करें। उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखायी कि ज्योंही मुख्य मंत्री बनी, पूर्ण शराबबंदी उन्होंने तमिलनाडु में की। यह शराबबन्दी कर दीजिये, शराब के ठेकेदारों से सबसे आपका पिण्ड छूट जायगा। जब शराब ही नहीं रहेगी तो आपके ये झगड़े ही खतम हो जायेंगे। इसलिए पूर्ण शराबबन्दी करें। मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, आपने 1977 में जब हौसला और हिम्मत दिखायी तो एक बार फिर हिम्मत कीजिये और पूर्ण शराबबन्दी कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने शराब बन्द कर दी थी, उन्होंने वापस लागू कर दी।

डा. चन्द्रभान : गलत किया, उन्होंने किया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुख राय जी चौधरी। (व्यवधान) वह स्पेशल केस है, बोलने दीजिए आप।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में मांग संख्या 13 व 41 पर जो चर्चा हो रही है उस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो आबकारी के बारे में अभी डाक्टर साहब ने बताया, एक आबकारी मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज दुकानदार बेचता है उसका भाव तय होता है लेकिन शराब के ठेकेदारों ने तो मोनोपोली कर रखी है। उनकी आली

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

है तो क्या भाव में, यह मालूम नहीं, कहीं चालीस रुपये में, कहीं पैंतालिस रुपये में, कहीं पचास रुपये में, तो कम से कम इसका भी तय तो कर दो कि इसकी रेट यह होगी। बन्द करें या नहीं करें यह तो इनका खुद का, डिपार्टमेंट का, सरकार का मामला हैं। हमारी तो इच्छा है बिल्कुल बन्द कर दें तो ठीक है परन्तु न करें तो कम से कम रेट तो फिक्स होनी चाहिये। अभी जो डाक्टर साहब ने कहा था कि जयपुर में 15 रुपये में मिलती है, रींगस में 7 रुपये में मिलती है, हरिसिंह जी ने कहा था, तो कम से कम इसकी रेट तो फिक्स होनी चाहिये कि यह रेट है। गवर्नमेंट को इससे आमदनी होती है तो गवर्नमेंट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिलसुखराय जी, राशन की दुकानों की मार्फत बिकवा दें ?

श्री दिलसुखराय चौधरी : चाहे राशन की दुकानों के मार्फत बिका दें, चाहे कुछ भी कर दें। यह मजाक वाली बात लेते हो, साहब, आप तो। मजाक की बात नहीं है। गांवों की हालत यह है कि आपकी दुकानें हैं वे कुछ लिमिटेड दुकानें हैं। शहरों के अन्दर हैं, गांवों के अन्दर हैं। कोई तो लाइसेन्स नहीं है उनका और ठेकेदार अपनी मन की मर्जी से जीप में भरके गांव में ले जा करके एक-दो आदमी मिल जाते हैं, किसी को मजदूरी मिले, देखें, पांच रुपये कमायें उसमें। गांव-गांव के अन्दर आप मेरे साथ चलो। सीकर की तो यह हालत है कि एक-एक गांव में दो-दो, तीन-तीन जगह रख रखी हैं। नगर पालिका के अन्दर तो नगर पालिका को यह अधिकार है कि वह टैक्स लगाये कोई भी चीज नगर पालिका में प्रवेश करती है तो। ग्राम पंचायतों को यह भी अधिकार नहीं है कि वह शराब वालों से पैसे ले लें। अगर टैक्स लगायें तो वे देते नहीं हैं। वे इतने पावरफुल आदमी हैं। तो कम से कम मेरी यह राय है कि गांवों के अन्दर जो आपकी नाजायज दुकानें हैं वे बिल्कुल बन्द कर दी जावें। राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर भी यही हालत हैं। यहां से जो बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आप चलकर देखो, चौमूं में 15-20 दुकानें मिल जायेंगी, सीकर में मिल जायेंगी, रींगस में मिल जायेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग रींगस के ऊपर जहां रोडवेज की चैकिंग होती है वहां एक दुकान खोल रखी है और उस पर लिख रखा है कि शराब के दामों में भारी कमी। तो कम से कम माननीय मंत्री महोदय को यह तो ध्यान देना चाहिये कि जो नेशनल हाई-वे हैं उनके ऊपर तो इनकी दुकानें नहीं हों। फिर कहते हैं कि आज इतने एक्सीडेंट हो गये, आज इतने मर गये। तो, साहब, आप जितनी दुकानें खुलाओगे उससे ज्यादा मरते ही जायेंगे। यह हालत है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। और सदन में तो यह हो रहा है कि चाहे राय कोई पक्ष वाला दे, चाहे विपक्ष वाला दे किसी भी राय की कोई सुनाई तो है नहीं। बहुमत का है राज। यह तो इसने गलत दे दी, सही दे दी तो आपकी इच्छा है वैसा करो।

पंचायतों के बारे में यह है कि पंचायतें आपने भंग कर दीं। अब ये कहते हैं, पंचायती राज को सुदृढ़ कर रहे हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करोगे काहे से ? न तो कोई पंच है न कोई सरपंच है। गांवों के अन्दर

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

आपने कह दिया कि अपना गांव अपना काम। अपना गांव अपना काक में तो एक ही काम नहीं है। 20 पर्सेण्ट तो गांव वाले जन सहयोग करते हैं। जिस टाइम सरपंच था उस वक्त तो 30 पर्सेण्ट जन सहयोग सरपंच अपने हिसाब से कर लेता था, अब ग्राम सेवक और पटवारी हैं वे यह देख रहे हैं कि चलो अपने तो क्यों झंझट में पड़ें। कल कोई शिकायत करेगा इसलिये यही काम ठीक है कि अपन तो करो ही मत। 30 पर्सेण्ट के बाद में 70 पर्सेण्ट बचा उसमें से 35 पर्सेण्ट जवाहर रोजगार योजना है उसमें देखो, तो ये पंचायतें यह सोचती हैं कि यह जवाहर रोजगार योजना तो खुद की आय है इसलिये इसमें से देंगे नहीं। तो विकास के काम बिल्कुल ठप्प पड़े हैं। तो मेरी राय तो यह है कि चाहे आप पंचायत छोटी करो चाहे बड़ी करो, जल्दी से जल्दी पुनर्गठन करके पंचायतों के चुनाव करवाने चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा का तो यह हो रहा है, मंत्रीजी को भी मालूम है और मुख्य मंत्रीजी को भी मालम है कि गांव के अन्दर कोई प्राइमरी स्कूल है और गांव का अध्यापक उसमें लगा हुआ है तो गांव का अध्यापक जिस स्कूल में लड़कों को पढ़ाता है उस स्कूल के अन्दर उसका लड़का पढ़ने के लिये नहीं आयेगा। गांव के अन्दर बेरोजगार शिक्षित हैं उन्होंने 25-25, 30-30 रुपये महीने के हिसाब से गांव-गांव में अलग प्राइवेट स्कूल चला रखे हैं। खुद अध्यापक जिस स्कूल में पढ़ाता है, सरकार से तनख्वाह लेता है उस स्कूल में उसका लड़का पढ़ने के लिये नहीं मिलेगा, वह प्राइवेट वालों के पढ़ने के लिये जाएगा। तो कम से कम यहां बैठकर मांग मनवाने से कुछ भी नहीं होगा। गांव वालों की तरफ कुछ सोच रखो जिससे कुछ भला हो सके। मैं तो आखिर में एक ही शब्द कहना चाहता हूं। एक कोई पण्डित जी रामायण बांच रहे थे....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पंडितजी को बीच में मत लाओ।

श्री दिलसुखराय चौधरी : रामायण पंडितजी ही बांचते हैं। हमारे को बांचने का मौका ही नहीं दिया आपने। पंडितजी रामायण बांच रहे थे। तीन-चार औरतें कुए से पानी लेकर घर जा रही थीं तो उसने कहा कि सुनो! क्या हो रहा है। पंडित जी ने यह कहा कि भाई, रामायण में तो यह लिखा है कि जो स्त्री है वह स्त्री रहेगी और जो पुरुष है, पुरुष रहेगा। तो यह हो रहा है फैसला कि सुनने को वाद-विवाद करलो, होने को तो कुछ है नहीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। बहुत अच्छी बात है। श्री फूलचन्द गुर्जर। देखो, दिलसुखरायजी ने अपना पांच मिनट में भाषण समाप्त किया और सारगर्भित बातें सारी कह दीं। कृपया थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : दस मिनट में समाप्त कर दूंगा, साहब।

उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के बारे में काफी चर्चा हुई लेकिन मैं आज इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय आबकारी मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार यह

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

दिखा दिया इन दारू के ठेकेदारों को कि सरकार भी कोई चीज होती है। आज पहली बार इस प्रकार से जो उस पक्ष की तरफ से बहस हुई है पहली बार देखकर और सुनकर हैरानी हुई कि ठेकेदारों की पैरवी की गई और सरकार ने ठेकेदारों का पक्ष नहीं लिया। अपने विभाग के जो भी कर्मचारी थे, जिन्होंने गलती की थी, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। यह पहला मौका था और यह इस बात से सिद्ध होता है कि आज ठेकेदार कितने बौखलाये हुए हैं, आज सरकार के कानून-कायदों से कितने बंधे हुए हैं। आज ठेकेदारों की तरफ से शिकायत आ रही है, न कि जनता कि तरफ से जनता निश्चित रूप से इस बात को सराहती है। ठेकेदारों का माफिया गिरोह होता था उनका गांवों में अपना एक शासन होता था। कांग्रेस शासन के टाइम से उनकी एक आदत हो गई थी कि सब कुछ हमारा है, सरकार हमारे नीचे रहती है। सारे पैसे सरकार को दबाये रखते थे, अधिकारियों पर रखते थे। उनका ऐसा बड़ा बोलबाला था कि उनके कहने से अधिकारी लगता था, उनके कहने से थाने का थानेदार लगता था, उनके कहने से डी. वाई. एस. पी. लगता था। यहां तक होता था कि उनकी सिफारिश से आबकारी मंत्री बनता था। इस तरह का एक माफिया गिरोह इन ठेकेदारों ने इस राजस्थान में कायम किया था। इस सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दें। इस तरफ के माननीय सदस्यों को मानना चाहिए कि जो बिहार और पंजाब जैसी पोजीशन राजस्थान में बनने वाली थी, उस पर लगाम लगाई गई, उनके नकेल लगाई गई है। आज वे बौखला रहे हैं। उनकी जो मनमानी होती थी, आपस में मिली भगत करके सारा एक इस तरह से गिरोह बना लेते थे, पहली बार उनकी मिली भगत को तोड़ करके राजस्व आय में बढ़ोतरी की गई 373 करोड़ रुपये तथा उनकी कार्यवाही की गई है। यह कम काम नहीं है। इन ठेकेदारों ने क्या नहीं किया था। जिस ठेकेदार की उधर से वकालत हो रही थी, अगर उनके बारे में आप अक्षरक्षः जानकारी करें तो उनके पीछे क्या था ? मैं आज से चार साल पहले का एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि इन्हीं ठेकेदारों ने आबकारी विभाग में करोड़ों रुपयों का गोलमाल किया था आबकारी विभाग में करोड़ों रुपये का चूना लगाया था जिसकी जांच अभयसिंह चित्तौड़ा ने जो तब आबकारी अधिकारी थे, करके रंगे हाथों उनको पकड़ा। उनके खिलाफ सारे सबूत दिये लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको बचाने के लिए पूरी पैरवी की और उनसे करोड़ों रुपये वसूल करने के बजाय उनका लाइसेन्स रद्द करने के बजाय, उन पर लाखों रुपये जुर्माना करके उनको पुनः उन दुकानों को चालू करने की स्वीकृति दे दी थी। यह कम बात नहीं थी। ये वही ठेकेदार थे जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं और जो उधर के हैं वे ही सरकार में थे। इस तरह के लोगों के उन पर कितने चार्जेज हैं और आज उनकी हम पैरवी कर रहे हैं। आज अगर हम ठेकेदारों की पैरवी करने लग गये तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा। ठेकेदार-जो एक माफिया गिरोह के रूप में इस राजस्थान की जनता के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय करते हैं मापदण्ड के

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

विपरीत अवैध रूप से दुकानें खोलते हैं, लोगों को तग करते रहते हैं, पुलिस की जैसी वर्दी पहनकर थाने वालों की गाड़ी लेकर के अपने आप ही सारी कार्यवाही करते हैं मनमानी करते हैं, गरीब लोगों को जूते मारते हैं, गांवों में इस तरह की शागिर्दी करते हैं यह पहला मौका था जब किसी गांव के माननीय सदस्य ने या इधर से माननीय सदस्य ने उन ठेकेदारों की शिकायत की और माननीय मंत्री महोदया ने तत्परता से उनके खिलाफ कार्यवाही की और यह भी पहला मौका है कि जहां-जहां मापदण्ड के विपरीत उनकी दुकानें थीं उन दुकानों को बन्द किया गया।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

ड्राई डे के दिन शराब बेचने का जो कार्य था, वह बन्द किया गया और भी जो अपने सरकारी पर्व थे उन पर रोक लगाई। आज यह हालत हो गई है कि उनकी बिक्री पर विपरीत प्रभाव पडा है और इसी कारण से आज बड़े ठेकेदारों के गिरोह को जो 70 प्रतिशत जयपुर के ठेकेदार हैं, इतनी बौखलाहट लगी हुई है निश्चित रूप से उन पर अंकुश लगा है। मैं एक बात और कहूंगा कि जिस ठेकेदार रमेश और मोहन की इन्होंने चर्चा की है, उसके बारे में मैंने पिछली बार 295 का एक मामला उठाया था....

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आप समझते हैं कि यह ठीक नहीं है और ठेकेदारों पर आतंक है तो फिर आप शराब को बन्द क्यों नहीं करते हैं ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : यह सबसे बड़ी चिन्ता है कि आज वे मनमानी कर रहे हैं और आप उनकी पैरवी करते हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम प्रस्ताव करते हैं कि बन्द कर दें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : हां, हां, यह बन्द किया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम प्रस्ताव करते हैं, सीधी बात कर रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : आसन से अनुमति लेकर बोलेंगे, माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंह जी, सीधे वार्तालाप मत कीजिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : हां, हां, यह बन्द करने की क्षमता भी इसी प्रकार की है। पहले भी बन्द किया था और अब भी बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दुकान के बारे में यहां चर्चा हुई, मैंने पिछली बार 295 में एक मामला उठाया था। क्या यह सही है कि बड़े ठेकेदार राजस्थान के यहां मनमानी करें, और कोई ठेकेदार कोई दुकान नहीं ले। दुकान भी वह स्वीकृत दुकान थी, जो विभाग की तरफ से स्वीकृत थी, जिन्होंने अपने टेण्डर में पैसा भरा था। इन बड़े ठेकेदारों ने, जयपुर के माफिया गिरोह ने जिसका पूरे राजस्थान की 80 प्रतिशत जगहों पर कब्जा है एक फुलेरा का जो ठेकेदार है छोटा ठेकेदार उसके ऊपर दबाव डाला उस दुकान को कौंसिल करवाने के लिए जो विभाग की तरफ से स्वीकृत हुई थी। फिर भी उसमें सरकार कहीं नहीं थी। सरकार ने विभागीय कार्यवाही करने के

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

आदेश दिये इसके बावजूद भी वह पार्टी कोर्ट में गई और कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया। इसलिए आज जो कार्यवाही हो रही है, वह केवल बड़े ठेकेदारों छोटे ठेकेदारों को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और इससे एक ऐसा वातावरण बन गया है सारे राजस्थान में जिसका घोर विरोध हो रहा है ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप, फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं दो मिनट और लूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव दूंगा जिस पर वह जरूर विचार करें। यह बात सही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : फूलचन्द जी, यदि सभी दो-दो मिनट लें ? अब बिराजिये आप।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात को समाप्त कीजिए आप। श्री प्रकाशचन्द जी बैरवा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : दुकानों का अलग से जो....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। इतनी बात कह रहे हैं। कम से कम 20 सदस्य बोले कोई भी प्रस्ताव, सुझाव बाकी नहीं रहेगा। कृपया बिराजिये। कितनी देर हो गई आपको।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं, साहब, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये। प्रकाशचन्द जी बैरवा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि दुकानों के 40–48 टुकड़ों में ठेके दिये जायें जिससे बड़े ठेकेदारों की जो मोनोपोली है वह समाप्त हो। दूसरा मापदण्ड के विपरीत जो दुकानें अभी भी लगी हुई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये, उनको बन्द किया जाये और विभागीय रूप से जिन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच निर्दिष्ट है और जो इस सारे मामले में लिप्त हैं, बिना किसी दबाव के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये जिससे आने वाले समय में जो विभाग में फैली हुई अव्यवस्था है, वह दूर हो जाये। प्रमुख रूप से एक शिकायत मेरी जानकारी में आयी है कि ठेकेदार विभाग के वाहनों का उपयोग करते हैं। अगर यह सही है तो जहां-जहां भी इनका उपयोग हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। एक बात मैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। माननीय प्रकाशचन्द जी बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 41 के बारे में अपने दो शब्द कहूंगा। पंचायत परिसीमन और पंचायत पुनर्गठन के मामले में जो राजस्थान सरकार पंचायतों का बीजेपीकरण करना चाहती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि देश की आजादी के बाद 40–42 साल के अन्दर पहली बार पंचायतों के ऊपर से सरपंचों को हटाकर

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

ब्यूरोक्रेट्स को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पचायतों के सचिव हैं, प्रशासक और सरपंच बनाकर प्रजातन्त्र का मखौल उड़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की मंशा है कि पचायतों का विकेन्द्रीकरण हो, विकास हो और ज्यादा से ज्यादा काम पंचायत में हो। लेकिन हमारे यहां राजस्थान सरकार ने पंचायतें भंग करके जो विकास के काम हो रहे थे वे सारे के सारे विकास के काम अवरुद्ध कर दिये। चाहे जे. आर. वाई. के हों, च हे "अपना गांव अपना काम" हो, चाहे अन्त्योदय योजना के हों, जीवनधारा के हों किसी भी प्रकार के पंचायतों के मार्फत् जो काम हो रहे थे वे सारे के सारे काम अवरुद्ध हो रहे हैं। श्रीमान्, "तीस जिले तीस काम" योजना के अन्तर्गत भी इन्होंने 30 प्रतिशत राशि जनसहयोग से इसमें मांगी है। पंचायतों के जो काम स्वीकृत हुए हैं उसमें 30 प्रतिशत राशि इन्होंने मांगी है। लेकिन पचायतों पर सचिवों का अधिकार होने के कारण जो सहयोग मिलना चाहिये था वह नहीं हो रहा है, न पैसे जमा हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो 30 प्रतिशत राशि जनसहयोग की मांगी जा रही है, जब तक ये सरकारी कर्मचारी पंचायतों में कब्जा करके बैठे हैं इस राशि को समाप्त किया जाय और जो काम स्वीकृत हुये हैं उन सारे के सारे कामों की 30 प्रतिशत राशि वसूल नहीं की जाय, उनको काम करने की इजाजत नहीं दी जाय क्योंकि अकाल के समय में 30 प्रतिशत जनसहयोग गांव वाले नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि 30 प्रतिशत की राशि की जो टांग अड़ाई है इसको समाप्त किया जाए।

श्रीमान्, पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में मैं कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र फागी के अन्दर एक पंचायत है टोमलीकाबास। उस पंचायत के गांव है नैनवां जिसकी कम से कम आठ किलोमीटर की दूरी है। दूसरी पंचायत है टोगड़ीकाबास। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे सांगानेर को बी. जे. पी. को पंचायत बनाने के लिये जयपुर को छोड़ कर आमेर को मिला रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास कि नैनवां गांव को जो कोथून से मात्र 11 किलोमीटर दूर है और टोमलीकाबास जो कि 8 किलोमीटर दूर है उस गांव से मिलाया जा रहा है जबकि उसके बीच में दूसरी पचायत के और गांव भी पड़ते हैं। मैंने पंचायत मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को लिखा था कि वहां की जनता के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है इसको रोकें क्योंकि वह गांव कोथून से 11 किलोमीटर दूर है और नैनवां 8 किलोमीटर दूर है। इसलिये इस गाव को तुरन्त कोथून में मिलाने की कार्यवाही करें।

श्रीमान्, फागी पंचायत समिति में सात पंचायतों को सांगानेर में मिलाने के लिये भी कलक्टर ने सिफारिश की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने डेढ़ लाख की पंचायत समिति का तय किया है कि डेढ़ लाख तक की आबादी की पंचायत समिति को हम नहीं तोड़ेंगे फागी की आबादी कुल एक लाख के लगभग है जबकि उसमें से सात पंचायतों को सांगानेर में मिला रहे हैं। इसलिये मैं इस बात का विरोध करता हूं सात पंचायतें सांगानेर में मिलाने की जो कार्यवाही चल रही है उनको तुरन्त रोकें और उन सारी पंचायतों को फागी में रखा जाय।

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फागी के अन्दर एक गांव है बीजी जिसकी आबादी दो हजार के ऊपर है लेकिन उसको पंचायत नहीं बना कर सेथरिया एक गांव है जिसकी आबादी 600 के लगभग है उस गांव को पंचायत बनाया जा रहा है। बीजी जिसकी आबादी दो हजार के लगभग है उस गांव को पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। बड़ा अफसोस है कि एक तरफ तो आप उन गांवों को जिसकी आबादी दो हजार की हो पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दो हजार के उस गांव को छोड़ कर छोटे गांव को पंचायत बनाने की सिफारिश करते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि बीजी को पंचायत बनाने की कार्यवाही की जाए।

श्रीमान्, मेरा एक और निवेदन है कि पंचायत पुनर्गठन में जिलाधीश को सब प्रकार के आपने अधिकार दे दिये। मेरा निवेदन है कि जिलाधीश जनप्रतिनिधियों की बिना राय के पंचायतों का मनमाने तरीके से पुनर्गठन कर रहे हैं। इसलिये आप इस प्रकार के निर्देश दें कि जनप्रतिनिधियों से पूछ कर जो गांव पास में पड़ते हैं, जो अच्छे तरीके से पंचायत बननी चाहिये उसको पंचायत बनाने के लिये जिलाधीश जन-प्रतिनिधियों की राय लेकर ही पंचायत बनाएं।

मैं आबकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने गत विधान सभा सैशन में भी आपसे कहा था कि चाकसू के अन्दर, फागी के अन्दर बस स्टेण्ड के ऊपर शराब की थड़ियां लगा रखी हैं। मेरा निवेदन था और आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं उन थड़ियों को हटा दूंगी। लेकिन आपने हटाने के बजाय उस दुकान को रोडवेज बस स्टेण्ड के ऊपर आवंटित कर दिया, इजाजत दे दी। मेरी मांग है सदन मे कि चाकसू और फागी बस स्टेण्ड दोनों के ऊपर जो थड़ियां लगी हैं शराब की उनको तुरन्त हटायें। क्योंकि रात के अन्दर लेट-सवेरे कोई महिला यात्री या कोई आदमी आता या जाता है तो लोग शराब पीकर वहां उद्यम मचाते रहते हैं इसलिये बस स्टेण्ड के ऊपर जो शराब की थड़ियां हैं उनको तुरन्त हटायें। मेरी और मांग है इस सम्बन्ध में कि अनुचिसूत जाति के मोहल्लों के अन्दर भी शराब की छोटी-छोटी दुकानें और थड़िया खोल रखी हैं, उन सारी थड़ियों को हटायें और मन्दिर और स्कूल के पास में जो शराब की दुकानें खोल रखी हैं उन सारी दुकानों को बन्द कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 और 13 के सम्बन्ध में मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सामुदयिक विकास। इस वक्त हमारे राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन होने जा रहा है। निश्चित रूप से एक गम्भीर मसला सोच का है। बहुत से लोग पंचायती राज के पुनर्गठन से बौखलाये हुये हैं। लेकिन गम्भीरता से देखना चाहिये कि कितने लम्बे अर्से बाद कब पंचायत बनी और उसके बाद फिर कभी किसी ने विचार नहीं किया। मैं राज्य सरकार को इस बारे में धन्यवाद देता हूं कि उसने इस ओर ध्यान दिया।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उपाध्यक्ष महोदय बीकानेर जिले में पूगल और दांतौर दो पंचायतें हैं जहां 11-11 पंचायतें बनी हैं और जहां 33 हजार वोट और 70 हजार वोट हैं। अब आप सोचिये (व्यवधान)... यह इसलिये है। माननीय रामसिंहजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक उपाध्यक्ष महोदय, अब पचायती राज बने। उस वक्त के लोग दुनियां से चले गये लेकिन देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है उस तेजी का यह असर है। इसके साथ एक और है कि वहां राजस्थान कैनाल आयी। जिन पंचायतों का मैं जिक्र कर रहा हूं पूगल और दांतौर का, उन पंचायतों में राजस्थान के बहुत-से जिलों से अलोटी भी वहां पहुंच गये। इसलिये उन पंचायतों का पुनर्गठन करके राज्य सरकार उनको न्याय दे रही है। निश्चित रूप से गांव के गरीबों और कमजोर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने 40 साल तक अपना पंचायती राज के जरिये से जो एक अखाड़ा जमा रखा था उन लोगों को बहुत अटपटा लगेगा लेकिन उनको बहुत गम्भीरता से देखना चाहिये कि गांव के गरीब और दबे हुये लोगों को सही प्रतिनिधित्व पुनर्गठन के द्वारा ही मिलेगा। इसलिये राज्य सरकार ने जो किया है वह बहुत बढ़िया, सोच कर और समय पर किया है।

अब मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं चाहूंगा पंचायत राज मंत्रीजी से कि आप उन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करके गांव के लोगों को सही प्रतिनिधित्व देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : पंचायती राज मंत्रीजी तो गप्पें मार रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई गप्पें नहीं मार रहे हैं। जागरूक बहुत ज्यादा हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबके के हैं उनको गांधीजी के बताये हुये इस पंचायती राज में आज तक कोई सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उनको पंचायतों के द्वारा दबाया गया है और उनका शोषण हुआ है। अब आशा है उनको न्याय मिलेगा। रामसिंहजी भी मेरी इस बात के पक्ष में हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप उनकी वजह से ही यहां हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं उनकी वजह से नहीं हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कैसे नहीं हो? यहां कांग्रेस की वजह से ही हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कांग्रेस की वजह से हूं, कांग्रेस को तो हमने बनाया। खून दिया है, बलिदान दिया है, जेलों में गये हैं। कांग्रेस-मजे तो आप ले रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, मेरे यहां बहुत सारे दोस्त हैं। मैं यह चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के जरिये से आप नया संशोधन लाइये और ग्राम पंचायतों में 100 में से 28 पंचायतों में महिला सरपंच और हरिजन के सरपंच का रिजर्वेशन किया जाए। आप यदि रिजर्वेशन कर देंगे तो लोगों को, गांव के गरीबों को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिला समाज सदियों से दबा हुआ है, हरिजन समाज का शोषण हुआ है। ये दो दबे हुये समाज हैं। उन सबको प्रतिनिधित्व देने के लिये अगर आप

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रिजर्वेशन कर देंगे तो महिलाओं के लिये सरपंच की सीट और हरिजनों के लिये तो निश्चित रूप से....

श्री रामसिंह बिश्नोई : महिला ऊपर कैसे आयेगी ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह तो ऊपर आयेगी, आप नीचे पंच बने रहेंगे। वह सरपंच बनेगी इसलिये आप नीचे रहेंगे और महिला ऊपर रहेगी। आपने बहुत शोषण किया है कानूनी तरीके से। हर दृष्टि से आपने महिला का शोषण किया है इसलिये सरपंच बनेगी महिला तो। और, रामसिंहजी, निश्चित रूप से आप नीचे वार्ड में पंच होंगे और महिला आपके ऊपर सरपंच होगी। इसलिये मैं चाहूंगा, गांव के गरीब हरिजन को अगर 100 पंचायतों में से 28 में आप प्रतिनिधित्व देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक राजनैतिक परिवर्तन होगा। दबे हुये लोग हैं, सदियों तक उनका शोषण हुआ है वे आगे बढ़ेंगे।

साथ ही मैं चाहूंगा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन हरिजनों का होना चाहिये। दूसरा, मैं चाहूंगा जब विधान सभा में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन होता है तो पंचायत समिति और जिला परिषद् में भी हरिजनों को प्रमुख और प्रधान की जगह जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे राजनैतिक परिवर्तन होगा देश में, निश्चित रूप से आने वाली सदियों तक लोग इस का गुण मानेंगे और जो गांव का मनुष्य है वह आपको भूलेगा नहीं। गांधीजी को भूल गये लेकिन आप यह काम कर देंगे तो महात्मा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की जनसंख्या याद रखेगी यदि सब कुछ भूल कर गांव के गरीब के हाथ में आप पंचायती राज की ताकत देंगे।

इसके साथ थोड़े-से शब्द आबकारी के बारे में भी कहना चाहूंगा। खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर बस स्टेण्ड हैं, मन्दिर हैं हमारे, स्कूल हैं हमारे, मंत्री महोदय, मैं आपसे आशा रखता हूं कि कम से कम ऐसे स्थानों पर यदि बन्द कर दें तो बहुत अच्छा हो। रामसिंहजी कह रहे थे शराबबन्दी करा दो। यही भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री थे जिन्होंने राजस्थान में शराबबन्दी की लेकिन दुर्भाग्य से आपका राज आ गया तो आपने चालू कर दी। क्या करें आप बताओ ? आज शराबबन्दी करा दें तो आप तो ताके हुए बैठे हो, दिल्ली दूर नहीं है, आप आते ही खोल दोगे। इसलिए लम्बा भाषण नहीं देकर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जैसे आपके कहने से कर ही देंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : किसके कहने से करेंगे ? मैं बहस में नहीं जाना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ राज्य सरकार से आशा करता हूं, पंचायती राज मंत्रीजी, आप गांव की जमीन से उठकर यहां पहुंचे हैं। आप गांव में पंच रहे, सरपंच रहे, आप प्रधान रहे, आप फील्ड के व्यक्ति हैं, फील्ड के नौजवान हैं और राजस्थान विधान सभा में पहुंचे हैं, मैं आशा करता हूं कि गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकम चन्द कान्त ।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा । प्रथम सुझाव तो यह है उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्रीजी, कि सरपंच सीधे आयें, सरपंच पंचों के माध्यम से नहीं आयें । लोगों का, जनता का मत यही है, कृपया इसका ख्याल रखें ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके मुख्य मंत्री का मत दूसरा है । आप उनकी हां में हां मिलाओ ।

श्री टीकमचन्द कांत : दूसरा यह है कि 39 पंचायतों में 10 सचिव हैं । यह पंचायत का कार्य किस प्रकार चलेगा ? उसको सुधारने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है । अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है सुझाव दिया है कि अनट्रेण्ड टीचर्स हैं, और लोगों को लगा रहे हैं । तो हमारे रेवदर और सिरोही में भी अनट्रेण्ड टीचर्स हैं इनको पंचायत का सचिव बनाकर रख लें तो ठीक है । अभी वहां पर अनट्रेण्ड टीचर्स कर क्या रहे हैं यह भी आप जवाब देते समय जरूर बतायें । दूसरी चीज, रेवदर पंचायत समिति के अन्दर की जीप डेढ़-दो किलोमीटर चल चुकी है और खराब पड़ी है । यह नोट कर लें और एक जीप पंचायत समिति के लिए भेज दें । एक मैं माननीय चुन्नीलालजी इन्दलिया की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें क्रांतिकारी कदम पंचायत के अन्दर उठाकर कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन देकर उनको उठाना चाहिए ।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी । शराब के अन्दर शराबबन्दी की बात आयी । हम लें । लेकिन गुजरात हमारे पड़ौस में है । आदर्श की दृष्टि से तो शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन वास्तविक दृष्टि से यह पाठ पढ़ाना है शराबबन्दी का तो गुजरात में जाकर देख लें । हमारी मांग हम हर वर्ष बढ़ाते जाते हैं । हर वर्ष अन्दाजा आगे बढ़ाते जाते हैं । हमारी आबकारी से आय अपरोक्ष-करों में सैल्स टैक्स के बाद दूसरे नम्बर पर है । 402.50 करोड़ का इस वर्ष हमारा अन्दाजा है । पिछले वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन आया उसके अन्दर 350 और 23, कुल 373 करोड़ की आबकारी की आय आपने प्राप्त करने की बात कही, लेकिन यह आंकड़ा हम देख रहे हैं कि बहुत कम है । ठेकेदारों में काफी बकाया है । 255 करोड़ आपके अनुसार हम प्राप्त कर चुके हैं । 118 करोड़ रुपये अब तक ठेकेदारों के अन्दर बाकी हैं और पिछले और भी बाकी हैं । सन् 19?2 के अन्दर जोन सिस्टम चला था, छोटे-छोटे ग्रुप में ठेके दिये जाते थे । उस समय की बकाया रकम भी पड़ी है, वह हम ने वसूल नहीं की । उस रकम का क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी धरोहर राशि और अचल सम्पत्ति से ऊपर रकम बकाया है, तो कैसे प्राप्त करेंगे ? उसके लिए आपने क्या किया ? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां हम जितनी गारण्टी ले रहे हैं क्या उतनी गारण्टी के मुताबिक हमारे राज्य में खपत है ? हमारा जो पूरा का पूरा यह आबकारी का स्तम्भ खड़ा किया है जिस पर हमारा बजट बन रहा है, हम को सोचना चाहिए । या तो गुजरात की शराबबन्दी की वजह से या पाकिस्तान की सीमा की वजह से । हमारे

(श्री टीकमचन्द कांत)

यहां पर तो शराब की खपत इसकी ज्यादा से ज्यादा 40-45 प्रतिशत भी नहीं होगी। सारी की सारी शराब गुजरात जाती है। इसलिए थोड़ा वास्तविकता पर सोचें। हम शराब के अन्दर ठेके देने की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े गिरोह खड़े हो रहे हैं। इस ठेका प्रथा को तोड़कर आरम्भ कीजिए महाराष्ट्र की प्रक्रिया को जिसमें एक-एक दुकान लाइसेंस लेकर दी जाती है। जहां आवश्यकता है दुकान दी जाए। गरीबों को दीजिए, रिजर्वेशन कीजिए, दीजिए अनुसूचित जाति के लोगों को। बड़े-बड़े गिरोह खड़े करके यह जो किया है यह गलत है। मैं चाहता हूं इस व्यवस्था में परिवर्तन हो।

दूसरी चीज, अब के जो ठेके जा रहे हैं इस बार आपने यह तय किया है कि एक अप्रेल के बाद उसको 15 प्रतिशत और बढ़ाना होगा। जिन लोगों ने ठेके लिये हैं उनको 15 प्रतिशत और ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। जैसलमेर समूह ने ठेका दुगने भावों पर लिया उसके बाद जैसलमेर समूह ठेका छोड़कर के चला गया। उसके बाद उनकी दुकानें सील नहीं हुई और वहां के इन्सपेक्टर ने अनधिकृत सामान बेचा। उसके बाद उसका एक अच्छा पार्टनर था जिसकी सम्पत्ति थी, वह पार्टनर भी उसमें से निकल गया। उसके बाद अब ठेकेदारों से जो बकाया रकम है वह किस प्रकार प्राप्त करेंगे? स्पर्धा तो कर दी गयी कि ज्यादा बोलेगा उसको ठेका देंगे। मेरी दृष्टि से इस पर से वापस लौटना होगा। धोलपुर, चूरू और सवाईमाधोपुर के ठेके आये, कैंसिलेशन के लिए आये। वहां व्यापार नहीं हो सकता है। 50 लाख का घाटा उदयपुर में चल रहा है। इसलिए कहीं न कहीं व्यावहारिक नीति इस मामले में अपनानी पड़ेगी क्योंकि, जैसा मैंने कहा, परोक्ष करों के अन्दर सैल्स टैक्स के बाद दूसरी सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला विभाग है तो आबकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट और बोल दें।

श्री टीकमचन्द कांत : गंगानगर शुगर मिल की बात करूं। 20-25 साल पुरानी मशीनें हैं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मोलेसेस आफ इण्डिया से राजस्थान सरकार को मिलने वाली स्प्रिट का वे पूरा बॉटलिंग कर पाते है या नहीं? नहीं कर पाते हैं। पूरा छोड़ना पड़ता है। इधर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश के अन्दर 15-20 कारखाने बॉटलिंग के हैं उनको दीजिए, वहां रोजगार खड़ा होगा। बॉटलिंग के कारखाने माडर्न स्थिति के अन्दर चल रहे हैं। आपकी 25 साल पुरानी मशीन है गंगानगर शुगर मिल की। उसमें चूहे अन्दर घुस रहे हैं, अन्दर जा रही है। दारू बनकर बाहर आ रही है। बीयर के ऊपर आर. टी. डी. सी. से कहा है कि 10 प्रतिशत ज्यादा बीयर इस बार बेचनी पड़ेगी। हम किस प्रकार का कण्ट्रोल करते हैं? क्या हम को शिकायत नहीं मिली? बीयर के अन्दर फंगस मिला। फारेन बॉडी मिली। आर. टी. डी. सी. की बीयर पर हमारा कोई कण्ट्रोल नहीं है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं रेट्स के मामले में। पर्यटन मंत्रीजी भी ध्यान दें। हरियाणा ब्रेबरीज की बीयर 98 रुपये....

श्रीमती विद्या पाठक : फंगस वाली बात क्या है ?

श्री टीकमचन्द कांत : कोई शिकायत आपको मिली क्या ? शिकायत की गयी है, आपको नहीं मिली । यह देखना पड़ेगा । चार लाख की खपत कम से कम थी, अब 10 प्रतिशत और बढ़ रही है 4 लाख 40 हजार हो गयी...

श्री उपाध्यक्ष : हरियाणा वाली बात बता दें ।

श्री टीकमचन्द कांत : हरियाणा वाले आपको 98 रुपये पेटी देते हैं । आर. टी. डी. सी. वाले बिचौलियों से खरीदते है और वही पेटी 120 में, 140 में, 150 में खरीदते हैं । वह डिफरेंस क्योंकि बीच में कमीशन का बना हुआ है वह आर. टी. डी. वाले खाते हैं । जो पर्यटक है जिसको हम आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए हमने आर. टी. डी. सी. में दुकानें खुलवाई हैं । अब तो दस लाख की जगह हम कहीं भी बार खड़े कर लेंगे । दस लाख का टर्न ओवर करने वाले होटल को भी हम बार दे देंगे । यह सब कार्यवाही कर रहे हैं । इस प्रकार अगर ग्राहक का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय ?....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें । माननीय श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री टीकमचन्द कांत : एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं है एक मिनट का । you have taken ten minutes.

श्री टीकमचन्द कांत : जो बाउण्डेड वेयर हाउस हैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात है । बाउण्डेड वेयर हाउस आज से कई वर्षों पूर्व शहर के अन्दर, आपकी इस चुंगी की सीमा से बाहर आप देख लीजिये उन्होंने कितना माल उठाया, उन्होंने खपत कितना किया और उसके बाद चुंगी कितनी चुकाई ? चुंगी वालों को भी देखना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, बिराजिये । माननीय श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, असल में आबकारी की मांगों के बारे में जो आज इस हाउस में स्पष्टीकरण हुआ है, आबकारी निश्चित तौर से राजस्थान की बहुत बड़ी आय का साधन है । और इस हाउस में चाहे सत्ता में इस पक्ष के लोग रहें या सत्ता में जो आज बैठे हैं वे लोग रहें; इस शराब के लालच को, जो शराब से हमारी स्टेट को आमदनी होती है उसको छोड़ नहीं सकते । निश्चित तौर से हर साल यह बढ रही है । जब हम ठेके पर यह कोशिश करते हैं कि ठेकेदार बड़ी से बड़ी कीमत देकर हमारे ठेकों को ले तो वह भी कोशिश करेगा कि शराब सारे प्रान्त में बिके, उसको पूरी सुविधा मिले और वह पूरी तरह से बेचे । आज राजस्थान की यह स्थिति है कि शराब के ठेकेदार सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अफसरों को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि राजनीतिज्ञों को भी इस्तेमाल करके अपनी शराब बेचते हैं । आज राजस्थान की यह स्थिति है कि बड़े-बड़े ठेकेदार सिर्फ यह नहीं है कि ठेकेदारी करते हैं, बल्कि लाखों रुपये अपने इस्तेमाल करके राजनीति में दखल रखते हैं । तो निश्चित रूप से हमें

(श्री हेतराम बेनीवाल)

यह सोचना पड़ेगा। अगर राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी यह समझती है कि इससे हमको आय होती है इसलिये इसमें कोई नीति की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा कमाने की जरूरत है तो इस स्थिति से मुक्ति मिल नहीं सकती। मैंने सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुनी है जो इससे पहले शराब के बारे में बात हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा शराब छोड़ने की बात, हम किसी स्थिति में शराब छोड़ नहीं सकते। कोई भी हमारे पास ऐसा जरिया नहीं है कि हम चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकें। पर यह निश्चित तौर पर करें कि शराब की दुकानें शराब की बिक्री राजस्थान में किस तरीके से हो, उसकी एक नीति तय की जाए और राजस्थान विधान सभा में उस नीति का ऐलान हो। उस नीति के बारे में राजस्थान की सरकार स्ट्रिक्ट रहे चाहे हमारी यह आमदनी कम हो। नहीं तो हमारी यह स्थिति हो जायेगी कि हम उन ठेकेदारों के गिरोह में फसे रहेंगे और वे हमारा इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के अन्दर पुलिस के थानेदार और पूरी की पूरी एन्टी-प्रीवेन्टिव फोर्स ठेकेदारों की भर्ती पर रहती है और ठेकेदार उसे जैसे मर्जी चाहे नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है इस मामले में कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि एक्साइज के बारे में अपनी एक नीति तय करे कि किस तरह से हमने अपनी दुकानें खोलनी हैं, किस सेक्टर में हमने दुकानें खोलनी हैं।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हाउस इस पर पहले भी चर्चा हुई है कि जो हमारा सामुदायिक विकास है, राजस्थान में पंचायत व्यवस्था को जिस बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है उसका सबसे बडा नुकसान अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : हम भी साथ हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप साथ हो। आपको तो मैं क्या कहूं। आप अगर वास्तव में साथ हो तो, माननीय मंत्री जी, जो स्थिति आज गांवों के अन्दर हुई है, आपको पता होगा। मैं कहता हूं कि चुने हुए नुमाइन्दे चाहे किसी पार्टी के हों, उन चुने हुए नुमाइन्दों के 50-60-100 आदमी गांवों में होंगे। उनका ग्रुप होगा, उनकी स्थिति होगी। आज उनका एक सेक्रेटरी जो 15-15, 20-20 साल तक पंचायत का सेक्रेटरी रहा जिसका काम ही यही था कि वह सरपंच को भ्रष्ट बनाता था। उसको आपने सारा काम सौंप दिया। विकास का सारा काम राजस्थान में ठप्प किया है। गांव के अन्दर अगर आज गुस्सा है तो एक ही बात से है। आज भी आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है आप एक दिन राय देते हो कि हम चुनाव करायेंगे। उस दिन आपने बड़ी तत्परता से एक बात कह दी कि जो कुछ कलक्टर्स ने सीमांकन कर दिया उसके बाद हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे। परन्तु मुझे पूरा अन्देशा है कि आप इस चीज से बैकआउट करोगे। और आप जनता दल (डी) में ताकत नहीं है कि उनको रोक सको। वे जो चाहेंगे वही होगा और फिर आप पंचायतों के चुनाव आगे सरकाओगे। अगर आप इस बात से उम्मीद करो कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

गांव के अन्दर कोई सरकारी कर्मचारी आपका पैरोकार हो और सरकारी कर्मचारी के हाथ में गांव की सत्ता हो, उससे आप नहीं बढ़ो। मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि पंचायत के अन्दर एक-एक सचिव के पास चार-चार, पांच-पांच पंचायतें हैं। अनूपगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहां एक-एक सेक्रेटरी के पास पांच-पांच पंचायतें हैं और पांचों पंचायतों में उसने यह हाल कर रखा है कि पूरी की पूरी भूमि, जितने भी गांवों की भूमि बची हुई थी सारी की सारी फर्जी अलाट कर दी, पीछे की डेट में अलाट कर दी।....(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)....उसकी इन्क्वायरी चल रही है। मेरी एक पंचायत है लालगढ़, सारी की सारी जगह शहर जैसी पंचायत है। मिलट्री एरिया के बीच में है, बड़ी कीमती जमीन है। वहां 15 लाख रुपये की भूमि सेक्रेटरी ने अलाट कर दी। कोई इन्क्वायरी नहीं, कोई रिकार्ड नहीं। एक की इन्क्वायरी करो, दो की इन्क्वायरी करो, पूरी की पूरी पंचायत की यह स्थिति है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई यह चाहते हैं कि राजस्थान का सामुदायिक विकास हो, चाहे आपकी पार्टी के सरपंच जीतें या ना जीतें, चाहे आपकी पार्टी का कोई पंच बने या न बने, इस लालच में कि गांव में आपका कन्ट्रोल हो और उसके लिए आप पंचायतों को निलम्बित रखें, और इस व्यवस्था को लागू रखो। आज ग्रामीण जनता में इस बात का बड़ा असंतोष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की योजनाओं से जो पैसा राजस्थान की सरकार को मिलता है, आपको यह उम्मीद थी कि आपके सचिव, आपके बी. डी. ओ. और आपकी डी. आर. डी. ए. के चेयरमे उस पैसे को इस्तेमाल करके आपकी छवि को बढ़ायेंगे। निश्चित तौर से उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने घर भरे हैं, चोरियां की है और उससे आपकी छवि बिगड़ी है। इसलिये चुने हुए नुमाइन्दे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, किन्हीं लोगों के हों, उसको अगर आप पैसा दोगे, उनसे विकास कराओगे तो निश्चित तौर से सरकार की छवि बढ़ेगी।....(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)....मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप आज हमारी बात सुन रहे हो तो आज इस हाउस में ऐलान करें, एक डेट तय करें कि उस डेट को पंचायत के चुनाव होंगें। यह नहीं कि जल्दी से जल्दी हो जायेगा। क्योंकि जल्दी तो न इनके राज का आता है और न आप वाले राज का आता है। जल्दी का मतलब ही देरी होता है....

एक माननीय सदस्य : आपका राज आने वाला नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारा राज जहां है वहां यह नहीं कहते। हमारे राज में किसी चुनी हुई सरकार को नहीं तोड़ा और यही वजह है, भंवरलाल जी, कि हमारा राज चार बार आया है। जितनी बार रहा है उतनी बार ज्यादा वोट लिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) राज ज्योति बसु का है।

श्री हेतराम बेनीवाल : और आप दुबारा आओगे तो इधर बैठोगे। चुनाव हुआ नहीं कि इधर आये नहीं। हम चार बार आये हैं चारों बार बढ़ कर वोट लिये हैं।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों से, मेरी जितनी जीत आप किसी की नहीं हो सकती । मैं अगर एक भी आ गया तो सेंट पर्सेन्ट जीतूंगा और आप अगर दो भी आ गये तो आपकी 80 पर्सेन्ट हार है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मी चन्दजी मेहता ।

(8.00 रात्रि)

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है और एक सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में है । दोनों कटौती प्रस्ताव मैं एक साथ पेश करता हूं । आबकारी के सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है....आबकारी की जितनी दुकानें हैं ज्यादातर या तो स्कूलों के पास हैं, सार्वजनिक जगह पर हैं या बस स्टैण्डों पर हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हू कि केबिन में गुजरात की सीमा है और बीरोल में आपने गांव के नाम से दुकानें अलाट की हैं, सरहद के नाम से अलाट नहीं की । माल सब स्मगलिंग से जाता है केबिन में । आपको यह भी मालूम नहीं कि हमारी दुकानें कहां चल रही हैं । स्कूलों के पास चल रही हैं तो स्कूल के बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा । बस स्टैण्ड पर है । उतरा, एक बोतल ली, पी और एक्सीडैण्ड किया या गाली-गलौच की । इस प्रकार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आपको सुधारना पड़ेगा ।

सामुदायिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी पंचायत समिति में 44 पचायतें हैं और 10 ग्राम सेवक हैं सचिव हैं । ग्राम सेवक कहो चाहे सचिव कहो । 10 सचिव 44 पंचायतों को कैसे कण्ट्रोल कर सकते हैं ? किसी के पास पांच पचायतें हैं किसी के पास चार हैं । वे पंचायतों में नहीं जाते हैं और हैडक्वार्टर सांचोर पर बैठे रहते हैं । सरपंच को ब्लैकमेल करते हैं, जो पुराने सरपंच हैं । नये सरपंच तो हैं नहीं, पीढ़ियों से जो सरपंच चले आ रहे हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं । अकाउण्ट्स आज की तारीख में और पुरानी तारीख में खर्चा माण्डते हैं । इसलिए माननीय पंचायत मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस व्यवस्था में सुधार लाएं और जल्दी से जल्दी पंचायतो के चुनाव कराएं । आपने छोटी पंचायतों के बनाने के बारे में जो घोषणा की, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि हर पंचायत को एक सचिव दें । अभी तो आपने सरकारी अधिकारियों के हाथ में काम दे दिया-पटवारी, ग्राम सेवक और स्कूल का अध्यापक । स्कूल का अध्यापक पंचायत का काम करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा ? अब तो वह बच्चों को भी नहीं पढ़ाता है तो क्या आपकी पंचायत का काम करेगा । मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अनुशासन में रहते हुए और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, अनुशासन में रहते हुए और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल मीणा ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 और 13 पर आज चर्चा हो रही है। मैं ज्यादा मांग संख्या 41 पर बोलूंगा क्योंकि मांग संख्या 13 पर बहुत चर्चा हो चुकी।

माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं उनसे एक बात तो पुनर्गठन की बात पर करना चाहूंगा। पुनर्गठन के मामले पर आपने जो गाइड लाइन जारी की उसका पालन आपके विभाग के अधिकारियों ने, या जिनको आपने अधिकारी बनाया है कलक्टर, उन्होंने उनका पूर्णतः पालन नहीं किया है। आपने अभी मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सबसे बड़ी आबादी वाले गांव को पुनर्गठित ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाएंगे। यदि ईमानदारी से इस गाइड लाइन का पालन किया जाय तो बहुत कम विवाद ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में हों। आपने जो गाइड लाइन दी उसके उल्लंघन का आपको उदाहरण बताऊं, जैसे एक पुनर्गठित ग्राम पंचायत में एक पांच गांव आए। बार फलां गांव को बना दिया, दूसरी बार दबाव आया तो फलां गांव को बना दिया और तीसरी बार दबाव गया तो फलां गांव को बना दिया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास बामनवास के कुछ लोग आए थे। वहां पर 3-4 पंचायतें पुनर्गठित की गयी थीं। अपन बामनवास, गंगापुर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डाबर नाम का गांव सवाईमाधोपुर की बार्डर पर पड़ता है। उसकी आबादी 1400 है। पहली बार कलक्टर ने प्रस्ताव बनाये कि ग्राम नाइन में बना दी जाय। फिर दबाव आया, तो 3-4 किलोमीटर, रोड छोड़कर, बीच में नदी पड़ती है बिल्कुल उसके पार, ग्राम धोची में बना दी जाय। ऐसे तीन-तीन बार प्रस्ताव आये। उसकी आबादी है 400। इस तरह से आपकी जो गाईड लाइन है आप उसका पूर्णतया पालन करिये कि जो सबसे बड़ा गांव आबादी के हिसाब से हो पुनर्गठित ग्राम पंचायत में, उसको मुख्यालय बनाएं। दूसरी बात, यह सही है कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। पर जिस तरह से आपकी पार्टी के लोगों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के माध्यम से कलक्टरों पर दबाव डाला गया, उन प्रस्तावों को गुपचुप रखा गया। किसी जन प्रतिनिधि को उन्होंने बताने की जरूरत नहीं समझी कि हम किस तरह कितनी ग्राम पंचायतें बना रहे हैं, किस-किस गांव को किस-किस ग्राम पंचायत में मिला रहे हैं। जब कि माननीय मंत्री जी, आपने यहां हाउस में कहा था कि जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाकर कलक्टर उन प्रस्तावों को एप्रूव कराएंगे। मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी जिले में जन प्रतिनिधियों को बुलाकर जानकारी नहीं दी गयी है। हो सकता है आपकी पार्टी के एम. एल. ए., एम. पी. को कहीं अलग या जयपुर में बुलाकर आपने जानकारी दे दी हो। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि गांव के लोगों को विश्वास में लेकर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे और दूसरी तरफ गांव के लोग यहां शिकायत करने आये कि हमारा गांव बड़ा है, हमारे यहां मुख्यालय होना चाहिए। गांव के लोगों की बात मानें तो आपके ये विवाद ही खड़े न हों। आपको इस बात का पूर्णतया पालन करना चाहिए कि पुनर्गठित ग्राम पंचायत का मुख्यालय सबसे बड़े गांव में हो। आपने प्रश्न के उत्तर में कह दिया, पर आपके कलक्टर अब तक

(श्री परसादीलाल मीणा)

उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 6-7 महीने से फाइलों में बन्द कर रखी थी, अब जाकर ओपन की है कि हमने ये-ये प्रस्ताव बनाये हैं। आप छः महीने से क्या कर रहे थे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : गांव बड़ा हो लेकिन बीच में नहीं हो तो इसके लिए क्या व्यवस्था है ? पांच गांव हैं, एक गांव बड़ा है 1400 की आबादी का और एक 600 की आबादी का, पर बीच में अगर गांव छोटा पड़ता है तो क्या करना चाहिए ?

श्री परसादीलाल मीणा : अगर गांव बिलकुल बीच में ही आता है तो उसको बनाना चाहिए। बिलकुल रोड पर जो गांव हो उसको बनाया जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी आबादी का गांव है उसको बनाया जाना चाहिए। इस गाइड लाइन का अगर कलक्टर पालन नहीं करें तो फिर आप क्या करेंगे ? लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे ? ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का अभी 2–4 दिन में ही प्रकाशन किया है. आप छः महीने से क्या कर रहे थे ? सरकार की चुनाव कराने की कोई नीयत नहीं है, सरकार चुनावों को टालना चाहती है। और नयी-नयी प्रक्रिया की बातें करते हैं। कि कभी पंचों से चुनाव कराएंगे, कभी सरपंचों का चुनाव सीधे कराएंगे। यदि आपने पंचों से सरपंचों के चुनाव कराए तो कहीं भी चुनाव नहीं होंगे, सब पंचों को ले-लेकर भाग जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। न फिर कोई सरपंच का चुनाव होना और सारे विवाद में मामला दब जाएगा। इसलिए आप सरपंचों का चुनाव सीधे ही कराइये, किसी भी प्रक्रिया से जिससे आपकी, आपकी पार्टी की सुविधा होती हो। पर गांव के लोगों को ख्वाहम-ख्वाह क्यों परेशान करते हैं ? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)... आज गांव के लोगों की हालत आपने क्या बना दी ? सीकर का रहने वाला पंचायत का सैक्रेटरी सवाईमाधोपुर में सैक्रेटरी है, तीन पंचायतों का राजा है। जवाहर रोजगार योजना का पैसा उसकी जेब में, पंचायत का अनुदान उसकी जेब में, तीन रजिस्टर उसके थैले में। वह क्या गांव का विकास करेगा। पंचायत मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने गांव का सत्यानाश कर दिया। उसी सत्यानाश का नतीजा है कि आपने सरपंचों को हटाया, आपने प्रधानों को हटाया, आपने जिला प्रमुखों को हटाया। लोक सभा के चुनावों में हार की खीझ में यह सारी कार्यवाही की। नहीं तो आपमें हिम्मत है तो आपको तुरन्त चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी। यदि आप पुनर्गठन ही करना चाहते थे तो 2-3 महीने में निश्चित अवधि में ही करते। आपको एक साल लगाने की क्या जरूरत थी ? आप पुनर्गठन के नाम पर गांव में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। पर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी दुकान जमने वाली नहीं। इसी नाराजगी के कारण आपको उप चुनाव में सब जगह मात खानी पड़ी है। एक कैलाश जी की बड़ी मुश्किल से इज्जत बची है। आपके कारनामों के कारण, गांव-गांव में गये तो लोगों ने आपको कहा, उप चुनावों में, कि पंचायत मंत्री जी, यहां तो जंगल राज हो रहा है, यहां तो अधिकारियों का राज है। यहां तो बी. डी. ओ. भ्रष्ट है, जे. ई. एन. भ्रष्ट है। सारे गांवों को आपने समेटकर जेब में रख लिया। और आप गांव के विकास की बात करना चाहते हैं।

(श्री परसादीलाल मीणा)

पंचायत मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गत वर्ष 1500 प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा यहां मुख्य मंत्रीजी ने की थी, एक हजार से बढ़ा कर 1500। जब आप जवाब दें बताएं कि कितने स्कूलों में आपने अध्यापक लगा दिये ? कितने स्कूलों में एडमिशन हो गये ? मैं कहना चाहता हूं कि सारे स्कूल आपने 7 फरवरी के बाद खोले हैं। राजस्थान में एक भी स्कूल आज शुरू नहीं करा सके। इससे बड़ी +++की बात सरकार के लिए क्या होगी। आप जैसे मंत्री को, जो गांव से चुनकर आता है, जो सरपंच रहा, जो प्रधान रहा, जो जिला प्रमुख रहा, जो पंचायत मंत्री रहा उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि आपने गांव में जंगल राज बना दिया। अब भी आपमें हिम्मत है...(व्यवधान) आप समझते नहीं, आप बैठ जाइये। आप से पंचायतों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको खरी-खरी कह रहा हूं। मेरी बातें जब आप चुनाव लड़ोगे तब याद आयेगी। मेरी बातों को तब याद करके रोओगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी. बिराजिये, ओवर कीजिए माननीय शान्तिलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : आज गांवों में कोई छात्र प्रमाण-पत्र के लिए भी जायं तो किस से हस्ताक्षर करायेंगे ? और किसके पास जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : खूब कह दी आपने अपनी बात, अब ओवर कीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपसे कहना चाहूंगा, पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में जो मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि विपक्ष कहे तो चुनाव करा लें, कलक्टरों के प्रस्ताव के आधार पर करा लें। मुख्य मंत्रीजी, आप न्याय करिये। पंचायत मंत्रीजी, आप हर जन प्रतिनिधि को विश्वास में लेकर पंचायतों का पुनर्गठन कराइये।

मैं आबकारी के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आबकारी रहने दीजिए, आप 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं दो मिनट कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं दूंगा दो मिनट। जितने बोले हैं उन सबसे ज्यादा आप ले रहे हो।

श्री परसादीलाल मीणा : दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दे नहीं सकता।

श्री परसादीलाल मीणा : सिर्फ दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, एक मिनट सही।

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक मिनट।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी मंत्री महोदया से मैं कहना चाहूंगा, और मैंने कई बार उनसे निवेदन किया है और मेरा असेम्बली में प्रश्न भी था। माननीय सदस्य श्री फूलचन्दजी कह रहे थे कि ठेकेदार कांग्रेस के राज्य में पनपते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि ठेकेदार आज आपके राज्य में पनप रहे हैं। आज मेरे इलाके में दो शराब की दुकानें स्वीकृत हैं लेकिन ठेकेदार ने 100 दुकानें लगा रखी हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदया को लिखित में भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि तीन दिन में हटवा दूंगी। आप तीन महीनों में भी हटवा देंगी तो मैं आपका बहुत अहसानमन्द रहूंगा। इसके लिये आपको कार्यवाही करनी चाहिये, नहीं तो पड़ौसी हमेशा आपको ओलमा देते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। यह सारी बीमारी खत्म करने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री शान्तिलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : आज ठेकेदार का प्रभाव खत्म करने के लिये, जैसे माननीय उजला जी ने कहा, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हू। आप शराब बन्दी कीजिये तो यह सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जायेंगे आपके।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री शान्तिलाल जी।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज आबकारी और पंचायत राज विभागों की मांगों पर चर्चा हो रही है। शराब का जहां तक प्रश्न है, शराब का इम्पैक्ट किस सीमा तक बढ़ सकता है, इसका नजारा अभी थोड़ी देर पहले इस पवित्र सदन में हम लोगों ने देखा। इसका सीधा-सीधा कारण यही है कि जो लोग शराब का धंधा करते हैं। उसका व्यवसाय करते हैं, उनके बारे में किसी न किसी रूप में हमारे लोग, इस सदन के लोग, कुछ इन्टरेस्ट रखते हैं। तभी इस तरह का नजारा हमें सदन में देखने को मिलता है।

ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि जिस तरह माननीय उजला जी और डाक्टर चन्द्रभान ने सुझाव दिया है कि राजस्थान में मद्यनिषेध कर दिया जाये तो मैं समझता हू कि इस तरह का नजारा इस पवित्र सदन में भविष्य में हमको देखने को नहीं मिलेगा। यह आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से इस व्यवसाय का चलन राजस्थान में चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। जहां तक आबकारी विभाग का प्रश्न है, यह स्टेट सब्जेक्ट है और उस दृष्टि से इस विभाग से राजस्थान सरकार को इन्कम होती है वह इन्कम कम नहीं है और लगभग 400 करोड़ रुपया सालाना राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, और जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का विकास के कामों के लिये उपयोग होता है। इस दृष्टि से यदि मद्यनिषेध न भी कर पायें, तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो नीति शराब की बना रखी है उसमें कुछ संशोधन कर दें ताकि जिस प्रकार से आज प्रशासनिक दृष्टि से और व्यवसायिक दृष्टि से शराब के धंधे की जो नीति चरमरा रही है, उसमें सुधार हो सके।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो 400 करोड़

(श्री शान्तिलाल)

रुपये हमें सालाना प्राप्त होते हैं वह 400 करोड़ रुपये वास्तव में इस वर्षप्राप्त होंगे या नहीं ? इस पर भी एक प्रश्न वाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हमको गहन विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो शराब की नीति चरमरा रही है उसके कारण आज 225 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राप्ति 31 मार्च तक होने वाली नहीं है। तो यह विचार का प्रश्न है और इस पर गहन विचार करना चाहिये। इसका मुख्य कारण यह है कि ठेकेदारों में जो रिकवरीज हैं वह रिकवरीज हो नहीं पा रही हैं। नहीं होने का भी एक कारण है। ठेके काम्प्टीशन में उठते हैं और आज ठेकेदारों की स्थिति यह है कि जयपुर वृत्त जो चल रहा है वह आज दिन तक 8.20 करोड़ रुपये के घाटे में है। उदयपुर वृत्त 5.10 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, चूरू 4 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अगर वे घाटे में हैं तो अपने को क्या ?

श्री शान्तिलाल : माननीय सदस्या, यह जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं उसके पीछे भी कुछ कारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेट का राजस्व घटता है तो चिन्ता तो होनी चाहिये, माननीय सदस्या।

श्री शांतिलाल : सवाईमाधोपुर 6 करोड़ के घाटे में चल रहा है, बयाना 1 करोड़, धौलपुर 2 करोड़, नीम का थाना 1 करोड़ सीकर 2 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य नहीं, अध्यक्ष (व्यवधान)

श्री शांतिलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब के ठेके जो आज कहीं बन्द पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले सदन में चर्चा हुई थी कि धौलपुर में जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोग मर गये। इसके बारे में कभी गहन विचार किया है, माननीय मंत्री महोदया आप ने ? उसका मुख्य कारण यह था कि वहां पर शराब आज मिल नहीं रही है और शराब नहीं मिलने के कारण वहां के जो एडिक्ट लोग हैं शराब पीने के जो आदी हैं, वे जहरीली शराब पीने को मजबूर हो रहे हैं। जिसका नतीजा यह निकला। यह भी आबकारी नीति का कारण है इस-लिए मेरा अनुरोध है कि इस सिस्टम को रेगुलेट करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : काफी है। बिराजिये साहब।

श्री शांतिलाल (राजसमंद) इसके कारणों के बारे में पता लगाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार फैल क्यों हो रहे हैं ? क्योंकि इस व्यवसाय से पैसे की इन्कम होती है सरकार को इसलिए इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। आज मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि शराब के ठेकेदारों द्वारा हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपये पुलिस और आबकारी अधिकारियों के बीच में वितरण करना पड़ता है। यह क्यों वितरण करना पड़ता है, इसके बारे में सदन को जानकारी

(श्री शांतिलाल)

देना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में कथन यह है कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले शराब के बारे में तथ्य उठे थे कि अनधिकृत दुकानें गांवों में संचालित-रत हैं, उसी वृत में संचालित-रत है लेकिन अनधिकृत काउन्टर्स जो खुले हुए हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो इसलिए पुलिस और आबकारी अधिकारियों में दो करोड़ रुपये प्रति माह के हिसाब से देने पड़ते हैं। यदि इस व्यवस्था को आज के दिन रेगुलेट कर दिया जाता है तो,मैं समझता हूं कि वह दो करोड़ रुपया जो इन अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में देना पड़ता है वह राशि हमारे स्टेट को रेवेन्यू का रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि माननीय आबकारी मंत्री महोदया इसके बारे में एक समिति का तत्काल गठन करें क्योंकि कई ठेके निरस्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं और इसका कारण है आबकारी नीति। इसलिए इसकी और तत्काल ध्यान दें अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो वांछित राशि स्टेट को प्राप्त होनी वह प्राप्त नहीं होगी और जो हमारी योजनाओं में जो हमने अजम्पशन कर रखा है कि इतनी राशि आबकारी विभाग से आयेगी जो हम योजनाओं में खर्च करेंगे, वह पैसा योजनाओं में खर्च नहीं हो पायेगा। उसके कारण से भी हमारे बजट पर इसका विपरीत असर भी पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया। माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक ताबज्जु तो इस बात का है कि मांग संख्या 41 और मांग संख्या 13, इनमें कितना विरोधाभास है। मांग संख्या 41 है वह तो स्वस्थ प्रजातन्त्र की सबसे बुनियादी चीज कहा गया है, वह संस्था है और यह आबकारी की मांग संख्या 13 इसके साथ लगा दी, यह कैसा मेल हुआ ? बेमेल चीज है यह तो।

श्री गुलाबसिंह (राजपुरोहित) : जैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का मेल हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : 400 करोड़ रुपये मिलेंगे तो डवलपमेंट के काम होंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह बात तो बिलकुल सही है आपकी कि सरकार चलाने वालों को इस बात की चिन्ता है कि 400 करोड़ रुपये की जो यह हमारी इतनी जबर्दस्त आय है वह वह चली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि भारत सरकार की नीति के मुताबिक यदि आप पूर्ण नशाबन्दी करेंगे तो पहले साल आपको 60 पर्सेण्ट रिएम्बर्समेंट होगा और दूसरे साल में 50 पर्सेण्ट उसके बाद 50 पर्सेण्ट होता रहेगा। मात्र 200 करोड़ रुपयों के लिए आप लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं लोगों की जीवनलीला को समाप्त कर रहे हैं। शराब पीने वाला हर व्यक्ति डिस्फिगर्ड। आप यहां देख लीजिए जिनके पेट बढ़े हुए हैं, आप मान कर चलिए कि वह शराब पीते हैं। मैं कह रही हूं कि वह सब शराब पीते हैं, आप इन्सानों को डिस्फिगर्ड कर रहे हैं, जहरीली शराब पिलाकर हर साल आप मौत के घाट उन्हें उतार रहे हैं। (व्यवधान)...आपके हंसने की बात नहीं है। यह गम्भीर विषय है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रासिंह : भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को आप संस्कार रहित बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्या आप में हिम्मत नहीं है? यह कोई जवाब नहीं हुआ कि आप कसे थे, हमने मद्य निषेध किया आपने चालू कर दिया। फिर आपको मौका मिला है फिर आप कर दीजिए मद्य निषेध। करने दीजिए वापस यह करते हैं तो, इनका काम तो बिगाड़ने का है आप तो सुधार कीजिए, आपको किसने रोका है? इसलिए इस विषय मे मैं केवल इतना ही कहते हुए, क्योंकि मैं जानती हूं आपकी मजबूरियां कि नहीं आप में यह हिम्मत है और श्री भैरोंसिंहजी में तो हिम्मत हो ही नहीं सकती है। वह तो केवल वाक् पटुता के जरिये चाहे सदन में हो, चाहे बाहर कोई उनकी पब्लिक मीटिंग हो चाहे सैन्ट्रल में कहीं मीटिंग होती हो वह तो अपनी वाक्-पटुता के आधार पर जोर से अपनी भाषा में बोल कर इन्फेटिकली अपनी बात कह करके एक इन्टेक्ट करते हैं, और एक इन्टेक्ट करना चाहते हैं लेकिन करते-धरते कुछ नहीं है केवल वाणी की पटुता है इसलिए मुझे मालूम है कि यह हिम्मत वह नहीं कर सकेंगे। इसके साथ में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इतना तो कम से कम मेहरबानी करके कर दीजिए कि स्कूलों के पास, मदरसों के पास, मस्जिदों के पास, मन्दिरों के पास, हरिजन बस्तियों में जहां कहीं किसी ने दुकानें लगा रखी हैं उन दुकानों को तो हटा दीजिए। इतना तो कम से कम आप काम करिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर बड़ी हंसी आयेगी कि झुन्झनू में इल्लिसिट डिस्टिलेशन का काम बड़े व्यापार स्तर पर हो रहा है कॉटेज इण्डस्ट्री के रूप में चलाया जाता है। मैं जिस इलाके से आती हूं, वहां का नाम तो क्या बताऊ, कितनी बार कह दिया लेकिन कोई असर होने वाला नहीं है। एक गांव तो मेरे इलाके में ऐसा है कि जहां केवल इन्सान ही नहीं औरतें भी इल्लिसिट डिस्टिलेशन का काम करती हैं, व्यापक स्तर पर करती हैं। पुरुष तो पीते ही हैं, वहां के पशु पीते हैं, गायें पीती हैं, बकरियां पीती हैं और लोग मुझे शिकायत करते हैं.... (व्यवधान) मजाक नहीं कर रही हूं, ईमानदारी से कह रही हूं कि जब मैं गांव में गई तो लोगों ने शिकायत की। होता क्या है जब आबकारी और पुलिस के लोग गांव में पहुंचते हैं तो....

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : नाम भी बता दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बता दूंगी, फिर अलग से मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि फिर वोट नहीं मिलेंगे मुझे इसलिए वह तो नहीं बताऊंगी। आपको अलग से बता दूंगी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : वोट का डर सब को है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपने अपने आप स्वीकार कर लिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या, स्वीकार कर लिया? यह तो फैक्ट है, सत्य है। आज आपमें किसी में है हिम्मत कहने की।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस मामले में तो आप भी कमजोर हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, कमजोर मान लीजिए। वोट के मामले में कमजोर हूं, वैसे तो नहीं हूं। मैं निवेदन कर रही थी कि जब किसी पुलिस वाली जीप वहां पर पहुंचती है या आबकारी वाले पहुंचते हैं तो वह लोग क्या करते हैं कि घड़ों को बखेर देते हैं, बिखेर देते हैं तो एक तरह से नाला चलता है, उस नाले में से बकरियां, गायें पीती हैं। उसके बाद में उनका दूध सूख जाता है और वह वहीं बैठी रहती हैं, न घर आती हैं, न चारा चरती हैं और न कुछ करती हैं। मजाक की बात नहीं है, मैं सच कह रही हूं आपसे वह वहां पर बैठी रहती हैं, मस्ती के अन्दर मस्त हुई बैठी रहती हैं और देखती रहती हैं कि कब बिखरे और कब पीने को मिले।

मैं कहती हूं कि, आबकारी मंत्रीजी, यह इल्लिसिट डिस्टिलेशन के सम्बन्ध में आप कोई निर्णय करें। आप आबकारी की अपनी इन्कम का लालच तो नहीं छोड़ सकते लेकिन इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है, अवैध शराब बनाने का काम होता है इस पर तो कुछ अंकुश लगाएं ताकि पशु तो खराब नहीं हों, आदमी तो खराब हो गए यह मैंने पहले ही कह दिया लेकिन पशु खराब न हो जायं जो प्रदेश की एक बहुत बड़ी इन्कम है। इस पशुओं को बर्बाद होने से बचाया जाय।

इसी के साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पर पहले पंचायतें बनी हुई थीं, पूर्व में और जिन पंचायतों को बड़ा मानकर आपने दो हिस्से किए हैं और इस तरह की जो पंचायतें बनाई हैं उनके बारे में मेरी निश्चित तौर से एक शिकायत है और वह शिकायत यह है कि ऐसी पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि पहले एक थी इसलिए नोटिफिकेशन का सवाल नहीं था। एक दिन, जिस दिन रिपोर्ट भेजनी थी उस दिन बैठकर उस गांव की पंचायतों का बाइफ्रकेशन करके दो पंचायतें बना दीं। दो पंचायतें बनाई उसके सम्बन्ध में कोई पैरामीटर्स तय नहीं किए गए, पैरामीटर्स का कलक्टर ने पालन नहीं किया और बिना पैरामीटर्स के इस तरह की पंचायतें बनी हैं उन पंचायतों को रेक्टिफाई करने की, उनका पुनर्गठन करना नितान्त आवश्यक है।

मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं, वैसे तो कई मिलेंगे लेकिन मैं एक पंचायत बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि चिड़ावा शहर के पास में एक गांव है ओजटू, ओजटू रेवेन्यू सर्किल के अन्दर है शोपुरा, गोदारा का बास, गोदारा का बास और ओजटू गांव का ही रेवेन्यू विलेज था जो थोड़े दिन पहले, साल भर पहले अलग रेवेन्यू विलेज हुआ। रेवेन्यू सर्किल के अन्दर थे दोनों गांव, उन दोनों गांवों को, चिड़ावा से आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव थे उनको हटाकर 6 किलोमीटर की दूर पर, तहसील और पंचायत समिति में तो सब होते हैं यह तो बात मेरी समझ में आती है, पर विपरीत दिशा के अन्दर ले जाकर एक पंचायत का मुख्यालय बना दिया इस्माइलपुर। इस्माइलपुर यदि बीच में आए, शोपुरा में, आबादी ज्यादा है शोपुरा की, वह बीच में पड़ता है, वह चिड़ावा के नजदीक है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्यों साहब ? बात तो कह लेने दीजिए जो एक तरह से किया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : बहुत अच्छी बात कह रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कान्क्ल्यूड ही कर रही हूं।

मैं निवेदन यह कर रही थी कि चिड़ावा पंचायत समिति हैड क्वार्टर है, तहसील हैड क्वार्टर है इसलिए हर आदमी आने वाला वहां पर आयेगा, शोपुरा की आबादी ज्यादा है बीच में पड़ता है लेकिन शोपुर को हैड क्वार्टर नहीं बनाया और इस्माइलपुर को बना दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि 6 किलोमीटर दूरी, जिसका रेवेन्यू विलेज अब तक था शोपुरा और गोदारों का बास दोनों, उनको उसमें निकाल कर एक अलग कोई गांव में ले जाकर, जिसकी कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी है उन दोनों गांवों से, उसे मुख्यालय बना दिया। यह क्या तुक की बात है, यह क्या पैरामीटर्स तय किए आपने ? इसके लिए न कोई आपने किसी तरह का गजट नोटिफिकेशन निकाला ताकि लोग उसका आब्जेक्शन कर सकें। यह तो बाई चांस किसी ने देख लिया, उसने बता दिया और बताने के बाद अब तो टाइमली आब्जेक्शंस कर देंगे लेकिन इस तरह से हुआ है मैं समझती हूं कि इस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही करके ठीक करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मेरा एक कटौती का प्रस्ताव यह भी था कि पुराने जो सरपंच थे, जो पैसा खा गए और अधूरी इमारतें पड़ी हुई हैं, जहां पर पूरी छत तक ले गए और छत के बाद बिना छत के स्कूलों के भवन पड़े हुए हैं। अब परेशानी यह हो रही है कि उन लोगों ने पैसा तो पूरा उठा लिया और काम करवाया नहीं। अब उनका अपूर्ण काम कैसे पूरा हो। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि न तो ऐसे मामलों में आप उनसे रिकवरी कर सकते हैं, पर काम कैसे पूरा हो, पैसा उठा लिया और ना ही उन्होंने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिया लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है। इस प्रकार की जो इमारतें अधूरी पड़ी हुई हैं उन इमारतों को पूरा कराने के बारे में आपको निश्चित तौर से सोचना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तक जितने सुझाव आये हैं उनमें वास्तव में अवैध दुकानों के बारे में जो मन्दिरों के पास है उसके कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं खास करके विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बारे में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी जहां कानोता से लेकर जटवाड़ा तक जहां 14 दुकानें, कानोता, हीरावाला, बासखो, तूंगा, पाटन लवाण, नायला, झर्र, बांसको रेल्वे स्टेशन, गोठड़ा, जटवाड़ा इन गांवों के अलावा पाटन, कोट खावदा, गरुड़वासी, बस्सी कस्बे में चार जगह रेगरों की बस्ती में कल्याणगंज में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

मन्दिर के पास और बस स्टेण्ड और रेल्वे स्टेशन के पास गुढ़ा मोहनपुरा, करीब-करीब विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों के अन्दर 74 जगह ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। शिकायत करने पर पहले 90 के करीब पूर्व दस साल से वहां पर लगी हुई हैं अभी भी उनमें से मात्र 19 दुकानें हटी है करीब 74 दुकानें अभी भी लगा रखी हैं, कहीं थड़ियां बना कर शराब की दुकानें लगा रखी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो दुकानें सचालित है वे क्या सभी नियमानुसार आबकारी विभाग से स्वीकृति लेकर लगाई गई हैं? या नहीं, यदि नहीं तो इनके बारे में आप शीघ्र कार्यवाही करके इनको हटाये जाने की कृपा करें। मैं आपको निवेदन करूं अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में, अवैध शराब निकलती है उसके पीने से करीब 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें मे चार व्यक्ति शराब पीकर के और रोड पर पड़े हुये बांसको रेल्वे फाटक के पास में तीन व्यक्तियों की शराब के अवैध ठेके के ऊपर, बारी बारी से 6 महीने के अन्दर, शराब पीकर पड़े रहने से एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से कानोता के पास में मृत्यु हुई, इसी प्रकार डेडपुरा गांव में अवैध शराब, जो कच्ची शराब निकलती है उसके पीने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, बांसको गांव के अन्दर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आबकारी अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं यह सब उनकी मिली भगत का ही कारण है कि अवैध दुकानें चलती हैं। बार बार शिकायतें करने पर भी आज तक उन दुकानों को नहीं हटाया गया है। बल्कि जांच जेर रिपोर्ट भेजी गयी है उसमें लिखा गया है कि वहां दुकानें नहीं है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कभी आप अचानक जाकर चैक करना चाहें तो मैं आपको चलती हुई अवैध दुकानें बता सकता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन अवैध दुकानों को बन्द किया जाय। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े ठेके दिये जाते हैं उनको छोटे ठेकों के अन्दर जैसा माननीय श्रीकान्तजी का प्रस्ताव था, मैं भी उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जिस दुकान की आवश्यकता हो उसी के अनुरुप ठेके छोड़े जायें जिससे छोटे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को भी ठेकों का लाभ मिल सके। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, अमूल्य सुझाव जिनके आने थे आ चुके और अभी माननीय मंत्रीजी के प्रवचन भी होने हैं। साढ़े आठ बज गये हैं। रामसिंहजी क्या बोलेंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हाउस की इच्छा भी यही है कि अमूल्य सुझाव आ चुके हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : मुश्किल से चार वक्ता और हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भांग के ठेके चाकसू और बस्ती में लगे हुये हैं उन भांग के ठेकों के साथ-साथ अवैध अफीम का धन्धा धड़ल्ले से हो रहा है, इसकी भी जांच करके उस पर रोक लगाई जाये। मैं इसके साथ ही माननीय पंचायत राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

शालायें, जिन गांवों की आबादी पांच सौ या पांच सौ से ज्यादा है ..

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्ता है उनको सबको बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उन गांवों में जहां प्राथमिक शालायें नहीं हैं उन गांवों में स्कूल खोले जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब बिराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय पंचायत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि जिन पंचायतों में इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया है और उन पंचायतों की जो चरागाह भूमि को इण्डस्ट्रियल एरिया में एक्वायर कर लिया है और वह सैंकड़ों बीघा जो जमीन है और जिनकी आमदनी है वह आमदनी उस विधान सभा क्षेत्र में लगाई जाये या उस पंचायत समिति में लगाई जाये यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। साथ ही हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों में जो हैण्ड पम्प मिस्त्री लगाये गये हैं उन हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को पी. एच. ई. डी विभाग को वापस दे दिया जाय। पंचायतों में वह ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी (अनुपस्थित)

श्री मदन दिलावर ।....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी सरकार ने पंचायतों का पुनर्सीमन और जो पुनर्गठन की बात की है वह बहुत सराहनीय है क्योंकि छोटी पंचायत होगी तो उसकी ठीक प्रकार से देखरेख हो सकेगी, ठीक प्रकार से उसका विकास हो सकेगा इसलिए यह बहुत सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। मैं सामुदायिक विकास के ऊपर बोल रहा हूं उसमें जीवनधारा के कुओं की बात आती है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्व सरकार ने कई प्रकार से उसमें बन्धन बांध रखे हैं, जिसको अनुदान दिया जाता है किसान को वह किसान बहुत परेशान होता है और थर्ड किश्त का नाम लेकर के उसको घुमाते रहते हैं कि जो थर्ड किश्त या अन्तिम किश्त है वह कुआ पूर्ण होने के बाद दी जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े सतरह हजार रुपये हम देते हैं, आज कुआ चालीस हजार रुपये में बनता है और उसको 12 हजार रुपये देने के बाद हम कहते हैं ... (व्यवधान) साढ़े 17 और साढ़े 24 हजार मिलता है न कि 27, आप जानकारी कर लीजिए, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि 40 हजार रुपये खर्च करेगा फिर जा करके अन्तिम किश्त लेगा। मेरा इसमें इतना निवेदन है कि नाप के अनुसार उसका भुगतान करते रहना चाहिए जिससे काश्तकार को परेशानी ना हो। इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामसिंह विश्नोई : वह दुरुपयोग करेगा इसलिए गवर्नमेंट ने जो बंदिश लगाई है उससे फायदा होगा, उसका कुआ बनेगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे केस है जो कुयें गिर गये हैं

(श्री मदन दिलावर)

और उनको भुगतान नहीं हुआ। अगर वह साढ़े सतरह हजार रुपये मिल जाते तो छः हजार, कुछ उसने अपने घर से लगाया था कुछ वह लाता तो वह कुये को पूरा कर सकता था। मेरा ऐसा सुझाव है। इसी प्रकार से डी. आर. डी. ए. में एक लिफ्ट योजनायें चालू की है और लिफ्ट योजनायें बनती हैं उससे सिंचाई की जाती है लिफ्ट के माध्यम से उसमें मेरा एक निवेदन है कि जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, नदियों में स्टोक नहीं है वहां पर हमें सामुदायिक ट्यूबवेल खुदाकर, लिफ्ट से जो सिंचाई करते हैं उसको बदल करके ट्यूबवेल के माध्यम से लोगों को सिंचाई करने के लिए खुला कर देना चाहिए। इसमें बन्धन है कि जहां पानी का भण्डार है वहीं से पानी लिफ्ट करेंगे और फिर सिंचाई करेंगे। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नदियों में पानी नहीं है, नदियां हैं ही नहीं ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल लगाकर के ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन को सिंचित किया जा सकता है जिससे गरीब काश्तकार को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आई. आर. डी. पी. के तहत काश्तकार को जानवर खींचने के लिये, दुकान लगाने के लिए कई प्रकार के ऋण देते हैं। बिचौलिये बीच में आ जाते हैं और 200 रुपये कौन ले लेता है, 300 रुपये कौन ले लेता है और काश्तकार के पास, आशार्थी के पास 50 प्रतिशत राशि भी नहीं पहुचती, 50 प्रतिशत राशि का माल उसके पास पहुंचता है। मेरा निवेदन है कि यदि उसको लाभ देना है तो उसको सीधा चैक के माध्यम से उसको दे देना चाहिए। वहां एक्सपेरिमेण्ट के तौर पर किया जा रहा है, कुछ जिलों में और कुछ पंचायत समितियों से प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं कि यह प्रयोग सफल है और इस प्रयोग को पूरे राजस्थान में लागू कर देना चाहिये। बाईदवे इसमें कुछ शका पैदा करते हैं हम लोग भी और अधिकारी लोग भी कि उस पैसे का मिसयूज होगा, उस पैसे की शराब पी जायेगा और लगायेगा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, होता भी यह है। जिसकी मनःस्थिति यह बन गई कि चोरी करनी है तो वह चोरी करेगा ही। आधा पैसा वह खायेगा और आधे पैसे का सम्मान हाथों-हाथ बेच करके वो दारू पी जाता है, पैसा का मिसयूज होता है। मेरा निवेदन इसमें इतना है कि डाइरेक्ट सारा पैसा उसके पास पहुचे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन यह है कि लीकेज नहीं हो, पैसा सीधा उस किसान के पास पहुंचे, उस आशार्थी के पास पहुंचे, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति यहां एस. एस. ओ. से मिलती है। मेरा इसमें निवेदन है कि जिला हैड क्वार्टर से ही प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति दी जाय ताकि जो तुरन्त लाभ देना चाहते हैं, उसमें ज्यादा विलम्ब न हो और तुरन्त ही लिफ्ट सिंचाई की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज आबकारी विभाग की मांगों पर बहस हो रही है। सबने शराब को कोसा है या

(श्री सम्पतसिंह)

शराब की तारीफ की है. किसी ने भांग को, गांजे को. पोस्त को, डोडा को, इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई... (व्यवधान)

डा हरिसिंह : आप चर्चा कर दो।

श्री सम्पत सिंह : मैं क्या कर दूं, कोई कर ही नहीं रहा है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्दिरा आवास योजना है... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाकी सब चीजें तो शांत करती है, ये शराब उत्पात मचाती है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास योजना के बारे में मेरा यह कहना है कि आठ या 10,000 रुपये हम उसको अनुदान के रूप में देते हैं उससे मकान बनवाते हैं लेकिन 8 या 10 हजार रुपये में कोई मकान नहीं बनता लेकिन उसमें पाबन्दियां लगाई हुई है कि शौचालय भी इसमें बनेगा, स्नानघर भी इसमें बनेगा और छोटी सी जगह में इतना सब कुछ हो जाता है कि वो नहीं बन पाता....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा निवेदन है कि गांवों में यह सम्भव नहीं है और ठीक भी नहीं है और शौचालय को साफ करने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं होता है इसलिए इसमें मेरा निवेदन यह है कि शौचालय और बाथरूम पास में ही बनाये जायं और उस मकान को स्वतत्र रूप से रहने देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये दिलावरजी। एक मिनट खाली।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत अटरू में 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा जीप चल चुकी है और वह कई दिनों से खड़ी है। यदि उसको कहीं 5 किलोमीटर के लिए भी ले जाना पड़ता है तो 25 बार धक्का लगाना पड़ता है इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि अटरू पंचायत समिति में शीघ्र ही जीप दिलावें।

इसी प्रकार से बारां डी. आर. डी. ए. में सी. पी. ओ. नहीं है, डी. पी. ओ. नहीं है और कई पद खाली हैं इसलिए विकास का काम अवरुद्ध है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सी. पी. ओ., डी. पी. ओ. तथा अन्य अधिकारी हैं, उनको तुरन्त भेजें। इससे विकास को गति मिलेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीलाल जी गुर्जर।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी और सामुदायिक विकास की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में सुझाव के तौर पर केवल संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। आबकारी विभाग के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि टेन्डर काल किये जाय, गारंटी की रकम बढ़ाई जाय, राज्य की राजस्व आय बढ़ाई जाय। मुझे इस नीति पर एक युक्ति याद आती है। "कौड़ी सांचे, तीतर खावे, पापी का धन परले जावे।"

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

आज सरकार की यह नीति बन गई है, लोक नीति को छोड़कर चाहे जनता का स्वास्थ्य बिगड़े चाहे जनता में कितनी ही सामाजिक कुरीतियां आ जाय, चाहे जनता को अनियंत्रित मूल्य के द्वारा किसी तरह से लूटा जाय लेकिन सरकार को केवल आमदनी बढ़ाने से मतलब है। इसलिए मेरा एक सुझाव यह है कि इस लोक नीति के सामने सरकार शराबबंदी लागू करे।

दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब के वृत्त बनाये हुए हैं राजस्थान में, बताया गया कि 123 वृत हैं और उन 123 वृतों में बड़े-बड़े ठेकेदार अपने ठेके ले लेते हैं, छोटे आदमी को उसमें मौका ही नहीं मिलता है। अगर आपकी शराबबंदी की नीति आप लागू न करें तो कम से कम इन बढ़े सरमायदारों को, बड़े माफियों को तो आप मौका न दें। ये वृत आप छोटे-छोटे बनाइये। इसको आप को-टरमिनेशन विथ तहसील कर दीजिये ताकि अधिक लोगों को इसमें मौका मिले और बढ़े ठेकेदार जिस तरह से करते हैं आर्थिक अपराध वगैरह, उससे बचें और छोटे लोगों को इसमें मौका नहीं मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा निवेदन मैं संक्षेप में ही अर्ज कर रहा हूं और केवल सुझाव के रूप में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाज में जिस तरह की एक कुरीति है उसी तरह से अफीम की भी एक बहुत बड़ी कुरीति है ओर लोगों के जहां मौत-मरगत होती है, वहां पर दो-दो किलो अफीम लोग इस तरह के मौकों पर काम में लाते हैं और यह सारा इसलिए होता है कि यह एक सामाजिक कुरीति है लेकिन आर्थिक अपराध करके ये लोग वहां पर अफीम का सेवन करते हैं तो गांवों में जो अफीम के आदी लोग हैं उनको आप मुक्ति शिविर लगा करके इसे छुड़ाने की कार्यवाही कीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आपका सब्जेक्ट आ गया है। अफीम पर ये बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : फिर भी अफीम मुक्ति के शिविरों से यदि कोई स्वास्थ्य या और किसी कारण से वो अफीम न छोड़ सकें तो ऐसे लोगों के लिए आप मेडिकल डिपार्टमेंट से लाइसेंस की प्रणाली जारी कराइये और ये लोग अफीम की चोरी-छिपे लेकर के आर्थिक अपराध करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उनके लिए आप ठेके कायम कराइये और आप उनको नियमित रूप से ठेकों से अफीम दिलवाने की व्यवस्था कराइये तो ज्यादा ठीक रहेगा।

मैं इसी सम्बन्ध में सामुदायिक विकास की मांग पर संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। यह जो पुनर्गठन करने वाली बात है, इसमें जो बड़ी भारी असंगति उत्पन्न होगी और हो गई है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपने कुछ नगरपालिकाओं को भंग करने की बात की है। एक नगरपालिका में 15 से 20 हजार की जनसंख्या है और आपने पचायतों को बढ़ाने का जो मापदण्ड बनाया है कि 2 से 5 हजार तक की जनसख्या में एक पंचायत और एक तरफ आप नगरपालिकाओं को तोड़कर उनको भी वापिस पंचायत बना रहे हैं। एक

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

पंचायत आपकी 20 हजार की होगी और एक पंचायत 2,000 से कम की कभी हो सकती है जिसका उदाहरण मेरे यहां है। 1500 की एक पंचायत बनाकर भेजी गई है। एक पंचायत 1500 की जनसंख्या पर है और एक पंचायत आपकी 20,000 की जनसंख्या पर रहेगी। माण्डल नगरपालिका को तोड़ दी, वह पंचायत बनेगी। आसींद को तोड़ेंगे या और किसी को तोड़ेंगे। 60 ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनको आप तोड़ने जा रहे हैं तो फिर आप इनके लिए पंचायतें 20-20 हजार की बनायेंगे, आपका लोजिक यह है कि छोटी पंचायतें बढ़ें तो फिर इनके लिए आप क्या सोच रहे हैं ? यहां पर जो असंगति हो रही है, उसके अन्दर यह जो छोटी पंचायतें बनाई जा रही हैं, प्रत्येक पंचायत में आप एक ग्रुप सचिव देंगे। अभी करीब साढ़े सात हजार पंचायतें हैं और आप 2,000 की पंचायतें बना रहे हैं तो इससें करीब 15,000 के करीब पंचायतें हो जायेंगी तो आप पंचायतों की व्यवस्था के लिए इतने ग्रुप सचिव दे सकेंगे जबकि आज भी एक-एक ग्रुप के सचिव के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है कि आप अगर इन पंचायतों को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सामुदायिक विकास और गांवों के अन्दर तीन तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं, आपके ग्रुप सचिव काम कर रहे हैं, कृषि विभाग के ग्राम सेवक काम रहे हैं, सहकारी समितियों के व्यवस्थापक हैं। आप इस मामले को प्रशासनिक एवं कार्मिक सुधार विभाग से एग्जामिन करवाइये और इनको एक्वीलेंट करके, इनकी ड्यूटीज को एकीकृत करके इन एजेंसीज को आप एक करिये ताकि ये जितने भी लोग हैं, ये सब पंचायतों में इस तरह से व्यवस्थित हो जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में केवल सुझाव के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, तो आप इस तरह से व्यवस्था करायें। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत सी पंचायतें जियोग्राफिकली ऐसी हैं कि उनका दूसरी जगह जाकर के सम्बन्ध हैं। यानि उदयपुर जिले की एक पंचायत है जैतगढ़ जो मेरे आसींद पंचायत समिति के बीच में है। इसी तरह से अजमेर जिले की एक पंचायत टाटगढ़ जो बीम पंचायत समिति के बीच में जाकर है। इसी तरह से उड़ा पंचायत समिति की एक पंचायत है दांतड़ा, मेरे आसींद के अन्दर है। इसी तरह से राजसमन्द जिले की पंचायत है, यहां ब्यावर के नजदीक है तो इस तरह से जियोग्राफिकली असंगत हैं तो उन पंचायतों को कम से कम आप इस पुनर्गठन में उन्हें सम्बन्धित क्षेत्र में मिलाने का कष्ट करें। यह बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से यदि होगा तो उन लोगों को सुविधा मिलेगी। इसका आप इस पुनर्गठन के पहले इस बिन्दु को आप जरूर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर : मैं 2 मिनट ओर लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट दे देते हैं आपको।

श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव से सारे परिचित हैं।

श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपका जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम है गांवों में शौचालय वगैरह का। आप गांवों में शौचालय वगैरह बना रहे हैं लेकिन इनके लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो शौचालय बना रहे हैं उस पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे तो अच्छा यह है आप व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की फ्लस लेट्रीन के लिए अनुदान दें तो यह ज्यादा ठीक रहेगा। गांवों में आप शौचालय बना देते हैं लेकिन उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसी तरह से ये गांवों में हैण्ड पम्प हैं और आदमियों व मवेशियों के पीने के पानी की समस्या हो रही है लेकिन गांवों में क्या हो रहा है? एक हैण्ड पम्प का पानी बहकर गांवों में अस्वच्छता और गंदगी पैदा कर देता है तो आप कम से कम हैण्ड पम्प के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि मवेशियों के लिए पो बनें, वहां पानी की व्यवस्था हो और जो पानी बचे तो वृक्षारोपण के काम आवे। इसी तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। यह क्या कर रहे हैं। हाउस की भावनाओं का भी आदर कीजिए। आपके सुझाव बड़े सुन्दर हैं। ठीक 9 बजे जवाब शुरू करवाना है। बिराजिए आप। श्री अमृतलाल परमार।

श्री अमृतलाल परमार : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने सुझाव पेश करूंगा और एक कविता भी सुनाऊंगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता, अपने कांग्रेसी भाइयों ने अभी आबकारी मंत्री के ऊपर आक्षेप लगाया था। अगर नहीं पीया है तो इनकी हालत यह थी और पीया होता तो इनकी क्या हालत बनती? और इसी नशे में वे बोले हैं। पीता नहीं, पिलाई गई। अब मैं एक कविता की दो लाइन बोलूंगा।

"भांग मांगे बछपचिया और गांजो मांगे घी,
दारू मांगे जूत और मन हो तो पी।"

इसी प्रकार मैं आबकारी मंत्री को और सुनाना चाहूंगा कि दारू पीने के बाद क्या हालत बनती है और अपनी सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और दारूबंदी करनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा कि—

"जीवन एड़ गमायो रे दारूड़िया,
घणो धन गंवायो रे दारूड़िया"

श्री उपाध्यक्ष : Please change your tone.

श्री अमृत लाल परमार : मैं गलत नहीं बोलूंगा। मैं इसी सम्बन्ध में बोल रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

श्री अमृत लाल परमार : मैं राजस्थानी भाषा में बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप लय में मत बोलिए। लय मत लाइये। (व्यवधान)

श्री अमृत लाल परमार : इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए।

(श्री अमृत लाल परमार)

"दारू पीयन तू तो घर जो आयो,
थारी लुगाई थारी सांगेड़ी कीनी,
ऊपर मारबा न लकड़ी हाथ में लीनी,
मारन अधमुई कीनी रे दारूड़िया,
तोई लाज न आवे रे दारूड़िया।"

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री अमृत लाल परमार : अब मैं मांग संख्या 13 के बारे में अपने सुझाव पेश करूंगा। कच्ची बस्तियों के अंदर, झुग्गी बस्तियों के अन्दर मेरा जो गरासिया एरिया है उस एरिया के अंदर और जहां मंदिर हैं, स्कूलें हैं, सराय हैं, अस्पताल हैं वहां जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन पर अविलम्ब पाबन्दी लगानी चाहिए। पूर्व हमारे मंत्रीजी, उनके पास मैं स्वयं 5-6 बार गया हूं। मेरे बाली क्षेत्र में इस प्रकार की अनेक दुकानें हैं। मैंने किया तब हमारे मंत्री महोदय यह बताते हैं कि ये सीमा की परिधि में नहीं आते हैं तो यह सीमा का हमें बताइये कि सीमा क्या होती है ? हमको सीमा बताई जाय ? अगर ये सीमा की परिधि में नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि जगह-जगह शराब बनाने का ठेका दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय दयाराम जी परमार।

श्री अमृत लाल परमार : और मेरी मांग है कि जो अवैध धंधे चल रहे हैं शराब के उनको अविलम्ब बंद किया जावे। हमारे बाली क्षेत्र में यह हालत है कि जहां-जहां शराब की दुकानें हैं वहां से भला आदमी कोई निकल नहीं सकता, आज औरतें निकल नहीं सकतीं। वहां जीना हराम हो गया है और उसका बच्चों पर असर पड़ता है। हमारे गरासिया क्षेत्र में अवैध धंधे चल रहे हैं उन गरासियों को जिनको खाने के लाले पड़ते हैं, हालत जिनकी खराब है उसके बावजूद भी वे शराब के लिए चोरियां करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप।

श्री अमृतलाल परमार : अतः निवेदन है कि यह धंधा अविलम्ब बन्द करना चाहिए और दारू पर पाबन्दी लगनी चाहिए। पूर्व सरकार ने भी इस प्रकार कोई काम नहीं किया है अगर यह सरकार दारू बन्द करेगी तो यह हमको जिताने में मदद करेगी। इसका राजस्थान की जनता पर असर पड़ेगा और जो विशेषकर गरीब जनता है उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दयाराम जी। प्लीज सिट डाउन। ठीक 9 बजे जवाब शुरू कराना है। आप बिराजिए। माननीय दयाराम जी। प्लीज सिट डाउन। आप बिराजिए।

श्री अमृतलाल परमार : इस प्रकार पंचायतों का जो पुनर्गठन हो रहा है यह पुनर्गठन अवश्य होना चाहिए। यह अच्छी बात है। मेरी मांग है कि चुनाव भी अविलम्ब कराये जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजें आप। माननीय दयाराम जी। ये आखिरी वक्ता हैं। आपको 5 मिनट मिलेंगे। अच्छा बोलते हैं ये।

श्री दयाराम परमार : (खैरवाड़ा)

(श्री दयाराम परमार)

उपाध्यक्ष महोदय, आज आबकारी पर जो चर्चा हो रही है मैं इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आखरी वक्ता हू इसलिए मेरी बात को तवज्जो दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के बारे में और नशाबन्दी के बारे में इस सदन में जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए उससे मैं सहमत नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार के पास 400 करोड़ रुपया शराब की बिक्री में आता है। शराब की बिक्री से 400 करोड़ रुपया आता है तो हमारे प्रदेश में रहने वाला आदमी शराब को पीता है। जब शराब हमारे प्रदेश में रहने वाला आदमी पीता है और उसके लिए हम कानूनी रूप से उसको बन्द करके और फिर सदन में आकर यह कहें कि वहां पर दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं, जहरीली शराब पीकर लोग मर गए और स्कूलों के पास दुकानें हैं, न मालूम हम क्या क्या उस शराब के बारे में कहते हैं लेकिन मैं तो सरकार से यह मांग करता हूं कि एक वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है कि प्रदेश में जनता जो अपनी आवश्यकता महसस करती है और खाने-पीने की जरूरत हो तो उसको मुहैया कराने का सरकार का फर्ज है। तो सरकार को निश्चित रूप से दारू पीने की छूट कर देनी चाहिए। अगर उस दारू की छूट कर दी जायेगी तो बढ़िया क्वालिटी की दारू मिलेगी उसमें जहर नहीं मिलाया जायेगा तो आदमी पीकर मरेगा नहीं। अवैध रूप से जहां दुकानें चल रही हैं वे दुकाने भी बन्द हो जायेंगी और माननीय मंत्री महोदया के ऊपर जो आरोप लगते हैं ठेकेदारों के वे भी नहीं लगेंगे। इसलिए मैं आपकी भलाई व हित के रूप में निवेदन करता हूं कि आप राजस्थान में दारू पीने की छूट कर दें और अगर आप राजस्थान में नहीं कर सकती हैं तो ट्राइबल एरिये में तो आपको निश्चित रूप से महुए की दारू बनाकर हमको पीने की छूट देनी पड़ेगी। आप छूट नहीं देते हो, आप उसको बुराई मानते हो। हम बुराई होते हुए भी हमारी संस्कृति में स्वीकार कर चुके हैं हम इसको छोड़ नहीं पायेंगे और ठेके से 200-300 रुपए की बोतल लाकर पीने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन हम महुए की दारू बनाकर के पीते हैं जो कि हमको 5 रुपए में पड़ती है और उसको बनाकर हम पीते रहेंगे। आपका कानून भी हमको रोक नहीं पायेगा लेकिन पुलिस हमको जबर्दस्ती परेशान करेगी। उस परेशानी से बचने के लिए निवेदन है कि आप छूट देने की आप यहां घोषणा कर दें तो हमारे पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और ट्राइबल समुदाय के लोग जिन्दगी भर आपके अहसानमंद रहेंगे कि एक मंत्री महोदया ऐसी आई जिसने हिम्मत करके हमको दारू पीने की छूट दे दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब आज गुजरात में बन्द है लेकिन गुजरात का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो शराब नहीं पीता हो। आप बन्द कर के उसको नहीं छुड़ा सकते हैं। आज उसको छोड़ नहीं सकते हैं। गुजरात में हमारे वहां से कच्ची महुवा के ट्रक भर के दारू जाती है और गुजराती पीता है, आपकी अंग्रेजी दारू हमारे वहां से ट्रकें भर कर ठेके में सप्लाई होती है, आप कहां उस दारू को रोकना चाहते हो? तो मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में उठ करके ऐसा भाषण करो कि

(श्री दयाराम परमार)

शराबबंदी होनी चाहिए और घर जाकर एक पैग लेकर रोटी खाओ, इस तरह की नीति की बात नहीं कर सकता हूं। हमारे माननीय सदस्यों का पता नहीं कि वह इस तरह से हों, नहीं हों लेकिन हमारे सब के मन में दारू पीने की इच्छा रहती है और अधिकतर लोग दारू पीते हैं इसलिए आप मेहरबानी करके दारू की जितनी बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं पिला सकते हैं, आज गोवा में दारू पीने की छूट है, देश के विभिन्न प्रदेशों से आदमी दौड़-दौड़ कर जाते हैं कि वहां जायेंगे दारू पीयेंगे और पांच दिन रह कर आयेंगे। फिर आप अपने यहां राजस्थान में दारू बंद करके क्या करना चाहते हो? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको महुवे की दारू पीने की छूट दी जाय, नम्बर एक....

(9.00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, दयारामजी। अब विराजिये।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पंचायती राज के बारे में निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : नौ बज गये, आई विल नॉट अलाऊ दयारामजी। माननीय आबकारी मंत्रीजी। अब बिराजिए, प्लीज, परमार साहब, बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना है साहब....

श्री उपाध्यक्ष : डान्ट डिस्टर्ब प्लीज। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक सैकण्ड साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, देखो, कह दिया प्लीज। माननीय आबकारी मंत्रीजी। आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक सैकण्ड खाली। मैं कोई सूचना देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा, बैठ जाइये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक सैकण्ड में क्या फर्क पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : हर बार क्या है, बिराजिए आप। माननीय आबकारी मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो सदन में गाना गा रहे हैं उनको बोलने की छूट है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक सैकण्ड बोलना चाहता हूं खाली।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप ही हैं क्या यहां। बिराजिए आप। सदन में कैसा व्यवहार होता है उसको भी सीखिये थोड़ा, बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। कोई अलाऊ नहीं है, बाद में पूछ लेना। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

मांग संख्या 13 का पारण

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने 158 कटौती प्रस्ताव दिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां भी अपने सुझाव दिये, सुझाव सभी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब आबकारी की मांग पर बहस हो रही है तो फिर मैं एक बार फिर यह रिपीट करना चाहूंगी, मैं यह जानती हूं कि हाउस का मूड बहुत भाषण सुनने का नहीं है बहुत थके हुए हैं इसलिए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कह कर समाप्त करूंगी। एक बार फिर मैं यह रिपीट करना चाहूंगी कि शराब का व्यापार सोसियली सेंक्शन ट्रेड नहीं है और इसलिए यह स्वाभाविक है, इस बात का सबूत यह है कि जो पीने वाला है वह भी जब दुकान से बोतल ले जाता है तो खुली बोतल ले जाना नहीं चाहता, उसको लिफाफे में बंद करके ले जाना चाहता है। कोई भी अपने घर के आस-पास या मोहल्ले में शराब की दुकान नहीं चाहता चाहे वह स्वयं भी पीने वाला हो और चाहे वह शराब का ठेकेदार भी हो....

श्री सम्पत सिंह : मंत्री महोदय, वह अगर खुली ले जाय तो मांगने वाले आ जायं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा समाज शराब पीने वालों को, शराब के ठेकेदारों को और किसी हद तक विभाग को भी बहुत हिकारत की नजर से देखता है। और इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्यों ने जो यहां भावना व्यक्त की है, उनकी फिलिंग्स का आदर करती हूं, उनको एप्रिसियेट करती हूं और किसी हद तक मैं उनको महसूस भी करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 168 के करीब कट मोशन्स आये हैं, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार शायद आबकारी विभाग के इतने कट मोशन्स आयें होंगे वरना इससे पहले तो शराब का विभाग, मदिरा का विभाग, आबकारी विभाग, ठेकेदार, दुकानें, यह सारी चीजें बड़ी दबी-ढकी रहती थीं कोई चर्चा नहीं करता था। यह विभाग जब मेरे पास 90 में आया तो मैंने यह कहा था कि इस विभाग को मैं ओपन करना चाहती हूं क्योंकि दबी-ढकी जितनी स्थिति होगी उसमें करप्शन ज्यादा होगा, उसमें लोगों को दिक्कतें भी ज्यादा होंगी और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं भी ज्यादा होंगी। अब मुझे यह खुशी है कि इतने माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और मुझे विश्वास है कि यद्यपि मैं यह जानती हूं कि विभाग बहुत ओपन क्रिटिसिज्म में आया है, उसके बहुत सारे पाइंट्स सही भी हैं मगर यह व्यवस्थाएं जाते-जाते ही जायेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर मुझे विश्वास है कि यदि यह ट्रेड करना है तो जनता के हित से जनता के हितों के विपरीत नहीं करना है, इन्कम से भी कम्प्रोमाइज नहीं करना है। जनता सरकार के समय में शराबबंदी की थी परन्तु कांग्रेस के आने के बाद वह खोल दी गई। उससे पहले भी आबकारी विभाग चलता था और शराब का व्यापार करते थे। तो यह आय और पैसा तो कमाते थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु जनता पर....

श्री रामसिंह बिश्नोई : इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है कि किसने किया, किसने नहीं किया, आपने तो बंद नहीं की।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं किसी पाइंट तक....

श्री रामसिंह विश्नोई : तो फिर यह बात कहने की कहां जरूरत थी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य, मैं किसी पाइंट पर आना चाहती हूं। इतनी टालरेंस तो रखिये हम भी सुनते हैं, मैं खुद स्वीकार करती हूं कि इसकी वजह से जनता को कठिनाइयां हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे कहने का मतलब है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, जब इसको आपने मंजूर कर लिया, अपन इसको चला रहे हैं अपन इसको बुरा नहीं समझते, अपन इसकी आमदनी ले रहे हैं तो फिर आपको कांग्रेस ने किया या नहीं किया, यह कहने की कहां जरूरत है ...

श्रीमती विद्या पाठक : मैं आगे किसी पाइंट पर आ रही हूं और उसको तो जरा सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रही थी....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, बिराजिए, बिराजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : कि जनता सरकार के जाने के बाद शराबबंदी तो खुली, उसके पहले भी थी, आज भी है मगर जनता पर जितनी ज्यादतियां होती रहीं, उस पर ध्यान कम दिया गया, राजस्व कितना बढ़ रहा है, जो बढ़ता गया, यह बात सही है उस पर सरकार का और विभाग का ध्यान ज्यादा रहा। ठेकेदार लोग के जितना आपस में पिलफ्रेन्ज इस ट्रेड के दबा-ढंका होने की वजह से हो रहा था, जो मैं मजूर करती हूं कि आज भी हो रहा है, अगर थोड़ा स्ट्रिमलाइन और किया जाय तो यह इन्कम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और यह बढ़ेगी। तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सबसे बड़ा इस बात का सबूत यह है कि विभाग में बने नियम और प्रक्रियाएं, जिनसे आज भी जनता तकलीफ पा रही है और जिनमें मूल रूप से सोच बदलने की प्रक्रिया चल रही है, परन्तु यह प्रक्रियाएं और यह नियम उसी वक्त बनाये गये थे अब धीरे-धीरे इनमें परिवर्तन होगा। स्वाभाविक है कि उसमें रेजिस्टेंस आती है। सब तरफ से रेजिस्टेंस आयेगी पर इस रेजिस्टेंस को हमको ओवरकम करना पड़ेगा। परन्तु यह प्रवृत्ति जाते-जाते जायेगी, ओवरनाइट यह नेक्सस तोड़ा नहीं जा सकता। विभाग और ठेकेदार नियमों के बजाय परम्पराओं के जो आदि हो चुके हैं, धीरे-धीरे उसकी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। प्रक्रिया चालू है। फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाजायज शराब की रोकथाम अवैध मदिरा की दुकानों का संचालन रोकने, नियम विरुद्ध प्रक्रियाओं को रोकने, इन सब की पूरी कोशिश की जा रही है। शिकायतें तो अभी हैं पर शिकायतों में कमी जरुर आई है। जिला आबकारी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में अवैध मदिरा की दुकानों का संचालन न हो, इसके लिए 90 में जो आदेश दिये गये थे और उनके सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त हुए हैं, मैं विभाग को कहूंगी कि उसको थोड़ा-सा और सख्ती से पाबंदी करें और अब के अप्रैल के बाद यह देखें कि एक भी दुकान नियमों के विपरीत नहीं रहनी चाहिए। मैं यह जानती हूं कि जनता को कितना कष्ट होता है और माननीय सदस्यों की शिकायत भी सही है। शिकायत वह करते रहें, दुकानें हटे नहीं, यह सरकार के लिए असफल होने की बात है, अच्छी बात नहीं है। इसमें निश्चित रूप

(श्रीमती विद्या पाठक)

से बिल्कुल सुधार किया जायेगा और विभाग को इसके लिए डाइरेक्टली जिम्मेदार बनाया जायेगा। कुछ समूहों के द्वारा पुल बना कर कुछ ग्रुप विशेष के मार्फत ठेकों को बैक आउट करने की भी प्रक्रिया बीच में चलती रही पर उसमें अब सुधार है और सुधार आयेगा। विभागीय गतिविधियां व्यावहारिक तौर पर नियमों से भिन्न संचालित होना पाया जाय तो कड़े कदम उठाये जाने की हिदायत आज ही विभाग को इसी फ्लोर से दी जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आय के विषय में भी माननीय सदस्यों ने कुछ चर्चा की है। इसका टारगेट पिछली बार 260.4 करोड़ प्राप्त हुआ एक्चुअल। इस बार 289 करोड़ हमने इसमें रखा था, बजट में रखा था टारगेट पर उम्मीद करते हैं कि 350 करोड़ के करीब प्राप्त होगा। कुछ अधिकांशतः शिकायतें आई हैं लोकेशन्स के बारे में। कुछ तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह स्थिति ऐसी नहीं है कि जितनी शिकायतें आई हैं उसमें सीधे विभाग ही जिम्मेदार है। माननीय सदस्यों को मैं जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि इसके कुछ नियम बने हुए हैं। हर मन्दिर के पास शराब की दुकान न हो, ऐसा नहीं है। इसके कुछ नियम बने हुए हैं और इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य चाहें तो नोट कर लें। देशी मदिरा की दुकान शिक्षा की शिक्षण संस्थायें जो सीनियर हायर सेकेण्डरी होगी, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, मजदूर बस्ती, मनोरंजन स्थल, हरिजन बस्ती, इनके नजदीक नहीं होगी और हरिजन बस्ती से मतलब नगरपालिका का वह एरिया है जहां 50 परसेन्ट से ज्यादा बस्ती हरिजनों की हो....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने कहा देशी शराब की दुकान नहीं होगी तो क्या अंग्रेजी शराब को हो सकती है ?

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं उसमें भी हम इस तरह की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दूसरे यह भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन मन्दिरों के पास से 200 मीटर की दूरी पर मन्दिर हों, लैसर देन सी. हायर सैकेण्डरी स्कूल हो उसके आसपास से 200 मीटर दूरी होगी। मन्दिर हो, मस्जिद हो या हरिजन बस्ती हो उससे 200 मीटर दूर शराब की दुकान लगाई जा सकती है। उससे कम दूरी नियमों के विपरीत मानी जायेगी।

कुछ कटौती प्रस्ताव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आये हैं कुछ तो नशाबंदी के हैं और अधिकांशतः सुझाव यह आये कि नशाबंदी कर दी जाये। परन्तु नशाबन्दी जहां हुई है, पास में गुजरात है और अभी उदाहरण दिया माननीय टीकमचन्द कांतजी ने, तो वहां हालत इससे भी ज्यादा खराब है बल्कि लोग यह कहते हैं कि वहां तो गणेश जी की सवारी निकलती है तो गणेश जी की मूर्ति के नीचे लोग बोतल रख देते हैं। तो यह माफिया शुरू हो जायेगा वह तो और ज्यादा खराब होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सुझाव बहुत अच्छे आये। एक तो श्री टीकमचन्द जी कांत ने कहा है विभाग के बारे में। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि गारन्टी पूर्ति हुई या नहीं। मैंने जैसा निवेदन किया शिड्यूल टारगेट तो कम था पर 350 करोड़

(श्रीमती विद्या पाठक)

रुपया जल्दी ही एचीव कर लिया जायेगा। उन्होंने कुछ जैसलमेर और दूसरे समूहों की बात प्रक्रिया के बारे में बताई जो मैं विभाग के अधिकारियों से कहूंगी कि इन बातों पर ध्यान रखें और रिकवरी पूरी हों। पुरानी रिकवरी करीब 7-8 लाख की पिछले दो साल पहले थी। शेष यह रिकवरी बहुत स्लो हो रही है क्योंकि जो लोग ट्रेड कर रहे थे उनका कहीं अतापता नहीं है। उनकी कहीं प्रापर्टी का भी पता नहीं है। कोई तांगे वाला है वह भी ठेकेदार बन गया। इस तरह किसी का पता नहीं लग रहा है और इसलिए जितनी भी रिकवरी हो पाती है, बहुत कोशिश होकर हो पा रही है। परन्तु यह बात मैं मंजूर करूंगी कि श्री टीकमचन्द जी कांत का विभाग में पेनीट्रेशन अच्छा है, उनकी जानकारी अच्छी है।

दूसरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांतिलाल जी जो राजसमन्द से पधारते हैं....

श्री सम्पतसिंह : इनकी तनख्वाह वहीं जा रही है।

श्रीमती विद्या पाठक : दूसरे राजसमन्द से पधारने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं, ठेकेदारों की कुछ दिक्कतों की चर्चा की है। सरकार इन ठेकेदारों के प्रति सावधान है और जानकारी रखते हुए उन लोगों की दिक्कतें भी दूर करेगी परन्तु सरकार की रीति-नीति के भीतर और नियमों के भीतर।

बाकी जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सब की मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और जिनका जवाब यहां नहीं हो पाया है उनके जवाब उनके स्थानों पर भिजवा दिये जायेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में इस मांग को पास किया जाये उसके लिए निवेदन करती हूं।

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अभी जो जानकारी दी कि अवैध शराब का निकालना है उस पर काफी रोक लगी है मुझ को तो केवल, माननीय मंत्री महोदया, एक ही जवाब दे दें कि 1991 92 में आपके विभाग ने एडल्ट्रेशन के केसेस कितने कायम किये, कितने बनाये हैं? केवल एक ही जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि आपकी विभाग पर पकड़ भी है और आपका विभाग काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है। पूरे 1991-92 में एडल्ट्रेशन के कितने केसेस आपके एक्साइज विभाग ने बनाये हैं?

श्रीमती विद्या पाठक : एडल्ट्रेशन से क्या मायने हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी बोतलें सील्ड आती हैं जो आई. एम. एफ. एल. की आती है। उसमें एडल्ट्रेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकारी शराब में एडल्ट्रेशन कहां से होगा।

श्री जगमालसिंह यादव : इसका मतलब हुआ कि राजस्थान में आये दिन चर्चा होती है कि धौलपुर में अवैध शराब से इतने मर गए, जहरीली शराब से इतने मर गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जितने शराब के ठेके हैं, जहां आपकी डिस्टीलरी है, जहां राजस्थान गवर्नमेन्ट इसका मैनुफैक्चरिंग करती है, मैं यह नहीं कहता कि वहां पर कोई बनावटी या जह-

(श्री जगमालसिंह यादव)

रीली शराब मिलती है लेकिन क्या, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सदन स्वीकार करेगा कि ठेके पर जितनी शराब मिलती है, जो आपकी डिस्टीलरी से जाती है वह 'ऐज इट इज प्योर' होती है और शुद्ध होनी है ? उसमें शराब के ठेकेदार लेकर कच्ची नहीं मिलाते हैं या केपसूल की नहीं बनाते होंगे ? आपने कितने ठेकों की चैकिंग की. यह बता दें। कितने एडल्ट्रेशन के केसेस 91-92 में आपने बनाये, आप यह बता दें। आपके विभाग की एफीशियेन्सी का पता लग जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी तो कोई गारन्टी लेबल पर लिखी नहीं होती है कि टेस्टेड एण्ड checked इस तरह की तो कोई गारन्टी लिखी नहीं होती है परन्तु शराब की वजह से जो मरे वह ज्यादा पीने की वजह से मर गए या खुद काक्टेल बनाकर कोई चीज और डालकर पीते हों उससे मर गए, या किस वजह से मर गए। यह तो केस टू केस डिफर करता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में ठेके की जो सीमा है, किसी ठेकेदार को आप बन्दिश में लेने के लिए या कन्ट्रोल रोकने के लिए जो छोटे-छोटे ठेके देने के आप हक में हैं या नहीं ? क्योंकि ठेकेदार इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं अपने प्रदेश के अन्दर और आपस में वह झगड़ा पैदा करते हैं। तीन-चार ठेके ले लेते हैं, बड़े डिविजन के ठेके ले लेते हैं उससे उनकी शक्ति बढ़ती है और फिर वह शक्ति का दुरुपयोग करते हैं सत्ता के प्रति–एक तो इसके बारे में बतायें और एक पूरे प्रदेश के अन्दर समान रेट पर शराब मिले, कहीं तो 50 रुपये की बोतल मिलती है कहीं 30 की मिलती है, कहीं 100 की मिलती है। तो समान रेट पर मिले, इसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत रूप से Exclusive Priviledge सिस्टम अपनाया हुआ है इसलिए इसकी सेलप्राइज पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह उस एकांकी विशेषाधिकार नियम में है और यह नियम तो पिछले करीब लगभग 9 साल से चला आ रहा है और आपने कहा, छोटे ठेके बनाने की बात तो 81,82 और 83 सारे समय छोटे ठेके ही थे जिन दिनों की रिकवरी 6 लाख बाकी है। तो यह उस समय की रिकवरी है क्योंकि तब छोटे ठेके थे। तो उनको पकड़ना या साख रखना यह प्रशासनिक तरीके से मुश्किल हो जाता था। फिर भी जो ठेके उठाये जाते हैं दो वर्ष में द्विवार्षिक ठेके के समय हर बार उनका नम्बर बढ़ाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13–आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37 करोड़ 11 लाख 1 हजार तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय सामुदायिक विकास मंत्रीजी,

मांग संख्या 41 का पारण

श्री हरलालसिंह खर्रा (सामुदायिक विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास पर चर्चा हुई और इस मांग पर माननीय 40 सदस्यों ने 76 कटौती प्रस्ताव पेश किये उन प्रस्तावों का जवाब तो है परन्तु समय अभाव में नहीं दे सकता इस समय वैसे हैं मेरे पास, टाइम हो तो मैं दे भी दूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के पास उनके जवाब भेज दिये जायेंगे और उन कटौती प्रस्तावों में खास तौर से पचायती राज का पुनर्गठन, पंचायती राज का चुनाव नहीं कराना.... पंचायत राज का भंग करना, पंचायत राज का चुनाव नहीं कराना और कई माननीय सदस्यों ने अप्रजातांत्रिक तरीके बता दिये, क्या-क्या बताया । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पंचायत राज को भंग नहीं किया और न हमने समय कम किया । पंचायत राज का समय खत्म हो गया था, हमने बढ़ाया नहीं । उससे पहले हमने पुनर्गठन का काम शुरु कर दिया था । अब दोनों बात नहीं चल सकती । एक तरफ तो पुनर्गठन की बड़ाई करते हैं दूसरी तरफ पंचायत राज के चुनाव नहीं करवाने की आलोचना करते हैं । हर पार्टी के सदस्य पुनर्गठन के बारे में प्रशंसा करते हैं और चुनाव नहीं होने के बारे में आलोचना करते हैं । अप्रजातांत्रिक तरीका बताते हैं । यह सरकार भैरोंसिहजी के नेतृत्व में पहले भी 77 और 80 के बीच में रही थी. उन्होंने गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के लिए सबसे पहले हिन्दुस्तान में उस समय काम किया । उससे पहले मैं 57 में सरपंच था, मैंने आपकी पूर्व सरकारों को भुगता है । और गांवों में क्या पैसा देते थे और किस तरह से 59 में पुनर्गठन हुआ वह भी मुझे पता है । आप लोग, पुनर्गठन में सरकार की दखलंदाजी एक तरफा हो रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक सरकार की दखलंदाजी का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ । कलक्टर्स को हमने डाइरेक्शंस दिये और उन्होंने अपने प्रस्ताव बनाकर भेजे । कहां सरकार की दखलंदाजी आ गयी ? अब हमने दुबारा उनको वापस एतराज के लिए कहा है । किसी को एतराज हो तो पेश करे और चुनाव कराने के बारे में हम भी यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों और पचायत राज सुदृढ़ हो । मैं गांव का रहने वाला, पच-सरपच व प्रधान. सब कुछ रहा हुआ, एम. एल. ए भी चौथी बार हूं, जानते हैं इस व्यवस्था को लेकिन एक्ट और परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें थोड़ा डिले हो रहा है ।

अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के सामने प्रश्न रखा था कि यदि आप जल्दी चुनाव कराना चाहें तो कलक्टर्स के प्रपोजल पर हम चुनाव करवा सकते हैं । उस पर एक बार तो सब माननीय सदस्यों ने कहा, करवा दें । उसी समय माननीय परसरामजी मदेरणा ने कहा कि हम चार-पांच दिन बाद आपको बतायेंगे । अब भी मेरा निवेदन है कि सदन चाहे, कानून में बदला-बदली करने के लिए हम तैयार हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि कलक्टर के प्रस्ताव पर चुनाव करवाये जायं तो हमें कोई एतराज नहीं और सुनवाई कर के चुनाव करवाये जाय तो भी हमें कोई एतराज नहीं । सुनवाई जल्दी से जल्दी करवा देंगे । उधर टेलीफोन यह आते हैं कि कलक्टर के प्रस्तावों पर चुनाव नहीं करवाये जाय और यहां आलोचना करते हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे काम हम को पूछकर ही करते हो क्या ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैं निवेदन करूं कि इस डिले के मामले में भी आपके नेताजी के पत्र पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 11 वें महीने में मीटिंग बुलवाई और उसके कारण से भी उसमें डिले हुआ है। उसमें विचार-विमर्श हुआ। कई दिन तक तो जवाब नहीं आया। उसके आने के बाद ..

श्री रामसिंह बिश्नोई : अच्छे काम के लिए कोई पूछने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छे काम के लिए आप राय भी नही देगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अच्छे काम करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा . तो यह विश्वास मानकर चलें कि पचायतों का पुनर्गठन जल्दी से जल्दी करवा कर जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब की बार जब पंचायत राज के नये चुनाव होकर पंचायत और पंचायत राज कार्य करने लगेगी तो आप देखेंगे कि 77 और 80 के बीच में जिस तरह से हमने पंचायत राज को अधिक अधिकार दिये थे अब की बार और ज्यादा अधिकार आप से बात कर के, एक तरह से जिले लेबिल पर सशक्त जिला परिषद और पंचायत की इकाइ ग्राम के लोगों की, सेवा के लिये होगी और हमने पहले 7 हजार तक के पावर उस समय दिये और इस बार 10 हजार तक के कच्चे काम के लिए और 50 हजार तक पक्के काम के लिये हमने इस बार अधिकार दिये और आप लोग जो यह कहते हैं कि अप्रजातांत्रिक व्यवस्था कर रहे हैं, विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे, विकेन्द्रीकरण तो हम कर रहे हैं। पहले जब मैं 57 में सरपंच था उस पंचायत की आज 4 पंचायत हैं। तीन साल में मुझे 3 हजार रुपये विकास के लिये मिले थे। उन 3 हजार का आज 30 हजार समझ लो, 50 हजार समझ लो आज, पंचायतों को खुलकर काम करने की 77 और 80 के बीच में छूट रही और आज भी छूट है। जितना काम पंचायतें कराना चाहें, 50 हजार और 10 हजार के बीच में तो उनको न कोई मंजूरी लेने की जरूरत और न उनके वेल्वेशन कराने की जरूरत। सारे पावर हमने पंचायतों को दिये हैं। तो यह कहना बिल्कुल गलत है और आप विश्वास रखें कि जितना जल्दी हो सकेगा और जैसी आज व्यवस्था चाहें, बैठकर बात कर लें। मैं भी तैयार हूं और सी. एम. साहब भी तैयार हैं। कोई भी संशोधन करना चाहें उसमें कोई एतराज नहीं। पंचायत राज सुदृढ़ हो और मेरी तो यह मंशा है, मेरा दो साल का अनुभव भी है कि इस पंचायत राज में. करोड़ों के घपले हुए हैं 10 साल में और हमने डेढ़ सौ सरपंचों के खिलाफ तो इस साल कार्यवाही करने की मंजूरी दी है। कइयों के खिलाफ तो परिनिंदा निर्णय लिये हैं और कइयों को सस्पेण्ड किया है। अब भी कई फायलें हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहते हैं 8 महीने हो गये पंचायत राज को भंग हुए। किसी बात की कोई रकम लैप्स होने की स्थिति में नहीं आयी....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप मेरी बात सुनें मंत्री महोदय आरोप लगाने से पहले....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : पंचायत राज में वैसे के वैसे काम चल रहे हैं। मैंने पूछा है, हालांकि पंचायत राज में सामान्यतः तीन-चार काम ही हैं विभाग के तो और बाकी जो एस. एस. ओ. की स्कीमें हैं उनमें जितना भी बजट आया है 8 महीने में ग्राम सेवक और हैड मास्टर और पटवारी काम कर रहे हैं लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं हमने सी. ओज. को कलक्टर्स को बी. डी. ओज. को इस बात के लिए पाबंद कर रखा है कि एक भी पैसा, किसी भी योजना का लैप्स नहीं हो। लैप्स होने की स्थिति में नहीं है।

शिकायतों के बारे में ग्राप कहते हो, मैं कहता हूं 15-20 की तो मैं नहीं कहता, प्रशासकों की शिकायतें आयी हैं। उनमें जांच कराने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा ग्रधिक कोई ऐसी शिकायतें नहीं जैसे सरपंचों की आया करती थी। हालांकि मैं गांव का आदमी हूं, सरपंच रहा हूं और इस बात को जानता हूं लेकिन पहले जो 13 साल तक चुनाव नहीं करवायें फिर आपने 5 साल से 3 साल का समय किया....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोलते जा रहे हो, सुनोगे नहीं। अब क्या जो मौजूदा ग्राम सेवक हैं या प्रशासक हैं उनकी कोई शिकायतें नहीं हैं और चुने हुए ग्रादमी की शिकायतें हैं ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : शिकायतें आयी हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : तो फिर आप चुनाव क्यों कराते हो ? जब आपको विश्वास ही नहीं है चुने हुए आदमी पर फिर आप इस तरह की बात करते हो....

श्री हरलालसिंह खर्रा : प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास है। चुनाव तो होगा ही लेकिन जो आलोचना के रूप में आलोचना करते हैं न उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि गलत ग्रालोचना करते हैं न कि कोई काम नहीं हो रहा है, यह हो रहा है—वह हो रहा है, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं ...

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कितने सरपंचों के, पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की, कितनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये ? किया या नहीं किया आपने ? संख्या तो बताग्रो कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ? वैसे ही भाषण दे रहे हैं....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : 64 लोगों....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कितने लोगों के खिलाफ किया ? हम तो यह जानना चाहते हैं। (व्यवधान)....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : 64 की तो अभियोजन की स्वीकृति दी है गबन के केसेज में, 66 को निलम्बन किया है और 21 पर निर्णय लेखबद्ध किया है इस साल में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की नीति स्पष्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑडिट रिपोर्ट को देखें आप तो करोड़ों रुपए का घपला है। एक बात....

श्री परसादीलाल मीणा : सही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही बात है तो ..(व्यवधान)....इस कारण से चुनाव नहीं करायें या इस कारण से चुने हुए प्रतिनिधियों को हम आगे नहीं लायें, यह इस सरकार की मंशा नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, आपकी बात सही हो सकती है लेकिन राजस्थान में करोड़ों रुपए उपकरणों के ऊपर, बड़े-बड़े उद्योगों के ऊपर जो आई. ए. एस. आपके बैठे हुए हैं उनकी वजह से घाटा है। उनकी आप बात नहीं करते हो और यह चुने हुए आदमी के हाथ से कोई अनियमितता हो जाती है, घोटाले नहीं हैं, घपले नहीं हैं, अनियमितताएं हुई हैं वहां पर। इस तरह के आरोप लगाते हो, ठीक नहीं है।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के 10 दिन पहले 3 सरपंचों के खिलाफ मैंने केस रजिस्टर करवाया है। अब मैं नहीं कह सकता अनुसंधान करने के बाद में क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन अब तक जो कागज देखे हैं, एक करोड़ रुपए का गबन है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : एक सरपंच में एक करोड़ का गबन....(व्यवधान)... एक सरपंच में है वह तो....

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसी पंचायत का नाम बता दो जिसको एक करोड़ रुपए दिये हैं सरकार ने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी, लम्बे समय तक आ जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं करोड़ रुपए। बिराजिये।

श्री हरिसिंह : आप नाम बताओ उस ग्राम पंचायत का।... (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : एक करोड़ का एक ही पंचायत में काम हो गया और एक करोड़ का ही गबन हो गया। कौन-सी पंचायत है वह ?... (व्यवधान)....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : ....मेरा निवेदन तो सुनो, सरपंच की हैसियत से जाली मुआवजा, मिलिट्रि के एरिए के लिए जो भूमि एक्वायर हुई उसका उठा लिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : इस तरह के अपराध हों तो आप कीजिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : तो सरपंच ने और किसी ने मिलकर के उठाये होंगे। सरपंच की हैसियत से सेटिस्फाइड किया है तो यह नहीं कि हम प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास नहीं करते हैं, विकेन्द्रीकरण में हम विश्वास करते हैं। नहीं तो पचायतों को दस हजार और पचास हजार के हम पावर क्यों देते।

श्री परसादीलाल मीणा : चुनाव इस साल करवा लोगे, अगले साल, दो साल, तीन साल, कोई तारीख तो बताओ.... (व्यवधान) गोलमाल करके सब बात को गोल कर गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस साल करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां वह बता रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय सी. एम. साहब ने वह तो पहले ही कह दिया था, आप जैसा चाहें बैठकर कर लें, कल बैठकर तय कर लें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कहो ना। सी एम. साहब ने तो कह दिया, वह हम समझते हैं।.. (व्यवधान)

श्री हरलाल सिंह खर्रा : एक्ट के अनुसार करने की बात कहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा पर जल्दी से जल्दी कराने की हमारी चेष्टा है।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया ना सबका उत्तर। विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : जल्दी से जल्दी का अन्त नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : कई प्रश्न किये, यहां एस. सी. और एस. टी. के लिये भी रिजर्वेशन की पंचों में बात चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : यह लम्बा मामला है, विराजिये आप।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,36,16,000 (अड़तीस करोड़, छत्तीस लाख, सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1992 के म. पू 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9.31 बजे, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1992 के म. पू 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 365 की सूची

नाकारा वाहनों का विवरण जो स्टेट मोटर गैराज में पड़ी हैं :—

1.	आर. एस. आर. 7275	यजदी मोटर साइकिल	नीलामी में निर्धारित न्यूनतम राशि न आने के कारण बिक्री नहीं हो सकी गई।
2.	आर. जे. पी. 3313	एफ. सी. (डीजल)	,, ,,
3.	आर. जे. ई. 1093	जीप (पैट्रोल)	,, ,,
4.	आर. जे. ई. 1462	एस्कोट ट्रैक्टर	,, ,,
5.	आर. जे. 14/8849	एम्बेसडर	कोर्ट द्वारा मुक्त नहीं होने के कारण फिलहाल नीलामी सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 322 का विवरण

राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को सुलभ कराई जा रही सुविधाओं का विवरण

(1) छात्रवृति–

राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को रु. 40/– तथा कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को रु. 50/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन छात्रों को उपलब्ध है, जिनके माता-पिता/संरक्षक की मासिक आय रु. 1500/– है। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से विभिन्न कक्षाओं के लिए रु. 85/– से रु. 170/– प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति दी जाती है। यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता/संरक्षक की मासिक आय रु. 2000/– है।

— छात्रवृति हेतु लगभग 2 करोड़ की राशि व्यय कर लगभग 34000 छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) विशेष विद्यालय–

विकलांगों की शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग द्वारा तीन विशेष विद्यालय संचालित किए जा रहे है तथा 13 अनुदानित संस्थाओं को विशेष विद्यालय संचालित करने हेतु अनुदान दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप 668 विकलांगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) छात्रावास एवं प्रशिक्षण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान–

जो संस्थाएं विशेष विद्यालय के साथ-साथ छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है, ऐसी 13 स्वयं सेवी संस्थाओं को भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रमशः 3.25 लाख एवं 10.86 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे लगभग 800 विकलांगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(4) प्रशिक्षण–

विशिष्ट योजना संगठन विभाग के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विकलांगों को विभिन्न ग्रामीण रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग द्वारा 750/– रु. प्रतिमाह की आय वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के विकलांगों को प्रशिक्षण की योजना संचालित है। जिसके लिए

स्थानीय विकलांग को रु. 100, शहर के छात्रावासी विकलांग को 200/- रु. प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी को रु. 250/- प्रतिमाह वृतिका एवं सफल प्रशिक्षण पर टूलकिट हेतु रु. 500/- की सहायता दी जाती है।

विभागीय योजना के अन्तर्गत अब तक 8 69 लाख व्यय कर लगभग 1000 विकलांगों को लाभान्वित किया गया है।

(5) **पेंशन–**

8 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांगों को जीवन निर्वाह हेतु 100/- प्रतिमाह प्रति विकलांग पेंशन दी जाती है। वर्तमान में 250.00 लाख व्यय कर लगभग 16126 विकलांगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(6) **कृत्रिम अंग एवं उपकरण सहायता–**

रु. 1500/- प्रतिमाह की आय वाले विकलांगों को विभाग द्वारा कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु रु 1500/ की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में 15.22 लाख के व्यय के फलस्वरूप लगभग 1544 विकलांग लाभान्वित हो रहे हैं।

(7) **स्वरोजगार–**

शहरी क्षेत्र के 60750/- प्रतिमाह की आय वाले विकलांगों को किसी भी व्यवसाय हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 33.33 प्रतिशत अधिकतम 3000/- का अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब तक इस योजना पर 22.50 लाख व्यय कर लगभग 750 विकलांगों को लाभान्वित किया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के विकलांगों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

सभी क्षेत्र के रु. 1500/- प्रतिमाह आय वाले विकलांगों को रु 2000/- तक आर्थिक सहायता दिए जाने की विभाग की योजना संचालित है।

(8) **बेरोजगार विकलांगों को वृतिका–**

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के बेरोजगार विकलांग स्नातक एवं स्नातकोत्तर को 2 वर्ष अथवा रोजगार मिलने तक क्रमशः रु. 150/- एवं रु. 250/- प्रतिमाह वृतिका दी जाती है।

(9) **पेट्रोल सब्सिडी–**

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 2500/- प्रतिमाह की आय वाले विकलांगों

को 2 हार्स पावर तक के वाहन के लिए 15 लीटर एवं 5 हार्स पावर तक के वाहन के लिये 25 लीटर पैट्रोल की कीमत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाता है। अब तक भारत सरकार से प्राप्त 88,500/-- की राशि का पुनर्भरण विकलांगों को दिया गया है।

(10) मानसिक रूप से विमंदित व्यक्तियों का कल्याण--

50 से अधिक आई. क्यू की विमंदित महिलाओं एवं बालकों के लिये विभाग द्वारा एवं विमन्दित महिला एवं बालक गृह चलाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 39 महिलाएं एवं 20 बालक लाभान्वित हो रहे हैं एवं उन्हें निःशुल्क भोजन, वस्त्र, बिस्तर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा जांच के उपरान्त उनके मनोविकास का प्रयास भी किया जा रहा है।

विमंदित बालकों के मनोविकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य में तीन स्वयं सेवी संस्थाएं संचालित है जिनके माध्यम से 136 विमन्दित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके लिए इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा 1.43 लाख तथा भारत सरकार द्वारा 1.40 लाख का अनुदान दिया जा रहा है।

(11) जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा--

भारत सरकार द्वारा अर्थ प्रबन्धित यह योजना कोटा एवं बारा क्षेत्र के लिये कोटा में स्थापित है जिसके द्वारा विकलांगों का सर्वेक्षण, विकलांगता का उपचार, कृत्रिम अंग/उपकरण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था दी जाती है।

(12) विकलांग कल्याण हेतु पुरस्कार--

सर्व श्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी/स्व नियोजित कर्मचारी, विकलांगों के नियोजक उनके कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं एवं समाज सेवकों को भारत सरकार की राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य सरकार की राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने की योजना संचालित है।

(13) अन्य सुविधायें--

1. विकलांग कर्मचारियों को उनके वेतन का 5 प्रतिशत अथवा 100/-- रु. जो भी कम हो प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाता है।

2. आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों में से डेढ प्रतिशत भवन विकलांगों को आवंटन के लिये आरक्षित रखे जाते हैं।

3. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में नेत्रहीन को निःशुल्क यात्रा एवं विरुपशोधीय विकलांगों को यात्रा हेतु केवल 1/4 किराया देने की सुविधा उपलब्ध है।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अल्प सख्यक भाषा उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती के अध्यापकों के स्वीकृत पदों की जिलेवार सूची

क्रम सं.	जिला	उर्दू			पंजाबी			सिन्धी			गुजराती		
		व्या.	व. अ.	अ.	व्या.	व. अ.	अ.	व्या.	व. अ.	अ.	व्या.	व. अ.	अ.
1	2		3			4			5			6	
1.	जयपुर	3	12	105	—	—	—	3	—	39	—	—	—
2.	अलवर	13	—	10	—	2	7	—	—	4	—	—	—
3.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	धौलपुर	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—
5.	सीकर	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	दौसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	बारां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कोटा	9	20	60	—	—	1	2	2	19	—	—	—
9.	बून्दी	2	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	झालावाड़	3	3	17	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11.	स. माधोपुर	2	7	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	जोधपुर	2	2	24	—	—	—	—	—	20	—	1	—

1	2	3			4			5			6		
13.	पाली	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
14.	सिरोही	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
15.	जालोर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
17.	जैसलमेर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	बीकानेर	1	6	31	—	—	3	—	—	4	—	—	—
19.	झुंझुनू	2	7	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	चूरू	2	7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	गंगानगर	—	2	3	—	2	61	—	—	—	—	—	—
22.	अजमेर	5	6	56	—	—	—	3	1	52	—	—	—
23.	भीलवाड़ा	1	7	20	—	—	—	1	1	8	—	—	—
24.	टोंक	3	—	47	—	—	—	—	—	6	—	—	—
25.	नागौर	—	2	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उदयपुर	7	2	61	—	—	6	1	1	3	—	1	3
27.	बांसवाडा	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	डूंगरपुर	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2
29.	चित्तौडगढ़	1	4	14	—	—	—	—	—	2	—	—	—
30.	राजसमंद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	49	114	637	—	4	80	10	5	177	—	4	5

(278)

जिलेवार एवं शालावार रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	नाम विद्यालय	व्या.	व. अ.	अव्या.	रिक्त का कारण
1	2	3		4		5
1.	जयपुर	रा. उ. मा. वि. मोतीकटला	—	1	—	
		,, मनोहरपुर	—	1	—	नवसृजित 1992
		रा. उ. प्रा. वि., महाराजा	—	—	1	,,
		,, दवाखाना	—	—	1	,,
		,, महावतान, जयपुर	—	—	1	,,
		,, आमेर	—	—	1	,,
		,, बेसिक मॉडल	—	—	2	,,
		,, द्वारकापुरी	—	—	1	,,
		,, शीतल निवास	—	—	1	,,
		,, चौमूं	—	—	1	,,
		,, सांगानेर ओल्ड	—	—	1	,,
		,, खोनागोरियान	—	—	1	,,
		रा. प्रा. वि., नीलमरान	—	—	1	,,
		,, पनीशरान	—	—	1	,,
		,, कमनीगरान	—	—	1	,,
		,, पहाड़गंज	—	—	(1)	,,
		,, नहरवाड़ा	—	—	1	,,

1	2	3	4			5
		रा. प्रा. वि., तेलीवाडा	—	—	1	”
		” मोलाना साहब	—	—	1	”
		” सांगानेर टाउन	—	—	1	”
		” तोपखाना देश	—	—	1	”
		” कायमखानियान	—	—	1	”
		” हसनपुरा बंजारा	—	—	1	”
		” जालूपुरा	—	—	1	”
		” कादरियान	—	—	1	”
		” बस्ती सीताराम	—	—	1	”
		” मरतोलान (ढूंढू)	—	—	1	”
2.	सीकर	रा. सी. उ. मा., लोसल	1	—	—	1.7.91
3.	चित्तौडगढ	रा. बा. उ. मा. वि., परतापुर	—	1	1	
4.	डूंगरपुर	रा. उ. प्रा. वि., महीवाल, सागवाडा	—	1	—	
8.		रा. बा. सी. उ. मा. वि., डूंगरपुर	1	—	—	1.2.92 नवसृजित
		रा. सी. उ. मा. वि. डूंगरपुर	1	—	—	”
5.	अजमेर	रा. उ. प्रा. वि. रामसर	1	—	—	
6.	टोंक	रा. बा. उ. प्रा. न्यू टोंक	—	—	3	2/92
		रा. बा. उ. प्रा. वि., वार्ड 5, मालपुरा	—	—	2	”

1	2	3		4		5
7.	भीलवाड़ा	रा. उ. मा. वि , बदनौर	1	—	—	7/91
8.	नागौर	रा. उ. मा. वि., हरसौर	1	—	—	नवसृजित
		रा. बा. मा. वि., मकराना	—	1	—	10/91
9.	कोटा	रा. उ. मा. वि., कैथून	—	1	—	2/92
10.	बून्दी	रा. उ. मा. वि. नैनवा	1	—	—	,,
		रा. उ. मा वि., लाखेरी	—	1	—	
		रा. बा. उ. प्रा. ए. बून्दी टाउन	—	—	1	
11.	झालावाड़	रा. उ. मा वि., गंगधार	2	—	—	3.10.89 एवं 7/91
		,, अकलेरा	1	—	—	1.8.91
		,, झालरापाटन	1	—	—	6/91
12.	जालौर	रा. मा. वि., जालौर	—	—	1	
		रा. उ. मा. वि., जालौर	1	—	—	दिसम्बर, 88
13.	जैसलमेर	रा. मा. वि., पोकरण	—	1	—	
		रा. सी. उ. मा. वि., पोकरण	—	1	—	20.7.90
		योग	12	9	34	

परिशिष्ठ – 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि के पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र

326. **श्री सालिगराम** (बयाना) : एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित (सेंटल स्पोन्सर्ड) योजनायें (1) जवाहर रोजगार योजना (2) एन. आर. ई. पी, (3) आर. एल. ई. जी. पी. हेतु दिनांक 31-12-1991 तक आवंटित धनराशि के पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितने जिलों से प्राप्त हो गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त तीनों योजनाओं में कितनी धनराशि का पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिले से राज्य को तथा राज्य से केन्द्र को प्राप्त होना अवशेष है ?

(2) क्या पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में धनराशि की अगली किश्त के आवंटन में राज्य को कम धनराशि उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) उक्त योजनाओं की कितनी धनराशि का रिकनसाइलेशन नहीं होने से योजना में राशि का इमबेलेन्स है ? योजनावार/जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। इसे दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में केवल जवाहर रोजगार योजना ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजना इस विभाग में चल रही है। एन आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. पी. योजनाएं भारत सरकार द्वारा दिनांक 1-4-89 से समाप्त को जा चुकी हैं। दिनांक 31-12-91 तक जिलेवार व योजनावार प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 1, 2 व 3 में अंकित कर दी गई है।

तीनों योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31-12-91 को जिलों से शेष रहे उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति परिशिष्ठ "4" में अंकित है। राज्य से केन्द्र को अलग से कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भिजवाया जाता है। केवल जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की जांच कर मूल उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही केन्द्र सरकार को भिजवाये जाते हैं।

(2) जी हां। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में द्वितीय किश्त के आवंटन में राज्य को कम धनराशि उपलब्ध हो सकती है।

इस वित्तीय वर्ष में कम राशि के उपगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने के कारण भारत सरकार को धनराशि नहीं काटे जाने हेतु विभाग द्वारा पत्र लिखे गये हैं और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी प्रयास किये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के स्तर से भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय को टेलेक्स द्वारा सम्पूर्ण राशि रिलीज करवाने हेतु आग्रह किया गया है। साथ ही सभी जिलों को विभाग द्वारा सभी शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र को माह जून, 1992 तक पूर्ण करके भिजवाने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं।

(3) विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को रिलीज राशि एवं उनके द्वारा वर्ष के दौरान व्यय राशि का एक विवरण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सभी जिलों को भिजवाया जाता है। यदि किसी जिले को विवरण में अंकित तथ्यों से सहमति नहीं होती है. तो वे इसका रिकन्साइलेशन विभाग में आकर कर लेते हैं। वर्तमान में सभी जिलों से वर्ष 90-91 तक का रिकन्साइलेशन किया जा चुका है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार का राशि में इमबेलेंस नहीं है।

परिशिष्ट—1

रा. ग्रा. रो. का. के अन्तर्गत 31-12-91 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89
1.	अजमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
2.	अलवर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3.	बांसवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
4.	बांया	×	×	×	×	×	×	×
5.	बाड़मेर	प्राप्त	—	—	—	—	—	—
6.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—
7.	भीलवाड़ा	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त
8.	बीकानेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
9.	बून्दी	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
10.	चित्तौड़	—	—	—	—	—	—	प्राप्त
11.	चूरू	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
12.	दौसा	×	×	×	×	×	×	×
13.	धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
14.	डूंगरपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	—	—	—	प्राप्त
15.	गंगानगर	—	—	प्राप्त	प्राप्त	—	—	प्राप्त
16.	जयपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
17.	जैसलमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
18.	जालौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्तप्राप्त	
19.	झालावाड़	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त
20.	झुंझुनूं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
21.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	प्राप्त
22.	कोटा	—	—	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
23.	नागौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
24.	पाली	—	—	प्राप्त	प्राप्त	—	—	प्राप्त
25.	रामसमंद	×	×	×	×	×	×	×
26.	स.माधोपुर	—	—	—	—	—	—	—
27.	सीकर	—	—	—	—	—	—	—
28.	सिरोही	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
29.	टोंक	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
30.	उदयपुर	—	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त

नोट—1. बांरा, दौसा एवं राजसमंद जिले 1-4-91 नव-सृजित हुए हैं।

2. यह योजना दिनांक 1-4-89 से भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट–2

ग्रा. भू. रो. गा. का. के अन्तर्गत 31-12-91 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति

क्र स. नाम जिला	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89
1. अजमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
2. अलवर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3. बांसवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
4. बांरा	×	×	×	×	×	×
5. बाड़मेर	—	—	—	—	—	—
6. भरतपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
7. भीलवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
8. बीकानेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
9. बून्दी	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
10. चित्तौड़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
11. चूरू	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
12. दौसा	×	×	×	×	×	×
13. धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
14. डूंगरपुर	प्राप्त	प्राप्त	—	—	—	—
15. गंगानगर	×	×	प्राप्त	—	—	प्राप्त
16. जयपुर	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
17. जैसलमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
18. जालौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
19. झालावाड़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	—	प्राप्त	प्राप्त
20. झुन्झुनूं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
21. जोधपुर	प्राप्त	प्राप्त	—	—	प्राप्त	प्राप्त
22. कोटा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
23. नागौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
24. पाली	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
25. राजसमंद	×	×	×	×	×	×
26. स माधोपुर	—	—	—	—	—	—
27. सीकर	प्राप्त	प्राप्त	—	—	—	—
28. सिरोही	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	—	—	—
29. टोंक	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
30. उदयपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त

नोट—1. बांरा, दौसा एवं राजसमंद जिले 1-4-91 से नव-सृजित हुए हैं।

2. यह योजना दिनांक 1-4-89 से भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट—3

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत 31-12-91 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति

क्र. सं. नाम जिला	1989–90	1990-91
1. अलवर	प्राप्त	प्राप्त
2. अजमेर	प्राप्त	प्राप्त
3. बांसवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त
4. बांरा	×	×
5. बाड़मेर	प्राप्त	प्राप्त
6. भरतपुर	प्राप्त	प्राप्त
7. भीलवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त
8. बीकानेर	प्राप्त	प्राप्त
9. बून्दी	प्राप्त	प्राप्त
10. चित्तौड़	प्राप्त	प्राप्त
11. चूरू	प्राप्त	प्राप्त
12. दौसा	×	×
13. धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त
14. डूंगरपुर	प्राप्त	प्राप्त
15. श्री गंगानगर	प्राप्त	प्राप्त
16. जयपुर	—	प्राप्त
17. जैसलमेर	प्राप्त	प्राप्त
18. जालौर	प्राप्त	प्राप्त
19. झालावाड़	प्राप्त	प्राप्त
20. झुंझुनूं	प्राप्त	प्राप्त
21. जोधपुर	प्राप्त	प्राप्त
22. कोटा	प्राप्त	प्राप्त
23. नागौर	प्राप्त	प्राप्त
24. पाली	प्राप्त	प्राप्त
25. राजसमंद	×	×
26. सवाई माधोपुर	प्राप्त	प्राप्त
27. सीकर	प्राप्त	प्राप्त
28. सिरोही	प्राप्त	प्राप्त
29. टोंक	प्राप्त	प्राप्त
30. उदयपुर	प्राप्त	प्राप्त

परिशिष्ट–4

दिनांक 31-12-91 को विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	राशि (रु. लाखों में)
1.	अजमेर	250.14
2.	अलवर	420.16
3.	बांसवाड़ा	40·35
4.	बांरा	—
5.	बाड़मेर	301.50
6.	भरतपुर	153.52
7.	भीलवाड़ा	1045.35
8.	बीकानेर	23.20
9.	बून्दी	184.58
10.	चित्तौड़गढ़	386.61
11.	चूरू	34.87
12.	दौसा	—
13.	धौलपुर	(–)8.23
14.	डूंगरपुर	883.53
15.	श्री गंगानगर	599.71
16.	जयपुर	566.70
17.	जैसलमेर	30.01
18.	जालौर	411.37
19.	झालावाड़	666.62
20.	झुंझुनूं	636.07
21.	जोधपुर	43.99
22.	कोटा	355.61
23.	नागौर	–53.11
24.	पाली	923.59
25.	राजसमन्द	—
26.	सवाई माधोपुर	101.02
27.	सीकर	200.85
28.	सिरोही	698.52
29.	टोंक	310.08
30.	उदयपुर	275.86
	योग	10482.47

सीमावर्ती क्षेत्रों में अकाल व सूखे से पशुधन की कमी

327. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिलों में सूखे व अकाल के कारण गाय, पशुओं की संख्या में कमी हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

(2) पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु विभाग पिछले दो वर्षों से क्या कार्यवाही कर रहा है? विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में वर्ष 1983 की तुलना में अन्तिम पशु गणना वर्ष 1988 के अनुसार गो पशुओं की संख्या में कमी आई है। गोवंश की संख्या में कमी सम्भवत: सूखे के कारण हुई है।

(2) गत 2 वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं पशुओं के प्रजनन, संवर्द्धन के कार्य, देशी नस्ल सुधार के सम्बन्ध में किये गये हैं। विवरण सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं में गबन की गई राशि

328. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी संस्थाओं में गबन की गई राशि में से कितनी राशि श्री गंगानगर जिले से सम्बन्धित है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं में गबन की कुल कितनी राशि बकाया है तथा इसकी वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या किन्हीं जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध गबन सम्बन्धि जांच सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो जांच के विलम्ब के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या हनुमानगढ़ के श्री गंगानगर स्पिनिंग मिल के भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ भी कोई वसूली की राशि बकाया है? यह बकाया कब से है तथा वसूली के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अब तक वसूली नहीं होने के क्या कारण रहे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में गबन दुरुपयोग आदि के 111.66 लाख रुपये के मामले राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए। गबन के मामले की अलग सूचना संकलित नहीं की जाती। धारा 74 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अब तक 8.92 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है।

(2) जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध गबन के सम्बन्ध में सूची विभाग में अलग से नहीं रखी जाती है।

(3) श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह के विरूद्ध वसूली के 4 मामले

(सहकारिता मंत्री)

आडिट/जांच के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु दर्ज किये गये थे। उक्त मामलों में से 3 में श्री महेन्द्र सिंह को जिम्मेदार नहीं माना गया है अतः वसूली का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक प्रकरण संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर खण्ड बीकानेर के पास विचाराधीन है। जिसके निर्णय के अनुसार ही अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

राजस्थान राज्य पाठय पुस्तक मण्डल, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक द्वारा अनियमितताएं

329. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के कार्यालय के वर्तमान कार्यालय अधीक्षक पर विभाग में गबन तथा कालाबाजारी करने का आरोप है? यदि हां, तो उनके साथ विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी इस काण्ड में लिप्त पाये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो में केस रजिस्टर्ड है ? क्या भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यालय अधीक्षक श्री नन्दलाल सचदेव के खिलाफ गबन के आरोप में विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा विभाग से चालान की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो आज तक अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

(3) क्या सरकार उन गबन के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षक के खिलाफ कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में अनियमितता करने का आरोप भी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षक को निलम्बित किया गया था और फिर उनको बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो उनको किस आधार पर बहाल किया और क्या सरकार उन बहाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 29-7-86 को जारी आरोप पत्र में गबन का आरोप है परन्तु कालाबाजारी का जिक्र नहीं है। अन्य अधिकारी या कर्मचारी के इस काण्ड में लिप्त पाये जाने के सम्बन्ध में अन्वेषण जांच के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।

(2) जी हां, उनके विरुद्ध अन्वेषण ब्यूरो में केस नं. 1/90 रजिस्टर्ड है। जी हां, ब्यूरो ने सभापति निष्पादन परिषद से चालान की अनुमति मांगी है।

भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो से इस प्रकरण में कतिपय जानकारी चाही गई है जो अपेक्षित है वह प्राप्त होने पर ही अनुमति दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी हां, अन्वेषण पूर्ण होने पर कार्यवाही की जायेगी। जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। उन्हें दिनांक 5-4-86 को निलम्बित किया गया था तथा बाद में दिनांक 4-1-89 को वहाल किया गया था।

ऑडिट द्वारा बतायी गई वसूली योग्य राशि रु. 168945.50 के सम्बन्ध में उनसे प्राप्त उत्तर के पश्चात् तत्कालीन सभापति द्वारा पुन: जांच कराये जाने पर रुपये 1,18,133.17 उनसे वसूली योग्य नहीं पाये गये। शेष राशि के पेटे 20,000/- नकद वसूली व इसके पश्चात् शेष राशि के पेटे वेतन से 1/3 भाग की वसूली के आदेश पारित कर मण्डल के सभापति द्वारा उन्हें जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया। जी हां।

जिला मुख्यालयों को गेहूं के आवटन का मानदण्ड

330. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) व **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वर्ष 1990-91 व 1991-92 जनवरी तक कुल कितने गेहूं का आवंटन किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलेवार गेहूं के आवंटन के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी जिले में गेहूं का आवंटन आवश्यकता से अधिक किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) राज्य को दिये गये गेहूं के मूल्य एवं उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले मूल्य में कितना कितना अन्तर है और उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक जिले को वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 (जनवरी, 92 तक) गेहूं के किये गये आवंटन की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार गेहूं के आवंटन का मानदण्ड जिलों की मांग एवं उपलब्धी के आधार पर है। अकाल ग्रस्त, आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तथा खाद्यान्न कम उत्पादन वाले जिलों को अपेक्षाकृत गेहूं का आवंटन अधिक किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य को दिये गये गेहूं के मूल्य एवं उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले मूल्य में कितना अन्तर है, का विवरण संलग्न है। राज्य को दिये गये गेहूं की निर्गम दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली दर राज्य सरकार द्वारा निर्गम दर में चुंगी, विक्रय कर, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के कमीशन परिवहन व्यय जोड़ कर निर्धारित की जाती है।

क्र सं	नाम जिला	वर्ष 1990-91 अप्रेल, 90 से मार्च, 91 तक	वर्ष 1991-92 अप्रेल, 91 से जनवरी, 92 तक
1.	अजमेर	101200	72200
2.	अलवर	8650	13[illegible]00
3.	बाड़मेर	67250	50980
4.	बून्दी	5950	5500
5.	बांसवाड़ा	19500	15990
6.	भरतपुर	10754.9	12100
7.	भीलवाड़ा	25700	18900
8.	बीकानेर	31000	39700
9.	चुरू	45000	46700
10.	चित्तौड़गढ़	9500	11100
11.	डूंगरपुर	43300	41500
12.	श्रीगंगानगर	11500	6100
13.	जयपुर	51000	64900
14.	जोधपुर	80904.9	74350
15.	जैसलमेर	21750	23700
16.	जालोर	49354.9	28100
17.	झुन्झनूं	19600	16300
18.	झालावाड़	11500	6451.9
19.	कोटा	9450	6700
20.	नागौर	20862	20750
21.	पाली	66700.8	50400
22.	सीकर	22500	19300
23.	सवाईमाधोपुर	8550	9900
24.	सिरोही	42250	21601.9
25.	टोंक	26800	18951.9
26.	उदयपुर	78500	45950
27.	धौलपुर	4800	6100
28.	बारां	---	1480
29.	दौसा	---	9704 9
30.	राजसमन्द	---	10551.9
	योग :	893036.5	769662.5

(अंकित राशि प्रति क्विन्टल से)

दिनांक	राज्य को प्राप्त होने वाले गेहूं की निर्गम दर		उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले गेहूं का मूल्य		अन्तर	
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र
1-4-90	204/-	154/-	225/-	179/-	21/-	25/-
11-5-90	234/-	184/-	257/-	209/-	23/-	25/-
1-10-90	---	---	262/-	---	28/-	---
28-12-90	280/-	230/-	310/-	255/-	30/-	25/-

गेहूं के औसत बाजार भाव (रुपये प्रतिकिलो)

वर्ष/माह	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वार्षिक औसत
1989-90	2.84	2.75	2.76	2.73	2.76	2.84	2.82	2.83	2.85	2.[illegible]6	2.85	2.90	2.81
1990-91	2.89	2.84	2.91	2.97	3.01	3.09	3.16	3.34	3.44	4.14	4.16	3.99	3.32
1991-92	3.47	3.50	3.51	3.69	3.83	4.04	4.05	4.06	4.32	4.91	4 95	---	4.03

समाज कल्याण छात्रावास, बालोतरा

331. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा स्थित समाज कल्याण छात्रावास किराये के मकान में चल रहा है।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मकान में सफाई नहीं रहती है व यह बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण गिरने लायक है ?

(3) क्या सरकार पचपदरा मार्ग पर बने सरकारी भवन का विस्तार कर उस भवन में छात्रावास चलाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार अन्य कोई भवन जो कि उपयुक्त हो, किराये पर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। यद्यपि भवन पुराना है किन्तु गिरने की अवस्था में प्रतीत नहीं होता है।

(3) जी हां।

यह राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(4) जी हां।

इस छात्रावास हेतु अन्य उपयुक्त भवन किराये पर लेने हेतु संयुक्त निदेशक, जोधपुर को निर्देशित कर दिया गया है। जिसकी अनुपालना में कार्यवाही की जा रही है।

थानागाजी क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि का आवंटन

332. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितनी बंजड भूमि वन लगाने हेतु अक्टूबर, 1989 तक आवंटित की गई ?

(2) आवंटित भूमि में कितनी भूमि पर पेड़ लगाये गये ?

(3) जिस भूमि पर पेड़ नहीं लगे उन आवंटियों के खिलाफ नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अक्टूबर, 1989 तक 3984 बीघा 01 बिस्वा बंजड़ भूमि का आवंटन वन लगाने हेतु किया गया।

(2) आवंटित भूमि में से 100 बीघा भूमि पर पेड़ लगाये गये हैं।

(3) 182 मामलों में आवंटन निरस्त करने के लिये राजस्थान भू-राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 18 के अन्तर्गत कार्यवाही कलक्टर, अलवर द्वारा प्रारम्भ की गई है। शेष 1037 मामलों में

(राजस्व मंत्री)

प्रकरण तैयार करने हेतु तहसीलदार, थानागाजी को निर्देशित किया गया है।

स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं को पेन्शन

333. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि स्व. श्री प्रभाती लाल शर्मा एवं स्व. श्री छज्जुराम सैनी निवासी रामगढ़, जिला अलवर स्वतन्त्रता सैनानी थे? यदि हां, तो क्या इन दोनों को स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन मिलती थी? यदि हां, तो कब से कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु के बाद में उनकी विधवाओं को भी पेंशन मिलती है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं कितनी?

(3) क्या उपरोक्त स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं क्रमशः श्रीमती गुलबन्दी देवी एवं श्रीमती पुरण सैनी को यह सुविधा मिल रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

इन दोनों ही स्वतन्त्रता सैनानियों को दिनांक 1-1-82 से आजीवन पेंशन स्वीकृत की गई थी।

(2) जी हां।

स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा पत्नि द्वारा राजस्थान सरकार को विधवा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने तथा मृत स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा पत्नि होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् उन्हें उनके स्व. पति को मृत्यु के समय मिलने वाली समान पेन्शन के बराबर ही, उसी दिवस से आरम्भ कर दी जाती है, जिस दिन स्वतन्त्रता सैनानी का देहावसान हुआ है।

(3) रेकार्ड के अनुसार श्रीमती गुलकन्दी देवी स्व. श्री प्रभाती लाल शर्मा, निवासी रामगढ़ जिला अलवर की विधवा पत्नि है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार विधवा पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। श्रीमती गुलकन्दी देवी द्वारा विधवा पेन्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं वांछित प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिनांक 21-2-88 से आजीवन विधवा पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। श्रीमती पूरण सैनी पत्नि स्व. श्री छज्जुराम सैनी, निवासी रामगढ़ जिला अलवर को उनके द्वारा विधवा पेन्शन हेतु आवेदन-पत्र मय वांछित प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत नहीं करने के कारण इन्हें अभी तक विधवा पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई है।

फलौदी (जोधपुर) के ग्राम पीलवा के मार्ग पर पुलिया निर्माण

334. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के ग्राम पीलवा की सरहद में आर.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

डी. 113 750 पर लोहावट से पीलवा जाने वाला डाक मार्ग निकलता है और यह राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है ?

(2) क्या यह सही है कि इस रास्ते पर सैकड़ों ढ़ाणियां स्थित हैं और इन ढाणियों से श्मशान को भी यही रास्ता जाता है ?

(3) क्या स्थानीय जनता की यह मांग है कि इस रास्ते पर नहर पर एक पुलिया बनायी जावे ?

(4) क्या सरकार जनहित में इस पुलिया के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आर. डी. 113.750 कि.मी. पर लोहावट से पीलवा का कोई मार्ग नहीं निकलता है । राजस्व रेकार्ड में भी कोई दर्शाया हुआ नहीं है ।

(2) जोधपुर लिफ्ट नहर आर. डी. 113.750 कि.मी. के निकट 20-30 ढाणियां बनी हुई हैं । तथा शमशान को भी रास्ता जाता है ।

(3) जी हां ।

(4) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमितता

335. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की ऑडिट रिपोर्ट्स सन् 1987 से 30 मार्च, 1991 तक में किस-किस अधिकारी,/ कर्मचारी के विरुद्ध आरोप है और उस पर सहकारी विभाग ने एवं बैंक ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की वर्ष 1987 से 1990 तक की आडिट रिर्पोटों में आरोपों के ऐसे 9 मामले प्रकाश में आये हैं । इनमें लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों की सूची तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है । वर्ष 1990-91 का आडिट हो गया है रिर्पोट अभी जारी होना शेष है ।

परिशिष्ट–1

पाली सहकारी भूमि विकास बैंक लि., की आडिट रिपोर्ट में उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं की गई कार्यवाही का विवरण।

क. सं.	आडिट वर्ष	पैरा सं.	आरोपित अधिकारी कर्मचारी का नाम	आरोपित राशि	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	बैंक द्वारा की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	87-89	14(च)	श्री रणजीत मल लोढ़ा सचिव एवं संचालक मण्डल के समस्त सदस्य	2500/--	धारा 74 के केस दर्ज करने के लिए गठित कमेटी ने इस मामले पर विचार करके ड्राप किया।	बैंक स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।	कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
2.	87-89	17(1)	श्री सुल्तान सिंह शाखा सचिव 2. श्री मंगल चन्द चौहान एल वी. ओ. 3. श्री पन्ना लाल अवस्थी एल. वी. ओ.	4500/--	धारा 74 के अन्तर्गत केस वर्ज करने की कार्यवाही की गई। निर्णय अभी नहीं हुआ।	श्री सुल्तान सिंह शाखा सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया हैं। जांच अधिकारी जांच कर रहे है।	
3.	87-89	17(2)	1. श्री सुल्तान सिंह शाखा सचिव	4166/--	" "	श्री सुल्तान सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक	मामला एम. एम. कोर्ट जैतारण के

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. श्री मंगल चन्द चौहान एल. वी. ओ. 3. भंवर लाल क्लर्क			कार्यवाही की गई। इसके साथ मामले की पुलिस थाना जैतारण में रिपोर्ट दर्ज करवाई।	विचाराधीन है।
4.	87-89	17(3)	श्री सुल्तान सिंह शाखा सचिव श्री पुष्करसिंह एल. बी. ओ.	12235/--	धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही विचारीधीन है। (2) श्री पुष्कर सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच शरु की गई है।	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।	
5.	87-89	17(4) 17(5)	1. सुल्तान सिंह	3054.10	1. धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।	
6.	87-89	19	श्री सतीश चन्द शर्मा पूर्व सचिव	6·50 लाख	धारा 74 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है सुनवाई की जा रही है।		
7.	87-89	38	श्री सतीश चन्द शर्मा पूर्व सचिव	46855/--	यह मामला उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है।	उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	

295

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	87-89	35(घ)	श्री सोहन लाल लिपिक	12735·83	धारा 74 के केस दर्ज करने के लिये गठित कमेटी ने इस मामले पर विचार कर ड्राफ किया ।		
9.	98-90	41(8)	श्री पूनमचन्द भाटी श्री शिव लाल सोनगरा श्री सुल्तानसिंह शा. सचिव श्री मांगीलाल शा. सचिव श्री पुखराज शा. सचिव	76116·59	1. धारा 74 के अन्तर्गत करवाई जारी है । 2. जालसाजी की जांच कार्यवाही जाकर पुलिस थाना पाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ।	1. श्री सुल्तान सिंह एवं पुखराज को निलम्बित किया गया । अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । 2. उक्त कर्मचारियों को दी गई अधिक के वेतन के भुगतान की कार्यवाही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश आदेश आ जाने के कारण कटौती कार्यवाही रोकी गई ।	

प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति के मानदण्ड

336. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किए हुये हैं ?

(2) क्या सरकार नैनवा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्राथमिक विद्यालय को कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालयों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय क्षेत्र की जनसंख्या, छात्र सख्या, फीडर विद्यालय जनता की मांग, उपलब्ध भवन व्यवस्था एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया जाता है ।

(2) जी नहीं । वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई हैं ।

राशन की सामग्री के आवंटन का मानदण्ड

337. **डॉ. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार राशन के गेहूं, चावल, तेल और चीनी को विभिन्न जिलों को किस आधार पर आवंटित करती है ? क्या इस हेतु सरकार के कोई निश्चित मानदण्ड हैं ? झुंझुनूं जिले के लिए सन् 1991 में 12 माह में कुल कितना गेहूं, चीनी, तेल और चावल आवंटित किया गया तथा उसमें प्रत्येक महीने में कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राशन के लिए आवंटित गेहूं चीनी, तेल और चावल की कालाबाजारी होती है और ग्रामीण जनता तक राशन सामग्री नहीं पहुंचती है ? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले में अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार राशन का गेहूं, चावल एवं तेल जिलों की मांग एवं उपलब्धि, अकाल की स्थिति, आदिवासी जनजाति क्षेत्र तथा खाद्यान्नों के स्थानीय उत्पादन के आधार तथा चीनी जनसंख्या के आधार पर आवंटित करती है । चीनी के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए कोई मापदण्ड निश्चित नहीं है । झुंझुनू जिले को सन् 1991 में 12 महिनों में कुल 7815.5 मैं. टन गेहूं, चीनी 7660.05 मैं. टन, तेल 120 मैं टन और चावल 240 मैं. टन आवंटित किया गया । इसमें प्रत्येक महिने में जितनी-जितनी मात्रा में आवंटन किया गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सभी वितरक राशन के लिए आवंटित गेहूं, चीनी, तेल और चावल की काला-

(डा. चन्द्रभान)

बाजारी नहीं करते परन्तु जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। झुंझनूं जिले में राशन के लिए आवंटित गेहूं, चीनी आदि राशन सामग्री बाजार में बेचने के प्रयास किये जाने के कारण वर्ष 1991 में 87 मामले दर्ज किये गये।

क. सं	नाम माह	आवंटित मात्रा (मै. टनों में)			
		गेहूं	चावल	तेल	चीनी
1.	जनवरी, 91	1900	20	20	597
2.	फरवरी, 91	2000	20	20	597
3.	मार्च, 91	3000	20	20	597
4.	अप्रेल, 91	4300	20	—	597
5.	मई, 91	2600	20	—	597
6.	जून, 91	1300	20	—	597
7.	जुलाई, 91	1000	20	—	597
8.	अगस्त, 91	1000	20	—	597
9.	सितम्बर, 91	1500	20	20	657
10.	अक्टूबर, 91	1100	20	+	717+180
11.	नवम्बर, 91	1200	20	20	717
12.	दिसम्बर, 91	1100	20	20	627+141·5

अनुसुचित जन जाति छात्रावासों के भवन

338. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

(1) राजस्थान में अनुसूचित जन जाति के कितने छात्रावास हैं? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्रावासों के भवन कहां-कहां बने हुए हैं? तथा कितने छात्रावास किराये के भवनों में चलते हैं।

(3) क्या सरकार किराये के भवन जहां-जहां हैं, उनके भवन निर्माण कराना चाहती है? यदि हां, कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जन जाति के 33 छात्रावास हैं। इन छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री नाथूराम अहारी)

(2) छात्रावासों के राजकीय भवनों एवं किराये के भवनों की सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

यह राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 1992)

जिला बांसवाड़ा में राजस्व भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन

77. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा किसानों को राजस्व भूमि कृषि के लिये आवंटित की जाती है? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा में गत वर्षों 1389-90 व 1990-91 एवं 31 जनवरी, 1992 तक कितनी भूमि आवंटित की गई? कृषक का नाम, गांव, पटवार मण्डल व तहसीलवार प्रत्येक वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के सम्बन्धित पटवार मण्डल वाड़गून द्वारा उक्त अवधि में किसानों को भूमि आवंटन से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या अब सरकार पटवार मण्डल वाड़गून के किसानों को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

जिला बांसवाड़ा में 89-90, 90-91 एवं जनवरी, 92 तक 5,649.74 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

वर्ष 89-90 में 24 व्यक्तियों को 68 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटित की गई, तथा वर्ष 91-92 में 4 व्यक्तियों को 10 बीघा भूमि आवंटित की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मुख्य रास्तों, आगोर एवं गोचर भूमि तथा श्मशान पर अतिक्रमण से आय

339. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे....

(1) क्या यह सही है कि मुख्य रास्तों आगोर एवं गोचर भूमियों तथा श्मशान पर जो अतिक्रमण किये जाते हैं उनसे जुर्माना (अधि शास्ति) वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्या यह आय ग्राम पंचायतों की है अथवा राजस्व विभाग की?

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) क्या उपरोक्त राशि ग्राम पंचायतों को नहीं दी जा रही है ? अब तक ऐसे मामलों में कितनी राशि सरकार के पास जमा है तथा ग्राम पंचायतों को इसे कब तक देने का विचार है ?

उत्तर

(1) मुख्य रास्तों, आगोर, शशान व गोचर भूमियों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्यवाही करते हुए जुर्माने की राशि वसूल की जाती है । यह राशि राजस्व विभाग की है । गोचर भूमि के अतिक्रमण से प्राप्त जुर्माने की राशि पंचायत समिति के निजी खाते में जमा कराई जाती है, जहां से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित की जाती है ।

(2) ग्राम पंचायतों की भूमि पर अतिक्रमण से प्राप्त आय तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पचायत समिति के निजी खातों में जमा कराई जाती है । अब तक किसी भी पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत की आय प्राप्त नहीं होने बाबत इस विभाग को सूचित नहीं किया है । सभी जिला कलेक्टरों को सूचना भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया हैं । सूचना प्राप्त होने पर अलग से प्रेषित करदी जावेगी ।

गाडगिल सूत्र के आधार पर राज्य को केन्द्रीय सहायता

340. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केशरीसिंहपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गाडगिल सूत्र से राज्यों को केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता में कोई परिवर्तन किया गया है ? उक्त परिवर्तन से राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में क्या अन्तर पड़ेगा ? इस सूत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य को नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाली राशि में आठवें वित्त आयोग की तुलना में कितनी वृद्धि हुई ? नवें वित्त आयोग से राज्य को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली राशि का सक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली केन्द्रीय सहायता को प्राप्त करने में राज्य सरकार विफल रही है ? यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में इस क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि एवं योजना का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, सूत्र में परिवर्तन किया गया है । उक्त परिवर्तन से राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में होने वाले अन्तर का आंकलन अभी राज्य स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं है । भारत सरकार से इस सम्बन्ध में सूचना अभी अपेक्षित है ।

सूत्र निम्नानुसार है :

मद	प्रतिशत
I. जनसंख्या	60
II. प्रति व्यक्ति आय (दूरी विधि 5% विचलन विधि 20%)	25

(राजस्व मंत्री)

III. परफोर्मेंस 7.5

(करारोपण, वित्तीय प्रबन्धन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कुछ कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रगति यथा जनसंख्या नियन्त्रण, निरक्षरता निराकरण बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना एवं भू-सुधार में सफलता ।)

IV. विशिष्टीय समस्यायें 7.5

योग 100.0

(2) वित्त आयोग ने राजस्थान को 1984-89 व 1990-95 की अवधि के लिए कुल अन्तरण व सहायता अनुदान के रूप में क्रमश: 1676.17 करोड़ रुपये एवं 6525.62 करोड़ रुपये की सिफारिश की है।

मदवार सूचना निम्न है :—

मद	आठवां वित्त आयोग 1984-89	नवां वित्त आयोग 1990-95 राशि (करोड़ रु)
I. करों और शुल्कों में हिस्सा	1538.18	4613.83
II. सहायता अनुदान आयोजना भिन्न व आयोजना का योग	42.63	1446.79
III. क्रमोन्नत कार्य हेतु सहायता (Upgradation Grants)	53.48	—
IV. राहत व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान	41.88	465.00
योग	1676.17	6525.62

इस तरह नौवें वित्त आयोग की राशि आठवें वित्त आयोग की तुलना में 4849.45 करोड़ रुपये ज्यादा है ।

(3) गत 2 वर्षों में केन्द्रीय सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये निम्न योजनाओं के लिये सहायता अभी तक प्राप्त हो गई है :

करोड़ रुपयों में)

योजना मद	89-90	90-91	91-92
शिक्षा-सामान्य	8.29	4.07	9 87
तकनीकी	3.66	1.90	1.18
इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण	24.70	28.60	27.80

उपरोक्त राशि केन्द्रीय सरकार योजना की कुल लागत का क्रमश: वर्षवार अधिक व ज्यादा देती है ।

अत: राज्य सरकार राशि प्राप्त करने में विफल नहीं रही है ।

बीछवाल जलाशय से बीकानेर को जल आपूर्ति

341. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केशरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर की जल आपूर्ति हेतु बीछवाल जलाशय के निर्माण की जिम्मेदारी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियन्ता एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग व नहर मण्डल पर है ?

(2) यदि हां, तो इस हेतु जलदाय विभाग ने यह कार्य इन्दिरा गांधी नहर विभाग को कब हस्तान्तरित किया ? क्या इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो अनावश्यक विलम्ब के लिये किसकी जिम्मेदारी तय की गई है ? उक्त तकनीकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ?

(3) इस बीछवाल जलाशय के निर्माण में कितनी लागत आयेगी एवं बीकानेर शहर की वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये कितने दिन की जल आपूर्ति हेतु जल संग्रहण की व्यवस्था की जायेगी ?

(4) उक्त जलाशय का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस कार्य को विशिष्ट सचिव, जल प्रदाय विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यालय के पत्र क्रमांक : एफ. 4 (30) टी. सी./आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी./90/841 दिनांक 10-6-91 द्वारा सचिव, इन्दिरा गांधी नगर मण्डल, राज. जयपुर को सम्पादित करने हेतु सूचित किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी होने के उपरान्त इगानप के अधिशाषी अभियन्ता ने दिनांक 10-1-92 को कार्यभार सम्भाला। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है। इन्दिरा गांधी नहर विभाग को हस्तान्तरण व औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद कोई विलम्ब नहीं हुआ है। बीछवाल जलाशय के शेष कार्यों का तकनीकी तखमीना तैयार कर मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर कार्यालय में दि. 22-2-92 को प्राप्त हो गया है। इसकी जांच के उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(3) बीछवाल जलाशय के निर्माण की अनुमानित लागत वर्ष 1991 की दरों पर 602 लाख रुपये हैं। बीकानेर शहर की वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 21 दिन की जल आपूर्ति हेतु जल संग्रहण की व्यवस्था प्रस्तावित है।

(4) उक्त जलाशय के शेष कार्यों का निर्माण तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् वांछित बजट उपलब्ध होने पर 2 वर्ष 6 माह के संभावित समयावधि में पूर्ण कर दिया जावेगा।

गृह निर्माण सहकारी समितियां के मामलों का कैम्प द्वारा निस्तारण

342. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने बड़े पैमाने पर कैम्प लगाकर कृषि भूमि से सम्बन्धित आवासीय समितियों की जांच की थी? उनमें से कितनी समितियों या व्यक्तियों को दोषी पाया गया है? समिति-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दोषी समितियों या व्यक्तियों को क्या-क्या सजा दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य सरकार कृषि भूमि पर बने मकानों का जिन-जिन से नियमन शुल्क प्राप्त हो गया है, कब तक नियमन कर देगी? क्या इसके लिये समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में राज्य के 6 बड़े शहरों में जांच हेतु नहीं अपितु गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु कैम्प लगाए गए थे। उक्त शिविरों व अन्य प्राप्त शिकायतों के आधार पर 129 समितियों के अनियमितता के मामले प्रकाश में आये हैं। सूची परिशिष्ट 'अ" पर संलग्न है। समितिवार दण्डनीय कृत्यों के प्रकरणों में 191 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) पृथक दृष्ट्या अनियमितताओं के लिए दोषी पाई गई 21 समितियों को अवसायन में लाया गया तथा 91 समितियों की विस्तृत जांच सहकारी अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत कराने के आदेश दिए गए। दो समितियों की प्रबन्ध कारिणी समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त किये गए हैं।

इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराये गए मामलों में से 11 केसेज में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गए तथा 13 मामलों में अनुसंधान कार्य जारी है। 4 मामलों में एफ. आर. लग चुकी है। दोषियों को सजा न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगी।

(3) कृषि भूमि के रूपान्तरण व नियमन का कार्य सहकारिता विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुशलगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

343. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक व सीनियर स्कूलों में अध्यापकों के पद भरने का वायदा किया था?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर शालाओं में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस शाला में कितने-कितने पद रिक्त है? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेहसिंह)

(3) सरकार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते उक्त क्षेत्र के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है । यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । रिक्त पदों की विद्यालय-वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) व्याख्याताओं के रिक्त पद लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर भरे जा सकेंगे । वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है ।

(4) जी नहीं । सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है ।

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) क्षेत्र में विद्यालयवार प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		
		व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक
1.	रा. उ. प्रा वि., कुशलगढ़	12	2	—
2.	मा. वि., नोहरा (कुशलगढ़)	—	1	—
3.	मा. वि, छोटीसरवा	—	1	—
4.	मा. वि, बड़ीसरवा	—	1	—
5.	मा. वि, कसारवाड़ी	—	1	—
6.	मा. वि., छोटा डूंगरा	—	—	—
7.	रा. उ. मा. वि, सज्जनगढ़	4	2	—
8.	मा. वि., ताम्बेसरा	—	—	—
9.	बा. उ. मा. वि., कुशलगढ़	5	1	—
10.	बा. मा. वि., सज्जनगढ़	—	3	—
11.	बा. उ. प्रा. वि., कुशलगढ़	—	1	—
12.	बा. उ प्रा वि., डूंगराबड़ा	—	—	—
13.	बा. प्रा. वि., कुशलगढ़	—	—	—

1. इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग का कोई शहरी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा) के समस्त पद भर दिए गए हैं ।

कांकोणी (छबड़ा) में प्राचीन मूर्तियां

344 श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा विधान सभा की छीपाबड़ोद तहसील के कांकोणी ग्राम में हजारों प्राचीन मूर्तियां हैं ? यदि हां, तो उनकी देखरेख की क्या व्यवस्था है ?

(2) गत एक वर्ष में वहां पर संग्रहित मूर्तियां किस-किस के द्वारा वहां से ले जाई गई ?

(3) क्या देवस्थान विभाग उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छबड़ा विधान सभा की तहसील के ग्राम कांकोणी में 10वीं से 12वीं शती के प्राचीन मन्दिर समूह हैं। यहां की बिखरी हुई लगभग 200 प्रतिमायें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा स्थल पर ही एकत्रित की गयी थी।

(2) एकत्रित मूर्तियों में से लगभग 50 प्रतिशत प्रतिमायें राजकीय संग्रहालय, झालावाड़ में स्थानान्तरित की जा चुकी हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमायें राजकीय संग्रहालय, कोटा में भी प्रदर्शित है। यहां जमीन के अन्दर भी प्रतिमायें हो सकती हैं जिनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है।

सिंचित क्षेत्र में चारागाह भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन

345. श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सिंचित क्षेत्र में चारागाह भूमि को खत्म कर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने का आदेश राज्य सरकार ने दे दिया है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों की चारागाह भूमि खत्म करने से अतिक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है ?

(3) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र की चारागाह भूमि को चारागाह भूमि ही रखने पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. 24 (6) राज/उप/78 दि. 4-12-87 के अन्तर्गत यह आदेश जारी किये गये थे कि सिंचित क्षेत्र में चारागाह भूमि रखा जाना उपयुक्त नहीं है। अतः इसे परिवर्तित कर नियमानुसार आवंटन कर कृषि कार्य में लिया जाये।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में अभी कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बस्सी (जयपुर) में महाविद्यालय की मांग

346. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार बस्सी (जयपुर) में महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

नये महाविद्यालय खोलने के निम्न मानदण्ड निर्धारित हैं :--

1. प्रस्तावित स्थान पर जन-सहयोग से निर्मित महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन हो।
2. प्रस्तावित स्थान के बीस कि. मी. की परिधि में कम से कम चार सी. हा. सैकण्डरी स्कूल हों।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 कि. मी. की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय न हो।
4. क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

चूंकि बस्सी में इन मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है, अतः बस्सी (जयपुर) में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धरियावद पंचायत समिति (उदयपुर) में निर्मित भवन

347. **श्री नारायण लाल नीनामा** (लसाड़िया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

धरियावद पंचायत समिति में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने मकान बनाये गये हैं ? धरियावद पंचायत समिति के दातलिया पंचायत के गांव भणावता में जो मकान बनाये गये हैं क्या वे निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इनका क्या मानदण्ड है ?

उत्तर

धरियावद पंचायत समिति में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल 401 मकान बनाये गये हैं। धरियावद पंचायत समिति के दातलिया पंचायत के गांव भणावता में जो मकान बनाये गये हैं वे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनाये गये हैं। इन्दिरा आवास योजना में आवास निर्माण के निम्न मापदण्ड हैं :--

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के लिए कोई विशेष डिजाइन निर्धारित नहीं है। लाभार्थी की सुविधा एवं स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी डिजाइन का चयन किया जा सकता है। एक मात्र प्रतिबन्ध यही है कि न्यूनतम 180 वर्ग फुट या अधिक कुर्सी क्षेत्र (पिलंथ एरिया) में निर्माण किया जाए जिसमें एक कमरा, रसोई, निर्धूम चूल्हा तथा शौचालय (जहां इसके लिए राशि दी गई है) का निर्माण कराया जाना है।

सुभाष गृह निर्माण सहकारी समिति लि., सिरोही

348. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला कलेक्टर कार्यालय की किसी शाखा ने दिनांक 3-11-1990 को सुभाष गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, सिरोही को गृह निर्माण पर रोक सम्बन्धी स्थगन आदेश जारी किया है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व अध्यक्ष, सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार बनाकर सूचित किया गया था ?

(3) क्या उक्त समिति के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करवाने हेतु कोई लिखित आवेदन अथवा शिकायत दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो किसने ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त गृह निर्माण ने स्थगन समिति आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही समस्त भूखण्ड-धारियों को भूखण्डों का आवंटन कर दिया था ?

(5) क्या उक्त गृह निर्माण समिति द्वारा आवंटित किये गये भूखण्ड धारियों ने भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो उक्त आवेदन-कर्त्ताओं में से भूखण्डों को किसके आदेश से रूपान्तरित किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर सिरोही के पत्र दिनांक 3-11-90 के द्वारा अध्यक्ष समिति को रूपान्तरण किए गए 147 भूखण्डों पर निर्माण नहीं कराने बाबत लिखा है।

(2 व 3) जी नहीं। स्थगन आदेश के विरुद्ध समिति द्वारा नियमानुसार अपील या रीविजन प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि यह जिला कलेक्टर के यहां लम्बित न्यायिक मामले का अभिलेख है अतः नियमानुसार फीस जमा कर जिला कार्यालय से प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।

(4) समिति के अनुसार उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त होने से पूर्व भूखण्डों का आवंटन करा दिया था।

(5) भूमि रूपान्तरण का कार्य सहकारिता विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है पर जिला कलेक्टर व समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 147 भूखण्डों के भूमि रूपान्तरण के आदेश जारी किये गये।

लक्ष्मणगढ़ में क्रमोन्नत विद्यालय

349. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1991-92 में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कितने विद्यालय उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं 10+2 विद्यालयों में क्रमोन्नत हुये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने की कोई निर्धारित नीति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को इकाई मानकर इस विषय में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। वर्ष 91-92 में अलवर जिले में 12 विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर 8 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर एवं 2 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये गये हैं।

पाली जिले को नियंत्रित उपभोक्ता जिन्सों का आवंटन

350. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989 से आज तक पाली जिले को विविध तहसीलों के लिए नियंत्रित उपभोक्ता जिन्सों का कितना आवंटन हुआ और उस आवंटन में से जिले की विविध तहसीलों में प्रतिव्यक्ति किस हिसाब से कितना आवंटन हुआ ? ब्यौरा जिन्सवार सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले की अलग-अलग तहसीलों में पूर्व में प्रति व्यक्ति नियंत्रित उपभोक्ता जिन्सों का आवंटन कितना व किस आधार पर किया जाता था और अब अलग-अलग तहसीलों में प्रतिव्यक्ति किस आधार पर किया जा रहा है ?

(3) पाली जिले के जन प्रतिनिधियों ने नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं का प्रतिव्यक्ति आवंटन की मात्रा अत्यधिक कम कर देने के लिए जो प्रतिवेदन दिये व निवेदन किए उनका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 से फरवरी, 92 तक पाली जिले को जिले की विभिन्न तहसीलों के लिए नियन्त्रित उपभोक्ता जिन्सों का जितना आवंटन हुआ और उस आवंटन में से जिले की विभिन्न तहसीलों में जितना आवंटन हुआ, उसका ब्यौरा जिन्सवार संलग्न कर प्रस्तुत है। प्रति व्यक्ति जिस हिसाब से आवंटन किया गया है, का विवरण प्रश्न के भाग (2) में अंकित है।

(2) पाली जिले की अलग-अलग तहसीलों में पूर्व मे व अब प्रति व्यक्ति नियन्त्रित उपभोक्ता जिन्सों का आवंटन लेवी चीनी के अतिरिक्त आवश्यकता एवं उपलब्धि, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तथा स्थानीय उपलब्धि एवं उपज के आधार पर प्रश्न के भाग (1) में सलग्न ब्यौरा के अनुसार आवंटन किया जाता है। लेवी चीनी का आवंटन 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से किया जाता है। तहसीलों में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिव्यक्ति जिस आधार पर दिया जा रहा है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) पाली जिले के जनप्रतिनिधियों ने नियन्त्रित उपभोक्ता वस्तुओं में से केवल गेहूं प्रति व्यक्ति आवंटन की मात्रा कम कर देने के लिए जो प्रतिवेदन/निवेदन किये गये

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

उसके तहत माह अक्टूबर, 91 में 300 मै. टन व जनवरी, 92 में 100 मै. टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन उपलब्धि के आधार पर किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में भूमि रूपान्तरण अधिकारियों के कार्यक्षेत्र

351. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में दो भूमि रूपान्तरण अधिकारी पदस्थापित हैं तथा दोनों के अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं ? यदि हां, तो किस-किस के पास क्या-क्या अधिकार व कार्य क्षेत्र हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन अधिकारियों ने अपने-अपने अधिकार व कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य किए हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने इस प्रकार के अनियमित कार्य किए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम नांदड़ी तथा खोरवारीया तहसील जोधपुर का कार्य क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी का होते हुए भी अतिरिक्त कलेक्टर भू-राजस्व जोधपुर ने किया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही क्यों की गई तथा सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर के अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर राजस्व उपखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में दस हजार रुपये से कम रूपान्तरण शुल्क आदि के मामले तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) इससे अधिक के शेष प्रकरण निष्पादित करते हैं। परन्तु कार्यभार को देखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) दस हजार से कम के प्रकरण भी निष्पादन कर सकते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कोई अनियमितता नहीं हुई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 352

(स्थगित)

(310)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 463 का विवरण

(राशि लाखों में)

बचत का आधार 1	वर्ष 1990-91 की अनुमानित बचत 2	एक वर्ष की अनुमानित बचत 3
1. वेतनमान 1 से 6 तक के सरप्लस वर्क चार्जड कर्मचारियों की विभिन्न विभागों के पदों पर नियुक्ति के आधार पर	240.00	2322.72
2. पेट्रोल इत्यादि में बचत		
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 31-8-1990 द्वारा		
(1) मन्त्रियों की पेट्रोल के उपयोग की सीमा 3600 लीटर प्रति वर्ष से 2400 लीटर प्रतिवर्ष करना	3 57	6.13
(2) उच्च अधिकारियों द्वारा निजी उपयोग सम्बन्धी आदेश वापस लिया जाना (225/– रु के भुगतान पर 500 कि. मी. प्रति माह निजी उपयोग)	13.37	22.92
(3) उच्च अधिकारियों से 100 रुपये प्रति माह के भुगतान पर ही घर से आफिस हेतु वाहन का उपयोग	1.05	1.80
*(4) रविवार को वाहन के उपयोग पर प्रतिबन्ध	34.23	58.03
(5) वर्ष के दौरान पी. ओ. एल. का व्यय बजट प्रावधान तक सीमित रखना, जबकि पेट्रोल की दरों में 25% वृद्धि हुई, अतः परोक्ष अनुमानित बचत	87.05	87.05
(ब) नये वाहन क्रय करने के स्थान पर किराये के वाहन उपयोग में लेने की नीति, जहां सम्भव था अपनाये जाने से	100.00	100.00

1	2	3
3. नव वर्ष पर केलेण्डर, डायरी इत्यादि की भेंट देने पर प्रतिबन्ध	25.00	25.00
4. पानी व बिजली पर व्यय में 5% की बचत	30.00	30.00
5. प्रशासनिक सचिवों द्वारा अपने विभागों की जीरो बेस्ड बजटिंग एवं राजेन्द्र जैन समिति द्वारा अनावश्यक पद समाप्त करने के फलस्वरूप	287.44	772.64
6. अन्य बचत		
(1) आयोजना भिन्न मद में वर्ष के दौरान पद रिक्त रखने के कारण सम्भावित बचत	475.74	—
(2) विभिन्न विभागों के अनुपयोगी के बेचने (डिस्पोजल) से	500.00	—
(3) फरवरी/मार्च 1991 में क्रय पर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप	50.00	—
	1847.47	3426.29

* सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 31-8-1990 द्वारा रविवार को वाहनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया था उसे लोक सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 5-4-91 द्वारा हटा लिया गया इस कारण प्रति वर्ष बचत में 58.03 लाख रुपये की अनुमानित कमी होती है। फरवरी/मार्च, 1992 में आयोजना भिन्न के अन्तर्गत नई खरीद पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण वर्ष 1990-91 की 50 लाख रुपये की सम्भावित बचत के अनुरूप ही वर्ष 1992-93 में भी 50 लाख रुपये की बचत सम्भावित है। फरवरी/मार्च में वित्त विभाग द्वारा सामान्यतः नवीन खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है अतः इस बचत को प्रति वर्ष बचत में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार वार्षिक बचत 3426.29–58.03 + 50.00 = 3418.26 लाख रुपये अनुमानित है।

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 474 की सूची

क्र सं.	नाम डीलर	नाम पंचायत बागीदौरा	वर्ष 1991-92 में (फरवरी, 92 तक) प्रत्येक दुकान द्वारा वितरित खाद्य पदार्थों की मात्रा । (मात्रा गेहूं, चावल, चीनी क्वि. में व खाद्य तेल 15 किलो टीन में) गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राजमल/हीरालाल	बागीदोरा	45	100	108	20
2.	श्री लैम्पस सुवाला	,,	95	22	108	—
3.	,, ,,	,,	—	40	108	—
4.	श्री नटवरलाल/मोतीलाल	छींछ	—	191	180	15
5	श्री लैम्पस चौखला	चौखला	50	36	137	—
6.	श्री लैम्पस गांगडतलाई	गांगडतलाई	255	—	82	10
7.	सरदार/ज्योति	,,	255	—	82	10
8.	श्री लैम्पस नागावाड़ा	कलिजंरा	415	88	222	30
9.	,, ,,	नागावाड़ा	220	106	219	30
10.	श्री बिजिया/मोती	करजी	315	153	157	—
11.	श्री लालैंग/दला	करजी	470	102	114	—
12	श्री लालसिह/दलपतसिंह	लंकाई	300	88	88	10
13.	श्री रूपालाल/हिंगाजी	लंकाई	460	97	73	20
14.	श्री लैम्पस, नौगामा	नौगामा	—	90	105	—
15.	,, ,,	,,	—	42	137	—
16.	श्री जयप्रकाश/शांतिलाल	,,	45	28	9	—
17.	श्री लैम्पस, शेरगढ़	शेरगढ़	275	59	88	20
18.	,, ,,	,,	285	50	85	—
19.	श्री मगनलाल/गौतम	ढालर	485	66	76	20

1	2	3	4	5	6	7
20.	श्री मगनलाल/गोतम	ढालर	485	48	96	—
21.	श्री आदिवासी ठेका समिति, गांगडतलाई	झाझरवांकाला	345	94	83	10
22.	,, ,,	रामकामुना	340	95	75	10
23.	श्री मुरारीलाल/छगनलाल	झांझरवां	373	106	91	10
24.	श्री रामचन्द्र/छगनलाल	रामकामुना	410	100	26	10
25.	श्री शांतिलाल/बलदेवजी	सल्लोपाट	375	45	90	—
26.	श्री एहमद		220	33	90	—
27.	श्री पवनकुमार/गेबीलाल	सुवाला	140	73	112	20
28.	श्री पवनकुमार/गेबीलाल	सुवाला	420	64	115	—
29.	श्री लैम्पस सुवाला	बालावाड़ा	—	—	63	—
30.	श्री सुरेश कमजी	बालावाड़ा	159	40	95	20
31.	श्री सतीशचन्द्र/तेजसिंह	मोटिटिम्बी	520	19	80	15
32.	श्री सतीशचन्द्र/तेजसिंह	,,	488	19	104	15
33.	श्री रमनलाल/मीठालाल	बडोदिया	415	186	153	—
34.	श्री रमणलाल/राधाकिशन	,,	305	130	104	—
35.	श्री कांतिलाल/राधाकिशन	,,	28	13	—	10
36.	श्री मोतीलाल/केशव जी	बारीगामा	940	135	131	15
37.	श्री खातुराम/मालजी	,,	345	107	70	25
38.	श्री जयन्तीलाल/सुखलाल	पिंडारमां	515	142	51	15
39.	श्री ललितकुमार/सुरेशचन्द्र	,,	490	202	104	15
40.	श्री गलिया/वागजी	,,	445	15	149	—
41.	श्री लक्ष्मीलाल/शांतिलाल	बोडीगामा	470	246	150	20
42.	श्री हंसमुखलाल/रामनारायण	,,	210	166	58	—
43.	श्री मोहनलाल/शांतिलाल	,,	310	26	58	—
44.	श्री प्रतापसिंह/मंदरूपसिंह	सालिया	495	51	99	—
45.	श्री प्रतापसिंह/मंदरूपसिंह	,,	425	50	94	20
46.	श्री वाला/पुना	खोड़ालीम	265	41	68	15

1	2	3	4	5	6	7
47.	श्री प्रतापसिंह/मंदरूप	खोडालीम	400	51	92	—
48.	श्री धुलसिंह/रूपा	हांडी	370	64	86	—
49.	श्री धुलसिंह/रूपा	,,	400	82	90	—
50.	श्री नाथुलाल/रामजीलाल	खूंटागलिया	625	119	80	20
51.	श्री नाथुलाल/रामजीलाल	,,	410	107	90	20
52.	लैम्पस चांदवाड़ा	चांदरवाड़ा	340	82	120	15
53.	,, ,,	,,	395	29	70	15
54.	श्री रामलाल/कुरीया	बडलिया	460	86	83	20
55.	श्री नथमल/लूणजी	,,	810	304	74	22
56.	श्री छगनलाल/विजयपाल	,,	802	198	68	15
57.	श्री खेमराज/चुन्नीलाल	नाहरपुरा	520	88	102	15
58.	श्री सुखलाल/कमजी	,,	555	102	91	15
59.	श्री केदारमल/सुवालाल	,,	570	98	69	15
60.	श्री मोहनलाल/वलमजी	आनन्दपुरी	640	235	144	20
61.	श्री रमेशचन्द/जितूजी	,,	460	148	100	25
62.	श्री रंगजी नाथिया	बरजड़िया	490	30	30	10
63.	श्री छगनलाल/खातुराम	,,	445	146	76	10
64.	श्री राजायशपाव/केशरीसिंह	छाजा	775	100	100	15
65.	श्री कालुराम/गोकुल जी	,,	750	90	82	25
66.	श्री पूनमचन्द/प्रभूजी	टामटिया	1120	208	139	40
67.	श्री पूनमचन्द/प्रभूजी	डोकर	700	187	148	40
68.	श्री मोहनलाल/रणछोड़	आमलिया	610	149	110	30
69.	श्री मोहनलाल/रणछोड़	,,	610	151	124	30
70.	श्री विनोदकुमा/हरध्यानमल	चौरड़ी	650	106	104	10
71.	श्री नाथूलाल/हरध्यानमल	,,	590	119	74	10
72.	श्री कुरीचन्द/गंगाराम	,,	311	82	90	10
73.	मोतिया/हुरजी	उदयपुरा	325	18	76	25
74.	गौतम/वीरजी	,,	405	59	53	25

1	2	3	4	5	6	7
75.	श्री धनजी/हैमा	उदयपुरा	380	72	58	10
76.	श्री प्रकाशचन्द्र/धुलजी	मडकोला	335	67	98	10
77.	श्री कालुराम/लाड़जी	,,	409	52	46	15
78.	श्री सुभाषचन्द्र/नागरमल	फलवा	175	82	75	—
79.	श्री हिम्मतलाल/लवजी	,,	280	15	33	10
80.	श्री गिरीराज/बल्लभराम	,,	503	38	100	10
81.	श्री रमणलाल/मन्ना	मुन्द्री	435	93	54	15
82.	श्री रमणलाल/मन्ना	,,	400	134	60	—
83.	श्री शंकरलाल/मियाचन्द	वरेठ	702	143	100	30
84.	श्री शकरलाल/दुलीचन्द	,,	650	191	123	15
	तहसील गढी					
1.	लैम्स गढी	गढी	308	248	174	—
2.	,,	,,	270	54	83	—
3.	,,	चोपासाग	275	188	200	—
4.	,,	ढढूका	314	77	63	—
5.	श्री मनजी/लालजी	,,	504	178	106	—
6.	श्री हिम्मतसिंह/अमरसिंह	मलाणा	145	63	63	—
7.	श्री कमलकिशोर/सोमा	,,	325	130	108	—
8.	श्री भीमजी/गलिया	ओढगाडा	162	59	140	—
9.	श्री केसरीमल/कालुजी	,,	100	12	44	—
10.	श्री केसरीमल/कालुजी	,,	100	11	24	—
11.	श्री नाथुलाल/लवजी	,,	351	49	40	—
12.	श्री तोलासिंह/डूंगरजी	रैयोणा	620	164	152	—
13.	श्री नानूलाल/डूंगरजी	,,	654	114	83	—
14.	लैम्पस जौलाना		—	—	119	—
15.	लैम्पस ,,		—	—	45	—
16.	श्री धन्नालाल/लालुजी	टामटिया	522	166	123	—
17.	श्री रामलाल/सोमाजी	,,	219	23	84	—

1	2	3	4	5	6	7
18.	श्री मनजी/धारजी	टामटिया	322	58	7	—
19.	श्री हिम्मतलाल/नानजी	आमजा	446	89	9	—
20.	श्री विजयपाल	,,	256	44	118	—
21.	श्री जोखाराम/हरजी	,,	322	22	18	—
22.	लैम्पस गोपीनाथ जी का	गढ़ा	118	—	209	—
23.	,, ,,		165	—	8	—
24.	श्री भरतकुमार/दलीचन्द	भगोरा	111	69	80	—
25.	श्री सुभाषचन्द्र/जैन	,,	211	72	72	—
26.	श्री अशोककुमार/मगनलाल	प्रतापुर	414	69	95	—
27.	श्री देवीलाल/निर्भयराम	,,	414	86	94	—
28.	श्री हिरालाल/धुलजी	,,	415	89	84	—
29.	श्री भरतकुमार/काशीनाथ		406	89	92	—
30.	श्री कन्हैयालाल/धनराज		107	67	43	—
31.	लैम्पस भीमसोर		105	22	102	—
32,	,, ,,		—	22	30	—
33.	,, ,,		—	20	25	—
34.	,, सरेड़ी		65	70	244	—
35.	श्री अशोककुमार/मानशंकर	बजवाणा	35	39	36	—
36.	श्री बदामीलाल/भीमचन्द	,,	381	126	84	—
37.	श्री देवीलाल गोतमजी	आसन	383	137	123	—
38.	लेम्पस भीमपुर		110	22.	96	—
39.	,,	रोयड़ा	132	25	81	—
40.	श्री रमेशचन्द/भीचन्द	रोहीड़ा	152	83	111	—
41.	लैम्पस पालोदा	लोहारिया	265	51	132	—
42.	,,	,,	126	9	35	—
43.	,,	पालोदा	285	178	160	—
44.	,,	आसोड़ा	197	55	76	—
45.	,,	,,	216	48	56	—

1	2	3	4	5	6	7
46.	लैम्पस पालोदा	लसाड़ा	242	133	124	—
47.	,, खोढ़न	मेतवाला	—	28	148	—
48	श्री नरेन्द्रकुमार/सुखलाल		493	121	105	—
49.	लैम्पस खोड़न		250	64	121	—
50.	श्री श्रीपाल/अमृलाल	खाडन	305	62	59	—
51.	श्री हरका/बावरिया	उमाड़ा	508	67	111	—
52.	श्री लाल/नाथु	,,	372	115	90	—
53.	श्री रमणलाल/देवा	,,	120	92	85	—
54.	श्री कुशला/पन्ना	अडोर	498	22	20	—
55.	श्री दिलीपकुमार/हमजी	,,	322	39	30	—
56.	श्री परतु/सवा	,,	527	112	66	—
57.	श्री फुला/जोखा	,,	445	35	40	—
58.	श्री सूरजमल/नाथुलाल	खेरनका पारड़ा	453	160	110	—
59.	श्री पन्नालाल/वेणीचन्द	,,	445	189	126	—
60.	कृ. वि. सहकारी समिति	,,	68	38	18	—
61.	लैम्पस बोरी	बोरी	50	89	149	—
62.	,,	,,	117	—	67	—
63.	,, आजना	आजना	523	126	118	—
64.	श्री सूरजमल/कचरचन्द	,,	505	103	199	—
65.	श्री नरेशकुमार/केसरीमल	,,	—	43	16	—
66.	श्री पवनकुमार/जीतमल	पिलोदा	713	149	140	—
67.	श्री पवनकुमार/जीतमल	,,	366	68	43	—
68.	श्री रामलाल/रावजी	वल्लपुरा	293	128	89	—
69.	श्री देवीलाल/सुखलाल	,,	463	122	90	—
70.	श्री नरेन्द्रकुमार/सुखलाल	,,	30	14	7	—
71.	श्री कांतिलाल/हुकमचन्द	मोटीबस्ती	961	204	194	—
72.	श्री रविन्द्रकुमार/कांतिलाल	,,	203	32	20	—
73.	श्री कांतिलाए/हुकमचन्द	अरथुना	566	120	113	—

1	2	3	4	5	6	7
74.	श्री नाथूलाल/प्रतापजी	,,	693	146	113	—
75.	श्री हीरालाल/केशरपुरा		346	86	85	—
76.	श्री जवाहरलाल/शंकरलाल	केशरपुरा	298	80	49	—
77.	श्री पवनकुमार/औच्छबाल	कोटड़ा	509	121	120	—
78.	श्री लक्ष्मण/धनिया	,,	556	130	110	—
79.	श्री शंकर/भूरा	पादेडी	721	147	143	—
80.	श्री रुपा/जोखना	,,	390	44	65	—
81.	लैम्पस अडोर	पाराहेड़ा	75	13	126	—
82.	श्री लक्ष्मण/गुलाबजी	,,	112	62	98	—
83.	श्री रुपलाल/कालूजी	डकारकुंडी	180	69	55	—

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 480 की सूची

शिक्षा विभाग के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की संख्या एवं उनमें 1980–1991 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या

शहर का नाम	1991 में शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या				1980 और 1991 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 1980				1991–92			
	प्राथमिक		माध्यमिक		प्राथमिक		माध्यमिक		प्राथमिक		माध्यमिक	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
श्रीगंगानगर	13	18	3	5	835	305	496	762	427	2198	540	1162
हनुमानगढ़ जंक्शन	7	9	1	1	160	174	362	259	147	1755	366	264
हनुमानगढ़ टाउन	3	3	—	1	457	167	1076	545	40	551	—	450
संगरिया	5	—	—	1	512	—	576	294	311	—	576	—
सूरतगढ़	6	4	1	1	459	314	334	314	236	516	621	525
योग :–	34	34	5	9	2423	960	2844	2174	1161	5720	2103	2401

(319)

पांच शहरों में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल उनमें विद्यालयों की वर्ष 1991 में छात्र संख्या तथा वर्ष 91–92 में राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को दी गई सहायता का विद्यालयवार विवरण

शहर का नाम	मान्यता प्राप्त निजी स्कूल				1991 में छात्र संख्या				वर्ष 91-92 में शालाओं की संख्या जिन्हें सहायता दी गई	
	प्राथमिक		माध्यमिक		प्राथमिक		माध्यमिक			
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
श्रीगंगानगर	18	15	1	2	3132	2898	475	343	26	19
हनुमानगढ़	3	8	—	—	392	1650	—	—	2	2
हनुमानगढ़ टाउन	3	3	3	—	356	551	1385	—	2	2
संगरिया	2	5	3	—	542	—	1292	—	2	1
सूरतगढ़	11	2	2	—	1635	222	675	—	—	1

वर्ष 1991-92 में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, संगरिया, सूरतगढ़ क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दी गई सहायता राशि का विवरण

(छात्र संस्थाएं)

क्र. सं. 1	विद्यालय का नाम 2	91-92 में गई दी राशि 3
	श्री गंगानगर–	
1.	श्री गुरुनानक खा सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	15,58,253.00
2.	गोपालवाला आर्य सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	14,06,875.00
3.	सनातन धर्म सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	1,78,382.00
4.	दधिमती सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	5,60,821.00
5.	सेठ जी. एल. बिहाणी सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	17,40,578.00
6.	सनातन धर्म उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	1,83,005.00
7.	राजेन्द्रा उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	1,18,150.00
8.	जवाहर बाल मन्दिर, श्री गंगानगर	1,82,973.00
9.	दधिमती उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	2,84,888.00
10.	ललिता शास्त्री उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	45,961.00
11.	अरोड़ वंश उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	1,15,011.00
12.	शिशु शिक्षा सदन श्री गंगानगर	60,207.00
13.	सरस्वती शिशु मन्दिर श्री गंगानगर	60,106.00
14.	मनोहर बाल मन्दिर श्री गंगानगर	1,10,362.00
15.	बाल भारती प्राथमिक विद्यालय श्री गंगानगर	78,283.00
16.	गुरू तेग बहादुर प्रा. वि. श्री गंगानगर	57,049.00
17.	राजेन्द्रा प्राथमिक विद्यालय श्री गंगानगर	2,32,302.00
18.	शिशु शिक्षा सदन श्री गंगानगर	71,142.00
19.	आदर्श शिक्षा सदन श्री गंगानगर	1,21,583.00
20.	अरोड़ वंश प्राथमिक विद्यालय श्री गंगानगर	2 63,923.00
21.	ललिता शास्त्री प्रा. वि. श्री गंगानगर	98,224.00

1	2	3
22.	श्री गुरु नानक खालसा प्रा. वि. श्री गंगानगर	1,59,844.00
23.	भोपाल वाला आर्य प्रा. वि. श्री गंगानगर	1 97,738.00
24.	सरस्वती शिशु मन्दिर श्री गंगानगर	54,426.00
25.	नेहरू स्मारक प्रा. वि. श्री गंगानगर	41,565.00
26.	जगदम्बा अंध विद्यालय, श्री गंगानगर	50,233.00
	हनुमानगढ़ जं.–	
1.	नेहरू स्मृति सी उ. मा. वि. हनुमानगढ़ जं.	1,37,945.00
2.	नेहरू स्मृति उ. प्रा. वि. हनुमानगढ़ जं.	1,01,502.00
	हनुमानगढ़ टाउन–	
1.	नेहरू मेमोरियल उ. प्रा. वि. हनुमानगढ़ टाउन	85,245.00
2.	बाल विकास विद्यालय, हनुमानगढ़ टाउन	64,830.00
3.	नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन प्रा. वि. हनुमानगढ़ टाउन	2,07,590.00
	संगरिया–	
1.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ सी. उ. मा. वि. संगरिया	13,82,711.00
2.	डी. आर. उ प्रा. संगरिया	1.08,960.00
	सूरतगढ़– शून्य	शून्य
	(छात्रा-संस्थाएं)	
	श्री गंगानगर–	
1.	गुप्ता बाल भारती श्री गंगानगर	1,20,040.00
2.	बेबी हैप्पी स्कूल श्री गंगानगर	1,84,060 00
3.	सनातन धर्म बा. सी. उ. मा. वि. श्री गंगानगर	2,29,320.00
4.	नालन्दा बा. उ. प्रा. वि. श्री गंगानगर	43,920.00
5.	गांधी कन्या विद्यालय श्री गंगानगर	1,14,120.00
6.	बाल निकेतन श्री गंगानगर	1,19,710.00
7.	गुरु नानक श्री गंगानगर	11,23,360.00

1	2	3
8.	बाल संसार श्री गंगानगर	41,880.00
9.	टैगोर बा. प्रा. वि. श्री गंगानगर	95,325 00
10.	काशी विद्यापीठ मन्दिर श्री गंगानगर	1,07,640.00
11.	बहादुर राम जाट माडल स्कूल श्री गंगानगर	40,515.00
12.	विश्व बाल भारती श्री गंगानगर	42,860.00
13.	सावन माडल स्कूल श्री गंगानगर	43,300,00
14.	गांधी विद्यापीठ श्री गंगानगर	41,683.00
15.	जगदीश आर्दश लालगढ़	65,560.00
16.	प. दीनदयाल प्रा. वि. श्री गंगानगर	35,637·00
17.	दयानन्द पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर	44,600.00
18.	अग्रवाल आर्दश कन्या श्री गंगानगर	46,740.00
19.	विद्या निकेतन श्री गंगानगर	38,250.00
	हनुमानगढ़जं –	
1.	आर्दश बाल निकुंज हनुमानगढ़ जं.	32,874.00
2.	बेबी हैप्पी माडल हनुमानगढ़ जं.	47,967.00
	हनुमानगढ़ टाउन–	
1.	आदर्श कन्या हनुमानगढ़ टाउन	17,903.00
2.	अशोका माडल स्कूल हनुमानगढ़	52,972.00
	संगरिया–	
1.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया	4,89,900.00
	सूरतगढ़–	
1.	शर्मा बाल मन्दिर सूरतगढ़	1,25,690.00

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 484 की सूची

सूची

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धमाणा का गोलीया में कक्षावार छात्र संख्या

कक्षा	छात्र	छात्रा	योग	कक्षा	छात्र	छात्रा	योग
अविभक्त इकाई	61	44	105	6	29	2	31
3	29	2	31	7	35	2	37
4	20	5	25	8	25	2	27
5	16	2	18	—	—	—	—
योग			179	योग			95
						महायोग :—	274

सूची–II

सांचोर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	II ग्रेड	III ग्रेड
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरवाना	1	—
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढूढवा	1	—
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पांचला	1	—
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवडा	1	—
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भडवाल	1	—
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पयाना	1	—
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूराचन्द	1	—
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दांता	1	—
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अचलपुर	1	—
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नैनोल	1	—
11.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिमडावास	1	—
12.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुरावा	1	—
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिछावाडी	1	—
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जानवी	1	—
15.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वरणवा	1	—

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूची

सूचियां

पाली जिले की रायपुर, खारची, सोजत एवं जैतारण तहसीलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत एवं कार्यरत (पदस्थापित पदों की सूचियां)

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद		स्वीकृत पद	
		II	III	II	III
1	2	3	4	5	6
	तहसील–रायपुर				
1.	रा. उ. प्रा. वि. नानवा	1	9	1	9
2.	,, बिराटिया खुर्द	1	10	1	10
3.	,, कलालिया	1	9	1	10
4.	,, कलवकलां	1	8	1	7
5.	,, कमाबास मा.	1	10	1	10
6.	,, बासिया	1	10	1	11
7.	,, सुनेल	1	7	1	9
8.	,, चांग	1	7	1	7
9.	,, रामपुराकलां	1	9	1	9
10.	,, लिम्बा	1	9	1	9
11.	,, सिनला	1	11	1	11
12.	,, मसिया	1	7	1	7
13.	,, चिताड	1	8	1	9
14.	,, बूटीनांस	1	10	1	8
15.	,, बिराटियाकलां	1	8	1	8
16.	,, रेलडा	1	6	1	8

1	2	3	4	5	6
17.	रा. उ. प्रा. वि. दिपावास	1	6	1	6
18.	,, मोहहकलां	1	6	1	6
19.	,, हाजीवास	1	3	1	5
20.	रा. बा. उ. प्रा. वि. बाबरा	1	8	1	8
21.	,, पिपलीयाकलां	1	5	1	5
	तहसील–जैतारण				
1.	रा. उ. प्रा. वि. देवरियां	1	9	1	9
2.	,, चावण्डिया	1	11	1	11
3.	,, निम्मोल	1	11	1	11
4.	,, बिरोल	1	9	1	9
5.	,, बेडकलां	1	9	1	9
6.	,, मोहराई	1	9	1	9
7.	,, फालका	1	7	1	7
8.	,, लालकिया	1	7	1	7
9.	,, आसरलाई	1	8	1	8
10.	,, धनेरिया	1	7	1	7
11.	,, पाटवा	1	10	1	10
12.	,, कानेचा	1	8	1	8
13.	,, लोटोती	1	12	1	12
14.	,, पृथ्वीपुरा	1	8	1	8
15.	,, सांगावास	1	9	1	9
16.	,, राबडियाबास	1	7	1	7
17.	,, बांझाखुडी	1	10	1	10

328

1	2	3	4	5	6
18.	रा. उ. प्रा. वि. कावलिया	1	6	1	6
19.	,, टीबडी	1	6	1	6
20.	,, झाझनवास	1	6	1	6
21.	,, राजादण्ड	1	5	1	5
22.	,, सेवरिया	1	3	1	6
23.	,, खराडि	1	3	1	3
24.	,, भुम्बलिया	1	3	1	5
25.	,, केकिन्पडा	1	3	1	3
26.	,, टुकडा	1	3	1	2
27.	,, खराडी	1	3	1	3
28.	,, फूलमाल	1	3	1	3
29.	,, घोडाबड़	1	5	1	3
30.	,, जैतारण	2	23	2	23
31.	रा. बा. उ, प्रा. बेडकलां	1	5	1	5

तहसील–खारची

1.	रा. उ. प्रा. वि. धामली	1	10	1	9
2.	,, रडावास	1	6	1	6
3.	,, दुदोड	1	9	1	9
4	,, मुसालिया	1	8	1	8
5.	,, सिनला	1	7	1	7
6.	,, चेलावास	2	7	2	7
7.	,, बीठूलाकलां	1	9	1	9
8.	,, निम्बलीमांडा	1	9	1	8

1	2	3	4	5	6
9.	रा. उ. प्रा. वि. ईसाली	1	7	1	7
10.	,, सबराड़	1	9	1	10
11.	,, राणावास	1	10	1	10
12.	,, कराडी	1	13	1	12
13.	,, लेखावास	1	11	1	11
14.	,, बारसा	1	8	1	9
15.	,, बोगला	1	8	1	8
16.	,, सेहवाज	1	9	1	9
17.	,, बोरनडी	1	7	1	8
18.	,, मिवालिया	1	9	1	6
19.	,, नरसिंहपुरा	1	7	1	6
20.	,, बोरीमादा	1	5	1	5
21.	,, चिरपटिया	1	4	1	6
22.	,, जोडकिया	1	5	1	5
23.	,, जाणुन्दा	1	6	1	8
24.	,, धुन्धला	1	9	1	10
25.	,, बभाण	1	3	1	4
26.	,, राजकियावास	1	3	1	3
27.	,, खारची	1	7	1	9
28.	रा. बा. उ. प्रा. वि. आऊवा	1	9	1	9
29.	,, जोजावर	1	5	1	5
30.	,, राणावास	1	3	1	3
31.	,, कंटालिया	क्रमोन्नत वर्ष 1991-92 माह 1/92			

1	2	3	4	5	6
तहसील-सोजत					
1.	रा. उ. प्रा. वि. सिसरवादा	1	8	1	8
2.	,, हरियामाली	1	9	1	9
3.	,, कर्मावासगट्टा	1	6	1	8
4.	,, खारियानींव	1	7	1	7
3.	,, राजोलाकलां	1	5	1	6
6.	,, मुरडावा	1	7	1	7
7.	,, रेपडावास	1	7	1	8
8.	,, घिनावास	1	11	1	11
9.	,, देवलीहुल्ला	1	8	1	8
10.	,, सुरायता	1	10	1	10
11.	,, आखण्डी	1	10	1	10
12.	,, खारिया सोडा	1	8	1	8
13.	,, रायलाकलां	1	8	1	8
14.	,, गागुडा	1	5	1	5
15.	,, चौपडा	1	5	1	5
16.	,, मण्डला	1	6	1	6
17.	,, खोर्डीया	1	3	1	5
18.	,, नयागांव	1	4	1	5
19.	,, बागावास	1	3	1	3
20.	,, पाचुण्डाकला	1	3	1	5
21.	,, रामासनीबाला	1	3	1	3
22.	,, शिवपुरा	1	3	1	2

1	2	3	4	5	6
23.	रा. उ. प्रा. वि. मेव	1	3	1	3
24.	,, बेरापीपलिया	1	3	1	3
25.	,, खोखरा	1	7	1	8
26.	,, नं. 1 सोजत	3	20	2	20
27.	,, नं. 2 सोजत	2	15	2	15
28.	,, नं. 3 सोजत	2	11	2	11
29.	,, नेहरा बेरासोजत	2	8	2	8
30.	,, जोधगेट सोजत	1	10	1	10
31.	रा. बा. उ. प्रा. वि. सोजत रोड	1	12	1	12
32.	,, चण्डावल	1	5	1	5

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 496 का विवरण

जीवनधारा योजना के अन्तर्गत पं. समितिवार लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

जिला-कोटा

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	लक्ष्य 1991-92	उपलब्धि (पूर्ण कुऐं) 1991-92
1	2	3	4
1.	लाडपुरा	10	8
2.	सुल्तानपुर	17	6
3.	इटावा	22	38
4.	सांगोद	80	16
5.	खैराबाद	60	53
	योग	189	121

जिला-झालावाड़

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	लक्ष्य 1991-92	उपलब्धि (पूर्ण कुऐं) 1991-92
1.	झालरा पाटन	52	13
2.	खानपुर	50	5
3.	बकानी	50	3
4.	म. थाना	52	10
5.	सुनेल	52	3
6.	डग	52	4
	योग	308	38

1	2	3	4
जिला–बून्दी			
1.	हिन्डोली	65	41
2.	तालेड़ा	21	20
3.	नैनवा	65	58
4.	के. पाटन	20	18
	योग	171	137
जिला–बांरा			
1.	अन्ता	37	—
2.	बांरा	37	—
3.	किशनगंज	35	—
4.	शाहबाद	35	—
5.	अटरु	35	—
6.	छबड़ा	65	—
7.	छीपाबड़ोद	88	26
	योग	332	26

0334

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 498 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

इन्दिरा आवास कालोनी के तहत जिन व्यक्तियों को मकान दिए गए हैं उनका नाम मय वल्दीयत, ग्रामवार विवरण

क्र सं.	नाम व्यक्ति मय वल्दीयत	ग्राम
1.	श्रीमती निम्बू बेवा राजकुमार चमार	मुण्डन-वाडाकला
2.	श्री पतराम पुत्र ग्यारसा चमार	,,
3.	श्री मक्खन पुत्र मम्मन चमार	,,
4.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री प्रभाती चमार	,,
5.	श्री सूरजभान पुत्र गंगासहाय चमार	,,
6.	श्री दीपचन्द पुत्र श्री कालूराम चमार	,,
7.	श्री रामप्रसाद पुत्र श्री कुंजाराम चमार	,,
8.	श्री ब्रह्मानन्द पुत्र कुंजाराम	,,
9.	श्री रामप्रसाद पुत्र मक्खनराम	,,
10.	श्री बाबूलाल पुत्र गिदला भंगी	,,
11.	श्री प्रेमकुमार पुत्र जयनारायण भंगी	,,
12.	श्री नानगराम पुत्र भीला भंगी	,,
13.	श्री भूंथाराम पुत्र दीना	,,
14.	श्री सुबाराम पुत्र दीना चमार	,,

परिशिष्ट–12

परिशिष्ट–अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूचना

वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत उदयपुर जिले में "अपना गांव–अपना काम" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

(रु हजारों में)

क्र सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	सामुदायिक केन्द्र बडा हवाला	(बडगांव)	158000	47400.00	अपूर्ण
2.	क्रेमेशन ग्राउण्ड, बेदला	(बडगांव)	60000	7000.00	अपूर्ण
3.	सामुदायिक भवन, सियालपुरा	(बडगांव)	160000	24000.00	अपूर्ण
4.	सामुदायिक धर्मशाला, दल	(सलूम्बर)	100000	60000.00	अपूर्ण
5.	बैठक कक्ष लेम्ब, दल	(सलूम्बर)	100000	60000.00	अपूर्ण
6.	सामुदायिक धर्मशाला, गडवाडा	(सलूम्बर)	10000	4000.00	अपूर्ण
7.	सामुदायिक बैठक कक्ष, खरका	(सलूम्बर)	100000	10000.00	पूर्ण
8.	अस्पताल निर्माण सेमल	(सराडा)	175600	105360.00	अपूर्ण
9.	सामुदायिक केन्द्र, सराडा	(सराडा)	114000	17100.00	अपूर्ण
10.	धर्मशाला भाण्डा	(सराडा)	104000	15600.00	अपूर्ण
11.	विश्राम भवन हनुमान चौक सराडा	(सराडा)	76000	14000.00	अपूर्ण
12.	सड़क सुधार, मुस्लिम, जैन मोहल्ला चावण्ड	(सराडा)	59000	8850.00	अपूर्ण
13.	पुस्तकालय निर्माण, चावण्ड	(सराडा)	29900	4500.00	अपूर्ण
14.	राज. उच्च प्राथ. विद्यालय	(खेरवाडा)	102500	123000.00	अपूर्ण
15.	राज, उच्च प्राथ. विद्यालय	(खेरवाडा)	205000	7000.00	अपूर्ण
16.	अम्बेडकर सामुदायिक भवन	(धरियावाद)	6800	10000.00	अपूर्ण
17.	सी. सी. सडक चन्देसरा	(मालवी)	100000	100000.00	अपूर्ण
18.	सामुदायिक केन्द्र अनूपपुरा	(मालवी)	57000	57000.00	अपूर्ण
19.	क्रेमेशन पर चन्देसरा	(मालवी)	70000	45000.00	अपूर्ण
20.	प्राथ॰ विद्यालय भवन सराया	(गोगुंदा)	400000	130000.00	अपूर्ण
21.	मेटेलिक सडक वल्लमनगर	(भिंडर)	58500 संशोधित)	58500.00	पूर्ण
22.	उच्च प्राथमिक स्कूल, नीमडी	(भिंडर)	95000	28500.00	अपूर्ण
23.	मेटेलिक सडक, गोराणा	(झाडोल)	151000	906000.09	अपूर्ण

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 502 की सूची

(राशि लाख रु. में)

	कार्य का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
1	2	3	4		5	6	7
1.	सम्पर्क सड़क उदयपुर-झाडोल मार्ग से नयाखेड़ा (नाई)	गिर्वा	31-12-91	4.50	1.14	प्रगति पर	30-6-92
2.	भुवाणा से सौभागपुरा (भुवाणा)	बड़गांव	31-12-91	2.75	0.58	प्रगति पर	30-6-92
3.	झामोडिया पुलिया से रामा गांव के बीच पुलिया (रामा)	बडगांव	31-12-91	2.00	0.32	प्रगति पर	30-6-92
4.	सेमारी से सगतपुरा वाया ब्राह्मणों की भागल	सराडा	31-12-91	10.00	1.94	प्रगति पर	30-6-92
5.	सम्पर्क सड़क सरेरा पर पुलिया निर्माण	खेरवाड़ा	31-12-91	1.00	—	नाले में पानी होने से कार्य मार्च, 92 के अन्त में प्रारम्भ हो सकेगा ।	30-6-92

1	2	3		4	5	6	7
6.	ऋषभदेव से गडावल	खेरवाडा	31-12-91	4.50	0.86	प्रगति पर	30-6-92
7.	कनबई से डबाइचा वाया भोमटावाड़ा	खेरवाडा	31-12-91	8.00	1.53	प्रगति पर	30-6-92
8.	सम्पर्क सड़क इडाणा माताजी मन्दिर (इडाणा)	सलूम्बर	31-12-91	7.00	1.74	प्रगति पर	30-6-92
9.	एम. डी. आर. 11 से झाबूडा	सलूम्बर	51-12-91	2.50	0.81	प्रगति पर	30-6-93
10.	सम्पर्क सड़क आड़ (आड़)	धरियावाद	31-12-91	4.00	1.11	प्रगति पर	30-6-92
11.	सी. डी व कं मानपुरा नाला मांडवी पारसोला सड़क (आड)	धरियावाद	31-12-91	3.00	0.70	प्रगति पर	30-6-92
12.	सम्पर्क सड़क कालीभींत (कालीभींद)	धरयिावद	31-12-91	2.00	0.44	प्रगति पर	30-6-92
13.	सम्पर्क सड़क गोगुन्दा से ओवराकलाँ (वाया प्रताप चौक)	गोगुन्दा	28-1-62	8.10	2 60	प्रगति पर	मई, 92
14.	ओडा से थोबावाडा नदी पर कॉजवे का निर्माण	झाडोल	31-12-91	8.00	0.92	प्रगति पर	जून, 92
15.	वल्लभनगर डाक बंगले से पूरियाखेडी	भिण्डार	28.01-92	10.00	1.89	प्रगति पर	मई, 92

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पूरियाखेंडी से बालाथल	भिण्डार	28-01-92	2.00	0.11	प्रगति पर	अप्रेल, 92
17.	भूरी ढेबरी से सामोली	कोटडा	31-12-91	6.00	2.94	प्रगति पर	जून, 92
18.	सालेराकलाँ से वल्लभनगर सड़क (पं. स. मावली की सीमा तक)	मावली	23-01-92	7.60	1.93	प्रगति पर	मई, 92
19.	मिसिंग लिंक चन्देसरा से विजनवास सड़क	मावली	23-01-92	3.00	0.99	प्रगति पर	अप्रेल, 92
20.	सम्पर्क सड़क गुडली	गिर्वा	31-12-91	0.75	0.44	प्रगति पर	मार्च, 92
21.	एकलिंगपुरा से कल्लडवास	गिर्वा	31-12-91	7.00	0.11	प्रगति पर	जून, 92
			योग	103.70	23 10		

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 503 के निर्देश की प्रति

No. 28011/67/85-IRD-III/Vol. III
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Rural Development

To, 26th April, 1990
Secretary in charge
Integrated Rural Development Programme
All States/UTs

Sub :–Enhanced subsidy for Scheduled Caste under the Integrated Rural Development Programme (IRDP).

Sir,

Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) subsidy to Scheduled Castes is at present provided at the rate of 25% for small farmers, and 33-1/3% for marginal farmers, agricultural labouress rural artisans and others, subject to a monetary limit of Rs. 3000 in normal areas and Rs. 4000 in Drought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) areas. For scheduled tribes the subsidy is provided at the rate ot 50% subject to a monetary limit of Rs. 5000/–.

The Government has now decided that the subsidy admissible to the Scheduled Caste families under IRDP be enhanced to 50% subject to a monetary limit of Rs. 5000/– This would bring the benefits available to the Scheduled Caste families at par with the benefits enjoyed by the Scheduled Tribe families under IRDP. The enhanced subsidy limit would came into effect immediately.

You may kindly issue suitable instructions to all the DRDAs/Zila Parishads accordingly.

Yours faithfully,
Sd/–
(M. K. Khanna)
Director (IRD)

Copy to :–

1. Secretary, Ministry of Welfare, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Secretary, Department of expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. Secretary, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
4. Additional Secretary, Ministry of Programme Implementation, Sardar Petel Bhawan, New Delhi.
5. Joint Secretary, Banking Division, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
6. Joint Adviser (RD), Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
7. Chief Officer, RPCD, Reserve Bank of India, New Centra Office Building, Bombay.
8. Managing Director, NABARD, Poonam Chambers, Shiv Sagar Estate, Dr. Annia Besant Road, P. B. No. 6552, Worli, Bombay-400018.
9. Chairman of all Nationalised Banks.
10. PS to Dy. PM/MOS (RD).
11. PS/to Secretary (RD)/AS (RD).
12. JS (LR/JS(RE)/JS(A)/JR(IRD)/JS(TM)/JS(F).
13. All Officers in IRD Division.
14. Spare copies/guard fiile.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SPECIAL SCHEMES & IRD (GR VII) DEPARTMENT

No. F. 8 (5) Agri-12/87. Jaipur, dated 10th May, 1990

Copy forwarded to all Project Directors, District Rural Development Agencies for information & necessary action.

Sd/–
(V. V. Dixit)
Project Director (IRD)

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.
नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : एफ 33 (97) आरएससीडीसी/प्लान/91-92/13412 दिनांक 7-11-91

विशिष्ट शासन सचिव,
विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास
कृषि (ग्रुप--6) विभाग,
सचिवालय, जयपुर

विषय :—मैसिव योजना में अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को बढ़ी हुई दर पर अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :—आपका पत्र संख्या एफ 3 (40) बियो/ग्रुप-6/90 दि. 4-9-91

महोदय,

उपरोक्त विषय पर लेख है कि इस विभाग के पत्र संख्या एफ 33 (97) आर.एस.सी.डी.सी./सी/योजना/90-91/16209 दिनांक 20-8-90 द्वारा आपको सूचित कर दिया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ी हुई दर पर अनुदान देने की योजना बन्द कर दी गई है।

अत: मैसिव योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को निगम मद से बढ़ी हुई दर पर अनुदान देना सम्भव नहीं है। उक्त निर्णय में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है।

भवदीय,
ह०/–
(गणपतराम यादव)
प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 505 की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	अलाटियान की सं. जिनको भूमि अलाट की गई	अलाटियान की सं. जिन्होंने पूरी किश्तें जमा करवा दी	कुल आवंटियों को कब्जा दिलाया गया	किश्तें न भरने के कारण भूमि अलाटमेंट रद्द किया गया	अलाटियान की सं. जिनको पट्टा जारी हो चुका है	पट्टा जारी नहीं हुआ की सं.	भूमि का बेचान किया गया की सं.	गिरवी रखी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सूरतगढ़	1786	1732	1783		1690	42	115	—
2.	सादुलशहर	909	827	909		804	24	168	—
3.	संगरिया	201	169	169		153	16	34	—
4.	टीबी	116	24	116		24	—	—	—
5.	नोहर	567	445	445		380	65	55	—
6.	भादरा	631	328	631		295	34	67	—
7.	पीलीबंगा	1115	1037	1115		939	98	44	—
8.	हनुमानगढ़	353	116	353	—	63	53	—	—
	कुल योग :–	5678	4678	5521	90	4347	331	483	—